हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

ECONOMIC SURVEY

2013-14

ECONOMICS & STATISTICS DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH

सत्यमेव जयते

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2013–14

NUEPA DC

D14685

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14685
Date : 18-02-2016
** Documentation Centre **

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2013–14 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

डा0 श्रीकांत बाल्दी
प्रधान सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

पृष्ठ

1. सामान्य समीक्षा	..	1
2. राज्य आय एवम् लोक वित्त	..	11
3. संस्थागत् एवम् बैंक वित्त	..	16
4 आबकारी एवम् कराधान	..	32
5. भाव संचलन	..	35
6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति	..	37
7. कृषि एवम् उद्यान	..	42
8. पशु तथा मत्स्य पालन	..	56
9. वन तथा पर्यावरण	..	66
10.जल स्त्रोत प्रबंधन	..	71
11. उद्योग एवम् खनन	..	74
12. श्रम और रोजगार	..	77
13. विद्युत	..	81
14. परिवहन एवम् संचार	..	112
15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	..	117
16. शिक्षा	..	121
17. स्वास्थ्य	..	136
18. समाज कल्याण कार्यक्रम	..	143
19. ग्रामीण विकास	..	155
20. आवास एवम् शहरी विकास	..	161
21. पंचायती राज	..	166
22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी	..	170

भाग—1

वर्ष 2013—14 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 गत दो वर्ष से देश की अर्थव्यवस्था इतनी उत्साहजनक नहीं रही है और देश विश्वव्यापी/भूमण्डलीय तेल, प्राकृतिक गैस, धातु तथा अन्य मदों के मूल्य के कारण वृद्धि के कठिन दौर से गुजर रहा है। परिणामस्वरुप हर क्षेत्र में मूल्यों/कीमतों में वृद्धि तथा निगमित लाभकारिता व असली प्रयोज्य आय में कमी के फलस्वरुप आर्थिक विकास वृद्धि दर वर्ष 2011–12 में 6.7 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत रह गई।

1.2 आर्थिक विकास में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए जैसे कि खुदरा व्यापार, उड्ड्यन, दूरसंचार तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए उदारीकरण करना तथा घरेलू कम्पनियों द्वारा विदेशों से उधार लेने कि प्रकिया में कर की कमी के कारण राजस्व शेष में संतुलन तथा मुद्रास्फीति दर में गिरावट आने के कारण अर्थ–व्यवस्था में सुधार की ओर अग्रसर है। वर्ष 2013–14 के पहले व द्वितीय में आर्थिक वृद्धि दर कमशः 4.4 व 4.8 प्रतिशत आंकी गई है।

1.3 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.0 प्रतिशत आंकी गई है जोकि निर्धारित लक्ष्य 9.0 प्रतिशत से कम रही जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की 7.8 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है।

1.4 नए आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2012–13 में कुल सकल घरेलू उत्पाद ₹54.80 लाख करोड़ आंका गया है जबकि 2011–12 में यह ₹52.50 लाख करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में ₹83.90 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में लगभग ₹93.90 लाख करोड़ आंका गया है जोकि 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्थिर भाव (आधार 2004–05) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्वि मुख्यतः वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा व व्यवसायिक सेवाए (10.9 प्रतिशत) व यातायात व संचार में (6.0 प्रतिशत) के कारण रही।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में ₹61,855 थी जो वर्ष 2012–13 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह ₹67,839 हो गई। स्थिर (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में ₹38,048 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 38,856 हो गई जो कि 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.6 मुद्रा स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वित्त

वर्ष 2012–13 में मुद्रास्फीति गत वर्ष में 8.96 के मुकाबले कम रही। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2013 में मुद्रा स्फीति की दर 6.2 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2012 में 7.3 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि नवम्बर, 2013, में 11.5 प्रतिशत रही जबकि यह नवम्बर, 2012 में 9.6 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.7 हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में गतिशील परिर्वतन के कारण आज पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकलकर अग्रिम राज्य की श्रेणी में सम्मिलित है। इन परिर्वतनों के कारण प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक आर्दश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। विषम आर्थिक परिस्थितियां तथा अनुकूल प्रशासन द्वारा अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रचलित वर्ष में 6.2 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि राष्ट्रीय वृद्धि से बेहतर है।

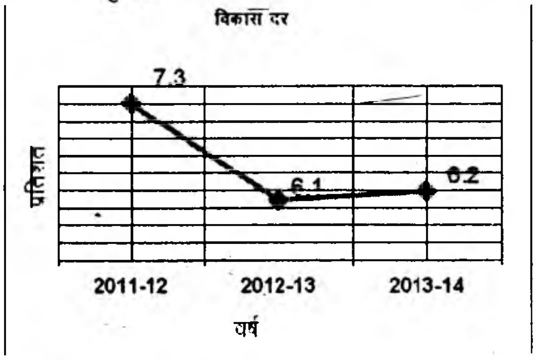

1.8 वर्ष 2011–12 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर ₹41,908 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹44,480 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.1 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में ₹64,957 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष 2012–13 में ₹73,710 करोड़ आंका गया है। यह 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.9 वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय ₹75,185 से बढ़कर वर्ष 2012–13 अनुमानों के अनुसार ₹83,899 हो गई जो कि 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं 10.0 प्रतिशत, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 6.2 प्रतिशत, वित्त व स्थावर सम्पदा 4.8 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि **गौण** क्षेत्र में **केवल** 3.4 प्रतिशत की वृद्धि रही है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 में 15.44 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2012–13 में 15.68 लाख मीट्रिक टन रहा और 2013–14 में उत्पादन घटकर 15.16 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में भी 49.1 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। फल उत्पादन वर्ष 2011–12 में 3.73 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2012–13 में 5.56 लाख मीट्रिक टन तथा 2013–14 में (दिसम्बर,2013 तक) 8.28 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1

मुख्य सूचक

सूचक	2011–12	2012–13	2011–12	2012–13
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
प्रचलित भावों पर	64957	73710	14.0	13.5
स्थिर भावों पर	41908	44480	7.3	6.1
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	15.44	15.68	3.3	0.09
फलोत्पादन (लाख टन)	3.73	5.56	(–) 63.7	49.1
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)*	12721	13440	14.9	5.7
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1906	1815	(–) 6.8	(–) 4.8
थोक भाव सूचकांक	156.1	167.6	8.9	7.4
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	175	193	7.4	10.3

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.10 वर्ष 2013 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2013–14 में लगभग 6.2 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.11 प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2012–13 में 14.42 प्रतिशत रह गया।

1.12 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2012–13 में 18.23 तथा 41.9 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2012–13 में 39.84 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.13 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी

अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.14 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.15 वर्ष 2013–14 में (दिसम्बर,2013 तक) 8.28 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2013 तक 3,917 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2013 तक 9.48 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में 13.98 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2011–12 में 13.57 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 3.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 13.80 लाख टन होने का अनुमान है।

1.16 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.17 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग,दूर संचार, विमानपतन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:–

सारणी 1.2

आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46

1.18 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने "एस.यू.जी.यू.एम", अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस),

सामुदायिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा सैंटर, ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, कृषि संसाधन सूचना तंत्र, हिम स्वान, प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.19 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व ऊचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.20 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2012–13 में नवम्बर, 2013 तक 11.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 11.5 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.21 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ₹22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2014–15 की योजना के लिए ₹4,400.00 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2013–14 से 7.30 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न है:–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (₹करोड़)	प्रतिशत भाग	प्राथ–मिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2,906.79	12.75	III
2	ग्रामीण विकास	1,276.73	5.60	VI
3	विशेष क्षेत्र	155.75	0.68	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,972.37	8.65	V
5	विद्युत	2,805.59	12.31	IV
6.	उद्योग एवं खनिज	224.42	0.98	IX
7	यातायात एवं संचार	4,709.88	20.66	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	104.92	0.46	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	2.62	VII
10	सामाजिक सेवाएं	7,674.22	33.66	I
11	सामान्य सेवाएं	372.74	1.63	VIII
	कुल	**22,800.00**	**100.00**	

1.22 भारत निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.23 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने

हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.24. प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवता, में सुधार लाने हेतू एकताबद्ध प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत आयु की पात्रता 16 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
- समाजिक सुरक्षा पैंशन ₹450 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिमाह की गई है।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को ₹1,000 मासिक पैंशन दी जा रही है।
- सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- नवजात शिशुओं व उनकी माताओं को अस्पताल से घर जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
- राज्य में कृषि सम्बन्धी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के कुल बजट का 12 प्रतिशत इस मुख्य क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है।
- विभिन्न बैंकों द्वारा सितम्बर,2013 तक 5,84,568 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा ₹2,660.31 करोड़ की राशि आंवटित की गई।
- किसान काल सैंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800–180–1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 41,333 किसान आवर्णित किए गए। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा बागवानी तकनीक मिशन के लिए ₹43.08 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।
- राजीव गांधी अन्न योजना के अंर्तगत 36 लाख 82 हजार उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तीन किलो गेहू व दो किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़ें।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2012–13 में ₹83,899 हो गई है जोकि वर्ष 2011–12 से 11.6 प्रतिशत अधिक है। 2013–14 में प्रति व्यक्ति आय ₹92,300 होने का अनुमान है।
- प्रदेश में उपलब्ध 23,000 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 8,432 मैगावाट विद्युत का दोहन

किया गया है। वर्ष 2012–13 में 1,815 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।

- प्रदेश के चिकित्सालयों में 424 जेनेरिक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है ।
- 40 प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रस्त 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ।
- वर्ष 2012–13 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.23 प्रतिशत रहा है तथा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज को 2017 तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 159.67 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 4,09,999 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 7,064 घर स्वीकृत किए गए।
- व्यापारियों की सहायता हेतु बैब पोर्टल 24X7 उपभोक्ता स्वयं सेवा शुरू की गई।
- राजीव आवास योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण अनुदान राशि ₹48,000 रुपये से बढ़ाकर ₹75,000 की गई।
- महिला मण्डलों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई तथा वर्ष 2013–14 के दौरान ₹131.04 लाख पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को उनकी मृत्यु एवं अपंगता होने पर महिला शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।
- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृति/बजीफा प्रदान किया जा रहा है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पुरूष व महिला साक्षरता दर के अनुपात को कम करने के लिए शिक्षा से पिछड़े हुए ब्लॉकों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू किए गए।
- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 नोट बुक्स प्रदान की गई है।
- आई.आई.टी.,एम्ज अथवा आई.आई. एम. में चयनित होने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार ₹75,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अधीन 28,923 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) परियोजना के अंतर्गत नवीं से बाहरवीं कक्षा तक विभिन्न

विषय एल.सी.डी.–टी.वी. एवं एल.सी.डी.–प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाए जाएंगें।

- कन्या शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्देश्य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म (दो कन्याओं) पर ₹10,000 की अनुदान राशि कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्ष की आयु पर दिए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि ₹21,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई।
- अन्तरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की शिशु स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि ₹4,000 दी जा रही थी जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने पर ₹6,000 की गई।
- आम जनता को उनके घर–द्वार पर समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन किया गया।
- राज्य में "मातृ सेवा योजना" के अंतर्गत् सभी वर्गो की गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा प्रदान की जा रही है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शिमला नगर में 75 बसों को शामिल किया गया।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 568 फलैट्स निर्मित किए गए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,350 सरकारी कार्यालयों को स्वान से जोड़ा है।
- प्रदेश की जनता को पारदर्शी, स्वच्छ, शीघ्र तथा कम लागत पर विभिन्न प्रभावी सेवाएं जैसे सरकार से नागरिक, व्यापार से नागरिक, नागरिक से नागरिक, उपलब्ध करवाने के लिए जन सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पार्दशिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई–सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।
- **प्रदेश में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए "सेवा अधिनियम" लागु किया गया।**
- आधार योजना के अंतर्गत 30.12.2013 तक कुल जनसंख्या 68,64,602 में से 65,88,931 निवासियों का नामांकन किया गया

जिसमें से 62,90,434 का आधार कार्ड बनाया गया।

- स्वास्थ्य एवं निवेश के क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को सर्वोच्च राज्य के रूप में आंका गया है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2010–11 (वा.)	2011–12 (वा.)	2012–13 (स.)	2013–14 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**12710**	**14543**	**16736**	**17701**
2. कर राजस्व	5358	6107	7350	8090
3. कर रहित राजस्व	1695	1915	1902	2393
4. सहाय अनुदान	5657	6521	7484	7218
5. राजस्व व्यय	**13246**	**13898**	**16381**	**17647**
क. ब्याज भुगतान	1950	2130	2297	2431
6. राजस्व घाटा (1–5)	**– 536**	**645**	**355**	**54**
7. पूंजी प्राप्तियां	**3745**	**2828**	**3976**	**4190**
क. उधार वसूलियां	73	25	26	28
ख. अन्य प्राप्तियां	1904	819	650	650
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	1768	1984	3300	3512
8. पूंजी व्यय	**2885**	**3421**	**4322**	**4120**
9. कुल व्यय	**16131**	**17329**	**20703**	**21767**
क. योजना व्यय	3648	3943	4384	4295
ख. गैर योजना व्यय	12483	12386	16319	17472
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				
1. राजस्व प्राप्तियां	**22.30**	**22.39**	**22.70**	**21.44**
2. कर राजस्व	9.40	9.40	9.97	9.80
3. कर रहित राजस्व	2.97	2.95	2.58	2.90
4. सहाय अनुदान	9.93	10.04	10.15	8.74
5. राजस्व व्यय	**23.25**	**21.40**	**22.22**	**21.37**
क. ब्याज भुगतान	3.42	3.28	3.12	2.94
6. राजस्व घाटा	– 0.94	0.99	**0.48**	**0.07**
7. पूंजी प्राप्तियां	**6.67**	**4.35**	**5.40**	**5.07**
क. उधार वसूलियां	0.13	0.04	0.04	0.03
ख. अन्य प्राप्तियां	3.34	1.26	0.88	0.79
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	3.10	3.05	4.48	4.25
8. पूंजी व्यय	**5.06**	**5.28**	**5.86**	**4.99**
9. कुल व्यय	**28.31**	**26.68**	**28.09**	**26.36**
क. योजना व्यय	6.40	6.07	5.95	5.20
ख. गैर योजना व्यय	21.91	20.61	22.14	21.16

टिप्पणी: **वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13(द्रुत) तथा 2013–14(अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।**

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹44,480 करोड़ आंका गया जबकि वर्ष 2011–12 में यह ₹41,908 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2004–2005) पर 6.1 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में पिछले वर्ष 2011–12 के ₹64,957 करोड़ की तुलना में ₹73,710 करोड़ आंका गया है,जो कि 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2012–13 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2011–12 के 15.44 लाख मी0टन से बढकर 15.68 लाख मी0 टन हो गया है। जबकि, वर्ष 2012–13 में सेब उत्पादन वर्ष 2011–12 के 2.75 लाख मी0 टन से बढकर 4.12 में लाख मी0 टन हो गया ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 14.42 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2013–14 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षो में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
2011–12(संशोधित)	7.3	6.2
2012–13(द्रुत)	6.1	5.0
2013–14(अग्रिम)	6.2	

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2012–13 (नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004–05) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ₹83,899 है जोकि वर्ष 2011–12 ₹75,185 की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2011–12 में प्रति व्यक्ति आय ₹49,203 आंकी गई थी जो कि वर्ष 2012–13 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹51,730 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 19.72 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 38.35 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 18.46

प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 15.17 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 8.30 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2012–13 में 14.42 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित है, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2012–13 में 19.72 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है जिस में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 38.35 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग हैं का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.8 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012–13 में 41.93 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2012–13 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.1 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2012–13 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1.कृषि एवं पशुपालन	5,602	10.6
2. वन	2,115	6.6
3. मत्सय	48	10.8
4.खनन तथा उत्खनन	149	11.9
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**7,914**	**9.5**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2012–13 में 9.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि रही। कृषि व फल उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में वृद्धि सकारात्मक रही।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2012–13 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	7,623	3.2
2. निर्माण	6,375	3.3
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	3,396	3.9
कुल गौण क्षेत्र	**17,394**	**3.4**

2.12 गौण क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष

2012–13 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में पिछले वर्षो की अच्छी उपलब्धियों की अपेक्षा इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि घट गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2012-13 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. परिवहन, संचार व व्यापार	7,456	6.2
2. वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	4,052	4.8
3.सामुदायिक एवं वैयक्तिक संवाये	7,664	10.0
कुल सेवा क्षेत्र	19,172	7.4

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2012–13 में इस क्षेत्र की विकास दर 6.2 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के परिवहन के अन्य साधनों से सम्बन्धित विकास दर 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2012–13 मे 4.8 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2012–13 में 10.0 प्रतिशत है।

सम्भावनाएं–2013–14

2.16 दिसम्बर,2013 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013–14 में विकास दर **6.2 प्रतिशत** आने की संभावना है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 6.1 प्रतिशत व 7.3 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग ₹82,585 करोड़ होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2013–14 में ₹92,300 आंकी गई है जोकि वर्ष 2012–13 में ₹83,899 की तुलना में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.18 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012	(+) 8.0	(+) 8.0

लोक वित्त

2.19 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹17,701 करोड़ है जोकि वर्ष 2012–13 (संशोधित) में ₹16,736 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2012–13 की तुलना वर्ष 2013–14 में 5.77 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है।

2.20 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में ₹5,373 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 संशोधित में ₹5,049 करोड़ व वर्ष 2011–12 (वा0) में ₹4,108 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) की अपेक्षा वर्ष 2012–13 (संशोधित अनुमान) से 6.41 प्रतिशत अधिक है।

2.21 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें विशेषकर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में ₹2,393 करोड़ आंका गया था जोकि

वर्ष 2013–14 के कुल राजस्व का 13.51 प्रतिशत था।

2.22 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में ₹2,717 करोड़ आंका गया है।

2.23 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ₹3,233 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 39.96 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 व वर्ष 2011–12 में यह क्रमशः 43.02 व 40.57 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹949 करोड़ आंकी गई है।

2.24 वर्ष 2011–12 व 2012–13 में राजस्व आधिक्य, कुल सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता क्रमशः 0.99 व 0.48 प्रतिशत थी।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले हैं। प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों में, यूको बैंक को 4 जिलों में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों का कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। सितम्बर, 2013 तक राज्य में कुल 1,706 बैंक शाखाओं का नेटवर्क हैं और ये शाखा विस्तार लगातार बढ़ रहा है। मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक 142 नई बैंक शाखाएं खोली गई है। वर्तमान में 1,367 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 253 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 86 शिमला में स्थित है जिसे आर.बी.आई. द्वारा राज्य में केवल शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया हैं।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,019 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में पंजाब नैशनल बैंक की सबसे ज्यादा 272, एस.बी.आई. और इसके सहयोगियों की 319 और यूको बैंक की 151 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक का 442 शाखाओं का नेटवर्क है और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण शाखाओं की संख्या 83 हो गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक भी कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा ज़िले में सबसे अधिक 339 बैंक शाखाएं जबकि जिला लाहौल–स्पिति में सबसे कम 41 शाखाएं कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक तीन स्तरीय अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के 6 जिलों में 190 शाखाएं और 17 विस्तार पटलों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिसकी समस्त शाखाएं (जिनमें से अधिकतर प्रदेश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं) पूर्णतः सी.बी.एस.प्रणाली पर कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा से दूसरी शाखा पर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक हैं जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य बैंकों के ग्राहक भी हमारे बैंक के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने अपने 41 ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक विस्तार को लेकर शाखाएं खोलने हेतू 24 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमति के लिए लम्बित हैं। बैंक सीधे तौर पर आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कहीं भी पैसों का हस्तांतरण कर सकते हैं। बैंक ने वित्तीय समावेश हेतु सार्थक पग उठाये हैं और दो ग्रामों में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से बी.सी. मॉडल अपनाया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में पैंशन देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

3.4 राज्य में आर.बी.आई., नाबार्ड तथा एस.आई.डी.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पी.एन.बी., एस.बी.आई., यूको, एस.बी.ओ.पी. तथा सैन्ट्रल बैंक राज्य में नियंत्रण कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 1,056 ए.टी.एम. स्थापित करने के कारण बैंक सेवाओं में वृद्धि हुई है।

3.5 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास का पहिया बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2013 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध 5 राष्ट्रीय मानकों की स्थिति को प्राप्त किया है। वर्तमान में क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए अग्रिम 68 प्रतिशत, कृषि के लिए 18 प्रतिशत, कमजोर वर्ग के लिए 20 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 7 प्रतिशत अग्रिम दिया जा रहा है तथा क्रेडिट जमा अनुपात 60 प्रतिशत रहा। बैंक 1 प्रतिशत डी.आर. आई. लक्ष्य प्राप्त करने लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.1
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2011	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2012	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2013	राष्ट्रीय मानक
1	प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार	60.04	71.76	68.20	40
2	कृषि ऋण	18.05	22.37	18.41	18
3	एम.एस.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	41.26	48.68	48.12	–
4	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.)	28.67	20.11	24.88	–
5	कमजोर वर्ग ऋण	17.40	20.71	19.62	10
6	पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी. आर.आई.ऋण	0.07	0.05	0.05	1
7	महिला ऋण	5.49	8.50	6.99	5
8	जमा एवं अग्रिम अनुपात	67.54	69.29	60.20	60
9	अनुसूचित जाति ऋण (पी.एस.सी.)	14.45	14.57	13.78	–
10	अनुसूचित जन–जाति ऋण (पी.एस.सी.)	4.93	5.56	4.71	–
11	अल्पसंख्यक ऋण	3.23	3.74	3.71	–

वित्तीय समावेशः

3.6 भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बैंक विभिन्न वित्तीय समावेश के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। वर्ष 2007 में राज्य ने पहले ही 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की स्थिति प्राप्त कर ली है तथा अब 100 प्रतिशत क्रेडिट समावेश की ओर अग्रसर है। वित्तीय समावेश एक विकल्प नहीं है बल्कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा समाज के संवेदनशील वर्ग को मिलने वाले लाभों से वंचित रखने के कारण भविष्य में अपनी व्यवसायिक योजना को विस्तृत करना है। पिछला वित्तीय वर्ष सीधे लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजना के लागू करने के कारण

प्रभावी रहा जिसमें विभिन्न सरकारी स्कीमों के उपदान का लाभ आधार/ एन.पी.सी. आई. के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में में सीधे रूप से जमा कर दिया जाता है। राज्य ने आधार कार्ड बनाने हेतु महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है तथा 95 प्रतिशत तक हो चुका है। अब तक बैंकों ने ₹17.47 करोड़ की राशि 20,253 डी.बी.टी. लेन देन के अन्तर्गत हासिल की है।

3.7 डी.बी.टी. के माध्यम से राज्य के 12 में से 11 ज़िलों के एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है जोकि एक सराहनीय कार्य है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत आधार के माध्यम से अनुदान राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डाली जाएगी। यह योजना एक महीने के अंदर इन चयनित जिलों में शुरू हो जाएगी।

3.8 रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार मार्च, 2016 तक सभी 16,640 गांवों, जिनमें बैंक सुविधा नहीं है का विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर रोड़ मैप तैयार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 800 अति लघु शाखाएं खोलने तथा व्यवसायिक सम्पर्क अभिकर्ता भर्ती करने का प्रस्ताव है जिनके माध्यम से न्यूनतम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्रों को भी बैंकिग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अब तक 2,709 बिना बैंक वाले गांवों को सम्मिलित कर लिया गया है। वित्तीय लेन–देन करने के लिए आई.सी.टी. आधारित उपकरण व्यवसायिक सम्पर्क अभिकर्ताओं को प्रदान किए गए हैं।

बैंको की व्यापारिक मात्राः

3.9 सितम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक राज्य में परिचालन बैंकों की सकल जमा राशियां वाणिज्यिक बैंक की 71 प्रतिशत, आर.आर.बी. की 4 प्रतिशत, सहकारी बैंक की 20 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रीय बैंकों की 5 प्रतिशत भागीदारी से ₹ 53,400 करोड़ से बढ़कर ₹ 63,459 करोड़ की वृद्धि दर्ज़ की गई है। सितम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक कुल अग्रिम 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹21,274 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,090 करोड़ हो गई।

3.10 मार्च, 2013 से सितम्बर, 2013 तक कुल व्यापारिक मात्रा में ₹ 81,821 करोड़ से बढ़कर ₹ 89,549 करोड़ हो गई। तथा 9.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाज़ार में 69.59 प्रतिशत की भागीदारी की। तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारिणी 3.2 में दर्शाए गए हैं:–

सारणी 3.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.9.2012	30.9.2013	सितम्बर,2012 तक परिवर्तन एवं वृद्धि प्रतिशत	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
	ग्रामीण	29742.87	36257.43	6514.56	21.90
	शहरी /अर्ध शहरी	23657.6	27201.43	3543.83	14.98
	कुल	**53400.47**	**63458.86**	**10058.39**	**18.84**
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	11438.91	16129.88	4690.97	41.01
	शहरी /अर्ध शहरी	9835.52	9960.16	124.64	1.27
	कुल	**21274.43**	**26090.04**	**4815.61**	**22.64**
3.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभूतियों में निवेश	6531.58	2260.49	(-) 4271.09	(-) 65.39
4.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	69.29%	60.20%	(-) 9.09	(-) 13.12
5.	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	**15265.49**	**17794.11**	**2528.62**	**16.56**
	(i) कृषि	4758.68	4803.27	44.59	0.94
	(ii) एम.एस.ई.	7430.69	8563.30	1132.61	15.24
	(iii) ओ.पी.एस.	3076.12	4427.54	1351.42	43.93
6.	गरीबों को अग्रिम	4405.58	5119.20	713.62	16.20
7.	डी.आर.आई.अग्रिम	9.62	14.19	4.57	47.51
8.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	6008.93	8295.93	2287.00	38.06
9.	शाखाओं की संख्या	1614	1706	92	5.70
10.	महिलाओं के लिए अग्रिम	1808.51	1823.18	14.67	0.81
11.	अल्प-संख्यकों को ऋण	571.37	660.28	88.91	15.56
12.	अनुसूचित जातियों को अग्रिम	2225.00	2452.9	227.90	10.24
13.	अनुसूचित जन-जातियों को अग्रिम	848.79	837.65	(-) 11.14	(-) 1.31
14.	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम	954.96	920.33	(-) 34.63	(-) 3.63

वार्षिक जमा योजना 2013–14 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

3.11 नाबार्ड द्वारा विभिन्न प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वाह्य कार्य क्षमता के आधार पर बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत नए ऋण देने के लिए नीति तैयार की है। वार्षिक ऋण योजना 2013–14 के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य गत

योजना से 23.53 प्रतिशत से बढ़ाकर ₹ 11,548 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत बैंकों ने अर्ध वार्षिक में सितम्बर, 2013 तक ₹ 5,435 करोड़ के नए ऋण दिए गए तथा 47.06 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता प्राप्त की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.09.2013 तक सारणी 3.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.3
सितम्बर,2013 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2012–13	लक्ष्य सितम्बर,2013	उपलब्धि सितम्बर,2013		लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
				नई ईकाइयां	राशि	
1	कृषि	4065.44	1829.45	170242	1600.39	87.48
2	एम.एस.ई.	3157.08	1420.68	26748	1232.6	86.76
3	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	2619.92	1178.96	32889	831.42	70.52
4	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1से3)**	**9842.44**	**4429.09**	**229879**	**3664.41**	**82.74**
5	गैर प्राथमिक क्षेत्र	1705.44	767.45	38594	1770.77	230.73
	कुल योग(4+5):	**11547.88**	**5196.54**	**268473**	**5435.18**	**104.59**

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यन्वयन:

क) प्रधानमन्त्री रोज़गार कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)

3.12 इस योजना के अन्तर्गत 630 इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध 833 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिसमें 3,886 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए। वर्ष 2013–14 के लक्ष्य को 1,619 इकाईयों में संशोधित किया गया। सितम्बर, 2013 तक बैंकों द्वारा 388 ऋण प्रस्तावों में ₹ 19.84 करोड़ का भुगतान किया गया है।

ख) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना:

3.13 योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बैंकों द्वारा 9,486 स्वरोज़गारों को ₹ 47.12 करोड़ ऋण की राशि के रूप में सहायता प्रदान की गई। इसमें ₹ 39.55 करोड़ के ऋण तथा ₹ 7.57 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: (एन0आर0एल0एम0)

3.14 भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा रियायती दर पर ब्याज़ देने की घोषणा की गई है।

घ) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: (एन0यू0एल0एम0)

3.15 यह भी भारत सरकार द्वारा घोषित नई योजना है, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमज़ोर वर्ग को स्वरोज़गार वेंचर्स तथा कौशल विकास तथा गृह ऋण के लिए रियायती ऋण दिए गए तथा इस योजना में घुमन्तू/सड़क पर

बैठकर बेचने वालों को भी शामिल किया गया।

ड) राजीव ऋण योजनाः

3.16 यह भी एक नई योजना है जिसका उद्देश्य आश्रय स्थलों की ज़रूरतों को पूरा करना है।

च) दूध गंगा डेयरी योजनाः

3.17 नाबार्ड द्वारा शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को वरीयता प्रदान की गई है।

3.18 इसके अतिरिक्त बैंक किसानों को फसलों के लिए ऋण लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहे है। अब तक बैंकों द्वारा 6.41 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिसमें से 51,267 किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूरतमंद किसानों को प्रदान किए गए हैं।

नाबार्ड

3.19 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रकिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सकिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित ऋणयुक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.), खरगोश जोखिम पूंजी निधि ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोश का एकीकृत विकास, कृषि विपणन आधार संरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का सशक्तिकरण योजना इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण आधार संरचना

3.20 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्थानों पर चिन्हित विशेष संरचना ढांचे के विकास जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए भी कर दिया गया है।

3.21 यह योजना वर्ष 1995–96 आर0आई0डी0 एफ0 निधि के स्थापना वर्ष से ही राज्य सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण आधार भूत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के बजटों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य के अधीन आने वाले निगमों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने व कुछ चिन्हित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रारम्भ में

आर0आई0डी0एफ0 निधि का उपयोग राज्य सरकार की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 31 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों में विभक्त कर दिया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और गैर–सरकारी संगठनों जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज और ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्थानों पर चिन्हित आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु हो, बढ़ा दी गई है।

3.22 इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर0आई0डी0एफ0–1 में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर0आई0डी0एफ0 XIX. वर्ष 2013–14 में ₹500.00 करोड़ हो गया है। यह निधि विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकीइत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा पॉली हाउस, तकनीक व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से कृषि विपणन तथा सतत कृषि को वाणिज्यक रूप दिया गया है।

3.23 इस निधि के अन्तर्गत राज्य को दिसम्बर, 2013 तक 4,881 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹4,165.35 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिन में से मुख्यत: ग्रामीण सड़कें तथा पुल के लिए 55 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 18 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 15 प्रतिशत तथा शेष अन्य परियोजनाओं के लिए जिन में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं, स्वीकृति दी है। 31 दिसम्बर, 2013 तक निधि के अन्तर्गत ₹133.34 करोड़ तथा राज्य सरकार को ₹216.00 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा अब तक कुल मिलाकर ₹2,574.29 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.24 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होने तथा पूरा होने के बाद कुल 7,413 किलो मीटर सड़कें मोटर योग्य, 19,621 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 87,175 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिससे 29.47 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

3.25 इसके अतिरिक्त 20,139 हैक्टेयर भूमि का बचाव, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से लाभ होगा,6,219 हैक्टेयर भूमि जलागम विकास योजनाओं से लाभान्वित होगी। कृषि खेती हेतु 147 हैक्टेयर भूमि पर पॉली हाउस और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2,921 प्राथमिक स्कूलों के लिए कमरे, सकैन्डरी स्कूलों के लिए 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 सूचना तकनीक केन्द्र तथा 397 पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाकरण केन्द्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नई व्यापार पहल:

क) नाबार्ड वेयर हाउसिंग योजना 2013–14 (एन0डब्ल्यू0एस0)

3.26 नाबार्ड ने सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे ऋण प्रदान करने हेतु वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज तथा

अन्य वातानुकूलित चेन संरचना निर्माण के लिए ₹5,000 करोड़ से यह योजना शुरू की है। पहले से ही स्थापित परियोजना को आधुनिकीकरण करने के लिए वैज्ञानिक रूप से अधिक सक्ष्म करने हेतू यह योजना उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के उपक्रम, सहाकारी समितियां, संघ, ए0पी0एम0सी0एस0, राज्य स्तरीय बोर्ड, निजी कम्पनियां तथा निजी उद्यमी आदि ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

ख) नाबार्ड अधोसंरचना विकास सहायता (नीडा)

3.27 वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/ निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है परन्तु इन संस्थानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य होगा। ऋण क़ी यह व्यवस्था आर0आई0डी0एफ0 ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं।

पुनर्वित्त सहायता

3.28 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यो के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को ₹116.83 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 के दौरान और ₹24.07 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए वर्ष 2013–14 में ₹403.00 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की थी जिसके तहत 31 मार्च,2013 तक इन बैंकों द्वारा ₹403.00 करोड़ का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है। वर्ष 2013–14 में यह सीमा ₹495.00 करोड़ निर्धारित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹398.00 करोड़ का पुनर्वित 31दिसम्बर, 2013 तक नाबार्ड द्वारा वितरित किया जा चुका है।

सूक्ष्म ऋण

3.29 स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 31 मार्च,2013 तक प्रदेश में 66,106 स्वंय सहायता समूहों के लगभग 6.61 लाख ग्रामीण परिवारों को बचत बैंक खाते के द्वारा बैंकों से जोड़ा है। इनमें से 64,451 स्वंय सहायता समूहों ने विभिन्न बैंको से ऋण लिया है और इनका ₹ 285.15 करोड़ का ऋण बकाया है। 31 मार्च,2013 तक लगभग 441 संयुक्त देयता समूहों को विभिन्न बैंको से ₹381.34 लाख का ऋण दिया गया है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड राज्य में 68 एन.जी.ओ. के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। साथ ही नाबार्ड महिला और बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भी मिलकर इस हेतू कार्य कर रहा है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.30 31 दिसम्बर, 2013 में राज्य में 2,830 किसान क्लब बनाए गए है जिनके अन्तर्गत 5,789 गांवों में 34,104 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। ज़िला सिरमौर में किसान क्लबों के एक संघ का भी गठन

किया गया है। नाबार्ड जलागम विकास योजना भी चला रही है तथा अभी तक राज्य में ऐसी 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जोकि विभिन्न चरणों में लागू की जा रही है। किसानों को खेती के नए तरीके जैसे कि केंचुआ खाद, जैविक खाद, पॉली हाउस तकनीक, खुशबूदार और मैडिसिनयल पौधों की खेती, मशरूम एवं गैर मौसमी सब्जियों की खेती को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से "कैट" यानि नई तकनीक के माध्यम से क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर व बाहर 1,510 किसानों को रिसर्च संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाबार्ड के ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 ज़िलों में 60 गांवों को चिन्हित किया गया है। लगभग 2,000 परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचने की उम्मीद है। फसल गहनता प्रणाली कार्यक्रम से नाबार्ड द्वारा राज्य के विभिन्न ज़िलों जैसे ऊना, कांगड़ा, चम्बा, मण्डी इत्यादि स्थानों पर गेंहू और चावल के पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त फलों, उन्नत किस्म की सब्जियों, नर्सरियां उगाने के लिए, मधुमक्खी पालन, मक्की तथा गेंहू की उन्नत किस्मों को उगाने के लिए टैक्नोलोजी ट्रांस्फर नाम से एक अन्य परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है।

क) जलागम विकास निगमः

निगम के जलागम विकास निधि से 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। सोलन ज़िले में धुन्दन जलागम परियोजना ₹61.85 लाख की सहायता राशि के साथ पूर्ण ज़ोर से लागू की जा रही है। इसी तरह सोलन में ही सरयान्ज सरमा जलागम परियोजनाएं ₹12.29 लाख की अनुदान राशि से चलाई जा रही है। ज़िला ऊना में सिद्धलेचर जलागम परियोजना ₹118.00 लाख, जुबैहर परियोजना ₹14.28 लाख तथा अम्बेदा धिराज परियोजना ₹21.27 लाख की लागत से चलाई जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सीधे नाबार्ड द्वारा लागू की जा रही है। अभी तक कुल ₹265.28 लाख की स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ₹158.64 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 में अभी तक कुल ₹21.55 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जब उपरोक्त सभी परियोजनाएं लागू हो जाएंगी तो 54 गांवों के 4,851 परिवारों तथा कुल 7,671 हैक्टेयर क्षेत्रफल को इन परियोजनाओं से लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं से न केवल पानी के स्तर के बढ़ाने में लाभ पहुंचा है बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद की गई है जिससे राज्य के अन्दर पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचा है।

ख) जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो नई परियोजनाएं स्वीकृत की है जिनमें से पहली परियोजना ऊना के अम्ब ब्लॉक के 4 गांवों में ₹92.81 लाख से चल रही है जबकि दूसरी परियोजना बिलासपुर के झण्डुता

ब्लॉक के बरोटी, सनहेरा, बिहरी तथा टिहरी गवों में चल रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत आठ गांवों के 251 एकड़ भूमि में 447 जनजातीय परिवारों को ₹197.51 लाख को राशि से छोटे बागों, दुग्ध उत्पादन, आम, किन्नू और नींबू के पौधे लगाने हेतू दिए गए ताकि इससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

ग) कृषि में नवसंचार संवर्धन कोष के माध्यम से समर्थन: (एफ0आई0पी0एफ0)

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 5 परियोजनाओं के लिए ₹38.28 लाख की राशि से चावल गहनता प्रणाली, गेहूं गहन्ता प्रणाली जैसी गतिविधियों के लिए लगभग 4,200 किसानों को अनुदान सहायता दी गई।

घ) कृषक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण निधि के माध्यम से समर्थन: (एफ0टी0टी0एफ0)

इस निधि को मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत अनुसंधान संस्थानों के किसानों को ₹112.79 लाख की वित्तीय सहायता तथा 18 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत ₹12.95 लाख की धनराशि जारी की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, स्वदेशी शहद, विदेशी सब्जियों की खेती, उन्नत सब्जी नर्सरी, शेतोषण फलों, बेहतर चारे की खेती, सतत कृषि सेवाओं आदि का राज्य के सोलन ऊना, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू और मण्डी ज़िलों में उत्पादकों में बढ़ौतरी आदि के लिए शामिल किया गया।

ड.) प्राकृतिक रिसोर्स प्रबन्धन पर अंब्रेला कार्यक्रम: (यू0पी0एन0आर0एम0)

नाबार्ड के0एफ0डब्ल्यू0 और जी0टी0जैड0 के समर्थन के साथ इंडो–जर्मन सहयोग से पिछले 15 सालों से वाटरशैड और छोटे बागों की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। भारत सरकार तथा जर्मन ने मिलकर यू0पी0एन0आर0एम0 का पुनर्गठन किया है। नाबार्ड और जर्मन विकास कार्यक्रम भागीदारी के रूप में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि आय, कृषि मूल्य श्रृंखला और प्राकृतिक संसाधनों तथा गरीबी को कम करने का प्रयास कर रहा है। यू0पी0एन0आर0एम0 परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन लिंक का समर्थन करता है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.31 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कषि क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। नाबार्ड ने संरचना जरूरतों, सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता विकास तथा ऋण की ज़रूरतों पर विचार कर "पर्यटन क्लस्टर" विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण पर्यटन एवं एग्रो पर्यटन से सम्बन्धित सभी गतिविधियां नाबार्ड के गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वित प्राप्त कर सकेगी। नाबार्ड स्वरोज़गार ऋण कोर्ड योजना (एस.सी.सी.) को भी ग्रामीण हथकरघा एवं लघु उद्यमियों के हित के लिए सहायता देगा जिससे कार्यशील पूंजी तथा ब्लॉक पूंजी दोनों के

लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी जैसी संस्थाओं एवं आर.सेटी जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनको प्राप्त क्षमता से रोजगार उपलब्ध हो और वे आय–सृजक कार्य शुरू कर सकें। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:–

- कौशल विकास पहल के अन्तर्गत समूह या व्यक्तिगत रूप से रोज़गार या आजीविका की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौजूदा कौशल का विकास करना/ उन्नत करना या विविधिकृत करना कौशल विकास पहल में शामिल है। 31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य में 218 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए है जिनके लिए ₹111.18 लाख की अनुदान सहायता दी गई और इससे लगभग 4,350 लोग लाभान्वित हुए।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.32 वर्ष 2012–13 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह ₹6,814.84 करोड़ तक पहुंच गया जो 2011–12 से 4 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.पी के आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए वर्ष 2013–14 के लिए ₹9,842.43 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2013 तक ₹3,664.41 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

3.33 नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता रहा है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू आवश्यक ऋण एवं गैर–ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर पी.एल.पी. तैयार की जाती है, हिमाचल प्रदेश के लिए मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान वर्ष 2014–15 के लिए ₹11,315.86 करोड़ आंकलित किया गया है। आर.बी.आई. के मार्ग निर्देशों के अनसार बैंकों को अपनी वार्षिक ऋण योजना पी.एल.पी. को आधार मानकर तैयार की जाती है।

वित्तीय समावेश

3.34 भारत सरकार ने वित्तीय समावेश के लिए दो तरह की निधियों की स्थापना की है। वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.) तथा वित्तीय समावेश तकनीक निधि(एफ.आई.टी.एफ.) जिसका उद्देश्य देश में चल रहे वित्तीय समावेश की पहल को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेश कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा निम्न पहल की है:–

क) वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई. एफ.)

वित्तीय समावेश निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग और कम आय वाले लोगों तथा पिछड़े क्षेत्रों और वर्किंग सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों का विकास और विकासात्मक कार्यकलापों के

लिए प्रदान करना है। नाबार्ड विकासात्मक कार्यकलापों के प्रेरित करने के लिए इस निधि का लगातार प्रबन्धन करता आया है। वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 . में (31.12.2013 तक) मुख्य रूप से इस निधि के माध्यम से निम्न प्रोत्साहन किए गए।

- क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के ऊपर कार्यशालाओं के आयोजन करने में सहायता की।
- वाणिज्यक और सहकारी बैंकों को राज्य स्तर पर वित्तीय समावेश पर जागरूकता फैलाने में सहायता दी गई।
- मण्डी ज़िला में स्थानीय नृत्य दलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतू गैर–सरकारी संस्थाओं की सेवाएं ली गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंकों की वित्तीय साक्षरता पर अध्ययन सामग्री की 12.32 लाख प्रतियां प्रकाशित करने के लिए सहायता दी गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के 591 जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने हेतू सहायता दी गई।

31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य के अन्दर सभी तरह के कार्यकलापों के लिए वित्तीय समावेश निधि से कुल ₹103.30 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई।

ख) वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई.टी.एफ.)

इस निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को सूचना तकनीक के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। साथ ही वित्तीय समावेश के लिए शोध और तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इस योजना में शामिल संस्थाओं में नई सोच और सहयोग को बढ़ावा देना है। नाबार्ड इस निधि का इस्तेमाल वित्तीय समावेश हेतू नई तकनीक के विकास के लिए करता आया है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि के सहयोग से निम्न कार्य हुए हैः–

- 72,600 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक को दो परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- सहकारी बैंकों द्वारा रूपे के.सी.सी. कार्ड परियोजना चलाने हेतु जिसमें ₹15.00 इंटर चेंज फीस तथा ₹2.50 लेन–देन प्रति संख्या है को स्वीकृति दी गई है।

3.35 31 दिसम्बर, 2013 तक सूचना तकनीक पर आधारित पहल के लिए वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई.टी.एफ.) से राज्य में दो बैंको को ₹14.06 लाख राशि की सहायता दी गई है। वित्तीय समावेश और वित्तीय साक्षरता के बने तकनीकी ग्रुप के निर्णय के अनुसार राज्य सहकारी बैंक ने 2013–14 से 2015–16 के लिए वित्तीय समावेश योजना तैयार की है जिसकी निगरानी नाबार्ड द्वारा की जा रही है।

नई व्यापारिक प्रयास

नाबार्ड इंफास्ट्रचर विकास सहायता (एन0आई0डी0ए0)

3.36 ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (एन0आई0डी0ए0) फंड के रूप में एक नई केडिट लाईन (एन0आई0डी0ए0) की स्थापना की गई है। (एन0आई0डी0ए0) से राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं/निगमों को ऋण दिया जाएगा, जिनके पास आय के निरंतर स्त्रोत हैं और आर.आई.डी.एफ. उधार के दायरे के बाहर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों पर निर्भर हुए बिना सीधे नाबार्ड को ऋण चुका सकते हैं।

उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता (पी0ओ0डी0एफ0)

3.37 उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास फंड (पी0ओ0डी0एफ0) की स्थापना की है इस फंड की स्थापना का उद्देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने "उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और "उत्पादकों संगठनों का सशक्तिकरण कर "उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए "उत्पादकों द्वारा स्थापित -पंजीकृत "उत्पादक संगठनों अर्थात "उत्पादक कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के ~~भाग~~ XIA की धारा 581 के तहत परिभाषित है, उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान फैडरेशनों, म्यूचूअली एडेड सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों PACS, आदि को सहयोग और सहायता देना है। इसके लिए वर्ष 2013–14 (31 दिसम्बर,2013 तक) में ₹ 273.01 लाख की राशि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश कार्यालय, शिमला द्वारा अनुमोदित की गई है।

पैक्स को बहुसेवा गतिविधियाँ करने के लिए वित्तीय सहायताः

3.38 पैक्स को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाओं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतू और अपने लिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स को बहु–उद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हो सके। वर्ष 2013–14 (31 दिसम्बर,2013 तक) ₹ 73.30 लाख की राशि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश कार्यालय, शिमला द्वारा विभिन्न पैक्स के लिए अनुमोदित की गई है।

संघों (फैडरेशन) को वित्तीय सहायताः

3.39 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग केडिट लाइन अर्थात फेडरेशन को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, मार्केटिंग फेडरेशन/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरहोल्डर पैक्स या अन्य उत्पादक संगठन हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप अधिकतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति,

उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/ सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता:

3.40 नाबार्ड पारम्परिक रूप से जिला सहकारी बैंकों (सी.सी.बी.) को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वैद्नाथन समिति की सिफारिशों के अनसार सहकारी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के तहत सी.सी.बी (C.C.Bs.) राज्य सहकारी बैंक (SCB) के अलावा भी अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं, तदनुसार, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूंजी और खेत परिसंपत्ति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी. को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने एक अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण डिज़ाइन किया है। 2013–14 (31 दिसंबर 2013 तक) में नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक, शिमला को ₹100.00 करोड़ उक्त उद्देश्य के लिए अनुमोदित एवं जारी किये है।

निवेश ऋण

3.41 विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग सरप्लस की पोस्ट–हार्वेस्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में मार्केटिंग सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन अधोसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास/ सशक्तीकरण योजना तैयार की है। 2012–13 के दौरान स्थापित कुल 15 इकाइयों के लिए ₹151.078 लाख उपदान राशि जारी की गई है और 2013–14 में 31 दिसम्बर,2013 तक 5 इकाईयों की स्थापना की गई है जिनके लिए ₹91.81 लाख उपदान राशि जारी की गई है।

3.42 ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क छोटे किसानों को उनकी धारण क्षमता (होल्डिंग कैपेसिटी) को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज को लाभकारी मूल्य पर बेच सके और कम दाम पर बिक्री से बच सके। तदनुसार, भारत सरकार ने 2001–02 में ग्रामीण भण्डार योजना, ग्रामीण गोदाम के निर्माण/ नवीनीकरण के लिए एक पूंजी निवेश उपदान योजना शुरू की थी। 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक इसके तहत 8 इकाईयों की स्थापना की गई और इस हेतू ₹ 76.74 लाख सब्सिडी जारी की गई है।

3.43 बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान करने,

उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. योजना को हिमाचल प्रदेश में 25 सितम्बर, 2009 को शुरू किया गया था। भारत सरकार की इस योजना के तहत मवेशियों की खरीद, दुग्ध प्रसंस्करण, कोल्डचेन प्रणाली, दूध और दूध उत्पादों के परिवहन और पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से पहले ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता था और अब पूंजी उपदान उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2012–13 में ₹695.48 लाख की उपदान 1,271 लाभार्थियों को प्रदान की गई। वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर, 2013 तक ₹ 868.89 लाख का उपदान 1,649 लाभार्थियों को प्रदान किया गया।

3.44 पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान "डेयरी और मुर्गीपालन के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम (डी.पी.वी.सी.एफ) नामक एक पायलट योजना का शुभारम्भ किया, जिन राज्यों में मुर्गीपालन सेक्टर अभी विकास की शुरूआती अवस्था में है वहां इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में मुर्गीपालन सेक्टर को बढ़ावा देना और उन्नत राज्यों में इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र से मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए इन्सेंटिव देना और बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। 2012–13 के दौरान, 28 इकाइयां स्थापित की गई जिनके लिए कुल ₹60.68 लाख की उपदान जारी किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक 39 लाभार्थियों को ₹99.14 लाख का उपदान प्रदान की गई।

3.45 ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब लोगों द्वारा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है और वे हमारे समाज को मांस, ऊन, दूध और खाद प्रदान करते हैं। इन मवेशियों में विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के प्रति काफी ज्यादा अनुकूलशीलता होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान अनुमानतः ₹2,400.00 करोड़ है जिससे मुख्यतः भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को आजीविका मिलती है। यह पशुधन उत्पादों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत है। 2012–13 के दौरान 108 इकाइयों का वित पोषण किया गया और ₹35.75 लाख की उपदान जारी किया गया और 2013–14 में 31 दिसम्बर 2013 तक 87 लाभार्थी वित्त पोषित एवं ₹29.47 लाख जारी किए गए।

नैबकॉन्स (Nabcons)

3.46 नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों को परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता (कोर कम्पीटेंसी) पर निर्भर है। नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे है–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन

और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण एजेंसियों की रेटिंग, बैंक पर्यवेक्षण, नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर सेमिनार, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

3.47 नाबार्ड कंसल्टेंसी द्वारा वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए "कृषि में मैको प्रबन्धन" नामक दो अध्ययन पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने 2013—14 में 31 दिसम्बर,2013 तक एफ.एम.सी. और नियाम (NIAM) के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA) के लिए मंडी और कांगड़ा जिलों में सिंचाई के विभिन्न स्त्रोतो की परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. बनाने के लिए परामर्श प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के मूल्याकंन एवं सहकारी बैंकों के ऋण प्रस्तावों के मूल्याकंन के कार्य भी किए जा रहे हैं।

4. आबकारी एवम् कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश मे सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹3,971.31 करोड़ के राजस्व संग्रहण मे से वैट संग्रह ₹2,728.21 करोड़ था जो कि कुल राजस्व का 68.69 प्रतिशत बनता है। वर्ष 2012–13 में शीर्ष–0039 आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य ₹800.13 करोड़ के स्थान पर ₹809.86 करोड़ का संग्रहण किया गया, जो कि कुल संग्रहित राजस्व का 20.39 प्रतिशत है, शेष 10.92 प्रतिशत हि०प्र० पी० जी० टी० अधिनियम, हि०प्र० विलासिता अधिनियम, हि०प्र०सी०जी०सी० आर० अधिनियम और हि०प्र० मंनोरंजन कर अधिनियम से किया गया ।

4.2 विभाग द्वारा विभिन्न सेवाऐं प्रदान करने एवं उनके अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा।

- **व्यापारियों एवं डीलरों के लिए ई–पेमेन्ट सेवा:** ई–पेमेन्ट की सुविधा 26 नवम्बर, 2010 से आरम्भ कर दी गई है (समाकलन चार बैंकों के साथ किया गया है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनाइटिड वाणिज्य बैंक और स्टेट बैंक आफ पटियाला के साथ किया गया है)। इस मद में 31.12.2013 तक ₹103.00 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।
- **ई–रजिस्ट्रेशन:–** ई–रजिस्ट्रेशन की सुविधा 15 अगस्त, 2011 से सभी पंजीकृत डीलरों को उपलब्ध करवाई जा रही है। 31.12.2013 तक 2,493 डीलरों ने ई–रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्राप्त की।
- **रिटर्नज की ई–फाइलिंग:–** रिटर्नज की ई–फाइलिंग की सुविधा 15 अगस्त, 2011 से सभी पंजीकृत डीलरों के लिए आरंभ कर दी गई है तथा 31.12.2013 तक 2,26,240 डीलरों ने ई–रिटर्नज फाईल की।
- **ई–वैधानिक फार्म:–**ई–वैधानिक फार्म की सुविधा 4 अप्रैल, 2012 से सभी पंजीकृत डीलरों के लिए आरम्भ कर दी गई है तथा 3,96,579 ई–वैधानिक फार्म 31.12.2013 तक जारी किए गए।
- **ई–डेक्लेरेशन:–** वस्तुओं के आवागमन के लिए ई–डेक्लेरेशन की सुविधा सभी पंजिकृत डीलरों के लिए 15 अगस्त,2011 से निर्यात तथा 20 नवम्बर 2011 से आयात के लिए आरंभ कर दी गई। वाह्य ई–डेक्लेरेशन 19,44,116 जबकि आंतरिक ई–डेक्लेरेशन 22,80,584.

4.3 इस के अतिरिक्त विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई जिसका विवरण इस प्रकार हैं।

- सरकार ने हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम,1955 के अन्तर्गत आदेश संख्या–एल.एल.आर–डी. (6)33/

2013, दिनांक 3 अक्तूबर,2013 से पंजीकरण मुल्य को समाप्त कर दिया गया है ताकि नये व्यापारियों के पंजीकरण में बढौतरी की जा सके।

- हिमाचल प्रदेश (होटल एवं आवासगृह) विलास–वस्तुओं पर कर अधिनियम,1979 के अन्तर्गत भी पंजीकरण मुल्य को समाप्त किया गया है ताकि नये व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त पिछड़ी पंचायतों में जहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है, वहां नए होटल खोलने और अन्य पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए पिछड़ी पंचायतों में 1 अप्रैल, 2013 के पश्चात शुरु किए गए होटलों के लिए दस वर्षों तक पूर्ण रुप से विलास कर की आदायगी से छूट प्रदान की है।

- विभाग द्वारा व्यापारियों की ई–पेमैंट के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा इस वर्ष ₹103.00 करोड़ ई–पेमैंट के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कुल वैट प्राप्ति का 4.46 प्रतिशत है। 31.12.2013 तक वैट शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति ₹2,306.62 करोड़ है।

विभाग व्यापारियों को उतम ई–सेवा प्रदान कर रहा है और इस सम्बन्ध में 2.85 लाख एस.एम.एस. विभिन्न ई सर्विस के सन्दर्भ में भेजे गए।

- व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतू उनके साथ समय–समय पर कई मंत्रणा सत्र आयोजित किये गये।

- वर्ष के दौरान औद्योगिक आदानों पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।

- विभाग नाकों पर वाहनों को न रूकने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ताकि पड़ताल नाकों पर यातायात अवरूद्ध न हो।

- विभाग ने ईलैक्ट्रोनिक विवरणीय प्रस्तुत करने पर मासिक व त्रैमासिक मूल प्रतिलिपि, वैट अधिनियम,2005 और सी.एस.टी. अधिनियम,1956 के अंतर्गत प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गई है ।

- नाकों पर व्यापारियों द्वारा माल को उचित रूप से उदघोषित किया जाना सुनिश्चित करने हेतू ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका सामान्य तौर पर अपवंचन किया जाता है और अर्न्तराजीय आवागमन हो रहा है तथा जिनका मूल्य ₹30,000 से अधिक है के लिए ई डिकलरेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

शीर्षवार राजस्व बढ़ौतरी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य आवकारी	बिक्री कर	पी.जी.टी.	ओ.टी.डी.	कुल
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	237.42	383.33	31.45	75.10	727.30
2003-04	280.40	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-05	299.90	542.37	38.42	97.83	978.52
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.22	118.64	1425.17
2007-08	389.57	1092.47	55.12	137.16	1674.32
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-12	707.36	2476.78	94.36	294.96	3573.46
2012-13	809.86	2728.21	101.39	331.88	3971.15
2013-14 (31.12.2013 तक)	652.69	2306.62	80.34	240.86	3280.51
2014-15 के लिए लक्ष्य)	1014.81	2693.72	136.82	375.41	5220.77

5. भाव संचलन

भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में से एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा–स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2012 को 168.8 से बढ़कर दिसम्बर, 2013 माह में 179.2(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 6.16 प्रतिशत दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2013–14 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 5.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 2004–05=100

मास	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	मुद्रा–स्फीति दर
अप्रैल	114.5	123.5	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	4.8
मई	114.7	124.1	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	4.6
जून	114.8	127.3	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	5.2
जुलाई	115.7	128.6	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	5.9
अगस्त	116.0	128.9	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	7.0
सितम्बर	116.0	128.5	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	7.1
अक्तूबर	116.3	128.7	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	7.2
नवम्बर	116.8	126.9	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5(p)	7.5
दिसम्बर	116.7	124.5	133.4	146.0	157.3	168.8	179.2(p).	6.2
जनवरी	117.5	124.4	135.2	148.0	158.7	170.3	..	..
फरवरी	119.0	123.3	135.2	148.1	159.3	170.9	..	..
मार्च	121.5	123.5	136.3	149.5	161.0	170.1	..	..
औसत	**116.6**	**126.0**	**130.8**	**143.3**	**156.1**	**167.6**	..	..

• **अ = अस्थाई**

5.2 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी, आपूर्ति की प्रकिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वेतरण के लिए 4,762 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ. आई.वी.आई.एम.एस.;खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D- 14685
Date : 18-02-2015
Documentation Centre

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। नवम्बर, 2013 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 11.5 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि केवल 11.2 प्रतिशत आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी करनी जारी रखी गई ताकि भावों में अनुचित बढौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 2001=100)

माह	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	133	141	158	167	185	201	8.6
मई	132	142	158	169	185	205	10.8
जून	134	144	158	169	186	208	11.8
जुलाई	136	149	163	174	192	213	10.9
अगस्त	137	150	164	174	195	214	9.7
सितम्बर	140	151	165	176	195	215	10.3
अक्तूबर	141	152	165	179	195	217	11.3
नवम्बर	141	155	165	179	196	218	11.2
दिसम्बर	139	156	166	177	196	..	..
जनवरी	139	156	168	178	198	..	..
फरवरी	140	156	166	178	199	..	..
मार्च	140	157	165	180	199	..	..
औसत	**138**	**151**	163	175	193	..	..

सारणी 5.3
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार 2001=100)

माह	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–2014	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	138	150	170	186	205	226	10.2
मई	139	151	172	187	206	228	10.7
जून	140	153	174	189	208	231	11.1
जुलाई	143	160	178	193	212	235	10.9
अगस्त	145	162	178	194	214	237	10.8
सितम्बर	146	163	179	197	215	238	10.7
अक्तूबर	148	165	181	198	217	241	11.1
नवम्बर	148	168	182	199	218	243	11.5
दिसम्बर	147	169	185	197	219	..	..
जनवरी	148	172	188	198	221	..	..
फरवरी	148	170	185	199	223	..	..
मार्च	148	170	185	201	224	..	..
औसत	**145**	**163**	180	195	**215**	..	..

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,781 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतू सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

(1) एन0एफ0एस0ए0

i) अन्त्योदय अन्न योजना

ii) प्राथमिकी गृहस्थियां

iii) अन्नपूर्णा

(2) नॉन–एन0एफ0एस0ए0

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में 17,38,383 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अन्तर्गत 76,94,525 राशन कार्ड धारकों को 4,781 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें सहकारी सभाएं–3,180, राज्य नागारिक आपूर्ति निगम–113, पंचायत–37, व्यक्तिगत–1,444 तथा महिला मण्डल–7 के अर्न्तगत उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं।

6.3 वर्ष 2013–14 में नवम्बर, 2013 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

सारणी 6.1

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण नवम्बर, 2013 तक
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,34,052
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	70,570
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	39,601
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	29,850
5	गेहूं (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	35,047
6	चावल (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	26,623
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	79
8	चावल दोपहर का भोजन	मी. टन	12,072
9	लेवी चीनी/चीनी एन0एफ0एस0ए0 /ए0पी0एल0	मी. टन	29,772
10	मलका	मी. टन	2,921
11	काबुली चना	मी. टन	5,079
12	मुंग साबुत	मी. टन	5,402
13	आयोडीन नमक	मी. टन	8,635
14	दाल चना	मी. टन	1,857
15	दाल उड़द	मी. टन	11,206
16	काला चना	मी. टन	77
17	सरसों का तेल	कि.लीटर	24,984
18	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	43

6.4 वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि0प्र0 राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा है:–

सारणी 6.2

क्र0सं0	प्रति राशन कार्ड/प्रति परिवार	वितरण मात्रा प्रतिमाह
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल चना, एक किलोग्राम आयोडीन नमक व केवल एक लीटर सरसों का तेल।
2	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम दाल उड़द, दो लीटर सरसों का तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम काबुली चना, दो लीटर सरसों का तेल, व एक किलोग्राम उड़द साबुत दाल ।
		दाल चना ₹25.00 प्रति किलो, काबुली चना ₹35.99 प्रति किलोग्राम, दाल उड़द ₹34.99 प्रति किलोग्राम, सरसो का तेल ₹59.00 प्रति लीटर और आयोडीन नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम।
4	**नान–एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0पी0एल0	18 किलोग्राम आटा ₹8.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 9 किलोग्राम चावल ₹10.00 प्रति किलोग्राम की दर से।
	ii) बी0पी0एल0	बी0पी0एल0 परिवारों को पहले की तरह पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी0पी0एल0 दरों पर (गन्दम ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से है:– एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम गन्दम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम क्रमशः होगी। गेहूं तथा चावल की शेष मात्रा पूरी करने हेतु प्रति परिवार प्रति राशन कार्ड सदस्यों की संख्यानुसार एन.एफ.एस.ए. स्कीम से दी जाएगी जिसमें गेहूं तथा चावल की कीमत क्रमशः ₹2.00 तथा ₹3.00 प्रति किलोग्राम होगी।
	iii) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को	10 किलोग्राम चावल मुफ्त में
5	**एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0ए0वाई0 कार्ड धारकों को	कुल 35 किलोग्राम प्रति परिवार जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 15 किलोग्राम ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
	ii) प्राथमिकी गृहस्थियां	कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
6	चीनी	ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹19.50 प्रति किलोग्राम की दर से नान–ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹13.50 प्रति किलोग्राम की दर से

सारणी 6.3

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का नवम्बर,2013 तक भण्डारण

क0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	495
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	9,857
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	3,857
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	1,402
5	गेहूं (ए.ए.वाई.)	मी. टन	3,318
6	चावल (ए.ए.वाई.)	मी. टन	1,060
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	5
8	लेवी चीनी	मी. टन	1,543
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	1,686
10	एल.पी.जी.	संख्या	2,04,959
11	आयोडीन नमक	मी. टन	536
12	दाल चना/ मलका	मी. टन	548
13	उड़द साबुत	मी. टन	497
14	काला चना/साबुत मूंग	मी. टन	531
15	खाद्य तेल	कि.ली.	1,124

अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादन

6.5 इस समय प्रदेश में 36 मिट्टी तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 319 पैट्रोल पम्प तथा 123 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम

6.6 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के तौर पर राज्य में कार्यरत है। निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण का कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹737.60 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य ₹714.43 करोड़ थी।

वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां को उचित मूल्यों पर 117 थोक भण्डारों, 111 उचित मूल्यों की दुकानों, 52 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों की मदद से मुहैया करता रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी. जी.आई.शीटस, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं

वितरण कर रहा है। इसके साथ–साथ खुले बाजार की कीमतों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान वित्त वर्ष में नवम्बर,2013 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹262.37 करोड़ का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में मूल्य ₹244.88 करोड़ थी।

निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक 12,089 मी0 टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 13,138 मी0 टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें/खाद्य तेल/नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक ₹207.26 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹172.49 करोड़ थी।

वर्ष 2013–14 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,391.46 करोड़ रहने की संभावना है जो गत वर्ष 2012–13 के दौरान ₹1,316.23 करोड़ था।

नए बिक्री केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

6.7 जनहित के लिए निगम ने 2013–14 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों को शुरू/अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	विक्रय केन्द्र का नाम	जिला
1	थोक गोदाम, तलयाड़	मण्डी
2	दवाईयां विक्रय केन्द्र, आई.जी.एम.सी.–III	शिमला
3	एल.पी.जी.गोदाम, जोगिन्द्रनगर	मण्डी

उपरोक्त वर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी 2014–15 में कुल्लू व नादौन में शुरू करनी प्रस्तावित है।

आम आदमी की दुकान/स्टोर खोलना

6.8 निगम द्वारा हि0प्र0 पथ परिवहन निगम के चयनित बस अड्डों में आम आदमियों की सुविधा के लिए अनियन्त्रित वाणिज्य वस्तुओं के विक्रय हेतू आम आदमी की दुकान/स्टोर खोलने हेतु प्रकिया प्रारम्भ की गई है। प्रथम चरण में अनियंत्रित वस्तुओं की बिक्री हेतु बस अडडा नगरोटा बगवां व पालमपुर मे आम आदमी की दुकान/ स्टोर का संचालन शीघ्र किया जा रहा है।

दूसरी ओर अधिक से अधिक दवाई दुकानें खोलने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/बोर्डों/ निगमों, विशेषकर पथ परिवहन निगम को टायर/टयूबों के प्रापण/ आपूर्ति का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

सरकारी आपूर्ति

6.9 हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाईयों, सीमेंट सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को

आपूर्ति के लिए प्रापण का प्रबंध कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2013–14 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को	₹ 69.13 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को	₹ 33.19 करोड़
3	जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को	₹85.04 करोड़
4	स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को	₹ 35.26 करोड़
	जोड़	₹222.62 करोड़

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.10 वित्तीय वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 18,86,000 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹ 41.34 करोड़ बनती है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की है।

राज्य में जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.11 निगम लगभग ₹20.00 करोड़ का निवेश करके वे सभी जरूरी उपभोग वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थ (मिटटी तेल व एल.पी.जी. को मिलाकर) उन सभी जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है जहां पर निजी व्यवसायी कम लाभ के कारण आगे नही आते हैं। वर्ष 2013–14 में जरूरी वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थों की आपूर्ति उन सभी जन–जातीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्रों में सरकार के कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करवाई गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कार्यन्वयन:

6.12 भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमं, 2013 के सौंपे गए कार्य व उत्तरदायित्व के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 ने दिनांक 20.09.2013 को महत्वकाक्षी **"राजीव गांधी अन्न योजना"** को शुरू किया है। हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना का कार्यन्वयन में, आंवटित खाद्यान्नों का समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरांत अपने 117 थोक विक्री केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को चयनित किए गए प्रदेश के लाभार्थियों में वितरण हेतु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य वेयर हाउस कारपोरेशन न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,910 मी.टन अपनी व 32,766 मी.टन किराए पर ली गई भंडारण क्षमता का प्रबन्ध कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण हेतू 300 मी.टन से 1,000 मी.टन के नए गोदाम के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाही कर रहा है जिसके अंतर्गत उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन कुछ विभागों/ सहकारी सभाओं के नाम पर कर लिया गया है तथा कुछ का किया जा रहा है।

7. कृषि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.04 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2005–06 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.03 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 12.54 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.43 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1

भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.36 (68.17%)	2.58 (26.65%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.76 (18.86%)	2.45 (25.31%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.88 (9.43%)	2.40 (24.79%)	2.73
4.0–10.0	मध्यम	0.29 (3.11%)	1.65 (17.05%)	5.69
10.0 व अधिक	बड़े	0.04 (0.43%)	0.60 (6.20%)	15.00
जोड़		**9.33**	**9.68**	**1.04**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा

होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2013

7.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू व ऊना में अत्याधिक बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, शिमला, सोलन तथा सिरमौर जिलों में सामान्य तथा चम्बा में कम और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में (–8) प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा
(जून–सितम्बर 2013)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	833	877	(-) 44	(-) 5
चम्बा	804	1406	(-)602	(-) 43
हमीरपुर	1091	1079	12	1
कांगड़ा	1946	1582	364	23
किन्नौर	461	264	197	74
कुल्लु	640	520	120	23
लाहौल–स्पिति	118	458	(-)340	(-) 74
मण्डी	1195	1093	102	9
शिमला	576	634	(-) 58	(-) 9
सिरमौर	1391	1325	66	5
सोलन	812	1000	(-)188	(-) 19
ऊना	1191	863	328	38
औसत	775	844	(-) 69	(-) 8

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
(1.10.2013 से 31.12.2013)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल(मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	47	70	(-)23	(-)33
चम्बा	101	127	(-)26	(-)21
हमीरपुर	67	86	(-)19	(-)22
कांगड़ा	157	105	52	50
किन्नौर	23	102	(-)79	(-)77
कुल्लु	67	98	(-) 31	(-)31
लाहौल–स्पिति	27	144	(-)117	(-)81
मण्डी	55	81	(-)26	(-)32
शिमला	44	75	(-)31	(-)41
सिरमौर	71	87	(-)16	(-)19
सोलन	76	89	(-)13	(-)14
ऊना	101	72	29	41
औसत	62	103	(-)41	(-)40

टिप्पणी:

सामान्य (–) 19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रतिशत से अधिक
न्यून (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रति शत
अपर्याप्त (–) 60 प्रतिशत से (–) 99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2012–13

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यत: कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2012–13 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 15 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया

है। वर्ष 2012–13 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2011–12 के 15.44 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2012–13 में 15.68 लाख मी0टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2011–12 के 1.52 लाख मी0 टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2012–13 में आलू उत्पादन 1.83 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2011–12 के 13.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2012–13 में 13.80 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2013–14 के अनुमान

7.7 वर्ष 2013–14 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 15.80 लाख मी0 टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.50 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2013 में उत्पादन लक्ष्य जो कि 8.97 लाख मी.टन के विपरीत 8.33 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में शुरू होती है। बीजाई के समय वर्षा न्यून होने से भूमि में पर्याप्त नमी न होने की वजह से रवी फसलों की बीजाई कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिसम्बर, 2013 के द्वितीय पक्ष में कुछ वर्षा तो हुई है परन्तु यह न तो पर्याप्त और न ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में थी जिसके कारण 2013–14 का उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। राज्य में वर्ष 2010–11, 2011–12 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2012–13 के लिए अस्थाई उत्पादन तथा वर्ष 2013–14 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2014–15 के लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए है:–

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसलें	2010–11	2011–12	2012–13 (अस्थाई)	2013–14 (अनु0 उत्पादन)	2014–15 (लक्ष्य)
चावल	128.92	131.63	125.28	111.11	130.00
मक्की	670.90	715.42	657.16	704.95	740.00
रागी	2.11	2.30	2.50	2.84	3.00
अनाज	3.28	3.31	3.55	3.72	5.00
गेंहू	614.89	629.09	696.91	639.00	667.00
जौं	32.17	31.46	36.25	36.00	36.00
चना	0.60	0.56	0.49	2.50	2.50
दालें	40.99	30.12	45.58	16.21	19.00
कुल खाद्यान्न	**1493.86**	**1544.49**	**1567.72**	**1516.33**	**1602.50**
2.वाणिज्यक फसलें					
आलू	205.97	152.38	182.87	187.50	190.50
सब्जियां	1268.90	1356.50	1398.05	1380.40	1400.00
अदरक (शुष्क)	1.56	1.53	1.69	2.60	4.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्देश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2012–13 में 798.31 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
1	2	3	4
2008–09	797.25	1226.79	1.53
2009–10	784.02	1111.16	1.41
2010–11	795.18	1493.86	1.88
2011–12	790.70	1544.49	1.95
2012–13 (अस्थाई)	798.31	1567.72	1.96
2013–14 (अनुमानित उपलब्धि)	794.47	1516.33	1.91
2014–15(लक्ष्य)	795.50	1602.50	2.01

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2014–15 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
1	2	3	4
2008–09	280.51	74.61	325.22
2009–10	286.50	75.00	328.00
2010–11	278.65	75.20	327.00
2011–12	279.05	75.08	330.35
2012–13	288.15	75.70	335.00
2013–14(संभावित)	272.20	70.15	345.00
2014–15(लक्ष्य)	288.00	74.00	352.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढाने के उद्वेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते है। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
1	2	3
2007–08	440.00	135
2008–09	435.00	135
2009–10	442.00	169
2010–11	438.00	141
2011–12	315.00	120
2012–13	320.00	121
2013–14(संभावित)	500.00	190
2014–15(लक्ष्य)	350.00	135

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। वर्ष 2012–13 में 1.23 लाख मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया और 1.22 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2013–14 में लगभग 1.00 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है जिससे किसानों को अपने खेतों की मिटटी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू–उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी.पी.एस. तकनीक बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिटटी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/ गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को ₹5,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) (10x6x1.5फीट का गड्डा तैयार करने के लिए तथा दो किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए दिए जाते हैं। इस वित वर्ष के अंत तक 11,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर ₹10,000 प्रति हैक्टेयर (50 प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतू ₹10,000 प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन 3 वर्षो के लिए उपलब्ध की जा रही है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2013 तक राज्य में 44,103 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2012–13 में राज्य में 300

बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 302 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2013–14 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2013 तक 228 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान 300 बायोगैस संयंत्र लगाने प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश में उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 48,129 टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन. उपदान तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या ₹2,500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो उपदान दी जा रही है। उपदान योजना स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में लगभग 48,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि के रूप में वितरित किया जाएगा। उर्वरक खपत निम्न सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.8
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रोजिनियस (एन.)	फोसफेटिक (पी.)	पोटास (के.)	कुल (एन. पी. के.)
1	2	3	4	5
2007–08	32338	8908	8708	49954
2008–09	35462	10703	11198	57363
2009–10	31319	10901	11018	53239
2010–11	32594	10728	11811	55133
2011–12	32802	9701	8922	51425
2012–13	34182	6821	7126	48129
2013–14(संभावित)	31500	9400	9100	50000
2014–15(लक्ष्य)	33000	8000	7500	48500

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको आदान की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर

फसलों में जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्वेश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान केडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह से तेरह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,706 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2013 तक 5,84,568 किसान केडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान केडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर,2013 तक ₹2,660.31 करोड़ के ऋण दिए हैं। किसान केडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9
किसान केडिट कार्ड की प्रगति

क. सं.	बैंक	सितम्बर, 2013 तक जारी (₹करोड़)	सितम्बर,2013 तक किसान केडिट कार्ड जारी किए गए
1	2	3	4
1	वाणिज्यिक बैंक	1645.97	2,42,121
2	कोओपरेटिव बैंक	721.78	2,41,017
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	173.38	98,944
4	अन्य प्राईवेट बैंक	119.18	2,486
	कुल	**2660.31**	**5,84,568**

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रबी पर अनुदान 10 से 50 प्रतिशत तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है। रबी फसल 2013–14 से वर्तमान एन.ए.आई.एस. को भारत सरकार द्वारा वापिस ले लिया है और इसकी जगह राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम में एक नई सी.एस.एस. (CSS) लागू किया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा व ऊना में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू. बी.सी.आई.एस.) का प्रबंध किया गया है। यह योजना कृषि बीमा कम्पनी (AIC) और निजी बीमा कम्पनी यानि HDFC, ICICI लोम्बार्ड और HDFC इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्त्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज बाजार अधिनियम को आदर्श अधिनियम के तर्ज पर किया गया है जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड स्वयं अपनी निधि से तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यकलापों को चला रही है।

चाय विकास

7.20 चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 8–10 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शन और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह स्कीम शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित हैं।

बीज ग्राम कार्यक्रम (100 प्रतिशत सी. सी.एस.)

7.22 प्रमुख फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी बाधा समय पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्मों की गुणवता

के बीज किसानों को उपलब्ध न होना है। इस बाधा से मुक्त होने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए नवीन कार्यक्रम जिसे "बीज ग्राम कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से बेहतर बीज उत्पादन कम समय गुणवता वाले बीज स्थानीय स्तर पर कम लागत पर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के तहत बेहतर बीज उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 50 से 150 उपयुक्त/ इच्छुक किसानों एक ही फसल हेतु सुसम्बद्व क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन कर पहचान की जाएगी। पहचान किए गए किसानों को 50 प्रतिशत लागत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज प्रत्येक किसान को आधा हैक्टेयर हेतु दी जाएगी। चयनित किसानों को प्रशिक्षण बीज उत्पादन और बीज तकनीकों के बारे बीज ग्राम में दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रकिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य
ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण तथा फार्म कृषि स्तर में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

हि0प्र0 में लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य सम्बन्धित आधारभूत ढांचे का विकास

7.24 कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ.–XIV के आधार पर ₹154.92 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09 से शुरू करके चार वर्षों में लागू किया जाएगा और अब इसे 31मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया। दिसम्बर, 2013 तक 13,500 पौली गृहों का निर्माण किया गया। 147.00 हैक्टेयर क्षेत्र संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया गया तथा ₹111.00 करोड़ व्यय किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभाग द्वारा सुरक्षा खेती के तहत सब्जी के उत्पादन पर एक परियोजना (मुख्यमंत्री किसान बागवान समृद्धि योजना पार्ट–II) ₹111.19 करोड़ की राशि वित्त पोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत कर दी है जिससे ₹93.59 करोड़ की वित्तीय सहायता कृषक समुदाय को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परियोजना को 3 साल के समय अवधि में लागू किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के लिए सरकार द्वारा ₹20.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके

अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.–XIV के अर्न्तगत ₹198.09 करोड़ स्वीकृत किए। यह परियोजना 2009–10 से आगामी चार वर्षों के लिए लागू की गई है और अब इसे 31 मार्च,2014 तक बढ़ाया है। इस योजना के अर्न्तगत 17,312 स्पिंकलर/ ड्रीप सिंचाई स्कीमें स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 16,020 पानी स्त्रोतों जिसमें पानी के टैंक, उथले कुओं व टयूबैलों को गहरा करने, गहरे कुओं, छोटे व मध्यम उठाऊ पम्प सैटों का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाएगा। किसानों को कुल लागत का 80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत लाभार्थी को वृहन करना होगा। वर्ष 2013–14 तक 26,033 स्पिंकलर सेट स्थापित किए गए जिसके अंतर्गत 17,552 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया और ₹87.56 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 के लिए इस मद में ₹20.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। यह योजना वर्ष 2007–08 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में कृषि एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹77.40 करोड़ अनुमानित व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है इसलिए इस योजना को राज्य क्षेत्र कार्यक्रम में वर्ष 2013–14 से सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए कृषि विभाग को सामान्य योजना (36.19) एस0सी0 में एस0पी0 (13.86) व टी0ए0एस0पी0 (4.95) करोड़ के अन्तर्गत कुल ₹55.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

उद्यान

7.26 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित

जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

7.27 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 2,18,303 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 5.56 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक कुल फल उत्पादन 8.28 लाख टन आंका गया है। 2013–14 में 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2013 तक 3,917 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 9.48 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.28 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन् कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2012–13 में 1,06,440 हैक्टेयर हो गया।

7.29 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2012–13 में 27,637 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2012–13 में 10,902 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं पोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2012–13 में क्रमशः 22,809 हैक्टेयर तथा 50,515 हैक्टेयर हो गया।

7.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास की गति में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.31 फल–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार नई तकनीकों की जानकारी विभिन्न फसलों अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा जैतून विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

7.32 मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में सेब, आम तथा नीवूं प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 50 पैसे प्रति किलोग्राम

की वृद्धि की गई है। वर्ष 2013–14 से प्रति किलोग्राम इस योजना के अंतर्गत बागवानों से ₹22.00 करोड़ मूल्य का 34,000 मी.टन "सी" श्रेणी सेब का प्रापण किया गया

7.33 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2013 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.10

फल उत्पादन

(हजार टन)

मद	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (31दिसम्बर 2013 तक)
1	2	3	4	5
सेब	892.11	275.04	412.39	738.72
अन्य समशीतोष्ण फल	61.38	31.18	55.02	46.34
सूखे मेवे	3.62	2.49	2.81	1.89
नीबू प्रजाति	28.68	25.03	24.32	13.11
अन्य उपोष्णीय फल	42.03	39.08	61.16	28.25
कुल	1027.82	372.82	555.70	828.31

7.34 फल उत्पादकों को उतम गुणवत्ता पैकिंग उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से भारतीय पैकेजिंग संस्थान अंधेरी (पूर्व) मुम्बई–400093 को स्टैण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन के निर्माण हेतु मापदण्डों के निर्धारग एवं परिवहन गुणवत्ता के आकलन का कार्य सौंपा गया है।

7.35 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतू 31.12.2013 तक 342 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अंतर्गत लाया गया। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं आर्दश पुष्प केन्द्रों महोगबाग, चायल जिला सोलन तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश के चार किसान को–ओपरेटिव सोसाईटी जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति तथा चम्बा में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पाद एवं मौन पालन जैसे सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 256.00 मी0टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में दिसम्बर,2013 तक कुल 2,945.49 मी0टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक प्रदेश मे 530.64 मी0टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.36 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया। वर्ष 2010–11 में रबी सीजन में इस योजना को 15 विकास खण्डों को सेब फसल के लिए तथा 9 विकास खण्डों को आम फसल के लिए लाया गया। योजना की सफलता के दृष्टिगत 2011–12 में रबी सीजन में सेब फल फसल के लिए 17 विकास खण्डों तथा आम फल फसल हेतु 10 विकास खण्डों में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए

बीमा हेतु चार विकास खण्डों तथा बादल–फटने से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु दो विकास खण्डों को रबी 2011 से Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2013–14 में 41,333 बागवानों को सेब फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 38,69,715 पेड़ों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹6.16 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत ₹9.48 करोड के क्लेम से 17,351 बागवानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

7.37 प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास हेतू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं बागवानी तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई मिशन इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत बागवानी फल फसलों के उत्पादन, आधारभूत अधोसंरचना के सृदृढ़ीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं में विकास हेतु अनेक विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतू ₹43.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से दिसम्बर,2013 तक ₹33.50 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत माह दिसम्बर,2013 तक 4,300 किसान लाभान्वित किये गए हैं। योजनाओं में फूलों तथा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतू उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 35,000 वर्ग मी. क्षेत्र ग्रीन हाउस के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी फल फसलों में विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर उपलब्ध 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 4.50 लाख वर्ग मी. क्षेत्र को ओलारोधक जालियों के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेब जीर्णोदार योजना चलाई जा रही है जिसमें पुराने बगीचों को जीर्णोदार करके नई, उन्नत तथा लगातार फसल देने वाली स्पर प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बगीचों में सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतू जल भण्डारण टैंकों, बोर वैल तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है।

एच.पी.एम.सी.

7.38 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्वेश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.39 वर्ष 2013–14 में 30 नवम्बर,2013 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹974.45 लाख के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने केवल 18,889.55 मी0टन सेबों की खरीद की जिसे एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किया जिसमें से 831.35 मी0टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। निगम इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 30 नवम्बर,2013 तक 15.00 मी.टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को रेलवे,

उतरी कमान मुख्यालय उधमपुर, विभिन्न धार्मिक संस्थानों, निजी संस्थानों, मै0 पार्ले खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 30 नवम्बर,2013 तक ₹ 323.50 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 30 नवम्बर,2013 तक ₹423.41 लाख के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 2 सी.ए. भण्डार गृहों से ₹ 336.49 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। निगम एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से ₹2,516.56 लाख तकनीकी उन्नतिकरण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत कराने में सफल हुआ। यह सहायता अनुदान निम्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुआ है :–

i) पैंकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू) के उन्नतिकरण हेतु ₹667.60 लाख की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता।

ii) वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ),हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान ₹1,038.00 लाख।

iii) नादौन (हमीरपुर) में एक आधुनिक पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान ₹353.42 लाख।

iv) परवाणु (सोलन) मे ट्रैटा पैकिंग टी.वी.ए.–9 जिससे कि उत्पादन में गुणवता लाई जा सके को टी.वी.ए. –19 में परिवर्तित करने हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान ₹353.00 लाख।

7.40 एच.पी.एम.सी. ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत हिमाचल राज्य फण्ड से गुम्मा (कोटखाई) में सेब जूस संयंत्र स्थापित करने हेतु तथा हि0प्र0राज्य औद्योगिक विकास निगम शिमला से ₹318.00 लाख की वित्तीय सहायता से पतलीकुहल (कुल्लू) में पीने के पानी का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे के घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती हैं पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2012–13 में 11.39 लाख टन दूध, 1,650 टन ऊन, 107.00 मिलियन अंडे, 3,997 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2013–14 में क्रमशः 11.63 लाख टन दूध, 1,670 टन ऊन, 110.00 मिलियन अंडे तथा 4,000 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
1	2	3
2012–13	11.39	455
2013–14 (अनुमानित)	11.63	465

8.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

8,4 वर्ष 31.12.2013 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 282 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,762 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2013 तक 1,253 पशु औषधालय खोले गए है।

8.5 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। एक नर भेड़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है। वर्ष 2012–13 में इन फार्मो में 2,047 भेड़े पाली गई और 175 नर मेंढ़े भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा

अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व उन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान 1,670 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष् महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता हैं क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2012–13 में 7.45 लाख गायों के व 2.63 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए 8.40 लाख गायों और 2.30 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2012–13 में 0.80 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल.एन.$_2$ गैस उत्पादित की गई और 2013–14 में 0.80 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2013–14 में 2,092 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 7.00 लाख गायें व 2.00 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रॉस ब्रीड गायों की पालने की वरीयता दी जाती है क्योंकि (संकरित) गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

8.7 वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 19वीं पशु गणना करवाई गई जिसकी अनुसूचियां राष्ट्रीय संस्थान इलैक्ट्रोनिक, सूचना एवं प्रौद्यौगिकी चण्डीगढ़ को संकलित की गई। 19वीं पशु गणना के दूसरे चरण में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई,2013 नस्लानुसार 15 प्रतिशत चुने गए गांवों में पशुगणना करवाई गई। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 3.00 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 800 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,559 अनुसूचित परिवारों के लिए 2.11 लाख चूजे नवम्बर,2013 तक बांटे गए। योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 366 ईकाईयां स्थापित की गई व 2013–14 में 300 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज तक 45 ईकाईयों की स्थापना हो चुकी है और यंत्र निविदाएं प्रकिया में हैं। जिला लाहौल–स्पिति के

लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2012–13 में इस प्रक्षेत्र में 56 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2012–13 में 60 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.65 लाख चारा पौधों का वितरण तथा 2.70 लाख किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

दूध गंगा योजना

8.8

दुध गंगा योजना प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- अधिकतम 10 दुधारू पशु खरीदने तथा गौशाला निर्माण के लिए ₹ 5 लाख का ऋण जिसमें लाभार्थी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल होगा दिया जाता है।
- दूध निकालने की मशीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतु ₹18 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है।
- दूध के देशी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतु ₹24 लाख तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.33 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

पशुधन बीमा योजना

8.9

- यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में मार्च, 2006 में शुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर, शिमला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्देश्य पशुधन मालिकों को उच्च किस्म के पशु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों का इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 5.15 प्रतिशत रखा जाता है और 2.91 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिए है जिसका 50 प्रतिशत सरकार व 50 प्रतिशत भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना

8.10

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य पशु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए शत–प्रतिशत प्राप्ति के लिए ₹12.68 करोड़ राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य को ₹24.08 करोड़ राशि स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।

2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. कम्प्यूटरीकरण और ई.टी.टी.लैब के लिए।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

8.11 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार निम्न योजनाएं चला रही है :–

- आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जो कि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं।
- एक यूनिट 50 से 100 चूजे होते हैं, एक चूजे की कीमत ₹ 20 होती है।
- केन्द्रीय संचालित योजना " राज्य के कुक्कट पालन सहायता" के अंतर्गत यह चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में पैदा किए जाते हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.12 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्कार्ड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है।

जिन रोगों के लिए मुफत टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एस0बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं।

भेड़पालक समृद्धि योजना

8.13 पूंजीगत जोखिम राशि की योजना राज्य सरकार में नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। खरगोश विकास के लिए कुल्लू एवं शिमला जिला का चयन किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भूमिहीन, सीमान्त कृषक, व्यक्तिगत कृषक, स्वयं सहायता समूह के भेड़ पालकों को सहायता दी जाती है जिसमें से पारम्परिक भेड़ पालकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि की सीमा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारण कर दी जाएगी जो निम्न प्रकार से है:–

i) भेड़ पालकों को 40 भेड़े व 2 बकरों के लिए कुल ₹1.00 लाख की वित्तीय राशि जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत उपदान जो अधिकतम ₹33,000 होगा एवं इसमें 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

ii) भेड़ बकरी प्रजनन इकाई के अंतर्गत 500 भेड़ें एवं 25 बकरियों के लिए ₹25.00 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा

अधिकतम ₹8.33 लाख उपदान होगा एवं 25 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

iii) खरगोश पालक इकाइयों के लिए ₹ 2.25 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹75,000 उपदान होगा एवं 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा। इस योजना के लिए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एवं राज्य सहकारी बैंक पात्र वित्तीय संस्थान होगें।

भेड़पालक बीमा योजना

8.14 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष 100:150:80 अनुपात आधार पर जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया वहन करेगा।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ₹ 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु ₹1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतया: अपंगता ₹1,50,000
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता ₹1,50,000
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता ₹75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुश्त लाभ जिसे एड ऑन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए ₹1,200/– वार्षिक वजीफा मिलता है।

75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीन: आहार एवं चारा विकास योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीन (चॉफ कटर) प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में हि0प्र0 के लिए ₹1,050 लाख की राशि स्वीकृत हुई जिसमें से ₹525 लाख की पहली किश्त जारी की गई है।

दूध पर आधारित उद्योग

8.15 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध संघ में 822 समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 37,400 है जिसमें 185 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 22 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 86,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मी0टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भोर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 63,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 20,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें

पंजाब एवं सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की किया से भी अवगत करवाती है।

8.16 हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.04.2013 से दुग्ध के मूल्य में ₹1.00 प्रति लीटर की वृद्धि करके 37,400 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हि0प्र0 दुग्ध संघ से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने ₹43.98 करोड़ 2012–13 के दौरान राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतु उत्पादकों को दिए गए और राज्य के गांवों का टिकाऊ विकास किया गया।

विकासात्मक प्रयत्न

8.17 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यकम आरम्भ किए हैं:–

- आई.डी.डी.पी.–।।। योजना के अंतर्गत 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र जिला हमीरपुर के जंगलबैरी व नालागढ़, जिला सोलन व किन्नौर में लगाए जा रहे हैं।
- जिला हमीरपुर की भौरंज तहसील के भौर में दो नए संयंत्र "यूरिया मौलैसिस मीनिरल मिंक्सर" प्लॉट लगाए जा रहे हैं।
- जिला कुल्लू के नित्थर में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला दुग्ध अभिशीतन केन्द्र दिनांक 12.11.2013 को लगा दिया गया है।
- जिला ऊना के लाल सिंगी क्षेत्र में एक नया "कम्प्रैस्ड फौडर प्लॉट" लगाया जा रहा है।
- जिला हमीरपुर, भौरंज के समीप एक नया 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार का प्लान्ट ₹170.00 लाख की लागत से लगाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा ₹2.95 करोड़ की लागत से आई.डी.डी.पी. योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के लिए नई योजना स्वीकृत की है।
- सी.एम.पी. योजना के अंतर्गत ₹342.15 लाख मूल्य की एक नई परियोजना सिरमौर, मण्डी व शिमला जिलों के लिए स्वीकृत की है।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,000 लोगों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

नया नवीकरण

8.18 कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2012–13 में 23,994.84 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इन खण्डों को वर्ष 2012–13 में 7,260 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर कल्याण विभाग के खण्डों को दिया है और इस वर्ष नवम्बर,2013 तक 4,810.32 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर तथा 17,513.30 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स आई.सी.डी.एस. खण्डों को दी गई।

- वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 110 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों को सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में प्रत्येक नई ग्रामीण डेयरी सहकारी समिति को ₹ 18 हजार की प्रबंधकीय ग्रांट दी जाएगी।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 300 पशुओं को ₹ 15 हजार प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 230 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2013–14 में लोहड़ी त्यौहार पर 28 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं	विवरण	2012–13	30–11–2013 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	807	822
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	37098	37400
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	259.54	170.00
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	95.04	45.00
5	घी की बिक्री (मी0 टन)	253.02	130.40
6	पनीर की बिक्री(मी0 टन)	47.97	38.07
7	मक्खन की बिक्री(मी0 टन)	24.53	14.50
8	दही की बिक्री(मी0 टन)	153.94	111.59
9	पशु आहार बिक्री(किवंटलों में)	35837	22450

8.19 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाई है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह निश्चित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 88 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 138

स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सीमित

8.20 ऊन संघ का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है।

ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्देश्यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर मशीन शियरिंग, भेड़ ऊन की धुलाई (स्कावरिंग), और ऊन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कल्पन आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है।

वर्ष 2013–14 में 31.12.2013 तक 60,004.750 किलोग्राम भेड़ उन तथा अंगोरा ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹32.83 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन उत्पादकों / स्थानीयं दस्तकार/बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संघ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वूलन एकस्पो का भी आयोजन करता है। ऊन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन ऊनी बाजार में किया जा रहा है।

उन संघ का वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार से हैः–

क. सं.	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित व्यय– (₹लाख में)
1	भेड़ ऊन खरीद–1,00,000कि.ग्रा.	51.88
2	अंगोरा ऊन खरीद–500 कि.ग्रा.	03.00
3	भेड़ कल्पन संख्या–85,000	–
4	ऊन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग – 60,000 कि.ग्राम	–

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.21 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया हैं जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती है जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकाक्षी "इन्डो–नार्वेयन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के दो बडे जलाशय गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 4,900 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान दिसम्बर,2013 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 5,966 मीट्रिक टन मछली

उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹ 4,094 लाख है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2013 तक 1,385.00 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹917.00 लाख आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाशय को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2013 तक राज्य में फार्मों से 10.37 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ₹84.64 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.3
टेबल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2009–10	15.20	74.67
2010–11	19.07	89.26
2011–12	17.98	83.01
2012–13	19.18	98.48
2013–14 (दिसम्बर,13 तक)	10.37	84.64

8.22 मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2012–13 में 200. 19 लाख था तथा 2013–14 में 125.84 लाख फार्म बीज का उत्पादन (दिसम्बर,2013) तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" ₹741.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जो कि निम्न हैं:–

1.	बैकयार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण	₹ 78.00 लाख
2.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण (सामान्य)	₹ 17.10 लाख
3.	मछली पकड़ने के उपकरणो का वितरण (अनुसूचित जन–जाति)	₹ 0.90 लाख
4.	मछियाल स्थित महाशीर फार्म का सुदृढ़ीकरण	₹ 47.00 लाख
5.	ट्राऊट मत्स्य व मत्स्य बीज की बढ़ौतरी	₹ 14.00 लाख
6.	एक्वाकल्चर डिवैल्पमैन्ट	₹250.00 लाख
7.	जलाशयों में "केज़ फिश कल्चर"	₹334.00 लाख
	कुल	**₹741.00 लाख**

8.23 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष " बैकयार्ड फिश फार्मिंग" (किचन फिश पौड) नामक नई योजना ₹78 लाख की सहायता से आरम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को ₹1,00,000 तथा अपंगता की स्थिति में ₹50,000 बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो मासिक बराबर

किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है:–

क्र. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना	₹1 लाख (मृत्यु उपरांत) ₹0.50 लाख (अपंगता पर)
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	₹1,200 (दो किश्तों में प्रत्येक मछुआरे को)

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योमदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 1995 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाशय मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाशय के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

8.24 विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर,2013 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा मार्च,2014 तक प्रस्तावित एवं वर्ष 2014–15 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:

विवरण	दिसम्बर,2013 तक की उपलब्धियां	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य	सम्भावित निर्धारित लक्ष्य 2014–15
मत्स्य उत्पादन (टन)	5966.00	8080.00	10000.00
कार्प बीज उत्पादन (मिलियन)	125.84	220.00	240.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन)	10.37	18.00	18.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	104.76	150.00	250.00
रोजगार सृजन (संख्या)	1995	425.00	500.00
विभागीय राजस्व (लाखों में)	**147.39**	**143.59**	**175.00**

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार, विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चरागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज, सांझी वन योजना, टी.एफ.सी. तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आते हैं। 31 मार्च, 2013 तक 4,932 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है जिस पर ₹1,493.12 लाख व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पुर्वानुमानित 4,607 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से ₹1,406.17 लाख रूपए व्यय होने सम्भावित है तथा सितम्बर, 2013 तक 4,151 है0 क्षेत्र में ₹ 1,296.83 लाख की लागत से पौधारोपण कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 4,750 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का पूर्वानुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गतवर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में 45 लाख औषधीय पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2013–14 के के दौरान ₹10.00 करोड़ की लागत से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए गए।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरण्यस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। इस योजना के अंतगर्त वर्ष 2012–13 में ₹412.00 लाख का बजट रखा गया था जिसे संशोधित करके (अनुसूचित जन–जाति योजना समेत) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ₹413.00 लाख आबंटित किये गये जो मार्च, 2013 तक व्यय कर लिए गए थे। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹440.00 लाख का बजट प्रावधान निर्धारित किया गया है जिसमें से माह सितम्बर, 2013 तक ₹ 186.22 लाख रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष धनराशि 31.3.2014 तक व्यय कर दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित बजट ₹440.00 लाख का प्रावधान है जिसमें ₹40.00 लाख जन–जातीय उप–योजना के अंतगर्त भी शामिल हैं।

वन सुरक्षा (वन प्रबंधन योजना संचार तंत्र)

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है।

इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संशोधित राशि ₹57.26 लाख का प्रावधान (अनुसूचित जन–जाति तथा गैर अनुसूचित जन–जाति) राज्य योजना स्कीम के तहत किया गया था जिसका मार्च, 2013 तक पूर्ण व्यय कर लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹67.50 लाख का प्रावधान राज्य योजना स्कीम के तहत प्रस्तावित है जिसमें से ₹12.07 लाख सितम्बर,2013 तक व्यय कर लिये गए हैं तथा शेष राशि 31.3.2014 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹63.00 लाख रूपए का बजट राज्य योजना स्कीम में प्रस्तावित है।

स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना

9.5 स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना, ऊना स्वां नदी जलग्रहण क्षेत्र में जापानं अंतराष्ट्रीय सहकारी एजैंसी की सहायता से जिला ऊना में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 22 उप–जलागम कमेटियां 619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 96 पंचायतों को परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों/कियाकलापों को पूर्ण करने हेतु चयनित किया गया है। इस योजना की लागत 85 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत राज्य हिस्सा जिसमें स्टाफ को बेतन तथा कर इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। आरम्भ में यह योजना वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक 8 वर्षों के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना व्यय ₹160.00 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म योजना स्तर पर कियान्वित करने तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक तथा मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन की सिफारिशों के अनुसार यह योजना (2006–07 से 2014–15) तक 9 वर्षो के लिए ₹215 करोड़ की संशोधित की गई है। योजना के अन्तर्गत 96 ग्राम पंचायत विकास समितियों का गठन एवं पंजीकरण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ₹3,500.00 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे जिसके विरूद्ध मार्च, 2013 तक ₹3,500.29 लाख व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹4,500.00 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 30.09.2013 तक तथा ₹2,282.44 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष राशि 31.3.2014 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 2,200.00 लाख का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया हैं।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई। यह योजना 6 वर्षो के लिए है जिस की कुल लागत ₹365 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एवं परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब ₹231.25 करोड़ की एक नई परियोजना मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के नाम से वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत की गई है। यह योजना अब 704 पंचायतों में कार्यरत है जिसका मुख्य

उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना, प्राकृतिक सम्पदा की संभावित उर्वरता को बढ़ाना तथा योजना–क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में वृद्वि करना है। गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान इस कार्य हेतु ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसका मार्च, 2013 तक पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 7,000.00 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके विरूद्व माह सितम्बर,2013 तक ₹1,951.18 लाख व्यय कर लिए गए है तथा शेष धनराशि 31.3.2014 तक व्यय करनी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सरकार ने ₹4,000.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

पर्यावरण

वर्ष 2013–14 के अंतर्गत विभाग की महत्वूपर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

साईस लर्निंग एवं कियेटिविटी केंद्र की स्थापना

9.7 प्रदेश में किसानों व आम लोगों का विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने के उद्देश्य या उद्देश्य से साईस लर्निंग एवं कियेटिविटी केंद्र की स्थापना की जाएगी।

पर्यावरण नीति में संशोधन

9.8 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण नीति का पुनः विवेचन तथा पुनगर्ठन किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्य योजना

9.9 जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्ययोजना को अनुकूल बनाने और शमन करने संबंधी रणनीति के अंश व भाग के रूप में अंतिम रूप दिया गया है तथा यह राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित है। इस परियोजना के अंतर्गत् विभिन्न नीतियों को कार्यन्वित किया जाएगा।

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

9.10 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि यह राज्य को जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान बारे आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके। वर्ष 2014–15 में प्रदेश की जनता के जीवन यापन से संबंधित व्यवसायों जैसे कृषि एवं बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों से संबंधित शोध राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

विकास नीति ऋण(डी.पी.एल.)/ भारत सरकार से अनुदान

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार को हरित एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से विश्व बैंक से 100 मिलियन यू.एस.डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को सतत आर्थिक हरित विकास के एक मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव करना होगा। इस कार्यकम के विस्तार और आर्थिक हरित विकास की दिशा में स्थानान्तरित करने के लिए विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भी योजना

के अंतर्गत 100 मिलियन यू0एस0 डालर का विकास नीति ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित है।

पर्यावरण मास्टर प्लान

9.12 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभावी रूप से राज्य के संवेदनशील पर्यावरण प्रबंध के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस योजना के अंतगर्त 2014–15 में खण्डीय दिशा निर्देशों को अपनाया तथा लागू किया जाएगा।

स्कूल पर्यावरण ऑडिट

9.13 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य परिषद प्रदेश में 100 ईकों क्लबों को विभिन्न संसाधनों जैसे पानी, ऊर्जा, भूमि, बेकार पदार्थों और वायु का ऑडिट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतगर्त विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत कार्य योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

सरकार की योजनाओं एवं कार्यकमों का वैव आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन

9.14 राज्य सरकार त्वरित निर्णय लेने और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकारी संसाधनों का जी.आई.एस. तकनीक के उपयोग को बढ़ाने में कर रही है। इस प्रकार की निगरानी एवं मूल्यांकन से सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी तथा कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार होगा। पिछले एक वर्ष से (वर्ष 2013–14) राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों के अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए डेस्कटॉप और वेब आधारित अनुप्रयोगों का विकास और स्थानिक और भू–स्थानीक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा आर्यभटट जियो–इंफॉर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सैंटर (AGISAC) के तकनीकी सहयोग से राज्य के सभी प्रमुख विभागों को जोड़ा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीति तैयार करना

9.15 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान ने हिमाचल प्रदेश के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति प्रारूप तैयार किया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु पूरा किया जाएगा:–

(क) असमानता को कम करना।

(ख) निर्भरता को कम करना तथा

(ग) प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार क्षेत्र में उपयोग

जैव प्रौद्योगिकी नीति का परिशोधन

9.16 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रणाली में प्रभावी तकनीक एवं कौशल लाने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज का पुनर्गठन किया जा रहा है। यह जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन के विकास के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगी कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हो।

(क) इस संदर्भ में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया और सुझावों को जैव प्रौद्योगिकी नीति के रूप में समावेश किया गया।

(ख) इसके उपरान्त एक कार्यशाला बद्दी में भी आयोजित की जा रही है ताकि जैव प्रौद्योगिकी संस्थाओं के सुझावों का भी समावेश किया जा सके।

हि0 प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड

9.17 हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने और राज्य में पायलट आधार पर प्रावधानों को सांझा करने के लिए GEE-UNEP-MoEF परियोजना को लागू किया जा रहा है।

बर्फ तथा ग्लेशियर के खतरों की निगरानी

9.18 विभाग 2014–15 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हिमखण्डों, झीलों की निगरानी के अतिरिक्त बर्फ, हिमखण्डों एवम् नदियों के कटिबन्ध और उनसे उत्पन्न खतरों का अध्ययन करेगा।

10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त जनगणना गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 1–04–2009 में राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति निर्देशों के लागू होने से एवं बस्तियों के मानचित्रण के अनुसार राज्य में कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई जिसमें से 19,473 बस्तियों (7,632 बस्तियॉ जो शून्य प्रतिशत से अधिक तथा सौ प्रतिशत से कम लाभान्वित जनसंख्या वाली तथा 11,841 बस्तियां शून्य प्रतिशत जनसंख्या व्याप्ति वाली बस्तियां) चिन्हित हुई जहां पर पेयजल सुविधायें अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने राज्यों को 1.04.2009 तक डाटा अपडेशन का आंकलन करने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2013 के डाटा अपडेशन के आंकलन के अनुसार 1–04–2013 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत–प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0 and <100 सम्मिलित किया गया
53,604	29,911 (55.80%)	23,693 (44.20%)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 2,500 बस्तियों जिनमें 1,250 बस्तियों को राज्य भाग के अन्तर्गत तथा 1,250 बस्तियों को केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹ 170.48 करोड़ एवं ₹ 161.27 करोड़ रखा गया है। अक्तूबर 2013 तक कुल ₹ 121.47 करोड़ जिसमें ₹80.49 करोड़ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा ₹40.98 करोड़ केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 1,498 बस्तियां जिसमें कि 1,340 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र एवं 158 राज्य क्षेत्र को नवम्बर,2013 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2013 तक प्रदेश में कुल 28,894 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कुल 2,000 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत नवम्बर,2013 तक 1,305 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं तथा शेष 695 लक्षित हैंडपम्पों को मार्च,2014 तक स्थापित कर लिया जायेगा।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 51 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 47 शहरों की

पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया गया है। हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, मण्डी, कुल्लू, मनाली, रामपुर तथा नाहन शहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन राज्य तथा UIDSSMT कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में कुल में कुल ₹13.53 करोड़ योजना के सम्वर्धन के कार्य के लिये रखे गये हैं जिसके अन्तर्गत अक्तूबर, 2013 तक कुल ₹1.82 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

सिंचाई

10.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

10.5 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब तक 2.57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10.6 राज्य में कांगड़ा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में चार मध्यम परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। यह चार परियोजनायें बल्हघाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 2,780 हैक्टेयर), सिधाथा मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 3,150 हैक्टेयर), फीना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 4,025 हैक्टेयर) तथा नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 6,471 हैक्टेयर) के अन्तर्गत लाया जाएगा।

वर्ष 2013–14 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.7 वर्ष 2013–14 में ₹9,100.00 लाख के प्रावधान से 1,500 हैक्टेयर मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत् क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 2013 तक ₹128.46 करोड़ व्यय किए गए।

लघु सिंचाई

10.8 वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ₹13,849.00 लाख का बजट प्रावधान किया है। अक्तूबर, 2013 तक 1,842 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को ₹138.18 लाख व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

कमांड विकास कार्यक्रम

10.9 वर्ष 2013–14 के दौरान ₹2,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, शाहनहर परियोजना के अंतर्गत 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा बाराबन्दी का प्रावधान है। अक्तूबर,2013 तक 300 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा 1,367 हैक्टेयर बाराबन्दी के अंतर्गत लाया जा चुका है।

बाढ़ नियन्त्रण

10.10 वर्ष 2013–14 में 500 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए ₹4,942.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। अक्तूबर, 2013 तक की अवधि में 455 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है तथा इस पर ₹554.05 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

11. उद्योग एवं खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष पैकेज के कारण प्रदेश में औद्योगिकरण का एक नया युग शुरू हुआ है।

11.2 प्रदेश में 31.12.2013 तक 39,819 औद्योगिक इकाईयां स्थाई तौर पर पंजीकृत हुई है जिसमें लगभग ₹17,339.89 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और 2,78,528 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। इसमें 494 बड़े एवं मध्यम स्तर के उद्योग शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र/ सम्पदा

11.3 राज्य में औद्योगिक आधारभूत ढांचा के सुधार हेतु भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लिए 31.12.2013 तक ₹12.80 करोड़ स्वीकृत किए गए है। इसके साथ ही ₹4.45 करोड़ की शेष राशि भी व्यय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा तीन अत्याधुनिक (State of the art) औद्योगिक क्षेत्र ज़िला कांगड़ा, ऊना एवं सोलन में स्थापित किया जाना है तथा विभाग द्वारा दो अत्याधुनिक (State of the art) औद्योगिक क्षेत्र कन्द्रोरी, जिला कांगड़ा एवं पंडोगा, जिला ऊना के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव परिवर्तित औद्योगिक अधोसंरचना प्रोन्नति योजना के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग भारत सरकार को प्रस्तुत किया है जिनका वित्तीय संसाधन विवरण निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

मंदद	कन्द्रोरी (जिला कांगड़ा)	पंडोगा (जिला ऊना)
भारत सरकार से सहायता राशि	₹ 50.00	₹ 50.00
राज्य कार्यान्वयन अभिकरण/ राज्य सरकार का भाग	₹ 26.74	₹ 39.20
लाभार्थी उद्योग अंशदान/ ऋण	₹ 30.24	₹ 22.80
कुल योग	**₹106.98**	**₹112.00**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

11.4 विभाग द्वारा 31.12.2013 तक इस योजना के अंतगर्त आंवटित 649 लक्ष्यों के विरूद्व 750 मामले/ आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए जिसमें से 266 मामलों में ₹354.40 लाख की अतिरिक्त अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा इनमें से 127 मामलों में प्रार्थियों को ₹199.25 लाख अतिरिक्त अनुदान राशि वितरित कर 403 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

राज्यों को निर्यात उद्योग के अधोसंरचना एवं सहबद्व गतिविधियों के विकास हेतु सहायता(एएसआइडीई)

11.5 राज्य घटक

इसके अंतर्गत शेष ₹117.50 करोड़ विभाग के पास था तथा वर्ष 2013–14 में भारत सरकार से इसके अंतर्गत ₹527.00 करोड़ अनुदान राशि प्रदेश को प्राप्त हुई जिसमें से ₹209.32 करोड़ विभिन्न

अनुमोदित कार्यों पर व्यय किये गये तथा शेष राशि ₹435.18 करोड़ उन कार्यों पर व्यय किए जाएंगे जिसकी अनुमोदन स्वीकृति राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय घटक

इसके अंतर्गत वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाएं जिला ऊना, सोलन तथा सिरमौर को जिनकी लागत ₹41.91 करोड़ है, के लिए केन्द्र सरकार ने ₹36.47 करोड़ अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं।

रेशम उद्योग

11.6 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,200 ग्रामीण परिवारों को रेशम कोकून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त हो रहा है। 9 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजि क्षेत्र में एक ज़िला कांगड़ा एवं बिलासपुर में तीन तथा हमीरपुर, मण्डी एवं, ऊना में एक–एक यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित की गई है। 31 दिसम्बर, 2013 तक 191.77 मीट्रिक टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिनमें से 24.19 मी0टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री कर से ₹654.00 लाख की आय प्राप्त हुई है। रेशम कोकून का प्रत्याशित उत्पादन 192 मीट्रिक टन तथा परिवर्तित कच्चा रेशम 24.25 मी0 टन रहेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

11.7 एकीकृत हथकरघा विकास योजना के कलस्टर एप्रोच घटक के अतर्गत तीसरे चरण में योजना के कार्यन्वयन हेतु ₹28,305 लाख केन्द्रीय भाग व ₹1.55 लाख राज्य भाग के रूप में जंजैहली (मण्डी), ज्वाली (कांगड़ा), व चम्बा के तीसा के लिए हथकरघा कलस्टर के 1,394 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने हेतु राशि जारी की गई। भारत सरकार द्वारा एक और हथकरघा कलस्टर बिलासपुर के घुमारवीं में ₹56.35 लाख की परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए जिसमें 300 बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए ₹16.15 लाख की प्रथम किस्त जारी की गई।

योजना के मार्किटिंग इन्सेंटिव घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹143.79 लाख में से ₹107.50 लाख राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इनसे प्रदेश की 60 हथकरघा एजेंसियों के 13,000 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

11.8 वित वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक राज्य के 1,850 हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

11.9 वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक राज्य के 4,000 हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया है।

विपणन एवं निर्यात संबर्धन योजना

11.10 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक हिमाचल प्रदेश राज्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम व हिमबुनकर कुल्लू को 10 प्रदर्शनियां लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।

खनन

11.11 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है। उत्तम किस्म

का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ है, यहां प्रचूरता में उपलब्ध हैं। वर्तमान में छः सीमेंट प्लांट जिनमें दो इकाईयां ए0सी0सी0 बरमाणा, जिला बिलासपुर, दो इकाईयां अम्बुजा, कशलोग जिला सोलन, एक इकाई मै0 जे0पी0 उद्योग वागा भलग तथा एक इकाई मै0 सी0सी0आई0 राजबन, जिला सिरमौर में चल रही है। अन्य तीन सीमेंट संयंत्र सुन्दरनगर जिला मण्डी मै0 हरीश सीमेंटस (ग्रासिम), गुम्मा रूहाना, जिला शिमला, इण्डिया सीमेंट लि0, अलसींडी, जिला मण्डी, लफार्ज इण्डिया लि0 चल रहे हैं तथा तदनुसार खनन पटटों को उनके पक्ष में प्रदान किया गया है। बरोह सिन्ड, जिला चम्बा के लिए सरकार ने बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए मै0 जे.पी.इण्डस्ट्रीज के साथ एम.ओ. यू. हस्ताक्षरित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जा सकें। यह लाईसैंस मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बड़ू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा करियाली–कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0, मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, चलयान तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0, श्रीयुत रिलायंस संगरोठी, थागर, कुरा खेरा, पॉली खेरा, कंडल तहसील चौपाल जिला शिमला, हि0प्र0 को दिए गए।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल, बेराईटस, रॉक सॉल्ट, सिल्का सैड, भवन सामग्री जैसे कि सैंडस्टोन, रेत व बजरी और इमारती पत्थर इत्यादि भी प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की भौमकीय शाखा द्वारा खनिजों के दोहन के लिए खनिज रियायतें दिए जाने के अतिरिक्त भू–तकनीकी अन्वेषण प्रदेश में व्याप्त खनिजों के सर्वेक्षण, प्रदेश में बनाई जा रही सड़कों और पुलों का भौमकीय अध्ययन एवं भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

वर्ष 2012–13 के दौरान खनन से प्रदेश को ₹147.90 करोड करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) ₹72.24 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित ₹130.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

i) **नए खनन के पटटे प्रदान करनाः** विभाग ने वर्ष 2012–13 में 3 खनन पटटे मुख्य खनिज पटटा गौण खनिजों के प्रदान किए है तथा वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) एक उत्खनन अनुज्ञप्ति मुख्य खनिज के प्रावधानों के अंतर्गत तथा 2 खनन पटटे गौण खनिजों के स्वीकृत किए हैं।

ii) **भू–तकनीकी अन्वेषणः** विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े–बड़े भवनों भू–स्खलन इत्यादि की नींव संबंधी क्षेत्रों में भौमकीय अध्ययन उपरांत 12 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है तथा 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) 21 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.81 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। सभी 67 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है तथा 63 रोजगार कार्यलय ओन लाईन है बाकि 04 रोजगार कार्यालयो को शीघ्र ही औन लाईन किया जा रहा है। नैशनल इन्फार्मैटिक्स सैन्टर, हि० प्र० द्वारा सौफटवेयर विकसित करवाया जा रहा है जिसके द्वारा पंजीकरण, पुनः पंजीकरण के नवीकरण की सुविधा (रोजगार कार्यालयों के साथ–साथ) प्रदेश के 3,366 लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी प्राप्त होगी।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.2 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.12.2012 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,72,037 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,37,051 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,141 व निजी क्षेत्र में कुल 1,630 नियोक्ता हैं।

व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र

12.3 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.4.2013 से 30.11.2013 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 200 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.4 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकि तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2013–14 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय

बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान नवम्बर,2013 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 96 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं में कुशल वर्ग सहित 1,100 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। दिनांक 30.11.2013 के अन्त तक प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 14 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया। 01.4.2013 से 30.11.2013 तक इस कक्ष के माध्यम से 120 कैम्पस साक्षात्कार करवाए गए, जिसमें 1,608 आवेदकों की नियुक्तियां की गई। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जिसमें 01–04–2013 से 30–11–2013 तक 8 रोजगार मेलों का आयोजन किया जिसमे 3,001 प्रार्थियों को राज्य के विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

12.5 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वांईट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30वां, 73वां, 101वां, 130वां, 173वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए 30वां तथा 130वां गुंगे–बहरों के लिए 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2013–14 के दौरान 1.4.2013 से 30.11.2013 तक सक्रिय पंजिका में 1,503 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,026 हो गई है। 16 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई हैं।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.6 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। श्रम न्यायलयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.7 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्द्दी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, रती जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 4,510 संस्थानों में 2,12,210 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30.11.2013 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 30.11.2013 तक 7,718 संस्थानों में कार्यरत 9,08,525 कामगारों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1,926 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2013 तक 1,246 ट्रेड यूनियनज पंजीयक ट्रेड यूनियन एवं श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत 715 रिर्पोट प्राप्त हुई है और निर्याणक कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसके परिणामस्वरूप, 235 औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय व न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनिर्णित करने हेतु अधिसूचित किए गए जबकि 620 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय अस्वीकार किए गए।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.8 प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के गतिविधियों को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक झगडों को निपटाने व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिये एक समाधान मशीनरी कार्यरत है। समझौता अधिकारी के कार्य, संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षको को सौंपे गये हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र अधिकार में यह कार्य देख रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां समझौता अधिकारी किसी मान्य समझौते को करवाने में असफल रहते हैं, वहां उच्च अधिकारियों द्वारा निदेशालय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। कामगारों, श्रमिकों तथा जल–विघुत परियोजनाओं के प्रबन्धकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड तथा परियोजना स्तर की त्रिपक्षीय समितियां प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्योगिक इकाई में जहां एक उद्योग में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं एक समिति गठित की जाती है जिसमें श्रमिकों के तथा नियोजक के प्रतिनिधि सम्मलित होते हैं।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम, 1996

12.9 इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पैंशन, अपंगता पैंशन, दाह–संस्कार सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतू वित्तीय सहायता, बच्चों एंव महिला कामगारों की स्वंय की शादी हेतू वित्तीय सहायता, महिला कामगार को साईकल प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। औज़ार खरीदने और भवन निर्माण/खरीद हेतू ऋण का प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जहां पर 300 से अधिक भवन एंव सन्निर्माण कामगार कार्यरत हों, वहां पर बोर्ड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण/ किराए पर ले सकता है। बोर्ड भवन एंव सन्निर्माण कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अर्न्तगत भी ला रहा है, ऐसे कामगार जो भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे तथा कामगार अपनी

सदस्यता अंशदान केवल ₹10/– प्रतिमाह निरन्तर देगा वह इन लाभों का पात्र होगा। इस के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि से बोर्ड वहन करेगा। दिनांक 30–11–2013 तक 1,048 संस्थान, 45,683 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं तथा लगभग ₹184/– करोड़ की धन–राशि उप–कर के रूप में हि0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास जमा हुई हैं।

कौशल विकास भत्ता योजना:

12.10 यह योजना हि0प्र0 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढाने हेतू सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को कौशल विकास भत्ता ₹ 1,000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500/– प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। योजना के लिए पात्रता हेतू आवदेक का :

1. हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना
2. बेरोजगार (न सरकारी और न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार)
3. कम से कम 8वीं उतीर्ण
4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम,
5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम
6. आवेदन की तिथि को हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण
7. देश में कहीं भी किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकन होना अनिवार्य है

भत्ता के लिए शामिल मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पलम्बर आदि के प्रशिक्षण हेतू शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवदेकों की संख्या के आधार पर सभी जिलों को लाभार्थियों के लक्ष्य दिए गए हैं। कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के कार्यान्वयन हेतू व इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को लाने हेतू विभाग लगातार प्रयासरत है और उसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न हिस्सेदारों/ साझेदारों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है तथा इस योजना का समाचार–पत्रों, फ्लैक्स बैनर/ होर्डिंग, रेडियो, पोस्टर, एस.एम.एस. व विभिन्न विभागों एवं निगमों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.12.2013 तक कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत 24,585 लाभार्थियो को ₹ 361.43 लाख की धन–राशि वितरित कर दी गई है।

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

13.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 8,432.47 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की गई है जिसमें से 477.50 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र. राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की गई है

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत सम्भाव्य उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

नदी तट	**क्षमता(मैगावाट)**
यमुना	794
सतलुज	10,226
ब्यास	5,721
रावी	2,912
चिनाब	3,037
स्वयं चिन्हित/नये चिन्हित	310
कुल	**23,000**

13.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 23,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण आगे तालिका में दर्शाया गया है।

कुल चिन्हित सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता

(मैगावाट)

क्र. सं.	मद्द	राज्य क्षेत्र हि.प्र.रा.वि. प.लि. /एच.पी. पी.सी.एल. (मैगावाट)	केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र/ हि.प्र.का हिस्सा (मैगावाट)	निजी क्षेत्र		
				5 मैगावाट से ऊपर (मैगावाट)	5 मैगावाट तक हिमउर्जा द्वारा	कुल (मैगावाट)
1	विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है	478	5,903	1,829	222	8,432
2	परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं	966	2,532	765	179	4,442
3	परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर हैं	1,285	66	866	365	2,582
4	परियोजनाएं जो अन्वेषणाधीन हैं	1,034	588	3,340	510	5,472
5	परियोजनाएं जो विवादित हैं	–	–	1,007	–	1,007
6	पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं	20	–	735	–	755
7	परियोजनाएं जो आवंटित होनी हैं	–	–	310	–	310
	कुल	**3,783**	**9,089**	**8,852**	**1,276**	**23,000**

जल विद्युत नीति 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओ के लिए:

13.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:–

i) 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं को निजि क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादकों को अन्तराष्ट्रीय स्तर की बोली द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

ii) हाल ही में प्रदेश सरकार ने जल विद्युत नीति के अनुसार (निजी क्षेत्र में बूट आधारित) विभिन्न परियोजनाओं को अन्तराष्ट्रीय स्तर की निविदायें आमंत्रित कर अपफ्रंट प्रीमियम की उच्चतम दर बोली क्रे आधार पर करने का निर्णय लिया गया है उक्त परियोजनाओं के आंवटन से सरकार ने निःशुल्क बिजली की दरों में कोई परिर्वतन न करने का निर्णय लिया है। अर्थात् उक्त परियोजनाओं के स्थापित होने पर प्रदेश सरकार को 40 वर्षो में क्रमशः प्रथम 12 वर्षो तक (12+1) प्रतिशत अग्रिम 18 वर्षो में (18+1) प्रतिशत व अनुबन्ध अवधि के शेष 10 वर्षो में (30+1) प्रतिशत निशुल्क विद्युत निर्माणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवानी निर्धारित की गई हैं। जिसके आधार पर सरकार लगभग 1500 मै0 वा0 क्षमता की विभिन्न परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आंबटित करने हेतु प्रयासरत है।

iii) निर्माणकर्ताओं को सभी परियोजनाओं पर कुल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यो में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।

iv) सरकार पन विद्युत नीति–2008 की तर्ज पर दिनांक 30.11.2009 को अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के हितों हेतू सभी परियोजनाओं में कुल उत्पादित बिजली का एक प्रतिशत भाग अतिरिक्त रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के कल्याण हेतू खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है। सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2011 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क बिजली से प्राप्त राजस्व को परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को नगदी के रूप में परियोजना मे कुल जीवन काल तक उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

v) परियोजनाओं का संचालन समय, वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होने से अग्रिम 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को वापिस देनी पड़ेगी।

vi) परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना जरूरी है। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।

vii) **कम से कम पानी का छोड़ना:** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर सभी रन–ऑफ–द–रीवर स्कीमों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा उक्त नदी में हर समय छोड़ने का प्रावधान पर्यावरण, जल जीवों और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के सरंक्षण हेतु किया गया है। परियोजना निर्माता को ऊपरलिखित न्यूनतम प्रवाह को नदी में छोड़ने व छोड़े गये जल प्रवाह को मापने हेतु उपयुक्त प्रबन्ध डाईवर्जन स्ट्रक्चर में करना अनिवार्य है।

viii) **उत्पादित बिजली का व्ययन:** परियोजना निर्माता उत्पादित बिजली में से निशुल्क बिजली व अन्य का भुगतान करने के उपरान्त शेष बची बिजली का व्ययन अपनी इच्छानुसार करने हेतु मुक्त है।

ix) **परियोजना निर्माण हेतू निर्धारित मील पत्थरों का पुर्नगठन:** परियोजनाओं का सुनियोजित ढंग से निर्माण करने हेतु सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण को अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुर्नगठित कर इस सन्दर्भ में मार्गदर्शित नीति को दिनांक 07.07.2012 को जारी किया है जिससे कि अतिरिक्त समय का प्रावधान किया गया है ताकि विभिन्न कारणों से अधर मे लटकी परियोजनाओं को पुनः रास्ते पर लाया जा सके।

x) **विद्युत क्षमता का बेहतर व अधिकरण उपयोग** प्रदेश की कुल चिन्हित विद्युत क्षमता के बेहतरीन दोहन हेतु सरकार ने बहुचर्चित सलाहकारी फर्मों को सम्मिलित कर सभी नदियों में उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता को बेहतरीन ढंग से दोहन करने का प्रयास किया है। जिससे नई विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित करने व पहले से चिन्हित परियोजनाओं की क्षमताओं का पुनः आकलन करना व

मानचित्र पर हर प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का एकीकरण करने का कार्य मै0 लेहमेयर इन्टरनेशनल (आई0) प्रा0 लि0 द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। तथा इस अध्ययन में परामर्शदाता के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अभी तक चिन्हित 23,000 मैगावाट क्षमता को लगभग 27,000 मैगावाट तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी पुष्टि सरकार की नई प्रस्तावित परियोजनाओं की संभाव्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।

xi) **क्षमता की बढ़ौतरी**

वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं से जल विद्युत का अधिकतम रूप से दोहन करने के सन्दर्भ में सरकार ने क्षमता बढ़ौतरी हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार परियोजना निर्माणकर्ताओं को क्षमता बढ़ौतरी के बदले में 20 लाख प्रति मैगावाट की दर से क्षमता बढ़ौतरी हेतु पेशगी व परियोजना से उत्पादित 3 प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क बिजली देनी होगी।

xii) **परियोजना क्षेत्र में बदलाव**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ व लाभप्रद बनाने हेतु परियोजनाओं के क्षेत्रों में जरुरी बदलाव लाने की स्वीकृति का प्रावधान 15.06.2010 से लागू कर दिया है।

xiii) **परियोजनाओं की प्रगति का आकलन वेब आधारित पद्वति के माध्यम से करना:**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को सुचारू रूप से सचांलन करने के उद्देश्य से उर्जा निदेशालय में एक बेब बेसड मोनिटिरिंग सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के संयोजन से स्थापित कर दिया है जो कि ऊर्जा निदेशालय (डी.ओ.ई.) की बेब साईट के माध्यम से प्रदेश में निर्मित/निर्माणाधीन सभी पन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति चरण दर का आकंलन करने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। उक्त सिस्टम ऊर्जा निदेशालय की बैबसाईट पर अन्य सम्बधित विभागों जैसे वन, हि0प्र0राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड एवं एजीसैक को परियोजनाओं से सम्बधित वन पर्यावरण और समाजिक जानकारी उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्बधित नीति, दिशा निर्देश परियोजना बार अध्यतन स्थिति आदि, भी लोगों के नियत्रिंत क्षेत्र में उपलब्ध की गई हैं।

xiv) **स्थानीय क्षेत्र विकास हेतू निधि:**

स्थानीय विकास निधि के फण्ड को विभिन्न स्तरों तक बढ़ाने के लिए सरकार ने दिनांक 05–10–2011 को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि प्रबन्धन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत का प्रावधान दिसम्बर,2006 में अधिसूचित किया है एवं महत्पूर्ण खर्चो को यह खाता वहन करेगा। सरकार ने परियोजना के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहुंच से विकास की उपलब्धी एवं परियोजना के शुरू होने के प्रभावों को जानने के लिए 10 विद्युत परियोजनाओं में हि0प्र0 एग्रो विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययन करवाया गया है। जिसकी अंतिम रिपोर्ट जनवरी,2013 में प्रस्तुत कर दी गई है। इस अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय विकास निधि क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय विकास क्षेत्र में

पर्याप्त मात्रा में कार्य किया है तथा किए गए कार्य के लिए उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ने भी संतोष व्यक्त किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए नगर प्रोत्साहन योजना दिनांक 30–11–2009 को अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से चालू हुई परियोजना की तिथि से अतिरिक्त निःशुल्क बिजली का एक प्रतिशत की दर से परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सुधार के लिए परियोजना के भाग के रूप में परियोजना के जीवनकाल तक दिया जाएगा।

क. निष्पादन से पूर्व की परियोजनाएं:

परियोजना स्थापित करने वालों को 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाओं पर परियोजना की कुल लागत का कम से कम 1.5 प्रतिशत और 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तौर पर अंशदान देना होगा अगर वे चाहे तो इसके लिए उससे ज्यादा भी अंशदान दे सकते हैं। प्रारम्भिक तौर पर क्षेत्रीय विकास निधि डी.पी.आर. के आधार पर निकाली जाएगी। जिसे उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा। तथा परियोजना के सम्पूर्ण होने के पश्चात स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का अंशदान निर्धारित होगा।

ख) निष्पादन के बाद की परियोजनाएं:

परियोजना बनाने वालों को सभी तरह की क्षमता वाली परियोजनाओं से एक प्रतिशत मुप्त बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास के तौर पर रॉयल्टी के रूप में देंगे जैसा कि सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता एवं प्रतिपूरक कार्यान्वयन समझौता हुआ है। राज्य को टैरिफ के रूप में देनी होगी। यह अतिरिक्त उर्जा सम्बन्धित राज्य को रॉयल्टी छूट के अतिरिक्त टैरिफ (आयात निर्यात शुल्क) के रूप में होगी। इस राजस्व को उर्जा निदेशालय जो नोडल एजैंसी है एक प्रतिशत मुप्त बिजली बिक्री के रूप में प्राप्त करके स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए प्रत्येक परियोजना से स्थानान्तरित करेगी। सरकार की अधिसूचना के उपरान्त स्थानीय विकास निधि के लिए एक प्रतिशत निधि पायलट परियोजना चमेरा चरण–III हि0प्र0 जल विद्युत परियोजना–213 मैगावाट से परियोजना पभावित क्षेत्रों के लिए पहले ही शुरू कर दी गई है तथा परियोजना के सम्पूर्ण काल तक जारी रहेगी। सरकार इस नीति को अन्य योजनाओं में भी लागू करने की प्रक्रिया में है।

ग) समग्र प्रभाव निर्धारण अध्ययन:

हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदियों तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों के ऊपर और जल–विद्युत परियोजनाओं को तैयार करने की योजना है जब कोई परियोजना पर्यावरण मुक्त तथा सत्त विकास हेतू तैयार की जाती है तो उनसे सम्बन्धित समस्त प्रभावों का पता नहीं चलता तथा न ही इस बारे में कभी अध्ययन किए जाते हैं। यह समझना कि प्रत्येक जलविद्युत परियोजना सामान्य तथा प्रदूषण मानकों का अनुपालन करने वाली है एवं उनके कुल या समस्त प्रभाव इतने अनुरूप नहीं होंगे। इसलिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव हिमाचल प्रदेश ने मान लिए हैं और आगे प्रदेश की समस्त नदियों के ऊपर चरणवद्ध तौर पर संलिप्त पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करवाएगी। इस क्रम में पहले सतलुज बेसिन है और इसके प्रारूप की अन्तरिम प्रगति प्रतिवेदना प्राप्त हो चुकी है। अध्ययन के लिए कुछ समय लगेगा और इस नीति के अन्तिम और विभिन्न स्तरों पर स्वीकार योग्य बदलाव में काफी समय लग सकता है।

नदी क्षेत्रवार सी.ई.आई.ए. अध्ययन का नदी क्षेत्रवार विवरण से सम्बन्धित संयुक्त पर्यावारण प्रभाव निर्धारण इस प्रकार से है:–

1.	सतलुज	अध्ययन आई.सी.एफ.आर.ई. देहरादून के द्वारा प्रगति पर है एवं अग्रिम चरण में है।
2.	चिनाव	अध्ययन मै0 आर.एस. एनवायरोलिंक टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 द्वारा किया जा रहा है जो प्रगति पर है।
3.	रावी	टी.ओ.आर. प्रकिया अधीन है।
4.	यमुना	टी.ओ.आर. बनाने की प्रकिया आरभ कर दी गई है।
5.	ब्यास	टी.ओ.आर. का प्रारूप तैयार कर एम.ओ.ई.एफ. के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड –

13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाऐं

(i) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना:** प्रदेश के सभी विद्युत रहित गांवों/बस्तियों को विद्युतिकृत करने और सभी नए घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल,2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत केन्द्र से 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। मैसर्ज आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिलावार विद्युतीकरण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू एवं गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 44,496 ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान की जाएगी जिनमें

कि 12,483 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सभी योजनाएं आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्न–की आधार पर बनाई जा रही हैं, जिससे इन्हें पूरा करने में कम समय लगेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 2,092 नए उपयुक्त क्षमता के विद्युत वितरण उपकेन्द्र तथा लाईनें स्थापित कर सभी 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

10वी पचंवर्षीय योजना :–इस योजना के दौरान चम्बा जिला के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दसवीं योजना के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई.सी. द्वारा दिसम्बर, 2005 में ₹25.02 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था, जिसे कि अब संशोधित कर ₹66.33 करोड़ कर दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा ₹59.65 करोड़ की कुल राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों के रूप में जारी कर दी गई है और ₹42.37 करोड़ की अदायगी कर दी गई है। लगभग ₹6.14 करोड़ के बिल फर्म को अदायगी के लिए पहले ही प्रकिया में हैं। इस प्रकार दिसम्बर, 2013 तक ₹48.51 करोड़ की कुल वित्तीय प्रगति है।

दिसम्बर 2013 तक चम्बा जिला में किए गए कार्य:–चम्बा जिला में दिसम्बर 2013 तक 24.480 किलोमीटर 33 के.वी. एच.टी. लाईन, 207.407 किलोमीटर 11 के.वी. एच.टी. लाईन, 404.665 किलोमीटर एल.टी. लाईन, 175 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, चार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (कोटी, सिंहुता, नकरोड और घरोला), 977 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण और पांगी खंड के 15 विद्युत रहित गांवों को बिजली प्रदान की गई है।

11 वीं पचंवर्षीय योजना:– इस योजना के दौरान 11 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति के लिए 11वीं योजना में ₹275.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ₹231.44 करोड़ की राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। दिसम्बर,2013 तक ₹244.43 करोड़ का खर्चा हो चुका है तथा ₹4.13 करोड़ के बिल देय के लिए प्रकिया में है। इस तरह दिसम्बर 2013 तक कुल वित्तीय प्रगति ₹248.56 करोड़ की है। 11वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान लाहौल स्पिति जिले के स्पिति खंड में कार्यो का निष्पादन पूरे जोरों पर है। जिला चम्बा के पांगी खंड और लाहौल स्पिति जिला के स्पिति खंड में ठडां मौसम, बर्फबारी तथा आसानी से लेबर न मिलने व सिमित कार्य अवधी के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। मै0 आर.ई.सी. लिमीटेड अधिकारीगण द्वारा 10वीं और 11वीं योजना की परियोजनाओं को 31

दिसम्बर, 2013 तक वांछनीय वितीय सहायता जारी रखने की सहमति दे दी है।

आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2013 तक किए गए कार्य की प्रगति इस प्रकार से है:–

क्र सं0	कार्य का नाम	योजना का कुल प्रावधान	दिसम्बर, 2013 तक संचित प्रगति	
			भौतिक उपलब्धि	प्रतिशत
10वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33 के.वी. नए उपकेन्द्र	1 अदद	कार्य प्रगति पर है	95.00
2	33 के.वी.एचटी लाईनें	64.00 कि.मी.	24.480 कि.मी.	38.25
3	11 के.वी..एचटी लाईनें	212.520 कि.मी.	207.407 कि.मी.	97.59
4	एलटी लाईनें	472.180 कि.मी.	404.665 कि.मी.	85.70
5	वितरण ट्रांसफारमरज	175 अदद	175 अदद	100.00
6	बी.पी.एल. गृह कनैक्शन	647 अदद	977 अदद	151.00
7	विद्युतरहित गांवों का विद्युतीकरण	15 अदद	15 अदद	100.00
11वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33 के.वी. उपकेन्द्रों का सम्बधर्न	4 अदद	4 अदद	100.00
2	22/11के.वी.एच.टी.लाईनें	1,721.18 कि.मी.	1,371.044 कि.मी.	79.66
3	एल.टी. लाईनें	5,433.25 कि.मी.	5,461.007 कि.मी.	100.51
4	वितरण ट्रांसफारमरज	1,917 अदद	2,165 अदद	112.94
5	बी.पी.एल. गृह कनैक्शन	11,836 अदद	14,370 अदद	121.41
6	विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण	76 अदद {93-(7+10)}	74 अदद	97.36

प्रदेश में 100 प्रतिशत घरों को विद्युत पहुंचाने के उदेश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत मैसर्ज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 12 जिलों के लिए ₹341.86 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अंतर्गत अभी तक ₹291.09 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत 12 जिलों में कार्य टर्न–की आधार पर दिया जा चुका है और दिसम्बर,2013 तक इस पर ₹297.08 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

जनगणना 2001 के आधार पर राज्य में इस समय 17,495 जनसंख्या गांव है जिसमें से 109 गांवों को विद्युत रहित गांव चिन्हित किया गया है। 11 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है और 7 गांवों का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना शुरू होने से पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका था। शेष बचे 91 गांवों में से दिसम्बर, 2013 तक 89 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 2 विद्युत रहित लाहौल–स्पिति जिला के स्पिति खंड के गांवों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

जिलावार विद्युत रहित/विद्युतीकृत गांवों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क0 सं0	जिला का नाम	विद्युत रहित गांव	गांव जो तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है/जिनका विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका था।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण होना है।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है।
1	चम्बा	16	1	15	15
2	कांगडा	2	2	–	–
3	किन्नौर	40	6	34	34
4	लाहौल–स्पिति	29	1	28	26
5	मण्डी	12	–	12	12
6	शिमला	9	8	1	1
7	सिरमौर	1	–	1	1
	कुल	**109**	**18**	**91**	**89**

(ii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0)

पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0–ए0पी0डी0 आर0पी0) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगी।

भाग–अ

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 15 प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों में कम करने के लिए पुनर्गठित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (अ) और (ब)। भाग (अ) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसेः आधारभूत आंकडे स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसेः मीटर आंकडे एकत्रण, मीटर अध्ययन, बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. ऊर्जा ऑडिट, नए कनैक्शन, कनैक्शन काटना, ग्राहक देख–रेख सेवाएं, वेब सेल्फ सेवाएं इत्यादि। भाग (ब) में वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त,2010 में ₹96.40 करोड की राशि मंजूर की है। आर. ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत ₹128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

आर.– ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे अर्थात् शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये।

कार्यक्षेत्र :

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है:–

1. डाटा सेंटर शिमला में, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर पाँवटा साहिब में और 14 कस्बों अर्थात शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल के विभिन्न कार्यालयों में अपेक्षित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों को उपलब्ध करवाना।
2. डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्तर पर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयन :
   - (क) मीटर आंकडे एकत्रण प्रणाली।
   - (ख) ऊर्जा ऑडिट।
   - (ग) आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली।
   - (घ) बिज़नैस इंटैलिजेंस एवं डाटा वेयर हाउसिंग युक्त मैनेजमेंट सूचना प्रणाली।
   - (ड़) इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

सलाहकार/कार्यान्वयन शाखा चयन

मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड़, नई दिल्ली को सहायता संघ मै0 वयाम टैकनोलोजी इंड़िया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आई. टी. सलाहकार के रुप में 31 जुलाई 2009 को कुल लागत ₹39,70,800/– में चयनित किया गया। आई. टी. सलाहकार का उद्देश्य उपयुक्ततः विवरण बनाने, बोली दस्तावेज, बोली प्रकिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच. पी. एस. ई. बी. लिमिटेड़ की सहायता करना है।

मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रुप में 30 अगस्त 2010 को कुल लागत ₹99.14 करोड़ का अबार्ड किया गया है।

नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणी:

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है।
- डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में चालू हो गया है।
- 14 परियोजना क्षेत्रो में रिंग फैंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। 14 कस्बों के आधारभूत तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे के आंकड़े, मैं0 पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्च–जून 2012 में स्थापित किये जा चुके हैं।
- पाईलेट कस्बे (नाहन) के साथ 10 कस्बे अर्थात चम्बा, धर्मशाला, कुल्लु, योल, बिलासपुर, सुन्दरनगर, ऊना, सोलन, पॉवटा साहिब और हमीरपुर के कार्य अक्तूबर, 2013 में पूर्ण कर लिए गए हैं और शेष 3 कस्बों अर्थात् शिमला, मण्डी और बद्दी के कार्य जनवरी, 2014 तक पूर्ण कर लिए जाएगें।

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) परियोजना 2013–14 के दौरान पूर्ण कर ली जाएगी।

कार्यकम से अपेक्षित लाभः

आर.–ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) योजना का घ्येय कार्यसम्पादन है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, ऊर्जा

ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

भाग–ब

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने आर–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना प्रारम्भ की और जिन कस्बों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (10,000 विशेष वर्ग के राज्यों) से ज्यादा है, उन्हें इस कार्यक्रम के दायरे में रखा गया। विशेष वर्ग के राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार का ऋृण (लोन) आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के लिए पूरी परियोजना की कीमत का 90 प्रतिशत होगा और 10 प्रतिशत का प्रबन्ध यूटिलिटी द्वारा अपने फंड/ऋृण से करना होगा। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 के नियमों के अनुसार ए0टी0 व सी0 के नुक्सानों में कमी के आधार पर भारत सरकार द्वारा भाग–ब के लिए ऋण के रूप में दिया गया प्रतिवर्ष वितांश, पांच सालों के लिए अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बों नामतः बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, मण्डी, नाहन, पौंटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह कस्बे आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अधीन रखे गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों /ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच0वी0डी0एस0 (11के0वी0), एरियल बच्चड कन्डकटोरिंग विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के0वी0 या 66 के0वी0 प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है। शुरू में आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी 14 कस्बों के लिए ₹322.18 करोड़ (ऋृण ₹289.97 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन /ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के0वी0 उप केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के0वी0 लाईनों के मार्गाधिकार की समस्या के चलते बद्दी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया। शिमला और बद्दी कस्बों की संशोधित आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) की डी0पी0आर0 के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने क्रमशः ₹120.34 करोड़ और ₹84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02.2012 को स्वीकृत कर दी। परिणामस्वरूप, योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि ₹322.18 करोड़ (ऋृण की राशि ₹289.97 करोड़) को ₹338.97 करोड़ (ऋृण की राशि ₹305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया। प्रतिरूप राशि (योजना की कुल कीमत का 10 प्रतिशत) ₹33.90 करोड़ भी मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने जून 2012 के दौरान स्वीकृत कर दी थी। इन 14 कस्बों के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने ₹101.684 करोड़ की अपफ्रन्ट राशि जारी कर दी है। प्रतिरूप राशि हेतु ₹33.90 करोड़ के ऋण दस्तावेज दिनांक 19 दिसम्बर 2013 को हस्ताक्षर किए गए तथा मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा मई, 2013 में हिमाचल प्रदेश के 14 कस्बों के लिए सिविल कार्यों सहित वितरण कार्यों व अन्य आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के घटकों के लिए ₹65.53 करोड़ (90 प्रतिशत ऋृण अर्थात ₹58.98 करोड़ और 10 प्रतिशत हि0प्र0रा0वि0प0लि0 शेयर अर्थात ₹6.55 करोड़) भी स्वीकृत किए गए है।

कस्बावार आर–ए0पी0डी0आर0पी0 भाग (ब) की योजनाओं की स्वीकृति स्थिति निम्न प्रकार से हैं:–

क0स0	कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र	ऋण संख्या	भारत सरकार ऋण (₹करोड़)	पी0एफ0सी0 ऋण (₹करोड़)	परियोजना की कुल लागत (₹करोड़)
1	बद्दी	4134001	75.69	8.41	84.10
2	बिलासपुर	4134002	1.87	0.21	2.08
3	चम्बा	4134003	2.64	0.29	2.93
4	धर्मशाला	4134004	9.28	1.03	10.31
5	हमीरपुर	4134005	5.81	0.65	6.46
6	कुल्लु	4134006	6.66	0.74	7.40
7	मण्डी	4134007	17.32	1.92	19.24
8	नाहन	4134008	5.46	0.61	6.07
9	पॉवटा सहिव	4134009	32.97	3.66	36.63
10	शिमला	4134010	108.30	12.04	120.34
11	सोलन	4134011	20.32	2.26	22.58
12	सुन्दरनगर	4134012	5.90	0.65	6.55
13	ऊना	4134013	6.58	0.73	7.31
14	योल	4134014	6.27	0.70	6.97
कुल			305.07	33.90	338.97

इस योजना में कस्बों में यूटिलिटी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान रखा गया है, जहॉ ए0 टी0 व सी0 घाटा 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा। तद्नुसार मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा इन सभी 14 कस्बो जोकि आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अन्तर्गत आते हैं,– के लिए ₹9.76 करोड़ प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकार किया है।

12 कस्बों नाहन, सोलन, हमीरपुर, कुल्लु, सुन्दरनगर, बिलासपुर, धर्मशाला, ऊना, योल, मण्डी, पौंटा साहिब और चम्बा के सभी कार्यों तथा 2 कस्बों बद्दी और शिमला के आंशिक कार्यों की निविदाएं अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2013 के दौरान अवार्ड कर दी गई हैं। शिमला और बद्दी कस्बों में बाकी बचे हुए कार्यों के लिए निविदाएं प्रकिया में है तथा मार्च, 2014 तक कार्य अवार्ड करने की सम्भावना है। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के सभी कस्बों के कार्य शुरू कर दिए गए है और नवम्बर 2013 तक ₹59.80 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

आई. टी. पहल/सुधार:

13.6

(i) **जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित परि सम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडैक्सिग एवं एच. पी. एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच.पी.एस.ई.बी. एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना, जी.आई.एस. पैकैज कहा जाता है।**

- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ में पूरे बोर्ड का जी. आई. एस./जी.पी.

एस. आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बिलिंग के कंप्युटरिकरण, ऊर्जा लेखांकन, बिजली नेटवर्क प्रबंधन, सी. आर. एम. और सूचना प्रणाली प्रबंधन के आधार के रुप में प्रयुक्त किया जाएगा और बोर्ड के नवीनतम बैंलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण विंगों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई परिसंपति लेखा तैयार किया जाएगा।

- शिमला ऑपरेशन सर्कल की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित उपभोक्ता इन्डैक्सिंग सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी. एस. ई. बी. एल. की अचल सम्पति के मूल्यांकन का काम पूर्ण कर लिया गया है। बाकी शेष 11 ऑपरेशन सर्कल के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है। परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियॉं मार्च, 2014 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

(ii) कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज)

नवीनतम स्थितिः–

कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत विद्युत मन्त्रालय (एमओपी) द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत परिचालन उपमण्ड़लों की गतिविधियॉं जैसे कि पूर्व बिलिंग कियाएं, बिलिंग कियाएं, डाक बिलिंग कियाएं, कानूनी एवं सर्तकता गतिविधियॉं उपमण्ड़ल स्तर पर स्टोर प्रबन्धन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन और ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को कम्पयूटरीकृत करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को कुल लागत ₹ 3,057.88 लाख का अवार्ड किया गया है। परियोजना 27 मण्ड़लों के 124 उपमण्ड़लों और 12 वृतों जिनमें 12 लाख से अधिक उपभोक्ता है, में लागू किया गया है। शेष 8 उपमण्डलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य शुरु नहीं हो सका है क्योंकि बी.एस.एन.एल./दूसरी एजैंन्सियों द्वारा इन स्थानों पर आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई।

(iii) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी.) का हि.प्र.रा.वि.प.लि. में कार्यान्वयनः–

ई.आर.पी. परियोजना के तहत हि.प्र.रा. वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यों को पूरी तरह से स्वचलित किया जाएगाः–

क) वित्तीय प्रबन्धन और लेखा।

ख) मानव संसाधन प्रबन्धन पेरोल सहित

ग) परियोजना प्रबन्धन

घ) सामग्री प्रबन्धन

ड़) रखरखाव प्रबन्धन

च) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ और एम.आई.एस. उद्देश्य के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹24.00 करोड़ है। इस कार्य को मैसर्ज टी.सी.एस. को अवार्ड को किया गया है। प्रथम चरण जिसमें मुख्यालय और

परिचालन वृत शिमला, को रखा गया है का कार्य ठियोग और सुन्नी विद्युत मण्ड़लों को छोड़कर मार्च 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। दूसरे चरण में पूरे बोर्ड व शेष बचे मॉडयूलज़ को चरणबद्व तरीके से मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाए।

हि0प्र0रा0वि0प0लि0 में नई आई0टी0 पहलः

क. हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाः–

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड ने ₹21.70 करोड़ की पायलट परियोजना तैयार की है। भारत सरकार ने ₹18.11 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की है जिसमें से ₹8.92 करोड़ ऊर्जा मन्त्रालय वहन करेगा तथा शेष राशि का प्रबन्ध हि0प्र0रा0वि0प0लि0 द्वारा वित्तीय संस्थानों जैसे कि आर0ई0सी0 के माध्यम से करना है।

हि0प्र0रा0वि0प0लि0 द्वारा काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड प्राघोगिकी अपनाते हुए 3 वर्ष की ऋण वापिसी के साथ उच्चतम ऊर्जा में 6 एम0वी0ए0 की कटौती, रूकावटे कम, उपभोक्ता व्यवसाय में सुधार एवं सन्तुष्टि द्वारा प्राणाली अनुपालना में सुधार तथा हि0प्र0रा0वि0प0लि0 के समस्त आर्थिक प्रर्दशन को सुधारने हेतु उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढ़ाचा, मांग पक्ष प्रबन्धन व भूगोलिक सूचना प्रणाली कियानवित करते हुए स्मार्ट ग्रिड पायलट लगाया जाना प्रस्तावित है।

ख स्वचलित मीटर रीडिंग (ए0एम0 आर0) का विस्तारः–

आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत मौजूदा विकसित बुनियादि ढ़ाचें का उपयोग करके राज्यभर में चरणबद्व तरीके से सभी 50 किलोवाट से ऊपर के 32,000 उपभोक्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

ग. कम्पयूट्रीकृत बिलिंग का विस्तारः

वर्ष 2014–15 के दौरान मानक मंच का उपयोग कर 61 उपमण्डलों में कम्पयूट्रीकृत बिलिंग शुरू करने का प्रस्ताव है। स्थिरीकरण और प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद 132 उप–मण्डलों की बिलिंग जहां कम्पयूट्रीकृत बिलिंग पहले से ही लागु है को भी चरणबद्व तरीके से इस पलेटफार्म पर लाने का प्रस्ताव है।

घ. गैर आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0)/ ग्लोवल पोजिशनिग प्रणाली (जी0पी0एस0) आंकड़ो को आधुनिक करनाः–

राज्य के गैर आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्रों में जी0आई0एस0/ जी0पी0एस0 के आंकड़ों को आधुनिक करना तथा विभिन्न विद्युत नेटवर्क में उपयोगों में लाना प्रस्तावित है।

ड. पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (एस0सी0ए0डी0ए0)/ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी0एम0एस0):–

राज्य के मानव रहित 33 के0वी0 और इससे ऊपर के उप–केन्द्रों के नियंत्रण और निगरानी के लिए डिजास्टर रिक्वरी केन्द्र पौंटा में परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

च. आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 अगला चरण:–

ऊर्जा मंत्रालय अगले चरण के आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 कार्यक्रम में जहां कस्बों में 5,000 से अधिक आबादी है के विस्तार पर विचार कर रहा है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015–16 में 16 नये कस्बों को लिया जाएगा।

13.7 विभाग की भविष्य योजनाएं

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।
- 50 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ताओं की स्वचालित मीटर रीडिंग।
- वित वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान 12,97,818 सिंगल फेस और 20,319 थ्री फेस पुराने इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को इलैक्ट्रोनिक मीटरों से बदलने का प्रस्ताव।
- संचार व वितरण हानियों को कम करना।
- पहले व दूसरे चरण में 1,40,477 नम्बर गले सड़े विद्युत खम्बों को बदलने के पहले के प्रावधान को संशोधित किया गया जिसमें 1,45,295 न0 खम्बों को बदलने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटिड

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
क) निष्पादित परियोजनाएं		
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I, II, III)	195
3.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
	उप–योग(क)	**856**
ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं (राज्य क्षेत्र)		
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	520
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	191
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
8.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	40
	उप–योग(ख)	**1,285**
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	117
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	58
5.	देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	33
6.	चान्जू जल विद्युत परियोजना	48
7.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	उप–योग(ग)	**963**
	कुल योग (क+ख+ग)	**3,104**

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

13.8 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड जो कि हि0 प्र0 सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, का गठन 27 अगस्त, 2008 को प्रदेश के संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

हि0 प्र0 सरकार के द्वारा कार्पोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से उपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार पलान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैशी तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि0 प्र0 ऊर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण परियोजना ट्रांसमिशन जिला किन्नौर (सतलुज बेसिन) और (शिमला पव्वर वेसिन) के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी,2012 से प्रभावी हो गया है जिसके अनतर्गत निम्न 4 परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया है:

- किनौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹356.00 करोड़ है, और अप्रैल, 2016 में चालू हो जाएगी।
- किनौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹62.60 करोड़ है, और जुलाई, 2014 में चालू हो जाएगी।
- 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगतिनगर, (कोटखाई) जिला शिमला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹166.20 करोड़ है, और जून, 2015 में चालू हो जाएगी।
- हाटकोटी से प्रगतिनगर जिला शिमला में 220 के0वी0 क्षमता की संचार लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹84.40 करोड़ है, और नवम्बर,2014 में चालू हो जाएगी।

निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रदान कर दी गई हैं और जिसके लिए निधि अपने स्तर पर वहन की जा रही है।

- जिला कुल्लू में 33/220 के0वी0 तथा 2×31.5 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोजल जिला कुल्लू का निर्माण कार्य मार्च,2014 में पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के0वी0 तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां जिला चम्बा का कार्य मार्च, 2014 में पूरा कर दिया जाएगा।

ए0डी0बी0 ऋण के ट्रांच–।। में 110 मिलियन डालर अनुमोदित हुए हैं और फरवरी, 2014 में ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस ट्रांच में जिला किनौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मण्डी में 66 के0वी0 और इससे अधिक के उपकेन्द्रो और लाईनों के निर्माण के लिए निधि सम्मिलित है।

राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमऊर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्यं क्षमताः

i) राज्य क्षेत्रः

क. सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	आन्ध्रा	यमुना	16.95
2	गिरी	यमुना	60.00
3	गुम्मा	यमुना	3.00
4	रूक्ती	सतलुज	1.50
5	चावा	सतलुज	1.75
6	रौंगटोंग	सतलुज	2.00
7	नोगली	सतलुज	2.50
8	भावा	सतलुज	120.00
9	घानवी	सतलुज	22.50
10	विनवा	ब्यास	6.00
11	गज	ब्यास	10.50
12	वनेर	ब्यास	12.00
13	बस्सी(उहल–11)	ब्यास	66.00
14	लारजी	ब्यास	126.00
15	खौली	ब्यास	12.00
16	साल–।।	रावी	2.00
17	होली	रावी	3.00
18	भूरी सिंह पावर हाउस	रावी	0.45
19	किलाड	चिनाव	0.30
20	सिसू	चिनाव	0.10
21	थिरोट	चिनाव	4.50
22	भावा ओगमैंटेशन	सतलुज	4.50
23	हिमऊर्जा (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत)	–	2.37
	उप–योग--(i)		**479.92**

ii) केंद्रीय/ संयुक्त क्षेत्र/ हिमाचल प्रदेश शेयर

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	यमुना परियोजनाएं (हि0.प्र0 की भागेदारी)	यमुना	131.57
2	रंजीत सागर डैम (हि0 प्र0 की भागेदारी)	ब्यास	27.60
3	भाखड़ा	सतलुज	1,478.73
4	नाथपा झाखड़ी	सतलुज	1,500.00
5	वैरा स्यूल	रावी	198.00
6	चमेरा– I	रावी	540.00
7	चमेरा– II	रावी	300.00
8	उहल– I (शानन)	ब्यास	110.00
9	पौंग डैम	ब्यास	396.00
10	वी.एस.एल.	ब्यास	990.00
11	चमेरा– III	रावी	231.00
	उप–योग–(ii)		**5,902.90**

iii) निजी क्षेत्र :

क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं:

कम संख्या	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1.	बास्पा– II	सतलुज	300.00
2.	मलाना– I	ब्यास	86.00
3.	पतिकरी	ब्यास	16.00
4.	टॉस	ब्यास	10.00
5.	सरबरी– II	ब्यास	5.40
6.	एलायन दुहांगन	ब्यास	192.00
7.	करछम वांगटू	सतलुज	1,000.00
8.	अप्पर ज्वाईनर	रावी	12.00
9.	सुमेज	सतलुज	14.00
10.	ब्यासकुण्ड	ब्यास	9.00
11.	मलाना	ब्यास	100.00
12.	बुधील	रावी	70.00
13	नियोगल	ब्यास	15.00
	उप–योग–(क)		**1,829.40**

ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	220.25
	उप–योग–(ख)	220.25
	योग– III (क+ख) (1,829.40 +220.25)	2,049.65

कुल प्रचलनाधीन (दिसम्बर,2013 तक):

(i)+(ii)+(iii) = 479.92+5,902.90+2,049.65 = 8,432.47 मैगावाट

अ निजी क्षेत्र में निष्पादित परियोजनाएं:

1. वसपा–।। जल विद्युत परियोजना (300 मैगावाट)

वसपा–।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम ओ यू एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

2 मलाना –। जल विद्युत परियोजना (86 मैगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिंग तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशि के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियामक ने ₹332.71 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.07.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

3. पतिकारी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्वारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹126.00 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी 2008 को चालू हो गई है।

4. एलियन दुंहागन जल विद्युत परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि ₹922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28.08.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.डी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

5. सरवरी–।। जल विद्युत परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ 15.03.2001 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 28.2.2009 को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त,2010 को चालू हो गई है।

6. टौस जल विद्युत परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडैशन,

न्यू शिमला के साथ एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

7. करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना (1000 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 करछम हाईड्रो कारापोरेशन लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹6,930.00 करोड़ है। इस परियोजना का वार्षिक उत्पादन 4,560 एम.यू. है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 28.8.1993 एंव 18.11.1999 को हि0प्र0 सरकार एवं मै. जै. प्रकाश इंडस्ट्रीय प्रा0 लिमिटिड के बीच हस्ताक्षरित हुआ। त्रिपक्षीय समझौता हि0प्र0 सरकार मै.जै प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटिड और मै.जे.पी.कड़छम हाइड्रो कार्पोरेशन के बीच 30.12.2002 एवं एस. आई.ए. 20.12.2007 को हुआ। परियोजना पर 18.11.2005 को कार्य शुरू किया गया एवं अगस्त,2011 को पूरा हुआ। यह परियोजना अगस्त, 2011 को चालू हो गई है।

8. अप्पर ज्वाइनर जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 तेजस सारनिका हाईड्रो एनर्जीज़ प्रा0 लि0 को दी गई है।एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 12.01.2005 एंव 11.07.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना जुलाई, 2011 को चालू हो गई है।

9 सुमेज जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रंगाराजु वेयर हाउसिंग प्रा0 लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 11.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मार्च, 2012 को चालू हो गई है।

10 ब्यासकुण्ड जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा0 लि0 चण्डीगढ़ के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 23.03.2001 व 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना जून, 2012 को चालू हो गई है।

11 मलाना –II जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

मलाना –II जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹633.47 करोड़ है। इस परियोजना से 428 मैगा युनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना जुलाई, 2012 को चालू हो गई है।

12 बुधील जल विद्युत परियोजना (70 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 लैंको ग्रीन पावर प्रा0लि0 को प्रदान की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹418.80 करोड है। एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना अगस्त, 2012 को चालू हो गई है।

13. नियोगल जल विद्युत परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की ब्यास नदी की सहयोगी नदी है पर बनाई जानी है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹61.74 करोड़ होगी। इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम.ओ.यू. 28.8.1993 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्वारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकताएं पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। उर्जा खरीदने के लिए हि0प्र0रा0वि0प0लि0 के साथ कम्पनी ने 27.10.2006 को समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना मई 2013, में चालू हो गई हैं।

ब निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

(i) निजी क्षेत्र में:

1. फोजल जल विद्युत परियोजना (9मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पॉवर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹49.17 करोड़ है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 21.6.2000 एंव 13.04.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना वर्ष 2013—14 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

2. तागंनू रोमांई स्टेज—। जल विद्युत परियोजना (44 मैगावाट) तांगनू रोमांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमांई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹239.73 करोड़ है। इस परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. कम्पनी और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार और मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन लि0 के साथ कियान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014—15 में चालू हो जाएगी।

3. तागंनू रोमांई स्टेज —।। जल विद्युत परियोजना (6मैगावाट)

तांगनू रोमाई स्टैज—।। जल विद्युत परियोजना शिमला जिला हि0प्र0 में तागनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के बीच एम.ओ.यू. क्रियान्वयन समझौता क्रमशः 5.7.2002 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2013—14 में चालू हो जाएगी।

4. लम्बाडुग जल विद्युत परियोजना (25 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 को प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹149.81 करोड़ है। कार्यान्वयन समझौता 14.6.2002 एवं 28.1.2006 को मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी भू—अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी

की प्रकिया में है। यह परियोजना उत्पादन के लिए वर्ष 2014–15 में तैयार हो जाएगी।

5. बड़ागांव जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34, सैक्टर नोयडा (यू0पी0) को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹168.09 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

6. बनेर–।। जल विद्युत परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹30.36 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2013–14 में चालू हो जाएगी।

7. रौड़ा जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 डी.एल.आई. पावर इंडिया प्रा0 लि0 पूना को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹42.03 करोड़ है। एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 4.2.1996 एवं 24.3.2008 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 में चालू हो जाएगी।

8. सोरंग जल विद्युत परियोजना (150 मैगावाट)

यह परियोजनामै0 हिमाचल सोरंग पावर प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹586.00 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.1.2006 को हस्ताक्षरित किए गए। उत्पादकों द्वारा 50 मैगावाट क्षमता बढ़ाने के साथ सोरंग जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 150 मैगावाट तक प्रस्तावित है। परियोजना 100 मैगावाट तक वर्ष 2013–14 तक चालू हो जाएगी।

9. तिदोंग–। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0लि0 सिकन्दरावाद को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹500.11 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.9.2004 एंव 28.07.2006 को हस्ताक्षरित किए गए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

10. चांजु–। जल विद्युत परियोजना (36 मैगावट)

यह परियोजना मै0 इण्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट्स को दी गई है। 25 मैगावाट संस्थापितं क्षमता के लिए एम0 ओ0यू0 20–12–2007 को हस्ताक्षरित किया गया। 36 मैगावाट के लिए हि0प्र0रा0वि0 बो0लि0 ने टेक्नो इकोनोमिक कलीयरैंस के लिए डी0पी0आर0 प्रस्तुत की है जिसके कार्यान्वयन समझोता पर 12–06–2009 को हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

11 कूट जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

कुट जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कूट एनर्जी प्रा0 लि0, नोयडा, यू0 पी0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 28.04.2007 व 25.05.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत ₹196.50 करोड़ है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

12 लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना (13 मैगावाट)

लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 ट्राईडैंट पॉवर सिस्टम लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 05.02.2005 व 29.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

13 कूर्मी जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

कूर्मी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 19.06.2007 व 10.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के सभी मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

14 राला जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

राला जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 तरांडा हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 18.10.2006 व 07.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के सभी मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

15 अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 नांती हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

16 जोगिनी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

जोगिनी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 गंधारी हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 19.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

17 नांती जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो पॉलट्रीज़ प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 12.11.2005 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए।

परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

18 पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 श्री जयलक्ष्मी पॉवर कॉरपोरेषन लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 06.06.2002 व 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

19 रौरा–2 जल विद्युत परियोजना (20 मैगावाट)

रौरा–2 जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 27.10.2006 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 रौरा नॉन–कन्वैनशनल एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

20 ब्रुआ जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

ब्रुआ जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कॉन्टीनैन्टल कम्पोनैन्टस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 09.12.2000 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 ब्रुआ हाइड्रोवॉट प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 23.09.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

21 ज्यूरी जल विद्युत परियोजना (9.6 मैगावाट)

ज्यूरी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 टैकनोलॉजी हाअस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 23.02.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

22 बलारगा जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

बलारगा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 संध्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बलारगा प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 03.11.2006 व 07.11.2012 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

23 राजपुर जल विद्युत परियोजना (9.9 मैगावाट)

राजपुर जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 राजपुर हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 31.07.2001 व 16.05.2013 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

24 बजोली होली जल विद्युत परियोजना (180) मैगावाट

बजोली होली जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 जी0 एम0आर0 बजोली होली हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 15.02.2008 व 29.03.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

निर्माणाधीन परियोजनाएं:

i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड के अधीन –

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मै0वा0)	सम्भावित उत्पादन (मि0यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
उहल चरण–III	100.00	391.19	मार्च, 2015
घानवी चरण–II	10.00	56.30	मार्च, 2014
कुल	**110.00**	**447.49**	

1. उहल जल विद्युत परियोजना चरण– III (100मै0वा0)

नेरी और राणा खड्ड के अन्तर्ग्रहण के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2011 तथा सर्ज-साफ्ट के निर्माण कार्य जनवरी,2012 में पूरे कर लिये हैं। मुख्य सुरंग के अतिरिक्त परियोजना के दूसरे अन्य निर्माण कार्य जून,2014 में पूर्ण कर लेने का अनुमान है। परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले है जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू–संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुरंग की सविंदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त मुख्य सुरंग का शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 15.10.2010 को अवार्ड किया गया। मुख्य सुंरग की खुदाई का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा करने का अनुमान है। परियोजना की कुल लागत मार्च, 2008 के मुल्यों पर आधारित ₹940.84 करोड़ है। चुलाह से बस्सी, 132 के.वी. सिंगल सर्कट (15.288 कि0मी0) और चुलाह से हमीरपुर 132 के.वी. डवल सर्कट (34.307 कि0मी0) ट्रांसमिशन लाईन का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. घानवी जल विद्युत परियोजना चरण –2 (10 मै0वा0)

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह आधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित हैं। बदला गया पानी 1.8 मीटर ब्यास की डी आकार 1440 मीटर लम्बी सुरगं तथा पैन स्टाक पावर हाउस के नजदीक विभाजित हो कर भूमिगत पावर हाउस में दो टरवाईनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए लाया जाएगा। जिसमें 165 मीटर का कुल हैड और 7 क्यूमैक्स का डीसचार्ज होगा। वार्षिक विद्युत उत्पादन 75 प्रतिशत विश्सनीय वर्ष में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। सभी घटकों जैसे सिविल, हाईड्रोमकैनिकल इत्यादि कार्य पूर्ण कर लिए गए है। मशीनों का अन्तिम परीक्षण प्रगति पर है। इनटेक क्षेत्र विकास कार्य तथा विद्युत गृह के समापन कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत दिसम्बर, 2009 के मुल्यों पर आधारित ₹99.80 करोड़ है। परियोजना के सिविल

कार्यों पर नवम्बर, 2013 के अन्त तक ₹103.00 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना के 31.03.2014 तक चालू होने की सम्भावना है।

निर्माणाधीन परियोजनाएं:

ii) हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I,II,III)	195
3.सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
जोड़	**856**

हि0प्र0पा0का0लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/ निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

1. साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) रोहड़ू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। सनेल गांव के समीप पब्बर नदी के बाएं तरफ भूमिगत्त विद्युतगृह स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 213.50 मी0 कुल उंचाई से प्रति वर्ष 385.78 लाख यूनिट ₹4.44 प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा उत्पन्न करेगी। यह परियोजना दिसम्बर,2015 में पूर्ण हो जाएगी। सभी संवैधानिक कार्य विशेष एजैंसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके कार्य को चार पैकेज में बांटा गया है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका हैं। इस परियोजना के एच0आर0टी0 में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई है जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है और यह परियोजना वर्ष 2015 में पूर्ण हो जाएगी।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों जोकि सतलुंज नदी की उपनदियां हैं पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:–

- **चरण–I (65 मैगावाट)**: प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर पवारी गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख यूनिटस ₹2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना एच0पी0पी0सी0एल0 द्वारा जुलाई 2014 को चालू कर दी जाएगी।
- **चरण–II एवम् III (130 मैगावाट)**: प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख यूनिटस ₹1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण–IV (48 मैगावाट)**: यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिटस ₹3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।इस परियोजना के पूर्ण होने का समय दिसम्बर,2015 रखा गया है, जबकि एच0पी0पी0सी0एल0 के द्वारा इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि अगस्त,2015 की गई है।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मैगावाट)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1578.95 लाख यूनिटस ₹3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही हैं। इस परियोजना का सिविल और जल–यांत्रिक पैकेज अगस्त,2017 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):

रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर मीटर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 लाख यूनिटस ₹2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। मार्च, 2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत सी0डब्लू0 सी/सी0ई0ए0 द्वारा ₹3,498.86 करोड़ निर्धारित की है, जिसका भार भारत सरकार/दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें।

6. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :–

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन जल विद्युत विकास के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्त्रोत्र, राज्य के विकास और भारतीय राष्ट्र की बदली ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए अपनी विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखती है। हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 संयुक्त उपक्रम द्वारा रानीगंज, पश्चिम बंगाल में ऊष्मीय ऊर्जा सयंत्र स्थापित कर रहा है। आंबटित कोयला खदान हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधिश के समक्ष विचाराधीन है। जिला बिलासपुर के नयना देवी मन्दिर क्षेत्र में सौर ऊजा के लिए (बेरा–डल–5 मेगावाट) क्षेत्र का चयन किया गया है।

हिमऊर्जा

हिमऊर्जा के अधीन परियोजनाएं:

(5 मैगावाट क्षमता तक)

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	472	1218.46
कार्यान्वियन समझौते चरण पर	227	737.67
i) स्थापित	56	221.55
ii) निर्माणाधीन	51	182.60
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	120	333.52
पूर्व कार्यान्वियन समझौते चरण पर	245	480.79
i) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	143	307.42
ii) सर्वेक्षण व अन्वेषण चरण में	102	173.37

हिमऊर्जा द्वारा हि0प्र0 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के विकास:

हिमऊर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। उर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक उर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट तक) के तीव्र दोहन हेतू भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान उपलब्धियां दिसम्बर,2013 तक तथा मार्च,2014 तक प्रत्याशित तथा वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

क सौर उष्णता संबन्धी कार्यकम

i) सौर जल तापीय संयत्र: दिसम्बर,2013 तक 1,68,050 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र मार्किट मोड माध्यम से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं मार्च,2014 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,00,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2014–15 के लिए 2,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

ii) सौर कुक्कर: इस वितीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2013 तक 1658 वाक्स टाईप तथा 56 डिश टाईप सौर कुकर की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च,2014 तक 2,000 वाक्स टाईप तथा 90 डिश टाईप सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित है। वर्ष 2014–15 के लिए 2,000 वाक्स टाईप तथा 200 डिश टाईप सौर कुकर का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

ख सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यकम

i) सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियाः वित वर्ष 2013–14 के दौरान 16,012 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनीयां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर,2013 तक स्थापित की जा चुकी हैं, मार्च,2014 तक की प्रस्तावित उपलब्धि 27,800 होगी। भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए 20,000 सौर प्रकाशवॉल्टिय गली

रोशनियों की लक्ष्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रः** 31 मार्च,2014 तक 150 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत (90:10) के आधार पर प्रस्तावित है। वर्ष 2014–15 के लिए 5 मैगावाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन/जन–जातीय उपयोजना (90:10) के अन्तर्गत है।

ग निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

इस अवधि के दौरान 41 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 110.65 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 16 मैगावाट है, स्थापित की गई है। 4 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 6.55 मैगावाट हैं वर्ष के दौरान आंवटित की गई है। वर्ष 2014–15 के लिए 16 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 65.10 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

घ हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं

i) लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः हिमऊर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) तथा विलिंग (400 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2013 तक इन परियोजनाओं से 30,18,205 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को बहुत ही कम स्थिर मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 19 नई परियोजनाएं हिमउर्जा को सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। इनमें से 16 परियोजनाओं (63.05 मैगावाट) चलने लायक है जिनमें से 15 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ऊर्जा निदेशालय को तकनीकी आर्थिक प्रमाण पत्र के लिए भेजी गयी हैं। 14 परियोजनाओं हेतु तकनीकी आर्थिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। शेष 1 परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।अब प्रदेश सरकार द्वारा 1[illegible] परियोजनाओं का आंवटन रदद् कर दिया गया है व शेष 3 परियोजनाओं जिनकी क्षमता 14.50 मेगावाट है का निष्पादन हिमऊर्जा द्वारा किया जाना है।

ii) लघु जल विद्युत जनरेटर सेटसः हिमऊर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय लोगों / नजदीकी क्षेत्र को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत [illegible]

होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

(ड़) राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क

हिमउर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम अनुसार 2 राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जानी है जिनकी नवीनतम प्रगति निम्न प्रकार है:

- उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना का कार्य कुछ छोटे अंतिम परिष्करण के अतिरिक्त तकरीवन पूरा हो चुका है और आगामी रख–रखाव के लिए उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय को मार्च,2013 में हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- एन.आई.टी. हमीरपुर, हि0 प्र0 में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु विभिन्न सयंत्रों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य कम्पनी को दे दिया गया है और यह पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(च) सौर शहरों का विकास

शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान पारम्परिक ऊर्जा की मांग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाना है जो कि ऊर्जा गुणवता माप तथा अक्षय उर्जा की आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिमला को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु अन्तिम मास्टर प्लान भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा हमीरपुर सौर शहर वारे अन्तिम मास्टर प्लान के प्रारूप को परामर्शदाता द्वारा भारत सरकार के सुझावों अनुसार अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(छ) क्षेत्र विशेष प्रदर्शन परियोजना स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के 12 उपायुक्त कार्यालयों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इन 12 उपायुक्त कार्यालयों में एक 4 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट तथा 200 लीटर प्रतिदिन क्षमता का सौर जल तापीय संयत्र मार्च,2014 तक स्थापित कर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रैनसर में एक 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट किबर में 31–3–2014 तक स्थापित करना प्रस्तावित है।

(ज) बजट प्रावधान:

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ₹ 247.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर.एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवं संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सडकें आधारभूत ढांचे के लिए आवयश्क घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2013 तक 34,945 कि0मी0 वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक सड़कें भी सम्मिलित हैं, का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2013–14 के लिए इस हेतू ₹812.55 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2013–14 का लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2013 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

सारणी 14.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2013–14	उपलब्धियां दिसम्बर 2013 तक	2013–14 सम्भावित
1	2	3	4	5
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	589	360	550
जल निकास	कि0मी0	1474	722	1000
पक्की तथा विरालित सड़कें	कि0मी0	913	551	700
जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	40	5	25
पुल	संख्या	63	26	50
गांव जुड़े	संख्या	155	70	155

14.2 हिमाचल प्रदेश में 31–12–2013 तक 9,987 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी 14.2 में दिया जा रहा है:–

सारणी 14.2

सड़कों से जुडे गांव	31 मार्च को संख्या				दिसम्बर 2013 तक
	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	205	208	208	208	208
1000–1499 की जनसंख्या वाले	266	266	268	270	271
500–999 की जनसंख्या वाले	1208	1216	1231	1238	1243
250–499 की जनसंख्या वाले	3191	3240	3316	3374	3403
250 से कम की जनसंख्या वाले	4671	4700	4765	4827	4862
कुल	**9541**	**9630**	**9788**	**9917**	**9987**

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 1,553 कि0मी0 लम्बे राज्य उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज तथा बाई पास सम्मिलित हैं, के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर,2013 तक ₹65.61 करोड़ खर्च किये गये।

रेलवे

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यक्लाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदेश के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम के राजस्व में वर्ष 2013–14 में ₹58 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 2,020 बसों (अक्तूबर,2013 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एच.आर.टी.सी. द्वारा प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख किलोमीटर दूरी के साथ 2,151 रूटों पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजना:** निगम ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना शुरू की गई है। इन कार्डो की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

ii) **वाल्वो लग्जरी वातानुकुल बसे:–** इस वर्ष निगम द्वारा 12 वॉल्वो तथा 20 डीलक्स वातानुकुलित नई बसें अपने बेड़े में शामिल की गई है।

iii) **ग्रीन कार्ड योजना:** निगम द्वारा नवम्बर, 2013 से ग्रीन कार्ड स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के तहत ग्रीन कार्ड धारक को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है यदि कार्ड धारक 40 कि0मी0 से अधिक तथा 60 कि0मी0 से कम दूरी तक यात्रा करता है।

iv) **सरकारी स्कूलों के छात्रों तथा अन्य वर्गों के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा:** सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दिनांक 01.04.2013 से नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और साथ ही महिलाओं को **रक्षा बन्धन** तथा **भैया दूज** के अवसर पर निगम द्वारा नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा मुस्लिम महिलाओं को **ईद** तथा **बकरीद** के अवसर पर निगम की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और साथ ही निगम द्वारा 50 कि0 मी0 से कम दूरी वाले रूटों पर चलने वाली साधारण बसों में विशेष वर्ग से सम्बन्धित यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

v) **शिमला शहर में टैक्सी सेवाएं:** निगम द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वरिष्ठ नागरिकों, अपंगों, बच्चों,

रोगियों तथा अन्य लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टैक्सी सेवाएं चलाई जा रही हैं।

vi) **ऑन लाईन बुकिंग**:एच.आर.टी.सी. ने अपनी बसों की ऑनलाईन बुकिंग शुरू की है। यात्रा दिवस से कम से कम पाँच दिन पहले ऑनलाईन टिकट आरक्षित करने पर यात्रियों को किराए में 5 प्रतिशत छूट दी गई है। लोक मित्र केन्द्रों तथा डाकघरों को भी यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii) **बस अडडों का विस्तार एवं निर्माण**: हि0प्र0 बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण ने हमीरपुर, परवाणु, ऊना, मनाली, बद्दी, ढली, लक्कड़ बाजार शिमला, कुल्लू, नूरपुर, नालागढ़, चम्बा एवं मनीकरण जैसे मुख्य स्थानों पर बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गई है। इन स्थानों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप हेतु चरणबद्ध तरीके से विज्ञापित किया जाएगा। जहाँ पर पी.पी.पी. भागीदार उपलब्ध नहीं होंगे, उन बस अड्डों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

viii) **जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत बसों की खरीद तथा सम्बन्धित अधोसंरचना का विकास**: 13 क्लस्टरज़ की अधोसंरचना विकास तथा 1,123 बसें उपलब्ध करवाने हेतु ₹471 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके शहरी परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। शहरी परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 800 बसें खरीदने तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए ₹298 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए हैं।

i) **आई.आर.टी.एस. को लागू करना**: एच.आर.टी.सी. ने **आई.आर.टी.एस.** को लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बसों की गतिविधि व कार्यक्षमता मापने के लिए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाईस (वी.टी.एस.) लगाए जा रहे हैं। बस अड्डों पर यात्रियों को सूचित करने के लिए यात्री सूचना पैनल लगाए जाएंगे।

ii) यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा शुरू की दी गई है।

परिवहन विभाग

14.7 हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई व वाहन जल सेवाऐं नाम मात्र है। इसलिए राज्य अधिकतर सड़क सेवाओं पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का कार्य विभिन्न नियमों/अधिनियमों को क्रियान्वित करना है इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनुसरण आदि करना है। विभाग का मुख्य कार्य गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र, प्रदूषण को सख्ती से चैक करना इत्यादि केंन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम व उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को लागू करना है। परिवहन विभाग प्रदेश में परिवहन प्रणाली को लागू करने, पारदर्शिता के प्रति समर्पण और लोकहित नियंत्रण को उसके तहत प्रशासनिक मशीनरी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना करता है। राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण माल वाहन परमिट, स्टेज कैरिज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और प्राईवे

सर्विस व्हीकल के परमिट जारी करता है। तदोपरान्त विभागीय अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान अनुसार परमिट को जारी, नवीकरण करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र जारी करना, चालक लाईसैन्स, ड्राईविंग ट्रेनिग स्कूल का पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र प्रमाण पत्र जारी करने आदि कार्य का निपटान करते है।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न कर/शुल्क एकत्रित किए जा रहे हैं जैसे टोकन टैक्स, विशेष पथ कर कपोजिट शुल्क पथ प्रमाण–पत्र शुल्क, विशेष पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण/ नियंत्रण शुल्क तथा लाईसेंस शुल्क द्वारा चालू वितीय वर्ष के दौरान ₹8,600.00 लाख विभाग को उपलब्ध करवाया गया जिसमें से ₹ 6,546.18 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को जन–जातीय क्षेत्र में बस अडडे के निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2013 तक स्कीम को पूंजीगत व्यय के रुप में जारी किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के लिये विभाग के लिये राजस्व प्राप्ति ₹ 24,688.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के तहत दिनांक 30.11.2013 तक ₹13,734.47 लाख की राशि एकत्रित की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान दिनांक 31.12.2013 तक कुल 32,951 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹572.18 लाख की राशि वसूल की गई।

i) **हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोज़गार योजना:**– विभाग द्वारा एक नई योजना संचालित की गई है जिसे हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंर्तगत नई निर्मित सड़के मुख्यतः प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री पथ योजना पर 22 सीटों तक वाहनों के नए रूट परमिट दिए जा रहे है। बेरोज़गार युवाओं/ चालकों तथा परिचालकों की सहकारी सभा को नए रुट परमिट दिये जाऐंगे। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाऐं प्रदान करने हेतु शत्–प्रतिशत ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है तथा शहरों से जुड़ने वाली सड़को में 20 प्रतिशत तक के राष्ट्रीय/राज्य मार्गो पर भी स्वीकृत किया जा सकता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वार इस योजना के तहत जारी किये गए।

ii) **सड़क दुर्घनाओं को रोकने बारे मुख्य प्रयास:** परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए विभिन्न पग उठाए जा रहे हैं जिसमें कि वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध, हल्के परिवहन वाहनों के ड्राईविंग लाईसैन्स के प्रशिक्षण की अवधि 30 से 60 दिन किये जाना, बसों के बढ़िया व सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने हेतु स्टेज कैरिज परमिट पर अतिरिक्त शर्त लगाना, दुर्घटनाओं के विश्लेषण और कारणों के गहन अध्ययन के लिये एक योजना बनाना, ड्राईविंग स्कूलों का नियमित निरीक्षण, तीखे मोड़ व खतरनाक जगहों का निदान करना तथा बसों के असुरक्षित चालन पर परमिट को रदद करने का प्रावधान इत्यादि है।

iii) **उत्तराखण्ड राज्य से अनुबंध:** दोनों राज्यों के परिवहन साधनों को सुचारू तौर से चलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुबंध किया गया।

iv) **धर्मकांटा की स्थापना:** सामान ढोने वाले वाहनों के अधिक भार को नापने के लिए 8 धर्मकांटे, प्रवेश

पुलों/अर्न्तराज्य सीमाओं पर लगाए गए।

v) **विभाग को कम्पयूट्रीकृत करना:** परिवहन विभाग वाहन मालिकों की बेहतर सुविधा के लिये परिवहन संबधी कार्यप्रणाली का मुख्य प्राथमिकता के आधार पर कम्पयूट्रीकरण करने जा रहा है। समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय तथा परिवहन बैरियरों औरं पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण को कम्पयूट्रीकृत किया जा चुका है। इन कार्यालयों और पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरणों के कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से ऑनलाईन किया जाऐगा।

vi) **उच्च सुरक्षा पंजीयन पटिट्का:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हि.प्र. राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों की संख्या पट्टिका को उच्च स्तरीय सुरक्षित पंजीकृत पट्टिकाओं में बदलने का निर्णय लिया गया है

vii) **ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल/प्रदूषण नियंत्रण केंद्र:**वर्तमान में सरकारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी क्षेत्र में 160 ड्राईविंग प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं तथा 3 हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं 68 निजी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र भी राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन राज्य की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एस.जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश, भौगोलिक, सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, मेहमानवाज लोग, पवित्र धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोगों से परिपूर्ण है।

15.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समूचित संरचना का विकास किया है जिसमें जन उपयोगी सेवाऐं जैसे सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्ष 2013–14 में पर्यटन विकास के लिए ₹ 2,838.71 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में 61,497 बिस्तरों की क्षमता के 2,769 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के अन्तर्गत 1,350 कमरों वाली लगभग 500 इकाईयां पंजीकृत है।

15.3 राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वितीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें प्रथम चरण की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार, द्वितीय चरण की परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। हमारा उद्देश्य बड़ी परियोजनाओं से गुणवता युक्त सुविधाएं पर्यटकों के लिए सृजित करना है। वित वर्ष 2013–14 के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित सर्किट/गंतव्य को Prioritize किया है:–

1. हिमाचल प्रदेश में बुद्विस्ट सर्किट का एकीकृत विकास।
2. ऊना–नादौन पर्यटक गंतव्य का एकीकृत विकास।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आगामी वित वर्ष के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को Prioritize किया है:–

1. शिमला Suburbs पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास।
2. राज्य में Tourist Transit Zone को एकीकृत विकास।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्र स्तरीय परामर्शदाताओं (Consultants) द्वारा चिन्हित की गई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एस.एल. पी.एम.ए.) को भी अनुमोदित किया है। अभी तक परामर्शदाता द्वारा नौ डीपीआर प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से छह (6) डी.पी.आर. वितीय सहायता के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को भेजी गई हैं।

क0 सं0	विवरण	परियोजना लागत (₹ में)
1	शिमला में चिन्हित स्थानों पर वर्षा शालिकाओं के भू–दृश्य हेतु।	18,71,517
2	कसौली में बस स्टैंड से मन्दिर को जोड़ने के लिए वर्षा शालिका।	5,07,207
3	परिदृश्य स्थान नालदेहरा, शिमला के रास्ते के उत्थान हेतु ।	24,25,414
4	कसौली केन्ट बाजार में जन सुविधा निर्माण हेतु।	11,56,333
5	शिमला में जन सुविधा उन्नयन कार्य हेतु	21,70,537
6	शिमला में चिन्हित स्थानों पर सूचना एवम संकेतात्मक निर्देशन पट्ट के लिए।	28,20,809
7	सोलन में मोहन पार्क, जवाहर पार्क और बाल उद्यान के सौंदर्यकरण एवम परिदृशयकरण हेतु।(प्रस्तुत की जाएगी)	2,22,53,504
8	जिला सोलन के बड़ोग में नेचर टरेल के विकास एवम उन्नयन के लिए (प्रस्तुत की जाएगी) ।	2,55,30,919
9	जिला सोलन के नेचर टरेल करोल का टिबा के विकास एवम उन्नयन के लिए(प्रस्तुत की जाएगी)	5,84,28,198

15.4 विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर निम्नलिखित 7 रज्जू मार्ग निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इन्हें बनाएं, चलाएं तथा स्थानान्तरित करने के आधार पर लगाने का प्रस्ताव है।

1. भून्तर से बिजली महादेव, जिला कुल्लू।
2. जिला शिमला में जाखू रज्जू मार्ग।
3. न्यूगल (पालमपुर), जिला कांगड़ा।
4. शाहतलाई से दियोटसिद्व, जिला बिलासपुर।
5. खनयारा से टरयूंड, जिला कांगड़ा।
6. टोबा से नयनादेवी जी जिला बिलासपुर।
7. गांव जिया से आदि हिमानी चामुण्डा।

इसके अतिरिक्त 6 (छह) स्थानों पर सार्वजनिक, निजी भागीदारी (पीपीपी) में लीज के आधार पर पर्यटन से संबंधित गतिविधियां स्थापित करने के लिए EOI आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है। विभाग ने लीज का प्रारूप तैयार कर हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड (HPIDB) को अनुमोदन के लिए भेजा है।

क.सं.	स्थल का नाम
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	15 मील बड़ागांव,(मनाली) जिला कुल्लू
3.	झंटीगरी, जिला मण्डी
4.	शोजा बन्जार, जिला कुल्लू
5.	बिलासपुर, जिला बिलासपुर
6.	सुकैती, जिला सिरमौर

पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आर्कषित करने के लिए वर्ष भर प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मिडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

15.5 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की है, जिसमें ब्राशर, पैम्फलेट, पोस्टर, ब्लोअप इत्यादि शामिल हैं।पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभाग देश व विदेश में विभिन्न पर्यटन मेलों/उत्सवों इत्यादि में भाग लेता है। पर्यटन निगम तथा निजी उद्यमियों के साथ देश में 30 से ज्यादा पर्यटन उत्सवों/मेलों में भाग लिया है।

15.6 इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग ने प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर विज्ञापन जारी किए हैं। पर्यटन क्षेत्र में योजना गत व चिरस्थायी पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 20 वर्षीय दीर्घकालीन पर्यटन मास्टर प्लान तथा पर्यटन नीति 2013 और धर्मशाला Sustainable Tourism Action Plan भी तैयार किया है।

15.7 विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को ट्रैकिंग गाईड, जल–कीडा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर राफ्टिंग व वर्ड बॉचिग इत्यादि में प्रशिक्षण दे रहा है। विभाग, पर्यटन से संबधित विभिन्न प्रकार के कीड़ा/उत्सवों को प्रोत्साहन देता है विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न निम्न उत्सवों/ क्रीड़ाओं में भाग लिया।

1. विश्व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर,2013)
2. हिमालय उत्सव 2013 का आयोजन।
3. भारत भ्रमण उत्सव जयपुर, लखनऊ व गोवा में भाग लेना। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण प्रर्दशनी, इन्दौर, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण पुणे और पर्यटन उत्सव सिलीगुड़ी।

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अड्डे है जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से है:

क) शिमला हवाई अड्डा: शिमला हवाई अड्डे के रनवे का आकार 4,100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। रनवे छोटा होने के कारण केवल ए.टी. आर. स्तर के विमान के लिए ही सेवा उपलब्ध है। इस हवाई अड्डे के भू–कटाव को रोकने व इसकी चौड़ाई को लेकर कदम उठाए जा रहें हैं। इसके लिए ए.ए.आई., राइट्स से परामर्शदाता के रूप में सेवाएं ली जा रही है।

ख) कुल्लू हवाई पट्टी: वर्तमान में कुल्लू–मनाली हवाई अड्डा की लम्बाई 1,128 मीटर एवम चौड़ाई 30.5 मीटर है यह हवाई पट्टी केवल 16–18 सीटर विमान की लैंडिग के लिए उपयुक्त हैं। बड़े विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी की लंबाई को 1,000 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई कम से कम 200 मीटर की आवश्यकता है।

ग) कांगड़ा हवाई पट्टी:इस हवाई पट्टी के रनवे का आकार 3,900 X 100 फुट था जिसे 4,500 X100 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72 टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने शुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा रनवे को 418 X 250

मीटर तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

घ) विभाग द्वारा कण्डाघाट में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का मामला भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भेजा है जिनके द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है।

हैलीपैड

15.9 हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में 63 हैलीपैड है इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के चूड़धार के समीप कालाबाग तथा शिमला के संजौली–ढली वाईपास के पास में हैलीपैड बनाने का भी प्रस्ताव है।

हैली–टैक्सी सेवाएं :

15.10 राज्य सरकार ने हैली टैक्सी सेवा की शुरूआत की है तथा मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा जिला के मणिमहेश क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है। सरकार की नीतियों का कियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,886 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,739 कियाशील हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में 2,357 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,349 कियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों जोकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती है तथा अनुसूचित जाति छात्रों को अनुसूचित जाति की उपयोजना के अंतर्गत मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है।

जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा एक से चार तक अंग्रेजी सहित सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकें लागू की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 सितम्बर,2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,077 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित पाठशालाओं में वर्ष 2008–09 से छठी कक्षा से पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है।

ऊपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2013–14 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को कमशः ₹400 व ₹800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 742 छात्र लाभान्वित हुए और ₹4.40 लाख खर्च किए गए।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को ₹150 प्रति छात्र/छात्रा कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र ₹250 एवं ₹ 500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 77,831 छात्र लाभान्वित हुए और ₹257.69 लाख खर्च किए गए।

iii) अनुसूचित जाति परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ₹150 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iv) सैनिकों के बच्चों को ₹150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी (पहली से पांचवीं) प्रतिवर्ष दी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघु योजनाएं सर्वेक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए**

  हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या दर 99 प्रतिशत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर

है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र (NRBCCs) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह देखा गया है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0 सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित करके और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री के बाद इन्हे इनकी आयु अनुरूप कक्षा में विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 2,414 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो जिसमे 105 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.बी.सी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

- **समावेशित शिक्षा**

  हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, कुल 18,211 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 15,700 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 2,511 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु तथा अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 530 बच्चों को विभिन्न जिलों में 24 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापको द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **कुशल शिक्षकों द्वारा शैक्षिक समर्थन**

  समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग है। लगभग 1,332 सेवारत अध्यापकों को इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विद्यालय (भोपाल) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं अति गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम के दौरान सहारा लिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षित अध्यापक

प्रत्येक माह में लगभग 5 दिन इन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान कर रहें है जिसमें की प्रत्येक शनिवार शामिल है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसेः (1) स्वंय सहायक कौशलः शौच, भोजन, स्नान आदि (2) मोटर कियाएंः इस के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक व्यवसायिक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर पढ़ने वाले मंदबुद्वि बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की सहायता ली जा रही है।

- **चिकित्सीय सेवायें**
  मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। चूंकि भौतिक चिकित्सको की कमी के कारण प्रथम चरण में यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।

- **IEP/ITP तैयार करना**
  प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले व दूसरे चरण में कियात्मक शिक्षा लागू की गई। अब इस तरह के बच्चे को मुक्त स्कूलों के माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।

- **व्यवसायिक प्रशिक्षण**
  चार वर्षों के प्रयासों के उपरान्त कुछ अच्छे स्तर वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कई जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू किये गये जैसेः मोमबत्ती, चॉर्ट, पेपर बैग फाइल कवर, लिफाफे बनाना इत्यादि।

- **अभिभावकों के लिए परामर्श**
  अभिभावकों एवं पारिवारिक सदस्यों की परामर्श किया पुनर्वास प्रकिया का महतवपूर्ण पहलू है। विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रकिया पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया गया हैं व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक जन गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।

- **सामुदायिक भागीदारी**
  प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भी भरपूर समर्थन मिला है।

- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यकम**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यकम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षत रिसोर्स अध्यापक इस कार्यकम में

रीसोर्स पर्सन की भूमिका अदा करते हुए सामान्य अध्यापकों को कक्षा की वास्तव स्थितियों से अवगत कराते हैं।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र**
  जिला शिमला, मंडी और कांगड़ा में तीन देखभाल केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे कुशल अध्यापकों की मदद से शिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- **चिकित्सीय मूल्यांकन**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान हेतु चिकित्सीय शिविर आयोजित किये जा रहे है। इन चिकित्सीय शिविरों द्वारा प्रत्येक बच्चे को आवश्यकतानुसार सहायता उपकरण जैसे व्हील चेयर, चश्मे, सी.पी.चेयर इत्यादि प्रदान की गई। उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शल्य चिकित्सा की गई जिन्हें सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में लाना है तथा अपंगता का स्तर प्रमाणित करने के कार्य में तेजी लाने और अधिक कैम्प आयोजित करने के लिए उच्च स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा इसके लिए योजना बनाने में भी सहयोग लिया जा रहा है।
- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ता**
  चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक सहित यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।
- **अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें**
  शिमला के विशेष आश्यकता वाले बच्चों के स्कूल ढली में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे व बड़े अक्षर वाली पाठ्य पुस्तकें दी गई और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई।
- **बाधा रहित पहुंच**
  हिमाचल प्रदेश के कुल 2,875 विद्यालयों में जहां भवन में जगह उपलब्ध है, बाधा रहित पहुंच प्रदान की गई हैं।
- **आई.ई. किया कलापों का अनुश्रवण**
  रिसार्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक अनुश्रवण प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगीं।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी कुशल शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों

द्वारा संकलित रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत कम है या न के बराबर है। राज्य सरकार स्कूल छोड़ने की प्रवृति कम करने में सफल रही है। डी.आई.एस.ई. डाटा के अनुसार एलिमैंटरी स्तर पर यह दर बहुत ही कम है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं का सर्वेक्षण करवाने पर पाया कि वर्ष 2001–02 में 98 प्रतिशत बच्चे ग्रेड–1 नामांकित थे और प्राथमिक स्नातक घोषित हुए तथा 2 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ड्राप आउट रेट चैक करने में काफी हद तक सफल रही है। परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान ने **"प्रथम"** के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहा है।

बालिका शिक्षा

16.8 प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश के चार जिलों शिमला, मण्डी, सिरमौर तथा चम्बा जिला के 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) चल रहा है। (चम्बा के मेहला, पांगी, तीसा, भरमौर व सलूणी, जिला मण्डी के सराज, जिला शिमला के चौहारा व जिला सिरमौर के शिलाई ब्लॉक) में जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे है मॉडल कलस्टर स्कूलों में एक अतिरिक्त कमरा, लड़कियों के लिए शौचालय बालिका–शिक्षा अनुकूल शिक्षण साम्रगी पुस्तकालय व खेल गतिविधियां आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। होस्टल वार्डनों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जाती है।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.10 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन जांच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाली कमियों को समय–समय पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूर की जाती है। आज रटना, व लिखित परीक्षा के बजाए उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। यह मूल्याकंन प्रणाली बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रख रही है। बच्चों के अधिगम संवर्धन हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'आधार' व 'संवृद्धि' चलाए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सीखने की गति को Child Tracking प्रणाली द्वारा ग्रेड दर्ज किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रूप से विकसित सॉफटवेयर में छात्रों की

उपलब्धियां, शैक्षिक प्रगति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस अभिलेख में छात्र का कक्षावार, स्कूल, संकूल, खण्ड व जिलावार प्रगति का त्रैमासिक संकलन किया जाता हैं। इस सॉफटवेयर में प्रत्येक बच्चें की संचयी उपलब्धि को स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चें को अलग पहचान संख्या दी जाएगी ताकि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल (राज्य के अंतर्गत ही) आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा।

विद्यालयों का मुल्याकंन

16.11 निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्धेश्य के दृष्टिगत राज्य मिशन प्राधिकरण, सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में अनुश्रवण को आवश्यक रूप से शामिल किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य अनुश्रवण समिति बनाई गई है जिसमें पांच सदस्य मुख्यालय, एक सदस्य डाईट तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के अधिकारी शामिल है। अनुश्रवण समिति स्कूल के विकास तथा अन्य संबन्धित जानकारियां अनुश्रवण प्रपत्र पर भरती है तथा उन पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की जाती है। अब तक 67 खण्डों के 700 से अधिक विद्यालयों व सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा चुकी हैं।

क्षमता निर्माण

16.12 SIEMAT द्वारा राज्य के खण्ड स्त्रोत समन्वयकों (BRCs) की SSA, RTE व EFA सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तिमाही बैठक/कार्यशाला शुरू की गई है। सभी BRCs को नियमित रूप से विभिन्न खण्ड व स्कूल स्तर पर गतिविधियों व कार्यक्रमों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

16.13

- **पाठ्य कम/पाठ्य पुस्तक नवीकरण**

  कक्षा पहली से पांचवी तक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का NCF 2005 के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है।

- **अध्यापक प्रशिक्षण**

  अध्यापकों का सशक्तिकरण करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। प्रतिवर्ष प्रारम्भिक अध्यापकों को "आधार" कार्यक्रम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **शिक्षण अधिगम सामग्री/बाल मेला**

  यह आयोजन अध्यापक और बच्चों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। इसमें अध्यापकों और बच्चों को एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए मौका मिलता है।

- **कार्यात्मक (Functional) पुस्तकालय**

  राष्ट्रीय पाठयचर्या प्रारूप – 2005 इस बात पर जोर देता है कि

बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करें। पुस्तकालय को कियाशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही है :–

i) पुस्तकालय का प्रयोग प्रशिक्षण मॉडयूल का एक अभिन्न अंग है।

ii) रूम टू रीड के सहयोग से 200 स्कूलों व 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे पुस्तकालय स्थापित करना।

iii) बच्चों और अध्यापकों से प्राप्त रचनाओं के आधार पर अक्कड़–बक्कड़ पत्रिका का प्रकाशन।

- गुणवता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर 'आधार' कार्यक्रम प्राथमिक स्तर और सम्वृद्वि कार्यक्रम उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए चलाए जा रहे हैं । अनुपूरक सामग्री तैयार की गई तथा प्रदेश के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध करवाई गई हैं ।

- अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर तैयार किया गया।

- कम्पयूटर सहायक अधिगम (CAL) कार्यक्रम प्रदेश में 1,077 स्कूलों में 6–8 कक्षा के बच्चों के लिए शुरू की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण मे एवरान का सहयोग लिया जा रहा है। 282 पाठशालाओं में यह कार्य एवरान एजुकेशन लिमिटिड को सौंपा गया है तथा शेष 795 पाठशालाओं मे उपलब्ध अध्यापकों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- गिरिराज साप्ताहिक के माध्यम से प्रचार–प्रसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एवं उपलब्धियां हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'गिरिराज साप्ताहिक' के अन्तिम बुधवार को प्रतिमाह प्रकाशित की जा रही हैं। साप्ताहिक के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों एवं उपलब्धियों को समस्त जन समुदाय/ अध्यापकों/ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।

- राज्य स्तर पर SCERT, DIETs, SMCs मुख्य अध्यापकों, प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापकों के सहयोग से प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए 'गुणवत्ता योजना' (Quality Plan) तैयार की गई है। इस योजना को दोबारा उप–निदेशक (एस0 एस0ए0) जिला परियोजना अधिकारी (एस0एस0ए0), BPEOs (खण्ड प्राथमिक अधिकारी) खण्ड स्त्रोत समन्वयक, प्राथमिक और

उच्च प्राथमिक, SMCs/स्त्रोत समूह के सदस्यों व शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। सभी स्कूलों में पदाधिकारियों को 'राज्य गुणवत्ता' योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों को स्कूली शिक्षा में लागू करने के निर्देश दिए गए है।

- शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूल प्रणाली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पुर्नउत्थान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश "बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009"के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा का अधिकार नियम (RTE Rules) की 01–04–2010 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

खेल–कूद किया–कलाप

16.14 वर्ष 2013–14 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद किया कलाप के लिए ₹105.00 लाख का प्रावधान किया है। इससे बच्चों का केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खेल आयोजन का खर्चा वहन किया जाता है।

योग शिक्षा

16.15 योग शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और हिमांचल के युद्व बीरों के लिए विभाग द्वारा कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए एक विशेष पुस्तक बनाई है।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

16.16 वर्ष 2013–14 के लिए सरकार ने ₹500.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसके साथ–साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं में कमरों की मांग भी पूरी की जा सके । इसके अतिरिक्त ₹455.00 लाख का प्रावधान भवनों की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किया गया है।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

16.17 राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला व्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। दिसम्बर,2013 तक 827 उच्च पाठशालाएं, 1,370 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 72 महाविद्यालय हैं जिसमें एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. तथा 05 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, राज्य में कार्यरत हैं।

छात्रवृति योजनाएं

16.18 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागु की गई है जिसके अंतगर्त सभी वर्ग के विद्यार्थियों जिनका चयन और प्रवेश,आई.आई.टी.,ए.आई.आई.एम.एस.

तथा आई.आई.एम. से किसी भी स्नातकोतर डिप्लोमों के लिए हुआ हो, को ₹75,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

(ii) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए ₹10,000 की राशि (वार्षिक) प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012–13 में इस योजना से 3,585 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को (10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर) मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए ₹11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–13 में 341 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iv) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक स्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक ₹ 9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं जोकि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। वर्ष 2012–13 में 45 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

(v) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को (मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम के आधार पर) जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए योग्यता के आधार पर ₹10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012–13 में 1,804 अनुसूचित जाति और 1,856 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(vi) **प्रोत्साहन छात्रवृति योजनाः** इस योजना में कक्षा 9 से 12वीं तक सभी विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल के लिए 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं को ₹200 तथा 8 किलोमीटर से अधिक को ₹300 प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अंतर्गत 1,961 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। अब यह योजना 2013–14 में बदल दी गई है और इसके स्थान पर बच्चों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा दी गई है।

(vii) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ₹ 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ₹300 प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(viii) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ₹ 10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना

किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2012–13 में 126 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैं:–

1. **आई.आर.डी.पी.छात्रवृति योजना:**

इस योजना के अतर्गत ₹300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ₹ 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ₹ 1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ₹ 2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2012–13 में 93,207 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः**

इस योजना के अतर्गत ₹300 (छात्र) तथा ₹ 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ₹ 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ₹ 2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अपंग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**

इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम हो एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो, वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2012–13 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–20,163, अनुसूचित जन–जाति –3,606 अन्य पिछड़ा वर्ग–5,154 है।

4. **सैनिक स्कूल छात्रवृति योजना:**

यह छात्रवृति उन विद्यार्थियों को देय है जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे हों तथा हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो। वर्ष 2012–13 में कुल 520 विद्यार्थी लाभान्वित किए गये।

5. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:**

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹ 44,500 से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगी।

6. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान:**

इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति

की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आंठवीं की परीक्षा उतीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें ₹ 3,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह राशि (शमय अवधि जमा) के रूप में दी जाती है। वर्ष 2012–13 में 5,991 लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.19 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न हैं:–

(क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.20 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, फेयरलॉन, शिमला/ एन.यू.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी. आर.टी/ एन.सी.ई.आर.टी./ आर.आई.ई. अजमेर तथा चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं। वर्ष 2013–14 में 1,769 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

16.21 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

16.22 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत ₹8.75 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,24,784 नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

16.23 विद्यार्थियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा 100 पाठशालाओं में 5 विषयों में व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 198 वोकेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया गया तथा 9,055 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसमें से 4,699 सामान्य वर्ग, 2,520 अनुसूचित जाति, 616 अनुसूचित जन–जाति तथा 1,220 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में तीन नए पाठ्यक्रम कृषि, अतिथि एवं पर्यटन तथा इलैक्ट्रोनिक्स एवं हार्डवेयर को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एन.वी.ई.क्यू.एफ. के

अतंर्गत आरम्भ करना विभाग की ओर से प्रस्तावित है।

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

16.24 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

16.25 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

16.26 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वंय आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹ 110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। लगभग 96,000 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

16.27 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में हि0प्र0. स्कूल शिक्षा सोसाईटी के माध्यम से माध्यमिक स्तर यानि 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं को प्रभावी बनाने हेतु आरम्भ किया गया है। पी.ए.बी. द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए इस परियोजना के लिए ₹2,341.18 लाख की राशि की मंजूरी दे दी है जिसमें से ₹ 851.80 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा तथा ₹283.93 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त कर ली गई है और इसका उपयोग सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण, छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण के लिए किया जा रहा है।

आदर्श विद्यालय

16.28 माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्वेश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए शिक्षा खण्डों के अंतर्गत जहां ग्रामीण महिला शिक्षा दर 46.13 प्रतिशत से कम है और लिंग अंतर 21.59 प्रतिशत से अधिक है और कुल नामांकन दर बहुत कम है का चयन किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में चम्बा जिले के पांगी, तीसा, सलूनी एवं मैहला खण्ड तथा सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड को चुना है। यह विद्यालय 2010–11 से कार्यरत है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में पांच आदर्श पाठशालाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग के रूप में ₹ 6.78 करोड़, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी –कम–सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ओथोरिटी को प्रथम किस्त के रूप में जारी कर दिए है तथा ₹ 0.75 करोड़ (10 प्रतिशत राज्य भाग के रूप में) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला चम्बा तथा सिरमौर में दिए गए हैं।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.29 केन्द्रीय प्रायोजित यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों की माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने एवं छात्रावास सुविधा को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं लाभान्वित होगी। यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगी। केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत भाग जो कि ₹95.63 लाख की पहली किश्त के स्वरूप में जारी कर दी है तथा राज्य सरकार की 10 प्रतिशत, ₹ 9.56 लाख की पहली किस्त भी प्रस्तावित है। जिला सिरमौर व चम्बा के पक्ष में शिलाई और साच के लिए क्रमशः ₹19.12 लाख और ₹ 6.37 लाख राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रोद्योगिकी

16.30 यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 की सांझेदारी में राज्य के 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के अंतर्गत इस योजना के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 753.60 लाख तथा ₹ 83.74 लाख राज्य अंश के रूप में खर्च किए गए। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक आई.टी. प्रयोगशाला जिसमें 9 कम्पयूटर तथा 2 स्मार्ट रूम जिसमें एक एल.सी.डी.टी.वी. और एक में एकीकृत प्रोजेक्टर स्थापित किए गए हैं। द्वितीय फेज में प्रदेश के 618 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 848 उच्च पाठशालाओं तथा 5 स्मार्ट स्कूलों में यह योजना आगामी सत्र से आरम्भ कर दी जाएगी।

तकनीकी शिक्षा

16.31 वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी तथा जुलाई 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अर्न्तगत् लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश में इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकीय / प्रोद्यौगिकीय संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 17 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 15 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 18 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 82 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ऊना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 129 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय, रोहड़ू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 14 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं

प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. विभिन्न पाठयक्रमों द्वारा 25 इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार है:–

1.	डिग्री स्तर	–	7,980
2.	बी फार्मेसी	–	1,000
3.	डिप्लोमा स्तर	–	10,858
4.	आई.टी.आई. / आई.टी.सी.	–	33,506
	कुल	–	**53,344**

16.32 इसके अतिरिक्त 05 बहुतकनीकी संस्थान क्रमशः एक–एक बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर तथा लाहौल एवं स्पिति में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में शुरू किए जा चुके हैं। जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस महाविद्यालय में भौतिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने हेतु ₹12.30 करोड़ मंजूर किए गए हैं। भारत सरकार/ विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि में से ₹4.50 करोड़ की धनराशि तथा ₹95.00 लाख राज्य भाग की धनराशि, 90:10 पैटर्न पर जारी कर दी गई है। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक संस्थान की दर से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

16.33 कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्किल डबल्पमैन्ट इन्सीएटिव स्कीम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगार जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 104 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (65 सरकारी क्षेत्र और 39 निजी क्षेत्र) पंजीकृत हैं, कुल स्वीकृत राशि ₹825.83 लाख में से ₹627.87 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 23,688 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और 4,360 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

16.34 विभाग में 11 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन, नाहन, शिमला तथा रिकांगपीओ तथा आई.टी.आई. (महिला) मण्डी, आई.टी.आई. (महिला) शिमला तथा आईटीआई रोंगटोंग (काजा) को श्रेष्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में स्तरोन्नत किए हैं तथा कुल ₹2,526.00 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

16.35 औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ₹ 82.50 करोड़ की धनराशि संबंधित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है।

17. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारत्मक, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 55 चिकित्सालयों, 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 476 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 11 ई.एस.आई. औषधालयों तथा 2,065 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान कर. रहा है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** वर्ष 2013–14 के दौरान (नवम्बर,2013तक) इस कार्य के अंतर्गत 4,27,667 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 136 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, 30.11.2013 में घटकर 0.21 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2013–14 के दौरान नवम्बर,2013 तक 103 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 152 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक, 50 क्षयरोग युनिट और 180 माईक्रोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 310 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 में 30.9.2013 तक 10,935 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 60,685 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम:**– वर्ष 2013–14 में

निर्धारित लक्ष्य 23,100 के अन्तर्गत नवम्बर,2013 तक 17,781 मोतिया बिन्द आप्रेशन किये गये जिनमें 17,541 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए गये। वर्ष 2013–14 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत नवम्बर,2013 तक 2,20,299 विद्यार्थियों की जांच की गई।

v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः–** यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान नवम्बर,2013 तक क्रमशः 5,077 बन्धयाकरण, 13,425 लूप निवेश, ओ.पी. प्रयोगकर्ता 21,518 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 85,574 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः–** हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर. सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई हैः–

सारणी संख्या 17.1

क. सं.	मद	2013–14	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (नवम्बर 2013 तक)
1	डी0 पी0 टी0	114000	71614
2	पोलियो	114000	71678
3	बी0 सी0 जी0	114000	79087
4.	हैपाटाइटस–बी	114000	71559
5	मीजल	114000	75240
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	114000	69222
7	पोलियो (बुस्टर)	117000	68930
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	117000	68900
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	–	74612
10	डी0पी0टी0(5–6 वर्ष)	116000	76852
11	टी0 टी0 (10 वर्ष)	116000	93152
12	टी0 टी0 (16 वर्ष)	129000	111639
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	131000	72773
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	131000	62443

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान इस अभियान का प्रथम चरण 19.01.2014 तथा दूसरा चरण 23.02.2014(अस्थाई) के लिए निर्धारित किया गया था।

vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः–** वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक 1,06,899 जांच किए व्यक्तियों में से 397 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 18 रक्त बैंक कार्यरत हैं।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रम** :–हिमाचल प्रदेश में कुल

49 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल जांच किए गए लोगों ,में 32,987 गर्भवती महिलाएं थीं जिनमें से 23 एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्यरत है।

- **यौन रोग नियंत्रणः–** हिमाचल प्रदेश में कुल 17 आर.टी.आई./ एस.टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 2013–14 में 16,703 लोगों ने आर. टी.आई./ एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः–**राज्य में 15 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन युनिट आई.जी.एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 में 196 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तथा प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 2013–14 में 76 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस, 4 डोनर कोचों के साथ भी राज्य में कार्यरत हैं।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः–** प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई.जी.एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 10 लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ रह रहे लोगों को मुफत दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएः–** हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 34 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गत वर्ष में 13,963 लोगों को यौन रोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं तथा 27,522 लोगों को एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र में इलाज करवाने हेतु भेजा गया। प्रदेश में गैर सरकारी संगठन द्वारा 86 जागरूकता शिविरों तथा 149 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः–इस योजना के अन्तर्गत 116 स्वास्थ्य संस्थाओं केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त 573 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 31.12.2013 तक ₹10.32 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई।

17.4 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2013–14 से विभिन्न सरकारी संस्थानों में जी0एन0एम0 सीटों को 1,240 से बढ़ाकर 1,280 तथा बी0एस0सी0 नर्सिंग की 580 से 660 कर दी गई है। केंद्रीय अनुदान योजना के तहत भारत सरकार ने चम्बा में एक जी.एन.एम. तथा दो अन्य ए.एन.एम. स्कूल कुल्लू व सोलन में स्थापित हैं को सम्मिलित कर लिया है। विभाग की (संस्थान अनुसार) निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय:

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई। इसको उन्नयन कर सुपर स्पैशिलिटि संस्थान में तबदील कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2013–14 के दौरान विभिन्न विषेशज्ञताओं में स्नात्कोत्तर उपाधि की 90 से 96 सीटें की गई है। भारत सरकार द्वारा आई.जी.एम.सी शिमला को पी.एम.एस.एस.वाई. चरण-II के अन्तर्गत ₹ 150.00 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹120.00 करोड़ तथा राज्य भाग ₹30.00 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान आई.जी.एम.सी. शिमला में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ₹360.00 लाख का व्यय किया गया जिनमें से मुख्य रूप से यूरोलॉजी विभाग की लघु शल्य कक्ष भी सम्मिलित है। आई.जी.एम.सी. में भीड़ को कम करने के लिए घनाहट्टी के नज़दीक गरोग स्थान पर ₹150.00 करोड़ की लागत से नया परिसर बनाया जाएगा, जिसके लिए 60 बीघा जमीन चिन्हित कर ली गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान आई.जी.एम.सी. शिमला में ₹13.05 लाख के विभिन्न मशीनरी एवं उपकरण खरीदे गए। मरीज़ों के लिए आई.जी.एम.सी. की वैबसाईट पर प्रयोगशाला रिपोर्ट की ऑन लाईन जांच एच.एम.आई.एस. के माध्यम से सुविधा प्रदान कर दी गई है। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनॉक 8 अगस्त, 2013 को ₹56.20 करोड़ की लागत से ओ.पी.डी. खण्ड का निर्माण तथा ₹7.93 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन का निर्माण एवं दिनांक 7 सितम्बर,2013 को ₹17.00 करोड़ की लागत से कमला नेहरू अस्पताल में एम.सी. एच. भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई। राज्य में कैंसर चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एच0डी0आर0 बरैकी थरैपी तथा लिनियर एग्ज़रलेटर प्रणाली ₹12.14 करोड़ की लागत से रेडियोलॉजी विभाग में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

वित्तीय उपलब्धियां:

इस वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए कुल बजट ₹12,753.13 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें ₹7,611.50 लाख 31.12.2013 तक व्यय किए गए।

(ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडा:–

डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। वर्ष 1999 में प्रथम बैच 50 एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के साथ आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। एम0 सी0 आई0 द्वारा एम0 बी0 बी0 एस0 की 50 सीटों को बढाकर 100 सीटों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शैक्षणिक स्तर 2014–15 के लिए 13 पी0जी0 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव

है। पी.एम.एस.एस.-II के तहत ₹150.00 करोड़ की लागत से सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है। ₹856.68 लाख की लागत से दो लैक्चर थियेटर, परीक्षा हाल एवं एनाटमी ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्ष 2013–14 में ₹248.65 लाख के विभिन्न मशीनरी एवं उपकरण खरीदे गए। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 को ₹2,673.45 लाख की लागत से प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. छात्रावास का निर्माण, ₹201.17 लाख की लाागत से बर्न यूनिट का निर्माण तथा ₹ 20.00 लाख की लागत से नेत्र बैंक की स्थापना की आधारशिला रखी गई।

वित्तीय उपलब्धियां:

वित्तिय वर्ष 2013–14 के लिए कुल बजट ₹ 6,835.63 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ₹ 3,734.33 लाख 31.12.2013 मे व्यय किए गए।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय:–

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई जिसमें प्रतिवर्ष 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता थी। वर्ष 2007–08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों के लिए आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 13 स्नातकोतर विद्यार्थियों को 6 विशिष्ट एम.डी.एस. पाठयक्रम जैसे ओरल सर्जरी, पेडियोडोटिक्स, आर्थोडोटिक्स, प्रोस्थोडोटिक्स, ऑपरेटिव डेन्टिस्ट्री एवं पेरियोडोंटिक्स में दाखिला दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 20 छात्रों को डैंटल हाईजीनिस्ट एवं डैंटल मकैनिकल डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एंव पैरा मैडिकल स्टॉफ की मांग को देखते हुए किया गया तथा लोगों को पूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष (1.1.2013 से 31.12.2013 तक) 201 अन्तरंग तथा 48,621 वाह्य रोगियों का इलाज किया गया, दन्त चिकित्सा कैप के अन्तर्गत लगभग 2,500 रोगियों का इलाज कर मुफ्त दवाईयां वितरित की गई।

वित्तीय उपलब्धियां:

राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला में सुचारू कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए कुल बजट ₹1,092.95 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ₹765.20 लाख 31.12.2013 तक व्यय किए गए।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,108 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 14 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिनमें एक कार्यशील है) कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जो कि जोगिन्द्रनगर

जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए. एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म एवं बाल रोग की स्नातकोतर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 30 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मेसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹189.24 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें ₹168.74 करोड़ गैर योजना तथा ₹20.50 करोड योजना में है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

17.6 राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत ₹ 97.54 लाख मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 2 माडल नर्सरियां प्रत्येक 4 हैक्टेयर तथा 10 लघु नर्सरियां–प्रत्येक एक हैक्टेयर के निजी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी तथा 72 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी।

औषधि जांच प्रयोगशाला

17.7 वर्ष 2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के 1,032 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ₹1.96 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

विकासात्मक गतिविधियां:

17.8

i) वर्ष 2013–14 में आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्थानों में 48 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 6,894 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, पपरोला में क्षेत्रीय जरारोग उत्कृष्ठ संस्थान की स्थापना की गई है। गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

ii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी**
वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफत वितरण हेतु दवाईयों का उत्पादन किया जा रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी

राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को कियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है।

विभाग की तीनों फार्मेसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतू कय कर रहा है।

iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः** इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 155 सृजित पदों के विरूद्ध 135 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

- **वर्ष 2014–15 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य**

विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये 5 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना, एक आयुर्वेदिक औषधालय का दर्जा बढाकर 10–बिस्तरीय अस्पताल बनाने हेतु। एक 10/20 बिस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय को 50 बिस्तरीय अस्पताल में बदलने हेतु तथा पंचकर्मा/ क्षारसूत्र दो–दो चिकित्सा केन्द्रों में आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

18 समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

18.2

(क) **वृद्धावस्था पैंशनः**–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनकी देख–रेख/ पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हों। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत आय के अतिरिक्त ₹15,000 से अधिक न हो। इनको ₹500 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पैशनरों को ₹1,000 प्रतिमाह की दर से पैशन दी जा रही है।

(ख) **अपंग राहत भत्ताः**–ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त समस्त स्त्रोतों से ₹15,000 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अंपगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/ गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्धावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 1,21,830 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु ₹9,190.59 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹6,724.59 लाख व्यय किए जा चुके है।

(ग) **विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन** :–ऐसी महिला जो विधवा,परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हो। ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय ₹15,000 से अधिक न हो। इनको भी ₹500 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 63,752 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹ 3,862.98 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹2,676.31 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(घ) **कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः**–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो ऐसे कुष्ठ रोगियों पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे

कुष्ठ रोगियों को ₹500 प्रतिमाह कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹99.41 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹53.80 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(ड़) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना** :–इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 85,707 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹3,256.13 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹2,220.94 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(च) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना**:–इस योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 19,593 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹794.25 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹511.22 लाख व्यय किए जा चुके है।

(छ) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना**:–इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2013–14 में 557 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹19.62 लाख के बजट प्रावधान में से 30.11.2013 तक ₹11.82 लाख व्यय किए जा चुके है।

उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार से वृद्धावस्था पैंशन हेतु ₹200 व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों हेतु ₹500 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है जबकि विधवा पैंशनरों व विकलांगता पैंशनरों हेतु ₹300 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है। वृद्धावस्था और इस धनराशि के अलावा व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्धावस्था, विधवा तथा अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पैंशनरों को एक समान दर ₹500 प्रतिमाह व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों को ₹1,000 प्रतिमाह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके।

स्वरोजगार योजना

18.3 विभाग 4 निगमों द्वारा जो कि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम है को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अंतर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2013–14 के लिए ₹505.00 लाख के बजट का प्रावधान है तथा 30.11.2013 तक ₹60.00 लाख की राशि निर्गत कर दी गई।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

8.4 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें क्रार्यान्वित की गई है:–

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन:–** अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए ₹50,000 प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2013–14 मे इस योजना के अंतर्गत बजट ₹60.94 लाख और 248 दम्पतियों का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 188 दम्पतियों को 30.11.2013 तक ₹50.50 लाख का खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

i) **गृह अनुदान:–** इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹17,000 से अधिक न हो, को ₹75,000 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में ₹1,740.54 लाख का बजट एवं 3,586 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है तथा 1,532 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान 30.11.2013 तक ₹1,107.45 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया।

i) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलाप:–** इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा ₹1,200 प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को ₹1,500 प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹4.33 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 30.11.2013 तक ₹13.54 लाख व्यय किए गए तथा 1,923 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यकम:–** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ₹11,000 से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए ₹1,500 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत ₹102.61 लाख बजट का प्रावधान रखा गया और लक्ष्य 7,045 का रखा गया है जिसमें से ₹ 21.34 लाख की राशि 30.11.2013 तक व्यय की गई जिससे 1,422 लोग लाभान्वित हुए।

v) **अनु0 जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः–** उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को वित्तीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹25.00 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से ₹8.59 लाख की राशि 30.11.2013 तक व्यय करके 27 परिवारों को सहायता दी गई।

विकलांग कल्याण

18.5 विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 30.11.2013 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है:–

i) **विकलांग छात्रवृतिः–** इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है व जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं है, को इस घटक के अंतर्गत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृति ₹350 से ₹750 प्रतिमास तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ₹1,000 से ₹2,000 तक प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। ₹77.31 लाख के बजट के विरूद्व 30.11.2013 तक ₹53.68 लाख व्यय किए गए।

ii) **विकलांग विवाह अनुदानः–** सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आशय से ₹8,000 से ₹15,000 तक राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत ₹26.50 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व 30.11.2013 तक ₹13.99 लाख व्यय हुए जिससे 161 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

iii) **जागरूकता अभियानः–** इस घटक के अंतर्गत् खण्ड एवं जिला स्तर के केम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। इन शिविरों में विकलांगजनों के चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे जागरूक किया जाता है। वर्ष 2013–14 में ₹5.00 लाख की राशि का प्रावधान है। 30.11.2013 तक इस योजना के अंतर्गत् ₹3.10 लाख की राशि व्यय की जा चुकी हैं।

iv) **स्वः रोजगारः–** 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसपर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ₹10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

(जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2013–14 में हि0प्र0 अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम द्वारा 30.11.2013 तक ₹211.62 लाख, 67 विकलांगता वाले व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

v) **कौशल विकासः–** चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और ₹1,000 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष 40 विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है वित्तीय वर्ष में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

vi) **पुरस्कार योजनाः–** इस योजना के अंतर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बाबजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को ₹10,000 व श्रेष्ठ निजी नियोजक को ₹25,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए ₹0.50 लाख का प्रावधान है।

vii) **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षाः–** प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में स्थापित संस्थान का नाम बदलकर विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के संस्थान का नाम आई.सी. एस.ए. रखा गया है। इस संस्थान में 18 दृष्टिवाधित तथा 88 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए ₹62.34 लाख के बजट के प्रावधान से 30.11.2013 तक ₹30.19 लाख व्यय हुए हैं इस वर्ष ढली स्कूल के लिए हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद को ₹43.62 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम ऊना में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष ₹10.00 लाख का बजट प्रावधान था और 30.11.2013 तक ₹9.10 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

viii) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः–** प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उप–योजना

18.6 अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्ष 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। 2002 से पूर्व यह कार्य जन–जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

18.7 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रतिशत हैं।

18.8 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.9 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यकमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्याकम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 24.72 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

18.10 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष “789” बनाया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए शीर्ष में किया गया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्य योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹914.64 करोड़ में से ₹838.72 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं जबकि वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹1,013.52 करोड़ में से 30.9.2013 तक ₹389.40 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2014–15 में ₹1,032.79 का प्रावधान किया गया ह।

18.11 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में

अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जो कि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 (क)

18.12 वर्ष 2011–12 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2012–13 में 58,000 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 79,766 परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2013–14 में 30.09.2013 तक 27,565 लक्ष्य के मुकाबले 21,303 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए है।

बाल कल्याण

"मुख्यमन्त्री बाल उद्धार" योजना

18.13

(क) अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिस्सा, भरमौर, कल्पा(2), शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) तथा मशोवरा, टुटीकण्डी, मसली (शिमला), सुन्दरनगर(मण्डी), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किलाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा हैं। इन आश्रमों में बच्चों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करने का प्रावधान हैं। इन आश्रमों में 1,060 बच्चों को रहने की सुविधा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹300.00 लाख का प्रावधान है तथा नवम्बर,2013 तक ₹81.50 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) प्रदेश में बाल/बालिका सुरक्षा योजनाः किशोर न्याय अधिनियम–2000 संशोधित 2006 के नियम–2007 के क्रमांक 34 में प्रावधान के अनुरूप दिनांक 19.7.2012 से लागू की गई है, इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जिसका पालन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित अन्य परिवार के पालना दम्पति द्वारा किया जाता है। ऐसे पालना दम्पति को ₹500 प्रति माह प्रति बच्चे की दर से इस योजना के अन्तर्गत राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत 30.12.2013 में कुल 45 पात्र बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

(ग) समेकित बाल संरक्षण योजना ऐसे अनाथ/असहाय बच्चेः कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने मे योगदान देना, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण उन्हें बेसहारा छोड देने तथा अलग कर देने की ओर जाते है, इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जाएगा। इस वितीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत ₹350.51 लाख (केन्द्रीय हिस्सा) आवंटित किए

गए हैं, जिसमें से 30.12.2013 तक ₹190.89 लाख व्यय कर दिए गए है।

महिला कल्याण

18.14 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही है। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:–

(क) नारी सेवा सदन मशोवरा:– इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए ₹10,000 तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2013–14 में इस गृह के संचालन के लिए ₹ 32.88 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से नवम्बर,2013 तक ₹14.04 लाख खर्च किए गए। वर्तमान में नारी सेवा सदन में 35 प्रवासी प्रवास कर रहे हैं।

(ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:–इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए ₹21,000 (दिनांक 1.4.2013 से बढ़ाकर ₹25,000) का अनुदान दिया जाता हैं जिनकी वार्षिक आय ₹20,000 से अधिक न हो। वर्ष 2013–14 में इस उद्देश्य के लिए ₹285.86 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें नवम्बर, 2013 तक ₹137.77 लाख खर्च किये गये जिससे 630 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

(ग) महिला स्वरोजगार योजना:– इस योजना के अंतर्गत ₹2,500 उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹7,500 से कम है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹7.00 लाख का प्रावधान किया गया। नवम्बर,2013 तक ₹3.65 लाख की राशि व्यय करके 146 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

(घ) विधवा पुनर्विवाह योजना:– इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को ₹25,000 (दिनांक 21.5.2013 से बढ़ाकर ₹50,000) के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस योजना के अंर्तगत ₹35.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से नवम्बर,2013 तक 70 दम्पतियों को ₹17.50 लाख दिए गए।

(ड़) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना:– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय ₹1,8000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु ₹3,000 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के लिए ₹544.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर,2013 तक ₹395.83 लाख व्यय किये गए। 15,315 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(च) इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना" प्रायोगिक तौर पर हमीरपुर जिला के लिए स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उचित पोषण स्तर में सुधार लाना है। प्रैक्टिसिस्, केयर तथा सर्विस यूटीलाइजेशन" स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से उपर की गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार. लाना है। (राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर) योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4,000 (खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के पश्चात ₹6,000) दिये जाने का प्रावधान है (राज्य/ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर)। वर्ष 2010–11 में ₹64.98 लाख, वर्ष 2011–12 में ₹173.24 लाख, वर्ष 2012–13 में ₹64.84 लाख व वर्ष 2013–14 में ₹44.09 लाख भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जिसमें से नवम्बर,2013 तक ₹329.57 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

(छ) "हि0प्र0 माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना 2011"

यह योजना अनुसूचित जाति की बी. पी.एल. श्रेणी के परिवारों की महिलाओं के लिए वित्त वर्ष 2011–12 में शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत् 50 प्रतिशत की राशि जो कि अधिकतम ₹1,300 होगी उपदान के रूप में गैस कनैक्शन खरीदने के लिए पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 75 अनुसूचित जाति की बी.पी. एल. महिलाएं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2013–14 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹66.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत नवम्बर, 2013 तक ₹65.98 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 1,570 गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

(ज) विशेष महिला उत्त्थान योजना:–

राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरें में हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए "विशेष महिला उत्थान योजना" बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना शुरू की है । योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से स्टाईफंड तथा ₹800 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से टेस्ट फीस देने का प्रावधान है। जो महिलाएं स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू स्थापित करना चाहती हैं उन्हें महिला विकास निगम से लोन लेने पर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबार उपदान अथवा ₹10 हजार प्रति लाभार्थी, जो कम हो देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में योजना के अन्तर्गत ₹75.00 लाख का बजट प्रावधान है। दिसम्बर 2013 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला, गंगथ (जिला कांगड़ा) सोलन तथा शमशी (जिला कुल्लू) में 154 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जबकि 113 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

(झ) बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012:

यह योजना दिनांक 22.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है । इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 में ₹75.00 लाख के बजट का प्रावधान है जिसमें से 145 महिलाओं को ₹52.75 लाख की वित्तीय सहायता नवम्बर,2013 तक प्रदान कर दी गई है।

समेकित बाल विकास सेवाएं

18.15 समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 18,385 आंनवाड़ी केन्द्रों व 515 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें बच्चों, गर्भवती / धात्री माताओं को प्रदान की जा रही हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाए , टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवायें, पाठशाला पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.2009 से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है । वित्त वर्ष 2013–14 के लिए आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत प्रावधित बजट ₹16,688.00 लाख था जिसमें से ₹1,269 लाख राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा ₹15,419.00 लाख है नवम्बर,2013 तक ₹10,600.74 लाख व्यय किए गए। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रतिमाह ₹3,000, ₹1,500 व ₹2,250 क्रमशः का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के अलावा ₹300, ₹200 व ₹250 क्रमशः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रतिमाह प्रदान कर रही है।

बेटी है अनमोल योजना

18.16 यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली दो लड़कियों तक को लाभान्वित करने के लिए 05–07–2010 से आरम्भ की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा आय के स्त्रोत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना हैं।

i) **जन्म उपरान्त अनुदान:** गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म के पश्चात् बालिका के नाम बैंक/डाकघर में दिनांक 2.6.2012 से ₹10,000 जमा कर दिये जाते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा खाते में से आहरित किये जा सकते हैं।

ii) **छात्रवृति:** स्कूल जाने पर इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश से बारहवीं

कक्षा तक निम्नलिखित दरों पर ₹300 से ₹1,500 प्रतिवर्ष छात्रवृति वार्षिक तौर पर भी दी जाती है:

1.कक्षा एक से तीन	₹ 300 प्रति वर्ष
2.कक्षा चार	₹ 500 प्रति वर्ष
3.कक्षा पांच	₹ 600 प्रति वर्ष
4.कक्षा छः से सात	₹ 700 प्रति वर्ष
5.कक्षा आठ	₹ 800 प्रति वर्ष
6.कक्षा नौ से दस	₹ 1,000 प्रति वर्ष
7.कक्षा 10+1 तथा 10+2	₹ 1,500 प्रति वर्ष

वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत ₹441.75 लाख व्यय का बजट प्रावधान किया गया है तथा नवम्बर,2013 तक सारी राशि व्यय की जा चुकी है तथा 18,791 बालिकाएं लाभान्वित हुई है।

किशोरी शक्ति योजना

18.17 प्रारम्भ में यह योजना सारे प्रदेश में चलाई जा रही थी परन्तु वित्तीय वर्ष 2011–12 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा लाहौल–स्पिति में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देना, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाना, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाना है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही विवाह करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष प्रति परियोजना ₹1.10 लाख प्रदान करती है। यदि भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करवाए तो प्रदेश सरकार अधिकतम ₹50.60 लाख प्रतिवर्ष व्यय कर सकती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में सितम्बर, 2013 तक 37,553 किशोरियों को पूरक पोषाहार 341 को कौशल विकास प्रशिक्षण, 36,685 को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ एवं 34,583 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹38.46 लाख की राशि स्वीकृत/निर्गत की गई है तथा ₹4.88 लाख व्यय कर दिए गए हैं ।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

18.18 समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम के तहत विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी0पी0एल0 किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर 1.4.2009 से पूरक पोषाहार दिया जा रहा है पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चे ₹4.00 गर्भवती/ धात्री माताएं/ बी0पी0एल0 किशोरियां ₹5.00 अति कुपोषित बच्चे ₹6.00 है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ₹3,240.00 लाख का राज्य बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,2013 तक ₹2,957.76 लाख खर्च किया जा चुके हैं। भारत सरकार से भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2013 तक ₹2,292.34 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है। नवम्बर,2013 तक बच्चे 4,36,354, गर्भवती/धात्री माताएं 1,02,609 तथा 37,553 बी.पी.एल. किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–(सबला):

18.19 किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए 19.11.2010 में प्रायोगिक आधार पर यह योजना चलाई गई है। योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु ₹3.80 लाख भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 में ₹121.60 लाख, वर्ष 2011–12 में ₹60.80 लाख तथा वर्ष 2012–13 में ₹98.23 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा गैर पोषाहार घटक के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए, जिसमें से ₹188.22 लाख व्यय किए जा चुके हैं। किशोरियों को पूरक पोषहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका व्यय 50:50 आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार से पोषाहार प्रदान करने हेतु 2013–14 में ₹480.28 लाख भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से कुल ₹128.68 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से ₹264.50 लाख प्राप्त हुए है जिसका व्यय किशोरियों को पूरक पोषहार के अन्तर्गत किया गया।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

19.2 प्रदेश में गत वर्ष से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर 1–4–2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है जिसके कार्यन्वंयन हेतु प्रथम चरण में राज्य के 5 जिलों के 5 विकास खण्डों कण्डाघाट, बसंतपुर, मण्डी (सदर), नूरपुर और हरोली को चुना गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य विकास खण्डों में भी स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ऋण वितरण लक्ष्य, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन व क्षमता विकास हेतु कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹12.88 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार से स्वीकृत करवाई गई है जिससे उपरोक्त गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के कुल 3,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹100.00 करोड़ के ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दक्षता विकास हेतु इस वर्ष में कुल प्राप्त 25 परियोजनाओं में से हाल ही में चयनित परियोजनाओं को शीघ्र ही भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

वाटरशैड कार्यक्रम

19.3 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर भूमि, सूखा ग्रस्त तथा मरूस्थल क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.),सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लयू.एम.पी) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के प्रारम्भ से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास से सम्बन्धित 67 परियोजनाएं (869 माइक्रो वाटरशैड) जिनकी कुल लागत ₹ 254.12 करोड़ है में 4,52,311 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत ₹116.50 करोड़ की लागत से कुल 2,05,833 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास सम्बन्धि तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 552 सूक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत ₹ 159.20 करोड है तथा 2,36,770 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु स्वीकृत हुई है। इन योजनाओं के आरम्भ से नवम्बर, 2013 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹240.28 करोड़ सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पर ₹111.10 करोड़ तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अनर्गत ₹ 97.99 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना (आई. डब्लयू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 में प्रदेश के सभी जिलों के लिए 131 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत ₹ 1035.16 करोड़ है तथा 6,90,112 हैक्टेयर भूमि का विकास सभी

जिलों में किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹196.96 करोड़ की धनराशि (90:10 केन्द्र एवं राज्य भाग क्रमशः) निर्मुक्त की जा चुकी है तथा इस निर्मुक्त राशि में से नवम्बर, 2013 तक ₹ 93.26 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

19.4 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को ₹75,000/–प्रति परिवार के हिसाब से नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारां किया जाता है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी 75:25 के अनुपात में होती है। वर्ष 2013–14 में कुल 7,064 नए मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व नवम्बर ,2013 तक शत–प्रतिशत मकान स्वीकृत कर दिए गए है, जोकि निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹25.01 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.5 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, गर्भाशय, वक्षस्थल निकालने, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू–स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:–

i) मृत्यु पर ₹1.00 लाख
ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर ₹1.00 लाख
iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर ₹1.00 लाख
iv) एक आंख या एक अंग की क्षति पर ₹0.50 लाख
v) पति की मृत्यु पर ₹1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नवम्बर,2013 तक 101 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत ₹100.50 लाख की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की गई हैं।

राजीव आवास योजना

19.6 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को नये मकान के निर्माण हेतु ₹75,000/– की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013–14 के लिए 1,616 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व 1,553 मकानों को स्वीकृती प्रदान कर दी गई है तथा शेष 63 मकानों की स्वीकृती प्रदान की जा रही है। नवम्बर, 2013 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹578.49 लाख व्यय किये जा चुके है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान)

19.7 भारत सरकार द्वार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को वर्ष 2012–13 के दौरान निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य

को पूर्ण करने के लिए 12वीं पंचवर्षिय योजना में जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के मुख्य उददेश्य निम्नलिखित हैं:–

क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।

ख) देश के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ–2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।

ग) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किए गए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना।

ड) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

च) ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली/पद्वति विकसित करना।

निर्मल भारत अभियान की गाईडलाईन में किए गए प्रावधान अनुसार अब शेष बचे बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 (चिंन्हित) परिवारों को व्यक्गित शौचालय निर्माण पर ₹5,100/–का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है जबकि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में अनुदान केवल बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से भी ₹4,500/– प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अब ठोस एवं तरल कचरा प्रबधन को प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजना आधार पर क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत में परिवार की संख्या 150/ 300/ 500 व 500 से अधिक की संख्या को क्रमशः ₹7.00/ 12.00/ 15.00 व 20.00 लाख प्रदान किये जा सकते हैं।

प्रदेश में स्वच्छता अभियान सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम से स्थाई एवं रचनात्मक समुदायिक सोच की व्यवस्था का विकास कर रहा है ताकि लोग अपने लिए स्वच्छता से सम्बन्धित आवश्यकताओं की मांग करें तथा उसके उपरान्त उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए। वर्तमान में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है।

इस कार्यक्रम की वर्तमान परियोजना अनुसार 30–11–2013 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय प्रगति:

(₹लाख में)

भाग	कुल परियोजना परिव्यय	जारी राशि	खर्चा
केन्द्र	13118.40	11241.52	8719.83
राज्य	4997.33	4093.91	3149.25
लाभार्थी	1516.82	898.83	712.47
कुल	**19632.55**	**16234.26**	**12581.55**

भौतिक प्रगति

घटक	निर्धारित लक्ष्य संख्या	उपलब्धि	अतिरिक्त लक्ष्य जो संशोधित परियोजना में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए है।
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (APL+BPL)	8,50,750 BPL- 2,18,167 APL- 6,32,583	10,37,756 (100%) BPL- 2,51,545 (100%) APL- 7,86,211 (100%)	T=2,68,096 BPL- 45,933 APL- 1,63,074 APL (Defunct) 59,089
स्कूल शौचालय	70,738	18,244 (88%)	2,215
आंगनबाड़ी शौचालय	10,308	9,524 (92%)	131
समुदायिक स्वच्छता परिसर	1,229	882 (72%)	1,031

वर्ष वार प्रगतिः–

वित्तीय

(₹लाख में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	जारी राशि	खर्चा	जारी राशि	खर्चा
2007-08	1024.50	355.13	113.22	117.14
2008-09	778.76	466.90	469.63	170.78
2009-10	1116.80	1312.38	400.00	563.66
2010-11	2939.78	2130.20	711.51	702.71
2011-12	469.57	1274.65	813.71	591.66
2012-13	1666.96	1643.08	501.63	552.29
2013-14 Upto 11/13	2493.33	910.39	826.22	300.84

भौतिक(संख्या)

वर्ष	व्यक्तिगत शौचालय (BPL+ APL)	स्कूल शौचालय	आंगनबाड़ी शौचालय	स्वच्छता परिसर
2007-08	136043	1858	484	23
2008-09	313872	1959	994	35
2009-10	239576	4701	2302	63
2010-11	216571	6429	4400	310
2011-12	30066	802	132	163
2012-13	5183	1215	1066	163
2013-14 Upto 11/13	7218	206	16	52

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

19.8 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना की नवीनतम दिशा निर्देशों अनुसार उन महिला मण्डलों को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होनें अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने व इसके स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2013–14 के लिए इस योजना में ₹131.04 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

19.9 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तूबर,2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजन प्रारम्भ की तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थानों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान) सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहो, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुरक्षित स्वच्छता व निर्मल वातावरण को बढावा देना।

2. पंचायती राज संस्थाओं को गांव को खुले में शौच मुक्त रखने व ठोस एवं तरल कचरा, प्रबंधन को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. निर्मल वातावरण को बनाए रखने हेतु बढावा देना।
4. निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन में सामाजिक लामबंदी हेतु उत्प्रेरक भूमिका निभाने में विभिन्न संस्थाओं को बढावा देना।

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या	पुरस्कार राशि ₹लाख में
2007	22 ग्राम पंचायतें	₹ 26.00
2008	245 ग्राम पंचायतें व एक खण्ड	₹363.00
2009	253 ग्राम पंचायतें	₹364.50
2010	168 ग्राम पंचायतें	₹261.50
2011	323 ग्राम पंचायतें	₹430.50
2012	भारत सरकार द्वारा इस वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।	
2013	प्रदेश की 693 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष आवेदन किया है जिनके चयन की प्रक्रिया दिसम्बर, 2013 में पूर्ण होगी।	

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महर्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.10 प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007—08 में राज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. खण्ड स्तरीय स्वच्छ विजेता ग्राम पंचायत	₹1.00 लाख
2. जिला स्तरीय स्वच्छ विजेता ग्राम पंचायत (क)300 से कम ग्राम पंचायतों के लिए जिला में एक पुरस्कार) (ख)300 से अधिक के ग्राम पंचायतों के लिए जिला में दो पुरस्कार)	₹3.00 लाख
3. मण्डल स्तरीय स्वच्छ विजेता ग्राम पंचायत	₹5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय स्वच्छ विजेता ग्राम पंचायत	₹10.00लाख

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013—14 के दौरान ₹147.00 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना

19.11 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत राज्य प्रोत्साहन योजना दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011—12 के दौरान इस योजना के मापदण्डों में कुछ बदलाव किया गया है और अब इस योजना में उच्च/उच्च सकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन

योजना प्रति वर्ष फरवरी माह से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होती है :–

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/ हाई सकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹50,000/– की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार ₹20,000/– की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ₹10,000/–

इस योजना में वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 88.20 लाख का प्रावधान पुरस्कार राशि के लिए किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.12 भारत सरकार द्वारा सितम्बर,2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी, 2006 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगड़ा में 1.4.2007 से लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1.4.2008 से इस योजना को लागू किया गया। वर्ष 2013–14 में नवम्बर, 2013 तक भारत सरकार द्वारा ₹352.29 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹36.70 करोड़ रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत जिलों के पास ₹ 437.78 करोड़ (नवम्बर, 2013 तक) उपलब्ध है और ₹ 16.86 करोड़ राज्य रोजगार गारंटी फंड में जमा हैं तथा नवम्बर, 2013 तक ₹ 317.97 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं तथा 4,09,999 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा कर ₹159.67 लाख कार्य दिवस अर्जित किये जा चुके हैं।

20. आवास एवं शहरी विकास

आवास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फलैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। मार्च, 2013 तक प्राधिकरण द्वारा 12,538 मकान/ फलैटों का निर्माण तथा 4,612 प्लाटों का विकास विभिन्न आवासीयों योजनाओं के अर्न्तगत किया गया है।

20.2 इस वर्ष में ₹9,911.66 लाख बजट के अन्तर्गत 240 फलैटों का निर्माण करने, 155 प्लाटों को विकसित करने के लिए तथा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों को करने का प्रावधान रखा गया है।

20.3 वर्ष 2012–13 के दौरान हिमुड़ा ने मार्च,2013 तक 103 भवनों का निर्माण डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत किया है और 53 भवनों का निर्माण मार्च,2014 तक करने का लक्ष्य है।

20.4 हिमुड़ा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवायें, पशु पालन, शिक्षा, मछली पालन, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, हिमाचल बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज और आर्युवेदा विभाग का निर्माण कर रहा है।

20.5 ठियोग, छबरोगटी, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला परवाणु, जुरजा (नाहन) और बटोलीखुरद (बददी) मे आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सम्भतः मार्च,2014 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। वर्तमान में हिमुड़ा के पास 412.00 बीघा जमीन विभिन्न स्थानों पर है और भूमि अर्जित का कार्य भी कार्य भी विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है।

20.6 अगले वित्तीय वर्ष में नई आवासीय स्कीम सोलन, बटोलीखुरद, त्रिलोकपुर (नाहन) और वाणिज्य परिसर समीप पेट्रोल पम्प विकास नगर शिमला में किया जायेगा।

20.7 जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबो के लिए मूलभुत सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत 176 फलैटों (आशियाना–2) ढली, शिमला में निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत हमीरपुर में 72 फलैटों का, परवाणु में 192 फलैटों का निर्माण और नालागढ़ 128 फलैटों का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। यु0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत हिमुडा ने मण्डी कस्बे में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य किया है।

20.8 मानवीय अवलोकन को कम करने के लिये हिमुडा में पादर्शिता लाने के लिये ई–गवरनेंस और रिकार्ड को मुख्य

कार्यालय में डिजिटलाइजेशन किया है तथा हिसाब के लिये इन्टर प्राईस रिसोर्स पलानिंग (ई0आर0पी0) की स्थापना की है।

शहरी विकास

20.9 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्रूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं कियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 50 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है।

20.10 राज्य चौथे वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2013-14 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹6,355.32 लाख की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय-व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता राशि भी शामिल है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

20.11 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गय है।

20.12 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है। वर्ष 2013-14 में ₹800.00 लाख सामान्य योजना तथा ₹1,730.00 लाख अनुसूचित जाति उप-योजना में बजट का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना मे निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. शिमला नगर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बेहतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का पुर्नरुधार।
4. शिमला शहर के लिए शहरी परिवहन में 75 बसों को खरीदना।
5. शिमला के विभिन्न कटिबन्धों में मल व्यवस्था तथा छूटे हुए क्षेत्रों / घिसी-पिटी मल व्यवस्था की कायाकल्प करना।
6. शिमला नगर के गरीबों को आशियाना-। और ।। आवास योजना।

एकीकृत गृह एवं मलिन बस्ती विकास योजना (आई.एच.एस.डी.पी.)

20.13 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना में 25

वर्ग मीटर में एक रिहायशी ईकाई (दो कमरे, एक रसोई तथा शौचालय) के निर्माण का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई ₹1.00 लाख की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ₹7,203.89 लाख की आठ योजनाओं को (हमीरपुर ₹443.32 लाख, धर्मशाला ₹942.31 लाख, सोलन ₹958.30 लाख, परवाणु ₹1,167.98 लाख, बद्दी ₹1,475.39 लाख, नालागढ़ ₹546.59 लाख,सुन्दरनगर ₹999.00 लाख, सरकाघाट ₹671.00 लाख) हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत कर दिया है जिसके अन्तर्गत 328 रिहायशी युनिट धर्मशाला, 336 रिहायशी युनिट सोलन, 152 रिहायशी युनिट हमीरपुर, 192 रिहायशी युनिट परवाणु, 480 रिहायशी युनिट बद्दी, 128 रिहायशी युनिट नालागढ़, 208 रिहायशी युनिट सुन्दरनगर, 130 रिहायशी युनिट सरकाघाट में बनाए जाने हैं। हिमुडा को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नांमाकित किया गया है। चालू वित वर्ष 2013–14 में ₹500.00 लाख का बजट प्रावधान है जो कि 31.3.2014 तक खर्च किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

20.14 50 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कों, रास्ते, गलियों तथा 1,139 किलोमीटर नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें ₹600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए हैं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)

20.15 स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस योजना का में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी के रूप में ₹27.00 लाख प्रदान किए जा रहे हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 में ₹187.00 लाख प्रदान किए जाने हैं।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

20.16 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) को पुनः संरचित कर इस का नाम छोटे तथा मध्यम शहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत पॉच शहरों हमीरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट, मण्डी तथा रिवालसर को लाया जा चुका है तथा अन्य 8 शहरों की योजनाएं अनुमोदनार्थ, भारत सरकार को भेजी गई है जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹3,970.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹ 73.92 लाख प्रदान किए जा चुके हैं।

मल व्यवस्था योजना

20.17 वित्त वर्ष 2013–14 में प्रदेश के 27 शहरों में चल रही मल निकासी व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने हेतु ₹ 28.00 करोड़ सामान्य योजना तथा विशेष घटक योजना में उपलब्ध करवाए गए हैं

जोकि सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए जा चुके हैं। यह योजना सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इसलिए वित की निकासी एवं व्यय जन–स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शहरी विकास योजनाएं प्रदेश के एकीकृत विकास हेतु तैयार की जा रही है।

13वां वित्तायोग अनुदान

20.18 13वें वित्तायोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जो कि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। इसके लिए ₹2,063.00 लाख सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान का बजट प्रावधान वर्ष 2013–14 के लिए है। जिसमें से ₹648.22 लाख प्रदान किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त 13 सैलानी शहरों में पार्किंग निर्माण, मल निकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रवंधन सयन्त्र के निमार्ण हेतु ₹15.00 करोड़ प्रदान किए जा चुके हैं।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

20.19 मलीन बस्तियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना का उद्देश्य निश्चित तरीके से मलीन बस्ती में रहने वालों की समस्याओं को हल करने हेतू राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है। इसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना है:–

- मौजूदा मलिन बस्तियों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और इन्हें सुदृढ करना ताकि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सके।
- औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी हैं।
- शहरी भूमि और आवास की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुँच से बाहर हुए हैं और आजीविका और रोजगार के अपने संसाधनों को बनाए रखने के उद्देश्य से वे अनेक अनुचितकार्यों का सहारा लेने के लिए विवश हुए हैं।
- भारत सरकार ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला शहर के कृष्णा नगर स्लम के लिए ₹3,399.65 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत कृष्णानगर स्लम में 300 घरों का निर्माण किया जाना है। जिनमें से 224 लाभार्थी परिवारों को उसमें बसाया जाएगा तथा 76 आवास किराये के आधार पर दिये जाएगें। द्वितीय चरण में शेष 886 परिवारों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना प्रस्तावित है। इस योजना में अभी तक ₹1,067.20 लाख जारी किंये जा चुके है।

नगर एवम् शहरी योजना

20.20 सन्तुलित विकास और विनियमन द्वारा भूमि संसाधनों में कमी के

मद्देनजर जनसांख्यिक और सामाजिक आर्थिक तथ्यों को विवेकपूर्ण उपयोग करके कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 21 योजना क्षेत्रों (जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.94 प्रतिशत) और 34 विशेष क्षेत्रों (जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत) है में लागू किया गया है।

20.21 नारकण्डा, चौपाल, श्रीनैना देवी जी, नादौन, सुजानपुर, भोटा और जोगिन्द्रनगर को योजना क्षेत्र गठित करने के प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है। ठियोग, रोहड़ू, सराहन, चिन्तपूर्णी और मैहतपुर की विकास योजनाऐं तैयार कर ली गई है और इनमें संबृद्धि की जा रही है। राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीयकरण करने का कार्य प्रगति पर है। अतिरिक्त शिमला योजना क्षेत्र एवं कमांद योजना क्षेत्रों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्रों को तैयार कर लिया गया है और इन पर जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए नोटिस देने का कार्य प्रगति पर है।

20.22 चालू वित्त वर्ष 2013–14 के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों हेतु ₹97.00 लाख की राशि इस विभाग को आबंटित की गई, जिसमें से ₹74.00 लाख की राशि 31–12–2013 तक व्यय हो चुकी है।

20.23 दिनांक 25–9–2013 को हुई मन्त्री–मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1994 के अन्तर्गत सभी अधिसूचित या अधिसूचित होने वाले वैधानिक नगरों तथा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगर योजना अधिनियम,1977 की परिधि में लाया जाये।

20.24 मन्त्री–मण्डल के निर्णय की अनुपालन में अर्की, राजगढ़, घुमारवी, अम्ब गगरेट, दौलतपुर, सुन्दरनगर, सरकाघाट, रिवालसर, करसोग, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा–बगंवा, देहरा, ज्वालामुखी और चुवाड़ी स्थानीय स्वायत निकायों में योजना क्षेत्र गठित करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2013–14 हेतु लक्ष्य

20.25 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2014–15 हेतु निम्नलिखित योजना क्षेत्रों, विशेष योजना क्षेत्रों, आंचलिक क्षेत्रों के गठन, वर्तमान भू–उपयोग मानचित्रों, विकास योजना और क्षेत्रीय योजनाऐं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:–

1. अर्की, राजगढ़, घुमारवी, अम्ब गगरेट, दौलतपुर, सुन्दरनगर, सरकाघाट, रिवालसर, करसोग, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा–बगवां, देहरा, ज्वालामुखी और चुवाड़ी को योजना क्षेत्र गठित करना।
2. घुमारवी, अम्ब गगरेट, भोटा, सुन्दरनगर, चौपाल, श्रीनैना देवी जी, नादौन, सुजानपुर, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर एवं विशेष क्षेत्र सोलंग और पांगी हेतु भू–उपयोग मानचित्रों को तैयार करना।
3. घुमारवीं, अम्ब गगरेट, भोटा, सुन्दरनगर, चौपाल, श्रीनैना देवी जी, नादौन, सुजानपुर, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, कण्डाघाट, उदयपुर, तावो, पौंग डैम और सांगला हेतु विकास योजना तैयार करना।

21. पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में चौथा कार्यकाल वर्ष 2011 से प्रारम्भ हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालिक जलवाहक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। पंचायत सहायक, कनिष्ठ लेखापाल, लिपिक व आशुटंकक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता तथा निजि सहायक की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के मामले सुन सकती है तथा ₹500 प्रतिमाह तक भरण पोषण प्रदान करने हेतु आदेश दे सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कर्मचारी बैठकों में

उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश **Forest Produce Transit (Land Route)** नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतु वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ₹ 5,000 तथा ₹3,500 प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ₹2,500 तथा ₹ 2,000 प्रति मास तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹1,800 एवं ₹ 1,500 प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹2,000 तथा ₹ 1,800 प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस की दर को ₹ 175 प्रति बैठक कर दिया गया है।

iii) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतु भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

iv) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है।

v) राज्य वित्तायोग के अर्न्तगत अनुदान के रूप में ₹840 प्रति चौकीदार, ग्राम पंचायत के हिसाब से समस्त 3,243 ग्राम पंचायतों के अनुदान के रुप में राशि प्रदान की जा रही हे।

vi) वर्ष 2013–14 में राज्य वित आयोग के अन्तर्गत पंचायत घरों के निर्माण/मुरम्मत अपवर्धन के लिए ₹2.00 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध/ नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार से है:–पंचायत सहायक को क्रमशः (अनुबंध) ₹5,910, पंचायत सचिव (अनुबंध) ₹7,810, कनिष्ठ लेखापाल (अनुबंध) ₹7,810, (नियमित) ₹5,910–20,200+1,900, कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबंध) ₹14,100 (नियमित)10,300–34,800 +3800, कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुबंध) ₹8,710 (नियमित), 5,910–20,200+ 2,800,सहायक अभियन्ता (अनुबंध) ₹21,000, (नियमित) 15,660–39,100+5,400, सिलाई अध्यापिका ₹1,600, विकास खण्ड अभियंता

₹18,000, पंचायत चौकीदार को ₹1,800 कर दिए गए हैं।

viii) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो जिलों चम्बा तथा सिरमौर में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना को इन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान विकासात्मक कार्यों के अनुदान की वार्षिक राशि ₹30.22 करोड़ से बढ़ाकर ₹37.09 करोड़ कर दी गई है अर्थात ₹20.43 करोड़ जिला चम्बा तथा ₹16.66 करोड़ जिला सिरमौर के लिए। राज्य सरकार ने विभागीय बजट में अग्रिम ₹34.00 करोड़ का प्रावधान किया है। इस प्रावधान में से विभाग द्वारा प्रथम किस्त 50 प्रतिशत अर्थात ₹10.22 करोड़ चम्बा जिला तथा ₹8.33 करोड़ सिरमौर जिला को जुलाई, 2013 में जारी की गई। जबकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 75 प्रतिशत की प्रथम किस्त अर्थात ₹15.51 करोड़ ज़िला चम्बा को मास सितम्बर, 2013 तथा ₹12.28 करोड़ जिला सिरमौर को मास अक्तूबर में प्रदान की गई। विभाग ने शेष 25 प्रतिशत राशि अर्थात ₹5.29 करोड़ जिला चम्बा को अक्तूबर, 2013 में तथा ₹3.95 करोड़ को जिला सिरमौर को मास नवम्बर,2013 में प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा विलम्ब से अनुदान राशि जारी होने के फलस्वरूप 15 नवम्बर, 2013 तक शत–प्रतिशत राशि को व्यय नहीं किया गया।

ix) विभाग ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से चालू वित्त वर्ष में एक परियोजना 75:25 के आधार पर स्वीकृत करवाया है। इस परियोजना के अन्तर्गत ₹55.00 करोड़ की स्वीकृत राशि में से ₹15.83 करोड़ की प्रथम किशत चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की ₹5.27 करोड़ की राशि प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों का निष्पादन किया जाना है:–

क) वर्तमान 200 ग्राम पंचायत कार्यालयों का अपवर्धन।

ख) पंचायतों को 1,185 लैपटोप प्रदान करना।

ग) पंचायती राज सेवाओं के पदाधिकारियों के लिए राज्य के अन्तर्गत तथा बाहर के राज्यों में एक्सपोजर विजिट।

घ) पंचायती राज प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण।

x) 13वें वितायोग के तहत इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को ₹140.93 करोड़ प्रदान किये जायेंगे जिसमें से ₹ 82.46 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

xi) भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 7 सॉफटवेयर एप्लीकेशन को 12 प्रस्तावित साफटवेयर एप्लीकेशन में से पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया है। पंचायत/विभागीय कर्मचारियों को इन एप्लीकेशनो के बारे में प्रशिक्षण पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में प्रदान किया गया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 13 स्वीकृत सहायक प्रोग्रामर के पदो में से 8 पदों को भर दिया गया है। कम्प्यूटर ऑपरेटर

के 79 पदों में से 20 पदों को भरा जा चुका है शेष सहायक प्रोग्रामर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों को

भरने बारे प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु 3,243 कम्प्यूटर आपरेटरों के पदो को स्वीकृत किया जा रहा है।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना और प्रौद्योगिकी

हिमस्वान

22.1 हिमाचल प्रदेश स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) ई–गवर्नैंस के तीन मुख्य स्तम्भों में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है। इस योजना का उद्वेश्य सरकारी क्षेत्र में सरकार से सरकार तथा सरकार से आम लोगों के बीच निकटतम संबंध स्थापित करना है।

हिमस्वान की वर्तमान स्थिति

132 पवांईट ऑफ प्रेजेन्स (PoP) स्थापित किए जा चुके हैं। PoP की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

- 132 PoP परिचालित हैं।
- राज्य में अब तक 1,350 सरकारी कार्यालय जोड़े जा चुके हैं।
- थर्ड पार्टी ऑडिट एजैंसी, हिमस्वान संचालक की सेवाओं की निगरानी कर रहा है।

राज्य डाटा केन्द्र

22.2 राष्ट्रीय ई– शासन योजना के अर्न्तगत राज्य डाटा केन्द्रो को सुदृढ़ करने के लिए चिन्हित किया गया। जिसे सरकार से सरकार (जी.टू.जी.) तथा सरकार से नागरिक (जी.टू.सी.) तथा सरकार से व्यापार (जी.टू.वी.) को कुशल इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी प्रदान करने के लिए चिन्हित सेवाओं को स्टेट वाईड़ एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) तथा आम वितरण मंच के माध्यम से पंचायत स्तर तक विस्तार किया गया है। सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य डाटा केन्द्र की सुविधा प्रदान करने के लिए भवन का निर्माण किया गया है। राज्य डाटा केन्द्र परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माडल के माध्यम से स्थापित किया गया। एक चयनित एजेंसी को एस.डी.सी. को आपरेटर का नाम दिया गया जो एस.डी.सी. स्थापित करेंगें तथा इसका रख रखाव एवं संचालन पांच वर्ष की अवधि तक करेंगें।

एस.डी.सी. की स्थिति

- राज्य डाटा केन्द्र के भवन का निर्माण मैहली में किया जा रहा है और एस.डी.सी. की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा हिमुडा द्वारा तैयार किया जा रहा है।
- एस.डी.सी. आपरेटर के चयन के लिए आर.एफ.पी जारी किया गया हैं।
- बोलियॉं, 3 वोलीदाताओं से प्राप्त की गई है तथा मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है।

लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना

22.3 केन्द्र सरकार के इस परियोजना के अनुसार राज्य की पंचायतों में 3,366 लोक मित्र केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना का उद्धेश्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं को जनता के कल्याण के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना हैं। वर्तमान में 3,007 लोक मित्र केन्द्रों की पहचान की गई है और 2,362 लोक मित्र केन्द्र सक्रिय है। जो दो प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। जी0 टू0 सी0 (सरकार से नागरिक) एवं बी0टू0सी0

(व्यापार से सरकार) विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध है वह इस प्रकार है।

1. नकल जमाबन्दी,
2. शजरा नसव,
3. ई–समाधान,
4. बिजली के बिलों का भुगतान,
5. एच.आर.टी.सी. बसों की टिकटों की बुकिंग,
6. पानी के बिलों का भुगतान,
7. बी0एस0एन0एल0 पोस्टपेड बिलों का भुगतान
8. आधार पत्र मुद्रण
9. कृषि सम्बन्धी सलाह
10. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की चार सेवाएं
11. आबकारी एवं कारधान विभाग की आठ सेवाएं
12. राज्य पोर्टल और राज्य सेवा डिलिवरी गेटवे के माध्यम से 38 सेवाएं शुरु की जा चुकी है।

30 दिसम्बर, 2013 तक लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से एच.पी.एस.ई.बी.के 50,26,283 के बिल बनाए गए है जिससे ₹201.13 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। आई.पी.एच. के 2,90,827 बिल बनाए गए है जिससे ₹6.32 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया गया है। एच.आर. टी.सी. के 9,632 बिल बनाए गए है जिससे ₹71.21 लाख का राजस्व एकत्र हुआ है। बी0एस0एन0एल0 के 1,53,572 बिल बनाए गए है जिससे ₹5.96 करोड़ का राजस्व तथा 9,58,963 जमाबन्दी जारी की गई। जिससे ₹2.28 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा जी.टू.सी., वी.टू.सी. मोबाईल डी.टी.एच., का रीचार्ज, जीवन बीमा, साधारण बीमा के लिए सेवाएं आई. टी. प्रशिक्षण, पैन कार्ड, टंकण, सी.डी. भरना आदि कार्य भी लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से किए जा रहे है।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.4 सेवा वितरण प्रणाली ई. गवर्नेस जो कि एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत चल रही है और उसकी आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से सम्बंधित विभागों को भेजे जाएगें। 14 विभागों की 49 सेवाएं जो कि चिन्हित की गई हैं को इस पोर्टल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पोर्टल द्वारा ई. फार्म को कार्य प्रवाह में लाकर इसे अंतिम रुप दिया गया है और कार्य प्रणाली को लागू कर दिया गया है।

ई–सर्विस एस.एस.डी.जी. के द्वारा

1 वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 38 सेवाओं (प्रथम तथा द्वितिय चरण) को www.eserviceshp.gov.in पर राज्य पोर्टल से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ये सेवाएं लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी उपलब्ध है।

2 एम. डी. एम. एल. के साथ केन्द्रीय अदायगी प्रणाली से जोड़ने के लिए एक समझौता किय गया है और एस.एस.डी.जी. पोर्टल को भी इस प्रणाली से एकीकृत किया गया है।

एन.आई.सी. को वैकएंड अनूप्रयोगों के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है जो तीसरे चरण में शुरु करने की योजना है।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

22.5 भारत सरकार की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटक है जिनमें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो कि विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना व राज्य सरकार के लिए तकनीकी व व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध करवाना है।

1. एस.टी.ई.पी. कार्यक्रम एन.आई.एस.जी. के सहयोग से विभाग द्वारा 27 से 29 दिसम्बर, 2012, 9 से 11, तथा 16 से 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित किया गया जिसमें ई–गर्वनेंस परियोजना के जीवन चक्र परिवर्तन,. प्रबन्धन और परियोजना प्रबन्धन पर नीति निर्णय लेने एवं विशेष कौशल तैयार करने के लिए चर्चा की गई।
2. इस परियोजना में दिसम्बर, 2013 तक 2,291 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।
3 SeMT परियोजना के अन्तर्गत NeGD के माध्यम से 7 कर्मचारी लगाए गए।
4 SeMT ने ई–प्रशासन परियोजना के तहत विभिन्न विभागों के लिए लगभग 87 दस्तावेजों/ रिपोर्ट तैयार की है।

समाजिक न्याय और अधिकारिता के अधीन पांच कल्याणकारी निगमों का कम्पयूटरीकरण

22.6 इस परियोजना का उद्वेश्य सभी 5 निगमों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला विकास निगम, अल्पसंख्यक और विकलांग निगम के कियाकलापों का कम्पयूटरीकरण करना है। परियोजना को पी.पी.पी. मॉडल में कार्यान्वित किया जा रहा है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- परियोजना का ठेका एम. एस. कार्पस साफटवेयर (पी.) लिमिटिड को दिया गया।
- परियोजना 17 सितम्बर 2012 से शुरु की गई और सभी 5 कल्याण निगमों में कार्य चल रहा है।
- गो–लाइव का कार्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति निगम, सोलन द्वारा शुरु कर दिया गया है तथा दूसरे निगमों के पास यह लम्बित है।

हिपा के लिए विडियो कान्फैंसिंग आधारित लर्निंग परियोजना

22.7 इस परियोजना का उद्वेश्य विडियो कान्फैसिंग द्वारा प्रदेश के पंचायत सहायकों व प्रतिनिधियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देना है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- राज्य में 80 जगहों पर वी.सी. उपकरण की आपूर्ति, इन्स्टॉल करने, ऑपरेशन और रख–रखाव हेतु मैसर्ज एयरटैल को परियोजना के आरम्भ होने से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना गया है।
- परियोजना कार्यान्वित हो चुकी है और कार्यरत है।
- विभिन्न विभाग और सरकारी उद्धेश्यों के लिए इस योजना का उपयोग कर रहे हैं।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

22.8 इस सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों के राजस्व न्यायालयों जैसे:–मण्डलायुक्त, डी.सी.ऑफिस, एस.डी.

एम. ऑफिस, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यालय के उपयोग के लिए किया गया है। इस प्रणाली द्वारा राजस्व न्यायालयों के अन्तरिम आदेशों / निर्णयों व दैनिक कार्यवाही को इक्टठा करना है। इस प्रणाली द्वारा नागरिक अपने राजस्व मुकदमों से संबंधित जानकारी व निर्णय ऑन लाइन http://hp.gov.in/rcms पर देख सकते हैं और अपने मुकदमों का स्तर देख कर अन्तरिम आदेशों /निर्णयों को डाउनलोड़ कर सकते हैं। इस सॉफटवेयर से लगभग 20 रिपोर्टस, रेवन्यू कोर्ट के जरुरत अनुसार तैयार की जा सकती है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- आर.सी.एम.एस. में पंजीकृत कुल 272 राजस्व न्यायालयों में से 238 राजस्व न्यायालय इस साफटवेयर का उपयोग कर रहे हैं।

  176 राजस्व न्यायालयों के 17,835 निर्णय आर.सी.एम.एस. पर अपलोड़ किए गए है।

  48,304 न्यायालयों के मामले आर.सी. एम.एस. में दर्ज किए गए है जिसमें से 20,181 मामलों का फैसला हो चुका है।

अभियोग निगरानी प्रणाली

22.9 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक कठिनतम कार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर "अभियोग निगरानी प्रणाली" तैयार किया गया है जिसके द्वारा सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से कर सकते है और विचाराधीन मुकदमों का निर्धारित समय में उनका उत्तर तैयार करना, मुकदमों की वर्तमान स्थिति और निजी उपस्थिति के मामलों की निरीक्षण कर सकते है। एडवोकेट जनरल के कार्यालय के लिए विभाग ने अलग से मॉडयूल तैयार किया गया है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- माननीय उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध मामले साफटवेयर में दर्ज किया जा रहे है।
- एडवोकेट जनरल कार्यालय द्वारा दैनिक आधार पर मामलों की स्थिति का निरिक्षण किया जाता है
- सभी सरकारी विभाग अपने मामलों की दैनिक स्थिति को देखने के लिए एल.एम.एस. का उपयोग कर रहें हैं।

निम्नलिखित बिन्दुओं को एल.एम. एस. सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है।

- ई–मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों/ प्रशासनिक विभागों/ नोडल अधिकारियों को सूचना भेजी जाती है।
- इस साफटवेयर के द्वारा संबंधित विभागों के मामलों के विवरण डालने पर स्वयं प्रपत्र तैयार हो जाते है।
- साफटवेयर द्वारा मामलों को हटाने तथा स्थानांतरण का कार्य भी किया जाता है।

ई–प्रणाली

22.10 ई–प्रणाली एक इलेक्ट्रोनिक माध्यम है जिसके द्वारा सरकारी पत्रों को प्रेषित किया जाता है। यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से सरकारी विभागों के पत्रों को इलेक्ट्रोनिकी विधि द्वारा भेजने, फैक्स /ई–मेल एवं भविष्य के लिए भंडार एवं अभिकल्प विकसित करता है। जरूरी संदेश/ आदेश

भी इस सॉफ्टवेयर में एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं। यह परियोजना http://hp.gov.in/ed पर उपलब्ध है।

ई–प्रेषण के मुख्य लाभ निम्नलिखित है:–

- पत्रों की तेजी से डिलीवरी और शीघ्र प्राप्ति।
- कागज आदि सामग्री की कम लागत।
- कोई डाक वितरण व्यय नहीं।
- ऑन लाइन सरवर पर आंकड़ों/ पत्रों का अभिलेख।
- श्रमिक खर्चों की कमी।
- मानवीय भूल को दूर करना।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- यह सॉफ्टवेयर संचार के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/डी.सी. इ–डिस्पैच के माध्यम से पत्र प्राप्त कर रहे हैं।
- 30 दिसम्बर, 2013 तक 1,11,952 पत्र ई–डिस्पैच साफटवेयर के माध्यम से भेज गए हैं।

एकमात्र आई.डी. (आधार)

22.11 इस योजना के तहत राज्य की कुल 68,64,602 जनसंख्या में से 65,88,931 निवासियों को 30–12–2013 तक नामाकिंत किया गया तथा 62,90,434 आधार जारी किए जा चुके है।

जनता की सुविधा के लिए, सरकारी सेवाओं के उपयोग के लिए आधार से जोड़ा गया है और डी.वी.टी. योजनाओं को लागू करने के लिए साफटवेयर भी विकसित किया गया है।

आधार पोर्टल www.aadhar.hp.gov.in में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल है।

1. आनलाइन आधार खोज पोर्टल।
2. सक्रिय नामांकन स्टेशन जांच।
3. आधार की आनलाइन नामांकन स्थिति।
4. सैलफ सीडिंग पोर्टल।
5. डी.वी.टी. पोर्टल।

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 से आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली को लागू किया है इसमें भुगतान का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते में चला जाता है।

डी.वी.टी. कार्यक्रम के तहत लगभग ₹17.46 करोड़ की राशि आधार के द्वारा सफलतापूर्वक स्थानातंरित की गई है जिससे 20,253 लाभार्थियों को सरकारी स्कीमों का बैंक खातों के माध्यम से लाभ हुआ है।

ई–कार्यालय

22.12 ई–कार्यालय एक उत्पाद है जिसका उद्देश्य अधिक–कुशल प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारी लेन देन करना होता है।

- शुरु में ई–कार्यालय, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य और हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग में लागू किया गया।
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

22.13 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का गठन किया है जो मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा इस कार्यक्रम के तहत परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिय

बनाया जाएगा तदानुसार नए राशन कार्ड वितरित किए जाएंगें। नए राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और अंकीयकरण के बाद राशन कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जाएंगें।

वर्तमान स्थिति

- ई–पी.डी.एस. एपलीकेशन को आधार कार्ड से जोड़ने का काम प्रगति पर है जिससे तस्वीर के साथ के.वाई. आर. डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा और इससे डुप्लीकेट, फर्जी रिकार्ड की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- नए आधार से जुड़े राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार कर वितरित किये गए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के आंकड़े एकत्र करने की प्रकिया प्रगति पर है।

  हितधारक रिकार्ड का अंकीयकरण पूरा हो चुका है और स्वचालन श्रंखला आपूर्ति के कार्यान्वयन की प्रकिया प्रगति पर है।

जेला अदालतों, जेलों और हिमाचल प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में ई–पेशी वीडियो कान्फ्रैंसिंग की सुविधा

22.14 यह सुविधा अदालत में कैदियों को ले जाने की आवश्यकता समाप्त करेगी तथा तुरन्त न्याय देने में सहायक सिद्व होगी।

स्थिति

- अनुबंध मैसर्ज भारती एयरटेल को दिया गया है।
- अन्य विभागों से कान्फ्रैंसिंग की सुविधा प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
- इस सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न स्थानों पर पांच साल के लिए आपूर्ति और रख रखाव के लिए आई.ए. को आपूर्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं।
- विभिन्न स्थानों पर वीडियों कान्फ्रैसिंग की सुविधा लगाने का कार्य प्रगति पर है।

ई–जिला

22.15 ई–जिला परियोजना एक मिशन मोड़ परियोजना है जिसका उद्देश्य एकीकृत स्थान पर नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। ई–जिला परियोजना में भाग लेने वाले विभागों में कार्यप्रवाह, बैकएंड कम्प्यूटीकरण, और डाटा डिजिटाइजेशन के माध्यम से एकीकृत कर सेवा प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु जिला, तहसील, उप–सम्भाग तथा विकास खण्ड स्तर पर केन्द्र स्थापित किए जाने हैं। ग्राम स्तर पर यह सुविधा सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जाएगी

- **जिला एम.एम.पी. की स्थिति**

  ई–जिला मिशन मोड़ परियोजना की एकीकृत प्रणाली के चयन हेतु 9 दिसम्बर, 2013 को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। एकीकृत प्रणाली के लिए बैन्डर को चुनने की प्रकिया जारी हैं।

एन.ई.जी.पी.–ए

22.16 कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र के लिए मिशन मोड़ कार्यक्रम के तौर पर चला रहा है तथा इसमें कृषि, पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस परियोजना के अंतर्गत 12 सेवा कलस्टर भी चिन्हित किये गए हैं।

स्थितिः–

- **साइट तैयारीः–** उन 305 स्थानों जिनके लिए कार्य आदेश जारी कर दिये गए है उनमें से 295 स्थानों पर यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **हार्डवेयर आपूर्ति स्थितिः–** 99 प्रतिशत हार्डवेयर की आपूर्ति विक्रेताओं द्वारा 193 स्थानों पर कर्र गई है।

- **हार्डवेयर स्थापना की स्थितिः–** ए.टी.पी. रिपोर्ट के अनुसार 193 स्थानों में से 186 स्थानों पर हार्डवेयर स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14685
Date: 18-02-2015
Documentation Centre

हिमाचल प्रदेश सरकार

ECONOMIC SURVEY

OF

HIMACHAL PRADESH

2013-14

Economics & Statistics Department

FOREWORD

Economic Survey is one of the budget documents which indicates the important economic activities and achievements of the Government. The salient features of the State of the economy of Himachal Pradesh during 2013-14 are presented in Part-I, and statistical tables on various subjects are given in Part-II.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material included in the Survey. The burden of collection and updating the huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics & Statistics Department. I appreciate and commend the work done by the officers and officials of this department.

Dr. Shrikant Baldi
Principal Secretary
(Finance, Plg., and Eco. & Stat.)
to the Govt.of Himachal Pradesh.

INDEX

Contents	Pages
1. General Review	1
2. State Income and Public Finance	10
3. Institutional and Bank Finances	14
4. Excise and Taxation	29
5. Price Movement	32
6. Food Security and Civil Supplies	34
7. Agriculture and Horticulture	39
8. Animal Husbandry and Fisheries	52
9. Forest and Environment	61
10. Water Resource Management	65
11. Industries and Mining	67
12. Labour and Employment	70
13. Power	74
14. Transport and Communication	101
15. Tourism and Civil Aviation	106
16. Education	110
17. Health	124
18. Social Welfare Programme	130
19. Rural Development	141
20. Housing and Urban Development	147
21. Panchayati Raj	152
22. Information and Science Technology	155

Part-I

ECONOMIC SURVEY-2013-14

1. GENERAL REVIEW

conomic Situation
t National Level

.1 THE Indian economy has xperienced a slowdown for the past wo years and country is passing hrough a difficult phase caused by the ncrease in global prices for oil, natural as and other commodities. The onsequence of this is the rise in the ost across the board and erosion of eal disposable incomes which resulted n decline of growth of 6.7 percent in 011-12 to 4.5 percent in 2012-13.

.2 With the various measures aken by the government which include iberalisation of FDI in retail, aviation, roadcasting and insurance, reduction in vithholding tax on overseas borrowings y domestic companies brought fiscal alance on track to stabilisation and with he inflation coming off, the economy eemed to be setting in for a recovery. he pace of economic growth in the first nd second quarters during 2013-14 as been estimated at 4.4 and 4.8 ercent respectively.

.3 The Eleventh Five Year lan target was pegged at an average nnual growth of 9 percent but it has gistered a growth of 8.0 percent which more than the Tenth Plan growth of .8 percent. The target for the Twelfth year has been kept at 8 per cent.

.4 The Gross Domestic roduct (GDP) at factor cost at constant rices, with new Base year i.e. 2004-05, 2012-13 is estimated at ₹ 54.80 lakh ore as against ₹52.50 lakh crore in 011-12. At current prices ross Domestic Product in 2012-13 is estimated at ₹ 93.90 lakh crore as against ₹ 83.90 lakh crore in 2011-12 showing an increase of 11.9 percent during the year. Real Gross Domestic Product witnessed a growth of 4.5 percent during 2012-13 (Base 2004-05) against the growth rate of 6.7 percent during the previous year. The growth rate in real Gross Domestic Product during 2012-13 has been achieved due to the growth in financing, insurance, real estate & business services (10.9 percent), transport, storage and communication (6.0 percent).

1.5 The per capita income at current prices is estimated at ₹67,839 in 2012-13 as against ₹61,855 for the previous year recording an increase of 9.7 percent. The per capita income in real terms i.e at 2004-05 prices, is estimated at ₹ 38,856 for 2012-13 as against ₹ 38,048 in 2011-12 registering an increase of 2.1 percent.

1.6 Headline inflation, year – on-year, as measured by the Wholesale Price Index (WPI), remained low in the current financial year (2012-13) in comparison to the previous years in which it was as high as 8.96 percent. The inflation rate in terms of Whole Sale Price Index was 6.2 percent in the month of December, 2013 against 7.3 percent in the month of December 2012. The All India Consumer Price Index Number for Industrial workers was 11.5 percent in November, 2013 as

against 9.6 percent during the period November, 2012.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.7 The economy of Himachal Pradesh has transformed rapidly from the most backward State of India to one of the most advanced State. The pace of such transformation has emerged Himachal Pradesh as a leader in Hill Area Development. Himachal is an ideal destination for investment in Power and Tourism sector. Responsive administration and conducive macro-economic conditions have induced a competitive environment in the economy of Himachal Pradesh. *The economy of the state is expected to achieve a growth rate of 6.2 percent in the current financial year which will be comparatively better than the national growth.*

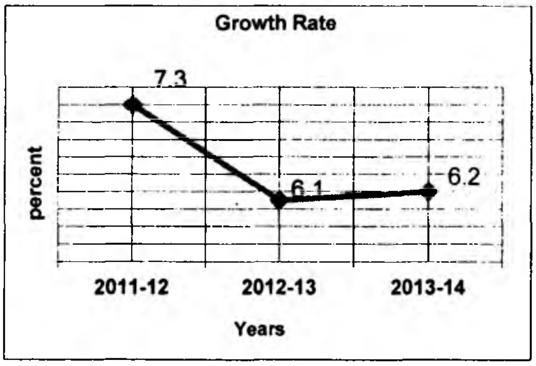

1.8 The State Gross Domestic Product (GSDP) at factor cost at constant (2004-05) prices in 2012-13 is estimated at ₹44,480 crore as against ₹41,908 crore in 2011-12 registering a growth of 6.1 percent during the year as against the growth rate of 7.3 percent during the previous year. At current prices, the GSDP is estimated at ₹ 73,710 crore as against ₹ 64,957 crore in 2011-12 showing an increase of 13.5 percent during the year.

1.9 The Per Capita Income at current prices witnessed an increase of 11.6 percent as it increased to ₹ 83,899 in 2012-13 from ₹ 75,185 in 2011-12. The increase in total State Domestic Product is mainly attributed to 9.5 percent increase in Primary sector, 10.0 percent in Community & Personal Services sectors, 6.2 percent in Transport and Trade, 4.8 percent in Finance & Real estate. Whereas the Secondary sector increased by only 3.4 percent. Food-grains production, which was 15.44 lakh MT during 2011-12 has increased to 15.68 lakh MT during 2012-13 and is expected at 15.16 lakh MT (anticipated) in 2013-14. The fruit production has also increased by 49.1 percent i.e from 3.73 lakh MT in 2011-12 to 5.56 lakh MT in 2012-13 and during 2013-14 (up to December, 2012) production was 8.28 lakh MT.

1.10 As per the advanced estimates and on the basis of economic conditions up to December, 2013, the likely growth rate for 2013-14 will be around ***6.2 percent.***

TABLE 1.1
Key Indicators

Indicators	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	Absolute Value		%age change over previous year	
G.S.D.P.(₹ in crore)				
(a)At current prices	64957	73710	14.0	13.5
(b)At constant prices	41908	44480	7.3	6.1
Food grains production (lakh tonnes)	15.44	15.68	4.3	0.9
Fruit production (lakh tonnes)	3.73	5.56	(-) 63.7	49.1
Gross Value Added from Industrial Sector*(₹ in crore)	12721	13440	14.9	5.7
Electricity generated (Million Units)	1906	1815	(-) 6.8	(-) 4.8
Wholesale Price Index	156.1	167.6	8.9	7.4
C.P.I. for Industrial Workers(HP)	175	193	7.4	10.3

***At current price**

1.11 The economic growth in the State is predominantly governed by agriculture and its allied activities showed not much fluctuations during nineties as the growth rate remained more or less stable. The decade showed an average annual growth rate of 5.7 percent, which is at par with national level. The economy has shown a shift from agriculture sector to industries and services as the percentage contribution of agriculture and allied sectors in total State Domestic Product has declined from 57.9 percent in 1950-51 to 55.5 percent in 1967-68, 26.5 percent in 1990-91 and to 14.42 percent in 2012-13.

1.12 The share of industries and services sectors respectively has increased from 1.1 & 5.9 percent in 1950-51 to 5.6 and 12.4 percent in 1967-68, 9.4 & 19.8 percent in 1990-91 and to 18.23 and 41.93 percent in 2012-13. However, the contribution of other remaining sectors showed a favourable shift i.e. from 35.1 percent in 1950-51 to 39.84 percent in 2012-13

1.13 The declining share of agriculture sector do not, however, affect the importance of this sector in the State economy as the state economic growth still is being determined by the trend in agriculture and horticulture production. It is the major contributor to the total domestic product and has overall impact on other sectors via input linkages, employment and trade etc. Due to lack of irrigation facilities our agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the Govt.

1.14 The State has made significant progress in the development of Horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of

Temperate to sub-tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

1.15 During the year 2013-14 up to December, 2013, 8.28 lakh tonnes of fruits were produced in the state and it is envisaged to bring 3,000 hectares of additional area under fruit plants against which 3,917 hectares of area has already been brought under plantation and 9.48 lakh fruit plants of different species were distributed up to December, 2013. Growing of off-season vegetables has also picked up in the state. During the year 2012-13, 13.98 lakh tonnes of vegetables were produced as against 13.57 lakh tonnes in 2011-12 recording a growth rate of 3.0 percent. It is anticipated that the production of off season vegetables will be of the order of 13.80 lakh tonnes in 2013-14.

1.16 The hydro power is emerging as a powerful mechanism for speedier economic growth and overall development of the State. As a source of energy hydro power is economically viable, non-polluting and is environmentally sustainable. The Power Policy of the State attempts to address all aspects like capacity addition energy security, access and availability, affordability, efficiency, environment and assured employment to people of Himachal. Though the private sector participation in terms of investments in this sector has been encouraging but the smaller projects has been reserved for investors from Himachal Pradesh only (up to 2 MW) and preference will be given for projects up to 5 MW.

1.17 High priority has also been accorded to Tourism Industry, which has also emerged as a major sector in the development of economy of the State. The Govt. has also developed appropriate infrastructure for its development which includes provision of public utility services, roads, communication network, airports, transport facilities, water supply and civic amenities etc. As a result of high profile media thrust, a significant rise has been noticed in the tourist influx during last few years as below:-

TABLE 1.2
Tourist arrival (In lakh)

Year	Indian	Foreigners	Total
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46

1.18 Information Technology has a great scope for employment generation and revenue earnings. Government has introduced HIMSWAN, SUGUM, Hospital Management Information System (HMIS), Common Services Centers(CSCs), and State Data Centre(SDC), AGRISNET, e-Procurement, Content Service Provider(CSP) and e-Samadhan systems to bring efficiency and transparency in administration.

1.19 Himachal Pradesh has taken a lead in the area of climate change mitigation and has initiated concrete steps for reducing Green House Gas emissions. The development

of technologies to conserve the resources and put them to proper use through bio technological innovations will take Himachal to new heights.

1.20 Containment of inflation is on the priority list of government. Himachal Pradesh Working Class Consumer Price Index No. during 2012-13 increased by 11.2 percent in November, 2013 as against 11.5 percent at National level, which clearly shows better management of price situation in the state.

1.21 The aggregate size of the 12th Five year Plan has been projected at ₹ 22800.00 crore. However, the annual plan for 2014-15 has been proposed at ₹4,400.00 crore which will be 7.30 percent higher than the plan size of current year 2013-14. The Sectoral spread of the proposed outlay for 12th Five Year Plan (2012-17) is given under:-

Sector	Proposed Outlay ₹ in crore	%age Share	Priority
Agriculture and Allied Activities	2906.79	12.75	III
Rural Development	1276.73	5.60	VI
Special Area	155.75	0.68	X
Irrigation and Flood control	1972.37	8.65	V
Energy	2805.59	12.31	IV
Industry & Minerals	224.42	0.98	IX
Transport and Communication	4709.88	20.66	II
Science, Technology and Environment	104.92	0.46	XI
General Economic services	596.59	2.62	VII
Social Services	7674.22	33.66	I
General Services	372.74	1.63	VIII
Total	22800.00	100.00	

.22 Bharat Nirman aiming towards the development of basic rural infrastructure like Road connectivity, Irrigation, Rural Water Supply, Housing, Rural Electrification, Rural Telephone connectivity, has been taken on priority.

1.23 To fulfill the commitments towards public, a separate department of Redressal and Public grievances under the direct supervision of the Hon'ble Chief Minister has been set up in each of the public service oriented Departments to make this more efficient. Himachal Pradesh is the first state in the country to launch ***e-samadham*** for redressal of public grievances.

1.24 There is no limit to progress and development. The priority of the government has always been for Social Welfare programmes. ***Concerted efforts have been made to improve the efficiency and quality of public services delivery.***

Major achievements on the path of Socio-Economic resurgence are:-

- An amount of ₹ 1,000 is being provided to eligible literate unemployed youths under skill development scheme.
- Under the skill development scheme the eligible criteria for the age group16-35 years is 8th pass.
- Social security Pension increased from ₹450 to ₹ 500 per month.
- Senior citizen of age 80 and above are being provided an old age pension of ₹ 1000 per month.
- Free travelling facility in HRTC buses to all students of Government Schools.
- Free travelling facility to new born and their mothers from Hospital to Home.

- To strengthen the Agrarian Economy of the State, 12 percent of the total State Budget is being spent on this vital sector.
- 5,84,568 Kisan Credit Cards have been issued by the banks and amount of ₹2660.31 crore distributed upto Sept., 2013.
- Under Kisan Call Center scheme the farmers can get any information on agriculture by dialing toll free number 1800-180-1551 between 6:00AM to 10:00PM.
- Under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) 41,333 farmers have been covered in the State. The amount of Premium shall be shared on 50:25:25 bases.
- Under Horticulture Technology Mission the Government of India has approved an action plan of ₹43.08 crore.
- Under Rajeev Gandhi Ann Yojna 36 lakh 82 thousand consumers are being provided 3kg wheat and 2 kg rice every month.
- Essential commodities are being supplied on subsidized rates to all the ration card holders in the State so as to save them from the on- slaught of rising prices.
- The Per Capita Income has touched the level of ₹83,899 in 2012-13 witnessing a growth of 11.6 percent over 2011-12 and is estimated at **₹92,300 in 2013-14.**
- 8,432 MW hydro power has been harnessed out of 23,000 MW identified potential. During the financial year 2012-13, 1,815 million units of electricity were generated.
- 424 Generic medicines free of cost are being provided at State hospitals.
- Out of 40 Chronic diseases, free of cost treatment to all the children under 18 years of age are being provided.
- The industries contribute 18.23 percent to GSDP during 2012-13 and Industrial Package has been extended up to March, 2017 by Government of India.
- Under National Rural Employment Guarantee Yojna 159.67 lakh man days were generated and 4,09,999 households were benefitted.
- To provide shelter to the shelter less rural poor people, 7,064 houses are sanctioned under Indra Awas Yojna.
- 24x7 customer self-service on Web Portal is operational for the help of dealers.
- Under Rajiv Awas yojna construction subsidy has been increased from ₹48,000 to ₹ 75,000
- Mahila Mandal Protsahan Yojana is being implemented in the State to motivate and encourage the mahila mandals in sanitation activities and reward of ₹ 131.04 lakh has been kept during 2013-14.
- Under Mahila Shakti Bima Yojana all women living below poverty line are covered in case of their death or disability.
- To improve the educational status of the deprived section of the society, various types of scholarships/ stipend are being provided by the State/ Central government at various stages.

- Special attention is being given to achieve the target of universalization of elementary Education under Sarva Shiksha Abhiyan.
- To bridge the gap in the male and female literacy rates the Government has started running of girls hostels in the educationally backward blocks.
- Under Rajiv Gandhi Digital Vidyarthi Yojna the student of 10^{th} & 12^{th} have been provided 5,000 Notebooks.
- A scholarship of ₹ 75,000 is being provided to the student selected in IIT, AIIMS and IIM under Mukhya Mantri Protsahan Yojna.
- Under Post Matric Scholarship to SC/ST/OBC a total of 28,923 students have been benefitted.
- Under (Information and Communication Technology) ICT project the different subjects from 9^{th} to 12^{th} classes will be taught with the help of LCD-TV and LCD-Projector.
- To change the negative attitude towards the girl child "BETI HAI ANMOL Yojna" has been started. A provision of birth grant of ₹10,000 is deposited in the Post Office in favour of girl child born in BPL family(2 girls) till she attain the age of 18 years.
- Under Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna the marriage grant has been increased to ₹25,000 from ₹21,000.
- Intercaste marriage and widow re-marriage grant has also been increase from ₹ 25,000 to ₹ 50,000.
- Under Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna there is provision of providing cash incentive of ₹ 4,000 and has been enhanced to ₹ 6,000 after implementation of Food Security Act, to pregnant and lactating women of 19 years of age.
- Implementation of National Rural Health Mission with the involvement of local Govt. Institutions for ensuring better health care facilities at the door step of people has been started.
- Under "Matri Seva Yojna" free institutional deliveries of expectant mothers, irrespective of their income are being done in all Government hospitals in the State.
- Under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission 75 buses were introduced in Shimla town.
- 568 flats are being constructed under JNNRUM
- Himachal has the distinction of 1^{st} State in the Country to commission the State Wide Area Network(HIM-SWAN) and e-Samadhan.
- It is the only State which has provided horizontal connectivity to 1,350 government offices in the Country.
- To provide Government-to-Citizen (G2C), Business-to-Citizen (B2C) and Citizen-to-Citizen (C2C) services to people in a transparent, fair, speedy and economical manner, Jan Seva Kendras are proposed to be setup.
- To provide transparency in the government procurement e-GP (E-Government Procurement) has been rolled out in IPH, PWD & Controller of Stores.

- **For better and speedy work State has implemented "Service Guarantee Act."**
- Under Aadhaar scheme 65, 88,931 residents have been enrolled upto 30.12.2013 out of total population of 68,64,602. 62,90,434 Aadhar have been generated.
- The State has been adjudged the best State among the big States in the field of Health and Investment.

Receipt and Expenditure of the State Government

(₹ in crore)

Item	2010-11 (Actual)	2011-12 (Actual)	2012-13 (RE)	2013-14 (BE)
1.Revenue Receipts(2+3+4)	**12710**	**14543**	**16736**	**17701**
2.Tax Revenue	5368	6107	7350	8090
3.Non-Tax Revenue	1695	1915	1902	2393
4.Grant-in-aid	5657	6521	7484	7218
5.Revenue Expenditure	**13246**	**13898**	**16381**	17647
(a)Interest Payments	1950	2130	2297	2431
6.Revenue Surplus/Deficit(1-5)	**-536**	**645**	**355**	**54**
7. Capital Receipts	**3745**	**2828**	**3976**	**4190**
(a) Recovery of loans	73	25	26	28
(b) Other receipts	1904	819	650	650
(c) Borrowings & liabilities	1768	1984	3300	3512
8.Capital Expenditure	**2885**	**3431**	**4322**	**4120**
9.Total Expenditure	**16131**	**17329**	**20703**	**21767**
Plan expenditure	3643	3943	4384	4295
Non-plan expenditure	12483	13386	16319	17472
As percent of GDP				
1.Revenue Receipts(2+3+4)	**22.30**	**22.39**	**22.70**	**21.44**
2.Tax Revenue	9.40	9.40	9.97	9.80
3.Non-Tax Revenue	2.97	2.95	2.58	2.90
4.Grant-in-aid	9.93	10.04	10.15	8.74
5.Revenue Expenditure	**23.25**	**21.40**	**22.22**	**21.37**
(a)Interest Payments	3.42	3.28	3.12	2.94
6.Revenue Deficit(1 to 5)	**-0.94**	**0.99**	**0.48**	**0.07**
7.Capital Receipts	**6.57**	**4.35**	**5.40**	**5.07**
(a) Recovery of loans	0.13	0.04	0.04	0.03
(b) Other receipts	3.34	1.26	0.88	0.79
(c) Borrowings & liabilities	3.10	3.05	4.48	4.25
8.Capital Expenditure	**5.06**	**5.28**	**5.86**	**4.99**
9.Total Expenditure	**28.31**	**26.68**	**28.09**	**26.36**
Plan expenditure	6.40	6.07	5.95	5.20
Non-plan expenditure	21.91	20.61	22.14	21.16

Note:GSDP estimates for 2010-11, 2011-12, 2012-13(Q) & 2013-14(Advance)

2. STATE INCOME AND PUBLIC FINANCE

Gross State Domestic Product

2.1 Gross State Domestic Product (G.S.D.P.) or state income is the most important indicator for measuring the economic growth of a state. According to quick estimates, the total State Domestic Product for the year 2012-13 is ₹ 44,480 crore against ₹ 41,908 crore in 2011-12 thereby registering a growth of 6.1 percent at constant prices (2004-05).

2.2 The total Gross State Domestic Product of the Pradesh at current prices is estimated at ₹73,710 crore in 2012-13 as against ₹64,957 crore in 2011-12, thereby registering an increase of 13.5 percent. This growth is attributed to the agriculture & allied activities sector besides other sectors of the economy. The food grains production increased to 15.68 lakh MT in 2012-13 from 15.44 lakh MT in 2011-12. Whereas the apple production increased to 4.12 lakh MT in 2012-13 from 2.75 lakh MT in 2011-12.

2.3 The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuations in the agricultural or horticultural production cause some changes in economic growth also. During 2012-13 about 14.42 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

2.4 The economy of the state also appears to be in resilient mode in terms of growth. As per advance estimates, the growth rate of GSDP during 2013-14 will be 6.2 per cent.

2.5 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-à-vis all-India during the last three years:-

Table 2.1

(Percent)

Year	H.P.	All India
2011-2012(R)	7.3	6.2
2012-2013(Q)	6.1	5.0
2013-2014(A)	6.2	

Per Capita Income

2.6 According to quick estimates based on new series i.e 2004-05 series, the per capita income of Himachal Pradesh at current prices in 2012-13 stood at ₹83,899. This shows an increase of 11.6 percent over 2011-12 (₹75,185). At constant (2004-2005) prices the per capita income during 2012-13 is estimated at ₹51,730 against ₹49,203 in 2011-12 witnessing an increase of 5.1 percent.

Sectoral Contribution

2.7 The sectoral analysis reveals that during 2012-13, the percentage contribution of Primary sectors to total G.S.D.P. of the State is 19.72 percent, Secondary Sector 38.35 percent, Community and Personal Services 18.46 percent, Transport, Communications and Trade 15.17 per cent and Finance and Real Estate 8.30 per cent.

2.8 The structural composition of the state economy witnessed significant changes during the decade.

The share of agriculture including horticulture and animal husbandry in G.S.D.P. had declined from 26.5 percent in 1990-91 to 14.42 percent in 2012-13, yet the agriculture sector continues to occupy a significant place in the state economy and any fluctuation in the production of food grains/Fruits affect the economy. The share of primary sectors which include agriculture, forestry, fishing and mining & quarrying has declined from 35.1 percent in 1990-91 to 19.72 percent during 2012-13.

2.9 The Secondary sector, which occupies the second important place in the state economy has witnessed a major improvement since 1990-91. Its contribution increased from 26.5 per cent in 1990-91 to 38.35 percent in 2012-13, reflecting healthy signs of industrialisation and modernisation in the state. The share of the electricity, gas and water supply sector which is a component of secondary sector has also increased from 4.7 percent during 1990-91 to 8.8 percent during 2012-13. Tertiary sector which is comprised of sectors like trade, transport, communications, banking, real estate & business services, community and personal services has also witnessed change in its share. Its share in G.S.D.P. for the year 2012-13 is 41.93 percent.

Sectoral Growth

2.10 Following are the major constituents which attributed to 6.1 percent growth of state economy during 2012-13.

Primary Sector

Primary Sector	2012-13 (₹ in crore)	%age Inc. /dec.
1.Agriculture and Animal Husbandry	5,602	10.6
2.Forestry & Logging	2,115	6.6
3. Fishing	48	10.8
4.Mining & Quarrying	149	11.9
Total Primary	**7,914**	**9.5**

2.11 Primary sector, which includes Agriculture, Forestry, Fishing, Mining and Quarrying, during 2012-13, witnessed a positive growth rate of 9.5 per cent. Due to increase in agricultural and fruit production this sector registered a positive growth.

Secondary Sector

Secondary Sector	2012-13 (₹ in crore)	%age Inc /dec
1. Manufacturing	7,623	3.2
2. Construction	6,375	3.3
3.Electricity, Gas & Water Supply	3,396	3.9
Total Secondary	**17,394**	**3.4**

2.12 The secondary sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity, Gas and Water Supply registered a growth of 3.4 percent during 2012-13 . As compared to the last year's performance in these sectors the growth in manufacturing sector decreased in this year.

Tertiary Sector

Tertiary Sector	2012-13 (₹ in crore)	%age Inc. /dec.
1.Transport, Comm. & Trade Hotel	7,456	6.2
2.Finance and Real Estate	4,052	4.8
3.Community and Personal Services	7,664	10.0
Total Tertiary	**19,172**	**7.4**

Transport Storage, Communications and Trade

2.13 This group of sectors shows a growth of 6.2 percent during 2012-13. The transport by other means component of this sector has shown a growth of 9.9 per cent.

Finance and Real Estate

2.14 This sector comprises Banking and Insurance, Real Estate, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 4.8 percent in 2012-13.

Community and Personal Services

2.15 The growth in this sector during 2012-13 is 10.0 percent.

Prospects- 2013-14

2.16 As per the advance estimates based on the economic performance of state upto December, 2013 the rate of economic growth of state during 2013-14 is likely to be ***6.2 percent***. The state has achieved growth rate of 6.1 percent and 7.3 percent for last two years. The GSDP at current prices is likely to be about ₹82,585 crore.

2.17 *According to the advance estimates the **Per Capita Income** at current prices during 2013-14 has been estimated at **₹92,300 against ₹83,899 in 2012-13** showing an increase of 10.0 percent.*

2.18 A brief analysis of the economic growth in Himachal Pradesh, however, reveals that the state has always tried to keep pace with the all-India growth rate as shown in Table-2.2 below:-

Table 2.2

Period		Average annual growth rate (Percentage)	
Plan	**Years/Year**	**H.P.**	**All India**
First Plan	1951-56	(+)1.6	(+)3.6
Second Plan	1956-61	(+)4.4	(+)4.1
Third Plan	1961-66	(+)3.0	(+)2.4
Annual Plans	1966-67 to 1968-69	..	(+)4.1
Fourth Plan	1969-74	(+)3.0	(+)3.4
Fifth Plan	1974-78	(+)4.6	(+)5.2
Annual Plans	1978-79 to 1979-80	(-)3.6	(+)0.2
Sixth Plan	1980-85	(+)3.0	(+)5.3
Seventh Plan	1985-90	(+)8.8	(+)6.0
Annual Plan	1990-91	(+)3.9	(+)5.4
Annual Plan	1991-92	(+)0.4	(+)0.8
Eighth Plan	1992-97	(+)6.3	(+)6.2
Ninth Plan	1997-02	(+)6.4	(+)5.6
Tenth Plan	2002-07	(+)7.6	(+)7.8
Eleventh Plan	2007-12	(+)8.0	(+)8.0

Gross State Domestic Product

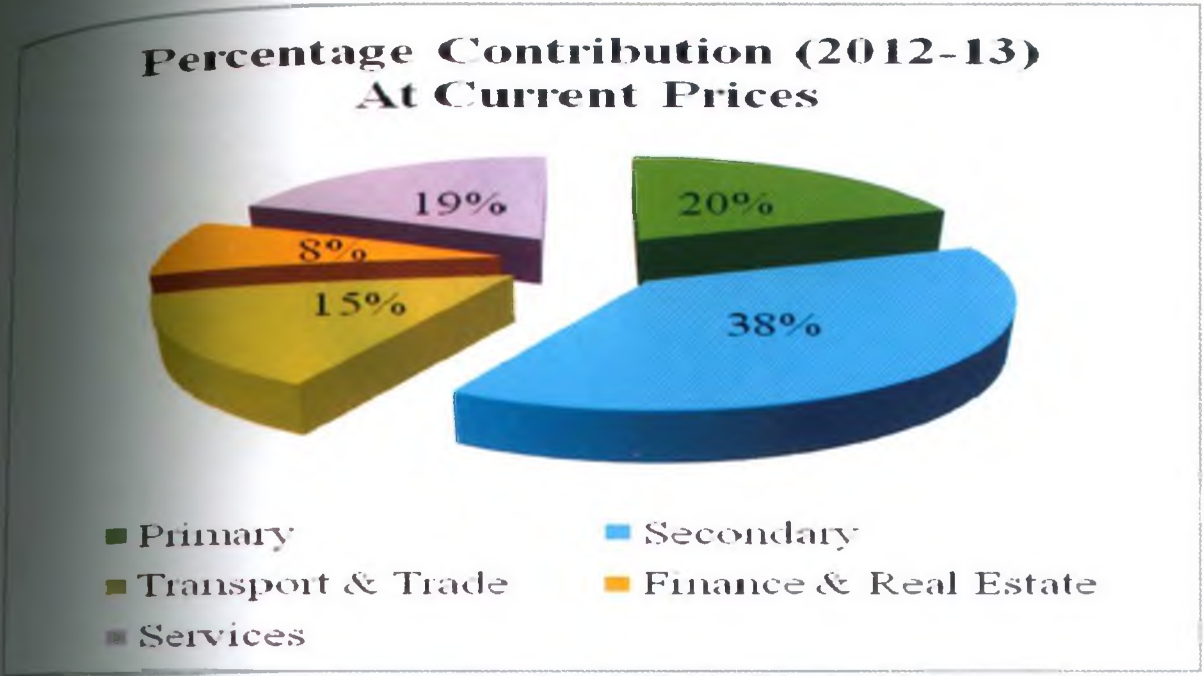

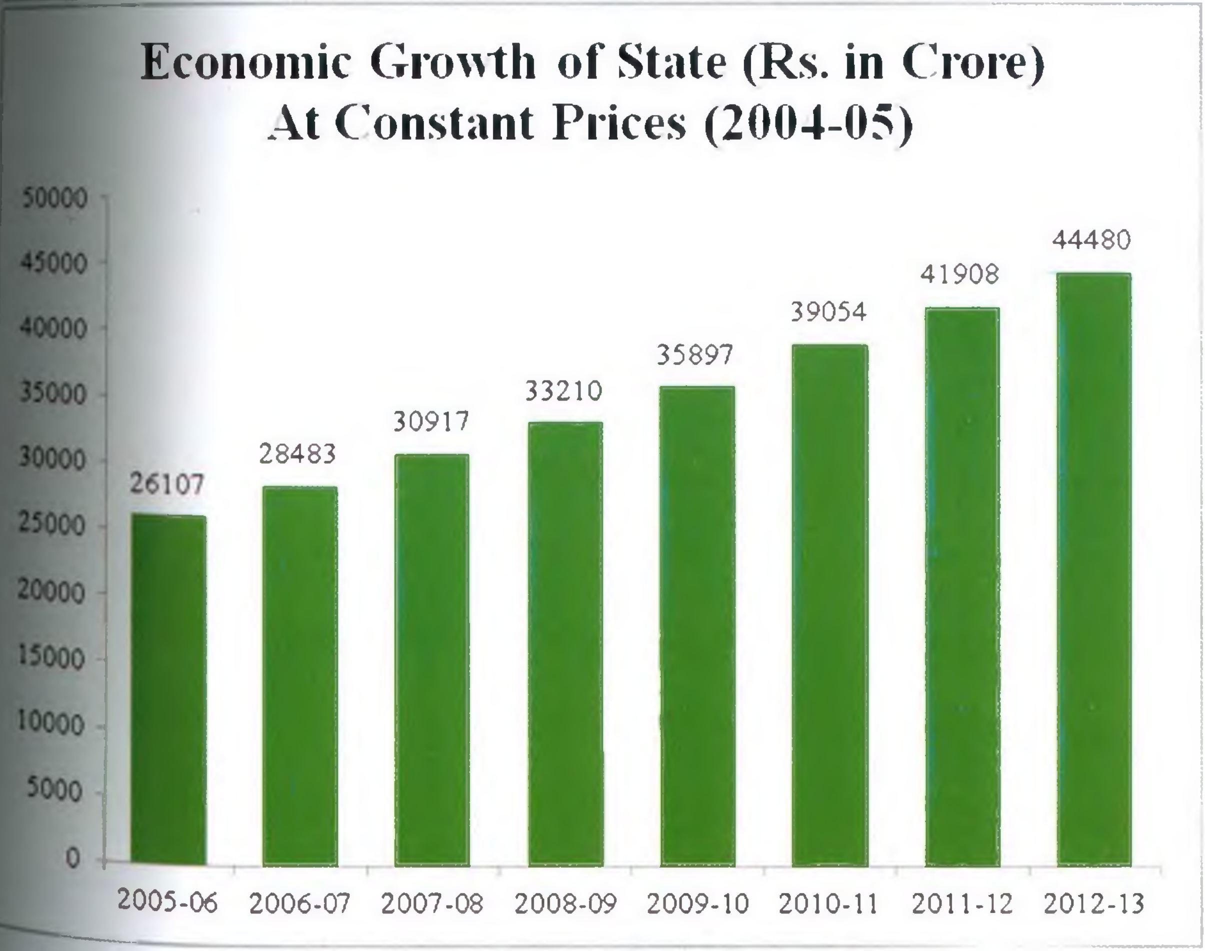

Public Finance

2.19 The state Government mobilizes financial resources through direct and indirect taxes, non-tax revenue, share of central taxes and grants-in-aid from Central Govt. to meet the expenditure on administration and developmental activities. According to the budget estimates for the year 2013-14 (BE) the total revenue receipts were estimated at ₹17,701 crore as against ₹16,736 crore in 2012-13(RE). The revenue receipts increased by 5.77 percent in 2013-14 over 2012-13

2.20 The state's own taxes were estimated at ₹5,373 crore in 2013-14(BE) as against ₹5,049 crore in 2012-13(RE) and ₹4,108 crore in 2011-12(AC). The state's own taxes was estimated 6.41 percent more in 2013-14 (BE) as against 2012-13 (RE) .

2.21 The state's non-tax revenue(comprising mainly of interest receipts, power receipts, road transport receipts and other administrative service etc.) was estimated at ₹2,393 crore in 2013-14(BE). The state's non tax revenue was 13.51 percent of total revenue receipts in 2013-14.

2.22 The share of central taxes was estimated at ₹2,717 crore in 2013-14(BE).

2.23 The break-up of the state's own taxes reveals that sales tax of 3,233 crore constitute a major portion i.e. 39.96 percent of total tax revenue in 2013-14.The corresponding percentages for the year 2012-13 and 2011-12 were 43.02 and 40.57 percent respectively. The revenue receipts from state excise duties is estimated at ₹949 crore in 2013-14 (BE)

2.24 The percentage of revenue surplus to total GSDP for the year 2011-12 and 2012-13 were 0.99 and 0.48 percent respectively.

3. INSTITUTIONAL AND BANK FINANCES

3.1 The State of Himachal Pradesh comprises of 12 districts. The Lead Bank responsibility has been allocated amongst three banks viz. PNB in 6 districts, UCO Bank in 4 districts and SBI in 2 districts. The UCO Bank is the Convenor Bank of State Level Bankers Committee (SLBC). Up to September, 2013, the State has a network of 1,706 bank branches and branch expansion is continuously increasing. 142 new bank branches were opened during March,2012 to September,2013. At present 1,367 branches are located in Rural areas and 253 in Semi-urban areas and 86 are functioning at Shimla the only Urban centre in the State classified by RBI.

3.2 As per census 2011, the average population per branch in the State comes to 4,019 against national level of 11,000. The Punjab National Bank has the largest number of 272 branches, SBI and its associates have 319 branches and UCO bank have 151 branches. The Cooperative Bank has a network of 442 branches and presence of Private Sector Banks is increasing rapidly having a network of 83 branches. In addition a few Urban Cooperative and local area banks are also functioning in the State. District Kangra is having a maximum number of bank branches 339 whereas lowest number of branches 41 is functioning in district Lahaul & Spiti.

3.3 The Himachal Pradesh State Cooperative bank ltd. is an apex Bank of the state, in three tier short term credit structure of the State. Bank is delivering banking services in remotest of the remote areas in six districts with a network of 190 Branches and 17 extension counters, All these branches are on CBS mode. State cooperative Bank on the National financial switch through which the customers are getting ATM facilities all over the Nation through more than one lakh shared ATMs. And about 41 own ATMs on strategic locations. In our venture to expand banking services at door steps in remotest of remote areas the bank envisages to open new place of business correspondents, wherever the potential is available. Moreover 24 applications are pending with RBI for obtaining licence for opening new places of business. Bank is also providing anywhere money transfer facilities through RTGS/NEFT. The Bank is taking proactive steps towards Financial Inclusion and has adopted a BC Model in two villages with the help of PACS. Recently Govt. of Himachal Pradesh has authorised the Bank to disburse pension to the retired Govt. employees all across the State.

3.4 The State is having Regional Offices of RBI, NABARD, and SIDBI and controlling offices of PNB, SBI, UCO, SBOP and Central Bank are operating in the State. The outreach of bank services has further increased by installation of 1,056 ATMs by various banks.

3.5 The role and responsibility of banks has well recognized as a partner for accelerating the socio economic growth wheel of the State.

The flow of credit in all priority areas has been enhanced. As of September, 2013 banks in the State has retained the status of achieving five national parameters out of six stipulated by RBI. At present the Priority Sector Advances goes upto 68%, Agriculture advances 18%, Advances to weaker sections 20%, advances to Women maintained at 7% and Credit Deposit Ratio 60%. Banks are making all out efforts to achieve 1% DRI target. The position of national parameters is given below in the Table 3.1.

Position of national parameters

Table-3.1

Sr. No.	Sector	%age of advances as on 30.9.2011	%age of advances as on 30.9.2012	%age of advances as on 30.9.2013	National Parameter in %age
1	Priority sector advances	60.04	71.76	68.20	40
2.	Agriculture advances	18.05	22.37	18.41	18
3.	MSE Advances(PSC)	41.26	48.68	48.12	
4.	Other Priority Sectors(PSC)	28.67	20.11	24.88	
5.	Advances to weaker sections	17.40	20.71	19.62	10
6.	DRI Advances to total advs. of previous year	0.07	0.05	0.05	1
7	Advances to women	5.49	8.50	6.99	5
8	C.D. Ratio	67.54	69.29	60.20	60
9	Advances to S/Cs (PSC)	14.45	14.57	13.78	
10	Advances to S/Ts (PSC)	4.93	5.56	4.71	
11	Advances to Minorities(PSC)	3.23	3.74	3.71	

Financial Inclusion:

3.6 The Banks are actively involved for implementation of various financial Inclusion initiative recently announced by GOI. The State had already attained the status of 100% Financial Inclusion in the year 2007 and marching ahead to achieve 100% credit inclusion. For banks the Financial Inclusion is not an option but a compulsion to enlarge its future business plan to cover all vulnerable section of society deprived the benefit from the banking sector. The last fiscal was pre-dominated with implementation

of Direct Benefit Transfer (DBT Scheme) where benefits of subsidy under various Govt. schemes have directly credited in the bank accounts of beneficiaries through Aadhaar/NPCI platform. The State has done wonderful achievement under Aadhaar and its penetration goes upto completion of 95% enrolment. So far Banks has carried out 20,253 DBT transactions amounting to ₹17.47 crore.

3.7 It is a matter of appreciation that 11 out of 12 districts in the State has been selected under implement Direct Benefit Transfer of LPG. The scheme is likely to roll out in the State in a month and Govt. subsidy on LPG will be credited directly in the Bank account of LPG consumers through Aadhaar mechanism.

3.8 Bank has prepared a massive roadmap to extend banking services in all 16,640 unbanked villages by March, 2016 in accordance with the directive received from RBI. Under the plan it has proposed to open 800 Ultra Small Branches (USB) and Business Correspondent Agents (BCAs) has to be engaged by banks to provide minimum banking services. The functional Lok Mitra Kendra's are also bein considered to work as BCAs of Banks So far about 2,709 unbanked village has been covered in the State. BCA are provided with ICT based instrumen to carry out financial transactions.

Business Volume of Banks:

3.9 The Aggregate Deposits o all banks operating in the Stat increased from ₹53,400 crore as o September, 2012 to ₹63,459 crore as o September, 2013 with the share o Commercial Bank at 71%, RRB at 4% Coop. Banks at 20% and Pvt. Secto Banks at 5%. The Aggregate advance have also increased from ₹21,274 cror as of September, 2012 to ₹26,090 cror as of September, 2013 witnessin growth of 23 percent

3.10 The total business volum of banks moved from ₹81,821 crore a of March, 2013 to the level of ₹89,54 crore as of September, 2013 witnessin as growth of 9.45%. The Public Secto Banks occupy market share of 69.59% business in the State. The comparativ data for the last three years is as unde in the table 3.2.

Table- 3.2

Comparative Data of Banks in HP

(₹ in crore)

Sr.No.	Item	30.9.2012	30.9.2013	Variation & %age of growth over September, 2012	
				absolute	%age
1	**Deposit PPD**				
	Rural	29742.87	36257.43	6514.56	21.90
	Urban/SU	23657.6	27201.43	3543.83	14.98
	Total	**53400.47**	**63458.86**	**10058.39**	**18.84**
2	**Advances (O/S)**				
	Rural	11438.91	16129.88	4690.97	41.01
	Urban/SU	9835.52	9960.16	124.64	1.27
	Total	**21274.43**	**26090.04**	**4815.61**	**22.64**
3	Investment made by Banks in State Govt. Securities/Bonds.	6531.58	2260.49	(-)4271.09	(-) 65.39
4	CD RATIO as per Throat Committee	69.29%	60.20%	(-) 9.09	(-)13.12
5	**Priority Sector Advances (O/S) of which under:**	**15265.49**	**17794.11**	**2528.62**	**16.56**
	I) Agricuiture	4758.68	4803.27	44.59	0.94
	ii) MSE	7430.69	8563.30	1132.61	15.24
	iii) OPS	3076.12	4427.54	1351.42	43.93
6	Weaker Section Advs.	4405.58	5119.20	713.62	16.20
7	DRI Advances	9.62	14.19	4.57	47.51
8	Non Priority Sec.Adv.	6008.93	8295.93	2287.00	38.06
9	No. of Branches	1614	1706	92	5.70
10	Advances to Women	1808.51	1823.18	14.67	0.81
11	Credit to Minorities	571.37	660.28	88.91	15.56
12	Advances to SCs	2225.00	2452.9	227.90	10.24
13	Advances to STs	848.79	837.65	(-) 11.14	(-) 1.31
14	Advances under Govt. sponsored programme	954.96	920.33	(-) 34.63	(-) 3.63

Performance under Annual Credit Plan 2013-14

3.11 Banks prepared Annual Credit Plan for disbursement of fresh loan on the basis of potentials worked out for various priority sector activities by NABARD. The financial targets under Annual Credit Plan 2013-14 was increased by 23.53% over the last plan and fixed at ₹11,548 crore. Under this Banks has disbursed a fresh credit to the tune of ₹5,435 crore upto half year ended September, 2013 and achieved 47.06% of Annual commitment. The Sector wise target Vis-à-vis achievement as of 30.9.2013 is as under in the table 3.3

Table-3.3
Position as on September, 2013 at a glance
(Amount in crore)

S.No	Sector	Annual Target 2013-14	Targets Sept., 2013	Achievement, Sept., 2013		%age Ach. Over qtl tgts
				Fresh Units	Amount	
1	Agriculture	4065.44	1829.45	170242	1600.39	87.48
2	MSE	3157.08	1420.68	26748	1232.6	86.76
3	Other Priority Sector	2619.92	1178.96	32889	831.42	70.52
4	**Total Priority Sector (1to3)**	**9842.44**	**4429.09**	**229879**	**3664.41**	**82.74**
5	Non Priority Sector	1705.44	767.45	38594	1770.77	230.73
	Grand Total (4+5)	**11547.88**	**5196.54**	**268473**	**5435.18**	**104.59**

Implementation of Govt. Sponsored Schemes:

a) Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

3.12 Under this scheme 833 projects were sanctioned against the target of 630 units giving employment opportunity to 3,886 persons. The targets for the year 2013-14 have revised to 1,619 units. So far 388 loan proposals amounting to ₹19.84 crore were disbursed by banks during current year upto September, 2013.

b) Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna

3.13 During the last fiscal year till March, 2013 Banks has assisted 9,486 Swarojgaris under Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojna (2012-13) with the credit of ₹47.12 crore. It contains loans of ₹39.55 crore and subsidy amount ₹7.57 crore.

c) National Rural Livelihood Mission (NRLM)

3.14 Recently Govt. of India has announced this new scheme under which bank finance is to be given to Women SHGs with subsidized rate of interest.

d) National Urban Livelihood Mission (NULM)

3.15 This is also a new scheme announced by the GOI under which subsidized loan were given for setting up of Self Employment Ventures, Skill Development and Housing loans to economical weaker section residing in

Urban areas. The scheme also covers Street Vendors.

e) Rajiv Rinn Yojna

3.16 This is also a new scheme introduced to meet the shelter need.

f) Doodh Ganga Dairy Scheme

3.17 NABARD has further introduced Dairy Entrepreneurship Development Scheme formally known as Doodh Ganga Dairy Scheme where a preference has been given to Women SHGs.

3.18 In addition Banks are providing Kisan Credit Cards to farmers for raising crop loans. So far Banks had issued 6.41 lakh KCC of which 51,267 number of Rupay Credit Card were given to needy farmers.

NABARD

3.19 The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has strengthened its association with the developmental process substantially for Integrated Rural Development in the recent years by initiatives encompassing a wide range of activities viz. Development of Rural Infrastructure, Micro Credit, Rural Non-Farm Sector, Minor Irrigation and other agricultural sectors, besides strengthening the rural credit delivery system in the state. The active support from NABARD is generating tremendous social and economic benefits in the rural areas of the state. In addition to its own schemes, NABARD is also implementing centrally sponsored credit linked subsidy schemes like Dairy Entrepreneurship Development Schemes (DEDS), Poultry Venture Capital Fund, Strengthening of agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardization, integrated Development of small Ruminants and Rabbits. Construction of Rural Godowns, Agri-clinics and Agribusiness centres etc.

Rural Infrastructure

3.20 Government of India had created Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) in 1995-96. Under this scheme, concessional loans are given by NABARD to state Govt. and State owned Corporations for the completion of ongoing projects as also to start new projects in certain selected sectors. This scheme has also been extended to Panchayati Raj institutions, self Help Groups and Non-Government Organizations for development of various location specific infrastructures having a direct bearing on society and the rural economy.

3.21 The development of infrastructure in rural areas through Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), since its inception in 1995-96, has emerged as NABARD's major intervention in partnership with the State Governments. The fund has continued with the yearly allocations in the successive Union Budgets. Under this scheme, loans are given by NABARD to State Governments and State owned Corporations for completion of ongoing projects as also to execute new projects in selected sectors. RIDF initially focused on execution of incomplete projects mainly under irrigation sector, however, financing over the years have become broad based covering 31 eligible activities classified into Agriculture and related sectors, social sector and rural connectivity. This scheme has also been extended to Panchayati Raj Institutions, Self Help

Groups and Non-Government Organizations for development of various location specific infrastructures having a direct bearing on society and the rural economy.

3.22 From an initial allocation of ₹15.00 crore under RIDF-I (1995-96), the allocation to the State has now reached the level of ₹ 500.00 crore under RIDF-XIX (2013-14). RIDF has played an important role in development of diversified sectors like irrigation, roads and bridges, flood protection, drinking water supply in addition to primary education, veterinary services, watershed development, IT infrastructure etc. In recent years, innovative project for development of poly-houses and micro irrigation systems have been supported, a trend setter for development of agri-business and sustainable farming on commercial lines.

3.23 Financial assistance of ₹4,165.35 crore has been sanctioned under RIDF for implementation of 4,881 projects (as on 31st December, 2013) to the state with rural roads/bridges accounting for 55% share, followed by irrigation (18%), rural drinking water (15%) and balance accounted by others including social sector. During the current Financial Year 2013-14, an amount of ₹133.34 crore has been sanctioned under RIDF–XIX upto 31st December, 2013. An amount of ₹216.00 crore has been disbursed up to 31st December 2013 to the State Govt. raising the cumulative disbursement to ₹2,574.29 crore.

3.24 After the implementation/ completion of the sanctioned projects, drinking water will be made available to more than 29.47 lakh persons (Ultimate Population), 7,413 km. road will become motorable, 19,621 mtrs. span bridges will be constructed and 87,175 hectares land will be benefited through minor irrigation projects.

3.25 In addition, about 20,139 hectare land will be protected from flood damages through protection measures, 6,219 hectare land will be covered under watershed projects. An area equivalent to 147 hectare of farm lands will be brought under poly-houses with micro irrigation systems on farmer fields. In addition, 2,921 rooms in Primary Schools, 64 Science Laboratories in Secondary Schools, 25 I.T. centres and 397 Veterinary Hospitals/Artificial Insemination Centres have already been constructed.

New Business Initiatives

a) NABARD Warehousing Scheme (NWS) 2013-14

3.26 NABARD has launched a dedicated scheme during the current year with a corpus of ₹5, 000 crore, for providing direct loans to public and private sector for construction of warehouses/silos, cold storages and other cold chain infrastructure. Modernization/improvement of the existing storage projects, leading to scientific/additional storage will also be eligible for support. The State Government, State Government Undertakings, Co-operatives, Federations, APMCs, State level boards, private companies, private entrepreneurs etc., are eligible for loan under this scheme.

b) NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)

3.27 NABARD earlier in 2011-12 started a line of credit for State

owned institutions/ corporations with sustained income streams, both on-budget and off-budget, for creating rural infrastructure outside the ambit of RIDF borrowing. This opened new avenues for creating rural infrastructure in non traditional areas.

Refinance Support

3.28 NABARD extended financial support amounting to ₹116.83 crore during 2012-13 and ₹24.07 crore during 2013-14 upto 31st Dec.,2013 to the banks operating in the state by extending refinance disbursement for diverse activities viz. dairy development, plantation and horticulture, farm mechanization, minor irrigation, land development, SGSY and non-farm sector. NABARD also supplemented the efforts of Coop. Banks and RRBs, for crop loan disbursement in the State by sanctioning ST (SAO) credit limit of 403.00 crore against which the banks ıave drawn refinance assistance of 403.00 crore on 31.03.2013. During 013-14 credit limit of ₹ 495.00 crore /as sanctioned and against it a total isbursement of ₹ 398.00 crore has ıeen made as on 31.12. 2013.

/licro Credit

.29 The Self Help Group ƽHG) movement has spread across the tate and is now on a firm base. The ıovement has been unscaled with upport in the human resources and nancial products. In Himachal Pradesh early 66,106 SHGs covering pproximately 6.61 lakh rural ouseholds were having saving bank ccounts with banks in the State as on 1st March 2013. Out of these 64,451 ;HGs had availed loans from various anks as on 31st March 2013 and the loans outstanding to them were to the tune of ₹285.15 crore. As on 31st March, 2013 nearly 441 JLGs have been provided credit amounting to ₹381.34 lakh by banks in the State. For propagating SHG Bank Linkage Programme and Joint Liability Group scheme NABARD is partnering with about 68 SHPIs/JLGPIs in the state. Further NABARD is also partnering with Department of Women and Child Development, Government of Himachal Pradesh.

Farm Sector Initiatives

3.30 A total number of 2,830 Farmers Clubs have been promoted in the state as on 31st December, 2013 covering 34,104 farmers from 5,789 villages. A Federation of Farmers Clubs has been formed in Sirmour district. NABARD has been supporting implementation of watershed development projects and so far 6 watershed Development Programmes have been sanctioned and are under various phases of implementation. Further, the 'Scheme for Capacity Building for adoption of Technology' (CAT) through training and exposure visits (within/outside the State) to facilitate farmers to adopt new/innovative methods of farming viz, vermi-culture, bio- manure, organic farming, poly house technology, medicinal and aromatic plant cultivation, mushroom cultivation, off season vegetables etc. is also being implemented. These visits are arranged in collaboration with selected research institutes. KVKs and Agriculture/ Horticulture Universities. Cumulatively 76 CATS have been conducted covering 1,510 farmers. 60 villages in 11 districts have been covered by VDP (Village Development Programme). About 2,000 families are

expected to be covered under this programme. NABARD is also supported a system of crop intensification (SCI) Programme in different districts of HP like Una, Kangra, Chamba, Mandi, etc. for increasing the productivity of rice and wheat. In addition to above projects have also been sanctioned for technology transfer pertaining to temperate fruits, exotic vegetables, vegetable nursery, bee keeping, productivity enhancement in maize and wheat, improved fodder grasses in different districts of Himachal Pradesh.

a) Watershed Development:

Six Watershed development projects on full grant basis have been funded through NABARD's Watershed Development Fund. Dhundan Watershed project running in Full Implementation Phase in District Solan with a grant support of ₹61.85 lakh, Saryanj Sarma watershed project (Interim Phase), District Solan with a grant of ₹12.29 lakh, Daseran watershed project (Full Implementation Phase), Dist Solan with a grant of ₹118.00 lakh, Sidhchaler watershed project (Interim Phase), Dist Una with a grant of ₹ 22.39 lakh, Jubehar watershed project (Capacity Building Phase) in Una district with a grant assistance of ₹14.28 lakh and Ambeda Dheraj watershed project (Interim Phase), District Una with a grant of ₹21.27 lakh which are under implementation through NGOs with the direct support from NABARD. So far, an amount of ₹158.64 lakh has been disbursed under the above projects against the sanctioned amount of ₹265.28 lakh. During the year 2013-14, an amount of ₹21.55 lakh was released. Once all the projects come under the full implementation phase, they will cover an area of about 7,671 hectares and 4,851 households from 54 villages. These projects have resulted not only in raising the water availability table but have proved to be an important mechanism for environment protection besides increasing productivity and income of the farmers and conserving the diminishing pastures, thus facilitating animal husbandry also.

b) Tribal Development through the Tribal Development Fund (TDF) :

NABARD, RO, Shimla has sanctioned two projects under tribal development fund. First project on Implementing Tribal Development Programme in 4 villages of Amb block viz. Aloh, Suhin, Basuni & Dhargujjran with a grant assistance of ₹92.81 lakh in District Una and another project proposal on traditional livelihood for tribal families in Baroti, Sanehara, Behri & Tihri villages of Jhandutta block of district Bilaspur. These projects aims at setting up of Wadis (small orchards) as well as dairy development in select 8 villages covering about 251 acres of area and 447 tribal families for plantation of Mango, Kinnow and Lemon with total grant support of ₹197.51 lakh from NABARD. The project is expected to provide tribals with an opportunity to raise their income level through the wadi and dairy initiatives.

c) Support through the Farm Innovation & Promotion Fund (FIPF)

Under FIPF, 5 projects have been funded so far with a grant assistance of ₹38.28 lakh for activities like System of Rice Intensification (SRI), System of Wheat Intensification (SWI), milk processing through which approx. 4,200 farmers would be benefited.

d) Support through the Farmers Technology Transfer Fund (FTTF):

The fund is mainly used for facilitating transfer of technologies developed by Universities/ research institutes to the farmers. Under this so far 18 projects have been sanctioned involving a financial assistance of ₹112.79 lakh. During the year 2013-14, an amount of ₹12.95 lakh was released under the FTTF projects. The projects pertains to validation and promotion of fixed bee hives for rearing indigenous honey bee (Apis cerena), exotic vegetable cultivation, improved vegetable nursery, integrated orchard management of temperate fruits, improved fodder cultivation, augmenting productivity of Lead Crop Activities through adoption of Sustainable Agriculture practices, etc. covering Solan, Una, Bilaspur, Shimla, Kullu and Mandi districts of the state.

e) Umbrella Programme on Natural Resource management (UPNRM)

NABARD has been implementing NRM based projects like watershed and wadi projects for the past 15 years under Indo-German collaboration with support from KFW and GTZ. With a view to restructure bilateral cooperation in the field of NRM, the Govt. of India and Germany have launched an UPNRM. NABARD and German Development Cooperation have been identified as the two strategic partners in the programme. The objective of the programme is to reduce poverty by creating livelihood opportunities, increasing farm income, strengthening the agriculture value chain and conserving the natural resources. To achieve environmental friendly economic growth across all strata of society, UPNRM supports projects that link natural resource management with livelihood improvements of the rural poor.

Rural Non-Farm Sector

3.31 NABARD has identified Rural Non-Farm Sector as one of the thrust areas of development. It is providing refinance support to Commercial Banks/RRBs and Cooperative Banks for development of Rural Non-Farm sector in the State. NABARD is also supporting Swarojgar Credit Card (SCC) Scheme by way of refinance, for the benefit of rural artisans and other small entrepreneurs, by keeping provision of timely and adequate credit for working capital or block capital or both to them. In addition to providing refinance for production and marketing of Rural Non-Farm products, NABARD is providing financial assistance for promotion of skill/entrepreneurship development amongst the Rural Youth, Training by Master Craftsman, Rural Development and Self Employment Training Institutes RUDSETIs, RUDSETI type of institutes engaged in training rural youth in various activities having potential for employment and income generation. A brief detail of the same is given below:

- Skill Development Initiatives envisage to develop, upgrade or diversify the existing skills of the people in rural areas looking for wage employment or livelihood opportunities both in group mode or individually. The cumulative number of SDPs sanctioned in the State till Dec.,2013 was 218 involving grant assistance of ₹111.18 lakh benefiting about 4,350 persons.

Ground Level Credit Flow

3.32 The credit flow at the ground level during 2012-13 for Priority Sector aggregated ₹6814.84 crore representing an increase of 4.00 percent over 2011-12. The target for 2013-14 has been fixed at ₹9842.43 crore for various banks based on Potential Linked Credit Plans prepared by NABARD. Till 30th September 2013, the achievement against this was ₹3664.41 crore.

3.33 NABARD has been preparing the district level Potential Linked Credit Plans (PLPs) on an annual basis for all districts of the State which reflect in a realistic way the ground level potentials, as also the credit and non-credit linkages needed for achieving the targets envisaged. The PLPs are prepared based on detailed discussions/ interaction with various stakeholders viz. State Govt, District Administration, Banks, NGOs, farmers and other related agencies. Broad sector wise PLP projections for 2014-15 has been assessed at ₹11,315.86 crore for Himachal Pradesh.

Financial Inclusion

3.34 Government of India constituted two funds viz. Financial Inclusion Fund (FIF) and Financial Inclusion Technology Fund (FITF) to provide impetus to financial inclusion initiates in the country. Following intervention under FIF & FITF have been made by NABARD in Himachal Pradesh to scale up Financial Inclusion drive.

a) Financial Inclusion Fund (FIF)

The objective of FIF is to support "developmental and promotional activities" with a view to securing greater financial inclusion, particularly among weaker sections, low income groups and in backward regions/ hitherto unbanked areas. NABARD continued to manage FIF for meeting the cost of developmental and promotional interventions. The major interventions taken during 2012-13 and 2013-14 as on 31st December 2013 are as under:

- Supported Regional Rural Bank for conducting workshops on RTGS/NEFT.
- Extended financial assistance to Commercial Banks and Cooperative Banks in the State for organizing Financial Literacy awareness camps under State Level Campaign on Financial Literacy.
- Supported Financial Literacy campaign through folk art in Mandi district through NGO.
- Assisted Regional Rural Bank and Cooperative banks for printing 12.32 lakh copies of financial literacy material for use in financial literacy campaign.
- Sanctioned grant assistance to Regional Rural Bank and Cooperative banks in State for organizing 591 financial literacy awareness camps in the State.

As on 31st December 2013, an amount of ₹103.30 lakh has been sanctioned to all stake holders in the State for various initiatives under FIF.

b) Financial Inclusion Technology Fund (FITF)

The objective of FITF is to enhance investment in Information Communication Technology (ICT) aimed at promoting financial inclusion, stimulate the transfer of research and

technology in financial inclusion, increase the technological absorption capacity of financial service providers/users and encourage an environment of innovation and cooperation among stakeholders. NABARD continued to manage FITF for meeting the cost of technology adoption for financial inclusion. The following initiatives were undertaken in the State:-

- Two projects were sanctioned under this fund for issue of 72,600 Rupay KCCs to RRB and Cooperative Bank in the State.
- One project for meeting operational cost i.e., reimbursement of Inter-Change Fee @ ₹15.00 and Switching Fee @ ₹2.50 per transaction of RuPay KCC Card was sanctioned to Cooperative Bank.

3.35 At the end of 31st December 2013, an amount of ₹14.06 lakh has been sanctioned to two banks in the state for ICT based initiatives under FITF. In terms of decision taken by the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy, Cooperative Banks have prepared FIP for 2013-14 to 2015-16, which are being monitored by NABARD.

New Business Initiatives

NABARD Assistance for Infrastructure Development (NIDA)

3.36 A new line of credit NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA) Fund has been set up to provide credit support for funding of rural infrastructure projects. NIDA will fund State owned institutions/ corporations with sustained income streams which can repay the loan directly to NABARD, without depending upon budgetary resources of the State Government for creation of rural infrastructure outside the ambit of RIDF borrowing.

Financial Assistance to Producers Organisation (PODF)

3.37 In order to support and finance Producers Organisations, NABARD has set up the "Producers Organisations Development Fund". The fund has been set up to Support Any registered Producers Organization viz., Producers Company(as defined under Sec 581 A in part IXA of Company's Act 1956), Producers Cooperatives, registered Farmer Federations, Mutually Aided Cooperative Societies, Industrial Cooperative Societies, other registered federations, PACS, etc. set up by producers to meet the needs of the producers (farmers, artisans, handloom weavers, etc.) by providing timely credit (mix of loan & limited grant), capacity building of producers, strengthening of Producers' Organisation. In the year 2013-14 upto 31.12.2013 financial assistance of ₹273.01 lakh has been sanctioned by Himachal Pradesh Regional Office of NABARD.

Financial assistance to PACS for taking up Multi Serve Activities

3.38 In order to enable PACS to provide more services to their members and generate income for themselves, an initiative has been taken to develop PACS as Multi service Centres for enabling the PACS to provide ancillary services to their members and for

creating additional business avenues and diversify its activities. In the year 2013-14 upto 31.12.2013 financial assistance of ₹73.30 lakh has been sanctioned by Himachal Pradesh Regional Office of NABARD.

Financial Assistance to Federations

3.39 In order to strengthen Marketing Federations/ Cooperatives in the marketing and other agriculture activities a separate line of credit, viz. Credit Facilities to Federations has been made available for the Marketing Federations/ Cooperatives to promote the marketing of agriculture produce and other agriculture activities. Marketing Federations/ Cooperatives having PACS and other producers' organisations as members/share holders are eligible to avail financial assistance under this scheme. Financial assistance will be available in the form of short term loan for crop procurement under Maximum Support Price Scheme (MSP) and supply of seeds, fertilizers, pesticides, plant protection, etc to the farmers and in the form of long term loan for post harvest handling including sorting & grading, primary processing, marketing etc. Such Federations/ Cooperatives should also be supported for providing agro advisory services and market information through e-agriculture marketing.

Financial Assistance to Cooperative Banks:

3.40 NABARD has been traditionally providing refinance support to District Co-operative Banks (CCB) through State Cooperative Banks. The implementation of the revival package for Co-operative Banks as per Vaidyanathan Committee recommendations has enabled CCBs to raise financial resources from sources other than the SCB. Accordingly, NABARD has designed a Short Term Multipurpose Credit Product for financing the CCBs directly for short term multi- purpose credit for meeting working capital and farm asset maintenance needs of the individual borrowers and affiliated Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS). In the year 2013-14 upto 31.12.2013 financial assistance of ₹100.00 crore has been sanctioned and disbursed by Himachal Pradesh Regional Office of NABARD to HP State Cooperative Bank, Shimla.

Investment Credit

3.41 The scheme for Development/ Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardization (AMIGS) has been formulated by Govt. of India to develop marketing infrastructure in the country to cater to the post-harvest requirement of production and marketable surplus of various farm products. During 2012-13, 15 units have been established with total subsidy released ₹ 151.078 lakh and in 2013-14 up to 31.12.2013, 5 units established and ₹91.81 lakh released towards subsidy amount.

3.42 A network of rural godowns will enable small farmers to enhance their holding capacity in order to sell their produce at remunerative prices and avoid distress sales. Accordingly, Grameen Bandera Yojna, a Capital Investment Subsidy Scheme for Construction / Renovation of Rural Godowns was introduced by Govt. of India in 2001-02. During 2013-14 up to 31.12.2013, 8 unit established and

₹76.74 lakh released towards subsidy amount.

3.43 With a view to provide sustainable employment opportunities to members of SHGs and rural folks, increase their income level and also to increase milk production in the state by better cattle and milk management, DEDS scheme of GoI was launched in Himachal Pradesh on 25th September, 2009. Under this scheme earlier Interest Free Loan was provided and now Capital Subsidy is routed through NABARD under the GoI's scheme for purchase of cattle, Milk processing, cold chain system, Transport of milk and milk products and Veterinary facilities. During 2012-13 ₹ 695.48 lakh subsidy was disbursed to 1271 beneficiaries and during 2013-14 up to 31.12.2013 ₹868.89 lakh subsidy has been disbursed to 1,649 beneficiaries.

3.44 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (DAHD&F) GoI during the year 2005-06 launched a pilot scheme titled "Venture Capital Scheme for Dairy and Poultry".(DPVCF). Regarding poultry, the main objective of the scheme was to boost the unorganized poultry sector in states where development is in primitive state and also to give incentive and create infrastructure facilities for export of poultry products by organized sector from advanced States. During 2012-13, 8 units have been established with total subsidy released ₹60.68 lakh and during 2013-14 up to 31.12.2013 a total subsidy of ₹99.14 lakh has been released thereby benefiting 39 beneficiaries.

3.45 Sheep, and goats are reared by the most poor of the rural population and they provide our society with meat, wool, milk and manure. These animals have wide adaptability to suit many of the agro-climatic conditions. The contribution of the sector to rural economy estimated at ₹2,400.00 crore mostly to sustain landless, marginal and small farmers. It forms 10% of total value of livestock products. During 2012-13, 108 units have been financed with total subsidy released ₹35.75 lakh and during 2013-14 up to 31.12.2013 ₹29.47 lakh released to 87 beneficiaries.

NABCONS

3.46 NABARD Consultancy Services (NABCONS) is a wholly owned subsidiary promoted by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and is engaged in providing consultancy in all spheres of agriculture, rural development and allied areas. Nabcons leverages on the core competence of the NABARD in the areas of agricultural and rural development, especially multidisciplinary projects, banking, institutional development, infrastructure, training, etc. The broad areas of specific competence in which the consultancy assignments are taken up by NABARD Consultancy Services are feasibility studies, project formulation, appraisal, financing arrangement, project management and monitoring, concurrent and impact evaluation, restructuring of agri-business units, vision documentation, development administration and reforms, institution development and turnaround of rural financial institutions, performance rating

of rural agencies, bank supervision, policy and action research studies, seminars on rural development themes, micro finance related training, exposure visits and capacity building, training of trainers and building up training institutions, non-farm enterprise promotion.

3.47 NABCONS has completed study assignment on "Macro Management in Agriculture" for HP Govt in 2010-11 & 2011-12. Also it has conducted awareness programmes for FMC and NIAM in all districts of HP in 2013-14 up to 31.12.2013. It has also taken the consultancy assignments for different projects under Japan International Cooperation Agency (JICA) for survey, investigation and preparation of DPRs of lift and flow irrigation projects in Mandi & Kangra districts. Besides this, NABCONS has taken up evaluation study of SCs, OBCs and minority community's schemes in HP and also appraisal of loan cases for cooperative banks in HP.

4. EXCISE AND TAXATION

4.1 The Department of Excise and Taxation is a major revenue earning department of the Government of Himachal Pradesh. During the year 2012-13 revenue collected under VAT-Act was ₹ 2,728.21 crore, which was 68.69 percent of total revenue collected i.e. ₹ 3,971.31 crore. During the year 2012-13 revenue of ₹ 809.86 crore has been collected under head 0039- State Excise against the target of ₹ 800.13 crore, which was 20.39 percent of total revenue collection and remaining 10.92 percent collection was under HP Passenger and Goods Tax Act, HP Luxury Tax Act, HP Certain Goods Carried by Road Tax Act and HP Entertainment Tax Act.

4.2 Name of the different Services, year of start and achievement made therein are as follows:

- **E-Payment facility for traders / dealers:** E-Payment has been started since 26th November, 2010 (integration completed with four banks i.e. State Bank of India, Punjab National Bank, United Commercial Bank and State bank of Patiala). As on 31.12.2013 revenue of ₹103.00 crore has been earned under this head.

- **E-Registration**: Facility of e-registration has been provided to all registered dealers since 15th August, 2011 and up to 31.12.2013 2,493 dealers have availed e-registration facility under different Acts.

- **E-filling of Returns:** Facility of e-filing of returns has been started to all registered dealers since 15th August, 2011 and upto 31.12.2013, 2,26,240 dealers have filed e-returns.

- **E-Statutory Forms:** Facility of issue of e-statutory forms has been started to all registered dealers since 4th April, 2012 and 3,96,579 e-statutory forms have been issued upto 31.12.2013.

- **E-Declaration**: e-Declaration system for inter-state goods movement has been started to all registered dealers since 15th August, 2011 for exports and from 20th November, 2011 for imports. Outgoing e-declaration was reported 19,44,116 whereas Incoming e-declaration was 22,80,584.

4.3 Beside the above, department has provided different facilities to traders which are mentioned below:

- Under the Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act 1955, Govt. has abolished the registration fee for new dealers to facilitate registration vide notification LLR-D (6)-33/2013 dated 3rd October, 2013.

- Under Himachal Pradesh Luxuries (Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, registration fee for new dealers has

been abolished. Secondly Govt. has given exemption to new hotels set up in backward Panchayats and has commenced operation after 1st April, 2013 for a period of 10 years to encourage and promote tourism in the area having a vast potential of tourism.

- The department has encouraged the dealers to deposite tax and dues through e-payment and during this year upto 31.12.2013 an amout of ₹103.00 crore has been deposited through e-payment which is 4.46 percent of the total VAT payment. Total collection under VAT upto 31.12.2013 is ₹2,306.62 crore.

- The department is providing good e-service to the dealers and during the year 2.85 lakh SMS have been sent by department to the dealers.

- Interactive sessions with Beopar Mandal & Industrial Associations have been organized time to time.

- During the year the tax on all Industrial Inputs, raw material and packing material has been levied @ 5 percent.

- The department is considering dispensing with the requirement of stoppage of vehicles at the barrier in case of goods being exported out the State with a view to ease traffic congestion at these barriers.

- In case the returns are filled electronically the requirement of filing of hard copy of monthly and quarterly returns, under H.P. VAT Act, 2005 and CST Act, 1956 has been dispensed with.

- In order to ensure proper declaration of goods by the traders, the department has made provision for compulsory e-declaration of certain evasion prone commodities for those inter- state transactions whose value Is in excess of ₹30,000.

GROWTH OF REVENUE RECEIPTS HEADWISE

(₹ in crore)

Year	State Excise	Sales Tax	PGT	OTD	Total
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	237.42	383.33	31.45	75.10	727.30
2003-04	280.40	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-05	299.90	542.37	38.42	97.83	978.52
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.22	118.64	1425.17
2007-08	389.57	1092.47	55.12	137.16	1674.32
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-12	707.36	2476.78	94.36	294.96	3573.46
2012-13	809.86	2728.21	101.39	331.88	3971.15
2013-14 upto 31.12.2013	652.69	2306.62	80.34	240.86	3280.51
Target for 2014-15	1014.81	3693.72	136.82	375.41	5220.77

5. PRICE MOVEMENT

Price Situation

5.1 Containment of Inflation is on the priority list of Government. Inflation hurts the common man most as their income is not indexed to prices. Inflationary tendencies are measured by Wholesale Price Index (WPI). The Wholesale Price Index at National level during the month of December, 2012 was 168.8 which increased to 179.2 (P) in the month of December, 2013 showing an inflation rate of 6.16 percent. The month-wise average Wholesale Price Index Numbers for the year 2013-14 depicting inflation rate is given in the table 5.1 below:-

Table-5.1

All India Wholesale Price Index No.(Base 2004-05=100)

Month	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Inflation rate
April	114.5	123.5	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	4.8
May	114.7	124.1	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	4.6
June	114.8	127.3	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	5.2
July	115.7	128.6	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	5.9
August	116.0	128.9	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	7.0
September	116.0	128.5	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	7.1
October	116.3	128.7	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	7.2
November	116.8	126.9	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5(P)	7.5
December	116.7	124.5	133.4	146.0	157.3	168.8	179.2(P)	6.2
January	117.5	124.4	135.2	148.0	158.7	170.3	..	..
February	119.0	123.3	135.2	148.1	159.3	170.9	..	..
March	121.5	123.5	136.3	149.5	161.0	170.1	..	..
Average	**116.6**	**126.0**	**130.8**	**143.3**	**156.1**	**167.6**	..	..

P:Provisional

5.2 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch. The Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and maintained the mechanism of supplying the essential consumer commodities to the public through a net work of 4,762 fair price shops. In order to monitor food insecurity and vulnerability issues the department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs is also implementing Food Insecurity and Vulnerability Mapping System (FIVIMS) through G.I.S. mapping. As a result of various measures by the State Govt. the prices of essential commodities remained under control. Consumer Price Index (CPI) (Base 2001=100) of Himachal Pradesh increased at lower rate as compared to the National level. The C.P.I. for industrial workers in H.P. increased by only 11.2 percent in November, 2013 against 11.5 percent at National level. Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/ Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities continued during the year so that effective measures can be taken in time to check undue price rise.

PRICE INDICES

Whole Sale Price Index(2004-05=100)

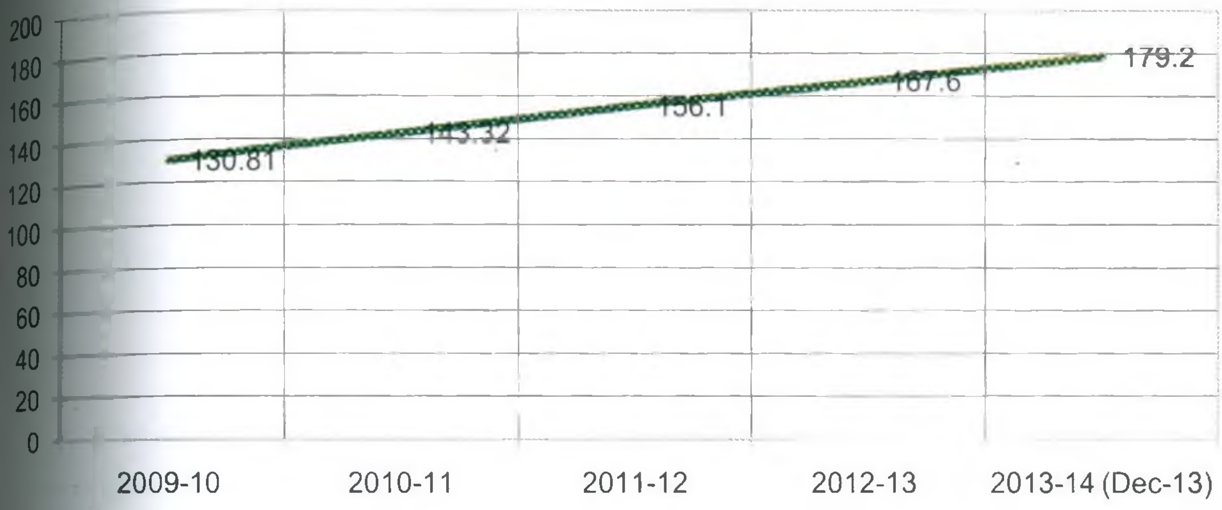

Consumer Price Index Number of Himachal Pradesh(2001=100)

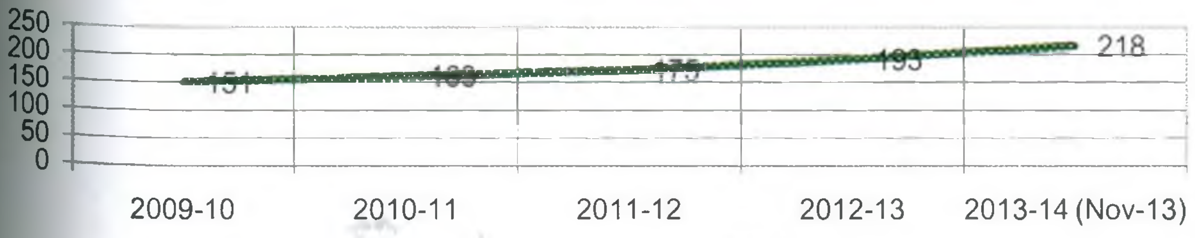

Table - 5.2

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in H.P.

(Base 2001=100)

Month	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Percentage change over previous year
April	133	141	158	167	185	201	8.6
May	132	142	158	169	185	205	10.8
June	134	144	158	169	186	208	11.8
July	136	149	163	174	192	213	10.9
August	137	150	164	174	195	214	9.7
September	140	151	165	176	195	215	10.3
October	141	152	165	179	195	217	11.3
November	141	155	165	179	196	218	11.2
December	139	156	166	177	196	..	..
January	139	156	168	178	198	..	..
February	140	156	166	178	199	..	..
March	140	157	165	180	199	..	..
Average	138	151	163	175	193	..	..

Table- 5.3

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers of All India

(Base 2001=100)

Month	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Percentage change over previous year
April	138	150	170	186	205	226	10.2
May	139	151	172	187	206	228	10.7
June	140	153	174	189	208	231	11.1
July	143	160	178	193	212	235	10.9
August	145	162	178	194	214	237	10.8
September	146	163	179	197	215	238	10.7
October	148	165	181	198	217	241	11.1
November	148	168	182	199	218	243	11.5
December	147	169	185	197	219	..	..
January	148	172	188	198	221	..	..
February	148	170	185	199	223	..	..
March	148	170	185	201	224	..	..
Average	145	163	180	195	215	..	..

6. FOOD SECURITY AND CIVIL SUPPLIES

Targeted Public Distribution System

6.1 One of the main constituents of the Govt. strategy for poverty alleviation is Targeted Public Distribution System (T.P.D.S.) which ensures availability of essential commodities like Wheat, Wheat Atta, Rice, Levy Sugar and Kerosene through a net work of 4,781 Fair Price Shops. The . total families for distribution of essential items have been divided in two categories viz;

1) NFSA
   - i) AAY
   - ii) Priority Households
   - iii) Annapurna
2) Other than NFSA

6.2 In the State, the Targeted Public Distribution System, having total ration cards 17,38,383, covering card population 76,94,525. These card holders are provided with essential commodities through 4,781 fair price shops which constitutes 3,180 Cooperative Societies, 37 Panchayat 113 HPSCSC, 1,444 Individual and 7 Mahila Mandals.

6.3 Distribution of essential commodities during the year 2013-14 (upto 11/2013)

Table-6.1

Sr. No.	Name of Commodity	Unit	Distribution of items upto November, 2013
1	Wheat/Atta APL	M.T.	1,34,052
2	Rice APL	M.T.	70,570
3	Wheat BPL	M.T.	39,601
4	Rice BPL	M.T.	29,850
5	Wheat AAY/NFSA	M.T.	35,047
6	Rice AAY/NFSA	M.T.	26,623
7	Rice Annapurna	M.T.	79
8	Rice M.D.M.	M.T.	12,072
9	Levy Sugar/ Sugar NFSA/APL	M.T.	29,772
10	Malka	M.T.	2,921
11	Kabli Chana	M.T.	5,079
12	Moong Sabut	M.T.	5,402
13	I.Salt	M.T.	8,635
14	Dal Chana	MT	1,857
15	Urd Whole	M.T.	11,206
16	Kala Chana	M.T.	77
17	M/Oil	K.L.	24,984
18	R/Oil	K.L.	43

3.4 Presently, following food items are being distributed under TPDS & H.P State subsidised schemes which is as under :-

Table- 6.2

.No.	Per Ration Card	Distribution (Quantity)
1	Up to two members	One Kg. Dal Chana, One Kg. Salt and only one litre M/Oil.
2	Three or four members	One Kg. Dal Chana, One Kg. Salt, One Kg. Urd Whole, two litres M/Oil.
3	Five & above members	One Kg. Dal Chana, One Kg. Salt, One Kg. Chana Whole, two litre M/Oil and One Kg. Urd Whole.
		Rate of Dal Chana @ ₹25.00 per Kg., Chana Whole @ ₹35.99 per Kg., Urd Whole @ ₹ 34.99 per Kg., M/Oil @ ₹ 59.00 per Kg. and I. Salt @ ₹4.00 per Kg.
4	**Other than NFSA**	
	i) APL	18 Kg. W/Atta @ ₹ 8.50 per Kg., 9 Kg. Rice @ ₹ 10.00 per Kg.
	ii) BPL	The BPL families is being issued additional food-grains to make good the quantity equal to 35 Kg. per family per month at BPL rate i.e. Wheat @₹ 5.25 per Kg., Rice @₹ 6.85 per Kg. For BPL families members the quantity of wheat and rice will be distributed according to the members for which detail is as given. For one member family 17 Kg. & 13 Kg., two members family 14 Kg. & 11 Kg., three members family 11 Kg. & 9 Kg., four members family 8 Kg. & 7 Kg., five members family 5 Kg. & 5 Kg., six members family 2 Kg. & 3 Kg. respectively. The remaining quantity of wheat and rice according to per family per ration card as described already will be meet out from NFSA for which the rates of wheat and rice will be ₹2.00 and ₹3.00 per Kg. respectively.
	iii) For Annapurna card holder	10 Kg. rice free of cost.
5	**NFSA**	
	i) For AAY ration card holder	35 Kg. per family i.e. 20 Kg. Wheat @ ₹ 2.00 per Kg. and 15 Kg. Rice @ ₹ 3.00 per Kg.
	ii) For Priority Households	5 Kg. per member- 3 Kg. Wheat @ ₹2.00 per Kg. and 2 Kg. Rice @ ₹ 3.00 per Kg.
6	Sugar	For APL ration card holders 600 gms. per member per month @ ₹ 19.50 per Kg. For Non-APL ration card holders 600 gms. per member per month @₹ 13.50 per Kg.

Table 6.3
Items Stocked in the Tribal Areas for Distribution as on November,2013

Sr. No.	Name of Commodity	Unit	Quantity
1	Wheat/Atta APL	M.T.	495
2	Rice APL	M.T.	9857
3	Wheat BPL	M.T.	3857
4	Rice BPL	M.T.	1402
5	Wheat AAY	M.T.	3318
6	Rice AAY	M.T.	1060
7	Rice Annapurna	M.T.	5
8	Levy Sugar	M.T.	1543
9	Kerosene Oil	K.L.	1686
10	L.P.G. 14.2 Kg.	No.	204959
11	I.Salt	M.T.	536
12	Dal Chana/Malka	MT	548
13	Urd Sabut	M.T.	497
14	Kala Chana/ Moong Sabut	M.T.	531
15	Edible Oil	K.L.	1124

Other Activities

Petrol and Petroleum Products

6.5 At present, there are 36 wholesale kerosene oil dealers, 319 Petrol Pumps and 123 Gas Agencies working in the Pradesh.

Civil Supplies Corporation

6.6 The H.P. State Civil Supplies Corporation as a "CENTRAL PROCUREMENT AGENCY" for all controlled and non-controlled essential commodities in the state is procuring & distributing food grains and other essential commodities to the entire satisfaction of the Government under the Targeted Public Distribution System (TPDS). During the current financial year 2013-14, up to November,2013 the Corporation procured & distributed various commodities under TPDS to the tune of ₹737.60 crore as compared to ₹714.43 crore during previous year.

Presently, the Corporation is providing other essential items like cooking gas, Diesel/Petrol/Kerosene Oil and life saving drugs/medicines at reasonable rates to the consumers of the State through its 117 Wholesale Godowns, 111 Fair Price Shops, 52 Gas Agencies, 4 Petrol Pumps and 36 Medicine Shops. In addition to this, the procurement and distribution, of non-controlled commodities (like sugar, pulses, rice, atta, detergents, tea leaves, Ex.-books, cement, CGI Sheets, medicines items under SNP, MNREGA & petroleum products etc.) through wholesale godowns and Retail shops, of the Corporation which certainly has played an important role in stabilizing prices of these commodities prevailing in the open market.

During the current financial Year, 2013-14, up to November, 2013 the Corporation procured & distributed various commodities under the scheme to the tune of ₹ 262.37 crore as compared to ₹ 244.88 crore during corresponding period of last year.

The Corporation is arranging the supplies of rice & other supplementary items under the Mid-day-Meal Scheme to Primary and Upper Primary Schools as per the allocation made by the concerned Deputy Commissioners. During the current financial year 2013-14 up to November, 2013 the Corporation arranged the distribution of 12,089 MTs rice as compared to 13,138 MTs during the corresponding period of last year under this scheme. The Corporation is also arranging the supplies of identified Specially Subsidized items (pulses, E./ Oil & I/ Salt) under the State Sponsored

Schemes as per the decisions of the purchase committee constituted by the Govt. During the current financial year 2013-14 up to November, 2013 the Corporation procured & distributed various commodities under this scheme to the tune of ₹207.26 crore as compared to ₹172.49 crore during corresponding period of last year.

The corporation is likely to achieve a total turnover of ₹1,391.46 crore during the year 2013-14 as compared to ₹ 1,316.23 crore during 2012-13.

New Sales Centres Sanctioned/ Opened

6.7 The Corporation has sanctioned/opened the following sale centres during the year, 2013-14 in public interest :-

Sr. No.	Name of Sale Centre	Name of District
1	Whole Sale godown Talyar	Mandi
2	Medicine Shop IGMC-III	Shimla
3	LPG godown Joginder Nagar	Mandi

Besides above Sale Centres, LPG Agencies at Kullu and Nadaun is likely to be commissioned during 2014-15.

Opening of Aam Admi Ki Dukan/ Stores

6.8 The Corporation has initiated proposal of opening 'Aam Admi Ki Dukan' in the identified HRTC's bus stands in the State, In the first phase, for the sale of various non- controlled items, Aam Admi Ki Dukan in the Bustand Nagrota Bagwan and Palampur are being made functional very shortly.

On the other hand more Medicine shops are proposed to be opened in the premises of the Govt. Hospitals. In addition to this procurement / supply of Tyres & Tubes to the vehicles of the Govt. Department/Boards/ Corporation, specially to HRTC and other Govt. institutions are under active consideration of the Corporation.

Government Supplies

6.9 H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd., is managing the procurement and supplies of Allopathic & Ayurvedic medicines to Govt. hospitals, Cement to Govt. Department/ Board/ Corporation and other Govt. institutions and GI/DI/CI Pipes to I & PH Department of Govt. of H.P, School Uniform to Education Department. During the current financial year, 2013-14 the position of Govt. supply remain as under:-

1	Supply of Cement to Govt. Deptt./ Boards/ Corporation	₹ 69.13 crore
2	Supply of Medicine to Heath/ Ayurveda Deptt.	₹ 33.19 crore
3	GI/DI/CI Pipes to I& PH Department.	₹85.04 crore
4	School uniform to Education Department	₹35.26 crore
	Total	**₹ 222.62 crore**

MNREGA Cement Supplies

6.10 During the financial year 2013-14 up to November, 2013 the Corporation managed the procurement & distribution of 18,86,000 bags cement amounting to ₹ 41.34 crore to various Panchayats used for developmental works of the Panchayats in the whole of the State.

Food Security in Tribal and Inaccessible Areas of the State

6.11 The Corporation is committed to provide all essential commodities, Petroleum products including kerosene oil and LPG by investing ₹ 20.00 crore in tribal and inaccessible areas, where private traders do not venture to undertake these operations due to economic non-viability of the trade. During the current financial year, 2013-14 the supplies of essential commodities and Petroleum products to tribal and snow bound areas were arranged as per the tribal action plan of the Government.

Implementation of National Food Security Act, 2013 (NFSA)

6.12 The task and responsibilities assigned by the Government of India to States for implementation of the National Food Security Act, 2013, the Hon'ble Chief Minister , HP launched most prestigious Scheme of "Rajiv Gandhi Anna Yojna" on 20-09-2013. The HP State Civil Supplies Corporation is playing major role in implementing the scheme through timely procurement, storage & supply of allocated food grains through its 117 wholesale centres to Fair Price Shops for further distribution among the beneficiaries of the State. In addition to this, in the absence of separate Warehousing Corporation of the State Government, the HP State Civil Supplies Corporation is managing storage capacity itself, through 22,910 MTs owned and 32,766 MTs hired godowns in the State. In view of successful implementation of the NFSA, 2013 additional Storage Capacity is being created by Constructing godowns at various places ranging from 300 MTs to 1,000 MTs Capacity for which identification/ transfer of Govt. land in the name of the Department/ Corporation is in progress.

7. AGRICULTURE AND HORTICULTURE

AGRICULTURE

7.1 Agriculture is the main occupation of the people of Himachal Pradesh. It has an important place in the economy of the State. The state of Himachal Pradesh is the only state in the country whose 89.96 percent as per 2011 census of population lives in rural areas. Therefore dependency on Agriculture/ Horticulture is ominent as it provides direct employment to about 70 percent of total workers of the State.

7.2 Agriculture happens to be the premier source of State Income (GSDP). About 15 percent of the total GSDP comes from agriculture and its allied sectors. Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectare the area of operational holdings is about 9.68 lakh hectares and is operated by 9.33 lakh farmers. The average holding size comes to 1.04 hectare. Distribution of land holdings according to 2005-06 Agricultural Census shows that 87.03 percent of the total holdings are of small and marginal farmers. 12.54 percent of holdings are owned by semi medium/ medium farmers and only 0.43 percent by large farmers. It is evident from the Table 7.1

Table-7.1
Distribution of Land Holdings

Size of Holdings (hect.)	Category (Farmers)	No. of Holdings (lakh)	Area (lakh hect.)	Av. Size of Holding (hect.)
1	2	3	4	5
Below 1.0	Marginal	6.36 (68.17%)	2.58 (26.65%)	0.41
1.0-2.0	Small	1.76 (18.86%)	2.45 (25.31%)	1.39
2.0-4.0	Semi Medium	0.88 (9.43%)	2.40 (24.79%)	2.73
4.0-10.0	Medium	0.29 (3.11%)	1.65 (17.05%)	5.69
10.0-Above	Large	0.04 (0.43%)	0.60 (6.20%)	15.00
	Total	**9.33**	**9.68**	**1.04**

7.3 About 81.5 percent of the total cultivated area in the State is rainfed. Rice, Wheat and Maize are important cereal crops of the State. Groundnut, Soyabeen and Sunflower in Kharif and Rapeseed/Mustard and Toria are important oilseed crops in the Rabi season. Urd, Bean, Moong, Rajmash in Kharif season and Gram Lentil in Rabi are the important pulse crops of the State. Agro-climatically the state can be divided into four zones viz.:-

- Sub Tropical, sub-mountain and low hills.
- Sub Temperate, Sub Humid mid hills.
- Wet Temperate high hills.
- Dry Temperate high hills and cold deserts.

The agro-climatic conditions in the state are congenial for the production of cash crops like seed potato, off-season vegetables and ginger.

7.4 The State Government is laying emphasis on production of off-season vegetables, potato, ginger, pulses and oilseeds besides increasing production of cereal crops, through timely and adequate supply of inputs, demonstration and effective dissemination of improved farm technology, replacement of old variety seed, promoting integrated pest management, bringing more area under efficient use of water resources and implementation of Wasteland Development Projects. There are four distinct seasons with respect to rainfall. Almost half of the rainfall is received during the Monsoon season and remaining precipitation is distributed among other seasons. The State received an average rainfall of 1,251 mm out of which Kangra district gets the highest rainfall followed by Sirmour, Mandi and Chamba.

Monsoon 2013

7.5 The performance of agriculture is closely related to the performance of monsoon. During the monsoon season of 2013 (June-September) in Himachal Pradesh the rainfall was excess in Kangra, Kinnaur Kullu & Una District, Normal in Bilaspur, Hamirpur, Mandi, Shimla, Solan & Sirmour District and deficient in Chamba District and scanty in Lahaul-Spiti District. For Himachal as a whole, the total rainfall during the entire monsoon season was (-) 8 percent below the annual normal rainfall. The table 7.2 shows southwest monsoon performance in various districts.

Table 7.2
Monsoon Season Rainfall (June-September,2013

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			Total (mm)	%age
Bilaspur	833	877	(-) 4	(-) 5
Chamba	804	1406	(-)602	(-) 3
Hamirpur	1091	1079	12	1
Kangra	1946	1582	364	23
Kinnaur	461	264	197	74
Kullu	640	520	120	23
L/Spiti	118	458	(-)340	(-)74
Mandi	1195	1093	102	9
Shimla	576	634	(-) 58	-9
Sirmaur	1391	1325	66	5
Solan	812	1000	(-) 188	(-)19
Una	1191	863	328	38
Average	775	844	(-) 69	(-) 8

Table 7.3
Post Monsoon Seasons Rainfall Data for the period from 1.10.2013 to 31.12.2013

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			Total (mm)	%age
Bilaspur	47	70	(-) 23	(-) 33
Chamba	101	127	(-) 26	(-) 21
Hamirpur	67	86	(-) 19	(-) 22
Kangra	157	105	52	50
Kinnaur	23	102	(-) 79	(-) 77
Kullu	67	98	-31	(-) 31
L/Spiti	27	144	(-)117	(-) 81
Mandi	55	81	-26	(-) 32
Shimla	44	75	-31	(-) 41
Sirmaur	71	87	-16	(-) 19
Solan	76	89	-13	(-) 14
Una	101	72	29	41
Average	62	103	(-) 41	(-) 40

Note:

Normal = -19% to +19%
Excess = 20% and above
Deficient = -20% to –59%
Scanty = -60% to –99%

Crop Performance 2012-13

7.6 The economy of Himachal Pradesh is largely depend on agriculture which still occupies a significant place in the state economy as 15 percent of

total State Domestic Product in 2012-13 was generated by agriculture and allied sectors and any fluctuations in the production of food grains affect the economy significantly. During the Eleventh Five Year Plan, 2007-12 emphasis has been laid on production of off-season vegetables, potato, pulses and oilseeds besides cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, approach of watershed development, demonstration and effective dissemination of improved farm technology etc. The year 2012-13 agriculturally remained a good normal year. During the year 2012-13, the food grains production was achieved at a record level 15.68 lakh M.Ts against 15.44 lakh M.Ts. during 2011-12. The production of Potato was 1.83 lakh M.Ts in 2012-13 as against 1.52 lakh M.Ts in 2011-12 The production of vegetables during the year 2012-13 was 13.80 lakh M.Ts as against 13.57 lakh M.Ts in 2011-12.

Prospects 2013-14

7.7 The food grain production target for 2013-14 are to be around 15.80 lakh MTs. The Kharif production mainly depends upon the behaviour of south west monsoon, as about 81.50 percent of the total cultivated area is rainfed. As per advance estimates of Area, Production and Yield of crops during Kharif 2013 season, against the production target of 8.97 lakh MT of food grains, the expected production would be 8.33 lakh MT. Rabi Sowing season normally starts in October and November. There was deficient rainfall during sowing season due to this rabi crop sowing has been affected to some extent for want of proper soil moisture. There were some rains in the 2nd fortnight of December, 2013, but these were neither adequate nor well spread because of this the target of Rabi 2013-14 production is also likely to fall short. The production of food grains and commercial crops in the State during 2010-11, 2011-12, tentative final for 2012-13 likely anticipated achievement for 2013-14 and target for 2014-15 is shown in Table 7.4.

Table-7.4
Food grains Production

(In '000 tonnes)

Crop	2010-11	2011-12	2012-13 (tentative)	2013-14 (Production)	2014-15 (Target)
I.Foodgrains					
Rice	128.92	131.63	125.28	111.11	130.00
Maize	670.90	715.42	657.16	704.95	740.00
Ragi	2.11	2.80	2.50	2.84	3.00
Millets	3.28	3.31	3.55	3.72	5.00
Wheat	614.89	629.09	696.91	639.00	667.00
Barley	32.17	31.46	36.25	36.00	36.00
Gram	0.60	0.66	0.49	2.50	2.50
Pulses	40.99	30.12	45.58	16.21	19.00
Foodgrains	1493.86	1544.49	1567.72	1516.33	1602.50
II.Commercial Crops					
Potato	205.97	152.98	182.87	187.50	190.50
Vegetables	1268.90	1356.60	1398.05	1380.40	1400.00
Ginger(Dry)	1.56	1.53	1.69	2.60	4.00

Growth in Food grains Production

7.8 There is limited scope of increasing production through expansion of cultivable land. Like whole country, Himachal too has almost reached a plateau in so far as cultivable land is concerned. Hence, the emphasis has to be on increasing productivity levels besides diversification towards high value crops. Due to an increasing shift towards commercial crops, the area under food grains is gradually declining as the area which in 1997-98 was 853.88 thousand hectares is likely to be declined to 798.31 thousand hectares in 2012-13. Increase in production thus reflects gain in productivity as is evident from the Table7.5

Table 7.5
Food grains Area and Production

Year	Area ('000 hect)	Produc - tion ('000 M.T.)	Produc-tion per hectare (M.T.)
1.	2.	3.	4.
2008-09	797.25	1226.79	1.53
2009-10	784.02	1111.16	1.41
2010-11	795.18	1493.86	1.88
2011-12	790.70	1544.49	1.95
2012-13 (Tenta-tive)	798.31	1567.72	1.96
2013-14 (Ant.Ach.)	794.47	1516.33	1.91
2014-15 (Target)	795.50	1602.50	2.01

High Yielding Varieties Programme (H.Y.V.P.)

7.9 In order to increase the production of food grains, emphasis has been laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz. Maize, Paddy and Wheat during the last five years and proposed for 2014-15 is given in table 7.6.

Table-7.6
Area Brought Under High Yielding Varieties ('000 hect.)

Year	Maize	Paddy	Wheat
1	2	3	4
2008-09	280.51	74.61	325,22
2009-10	286.50	75.00	328.00
2010-11	278.65	75.20	327.00
2011-12	279.05	75.08	330.35
2012-13	288.15	75.70	335.00
2013-14 (likely)	272.20	70.15	345.00
2014-15 (Target)	288.00	74.00	352.00

There are 21 seed multiplication farms where foundation seed is produced for further multiplication. In addition, there are 3 vegetable development stations, 13 potato development stations and 1 ginger development station in the Pradesh.

Plant Protection Programme

7.10 In order to increase the production of crops, adoption of plant protection measures is of paramount importance. During each season, campaigns are organised to fight the menace of crop disease, insects and pest etc. The Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, IRDP families, farmers of Backward Areas and small and marginal farmers are provided plant protection chemicals and equipments at 50 percent cost. From October, 1998 the Govt. has allowed 30 percent subsidy on such material to big farmers also. Achievements and Targets proposed in distribution of chemicals are shown in Table 7.7

FOODGRAINS PRODUCTION
'000 Tonnes

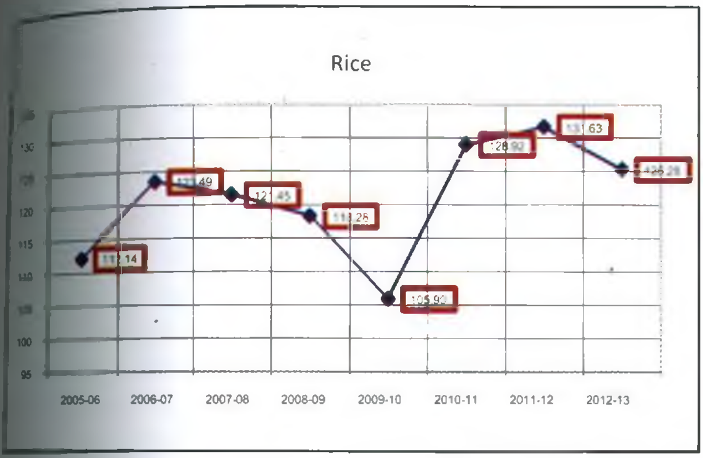

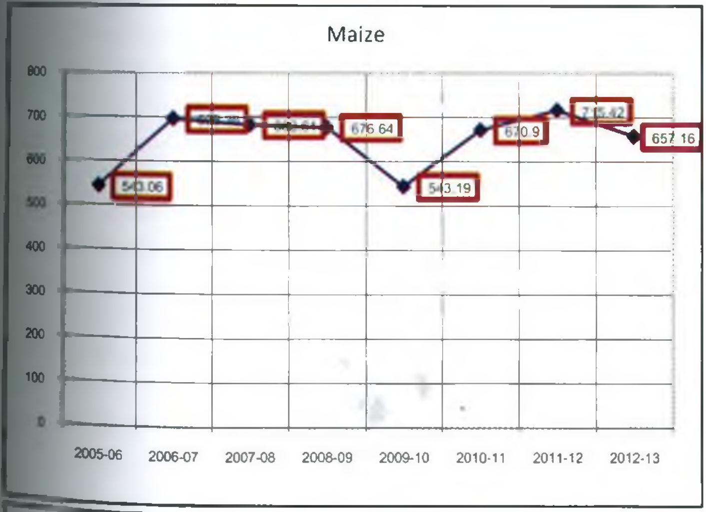

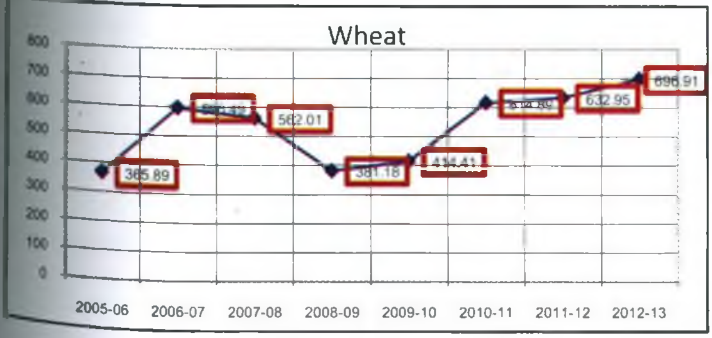

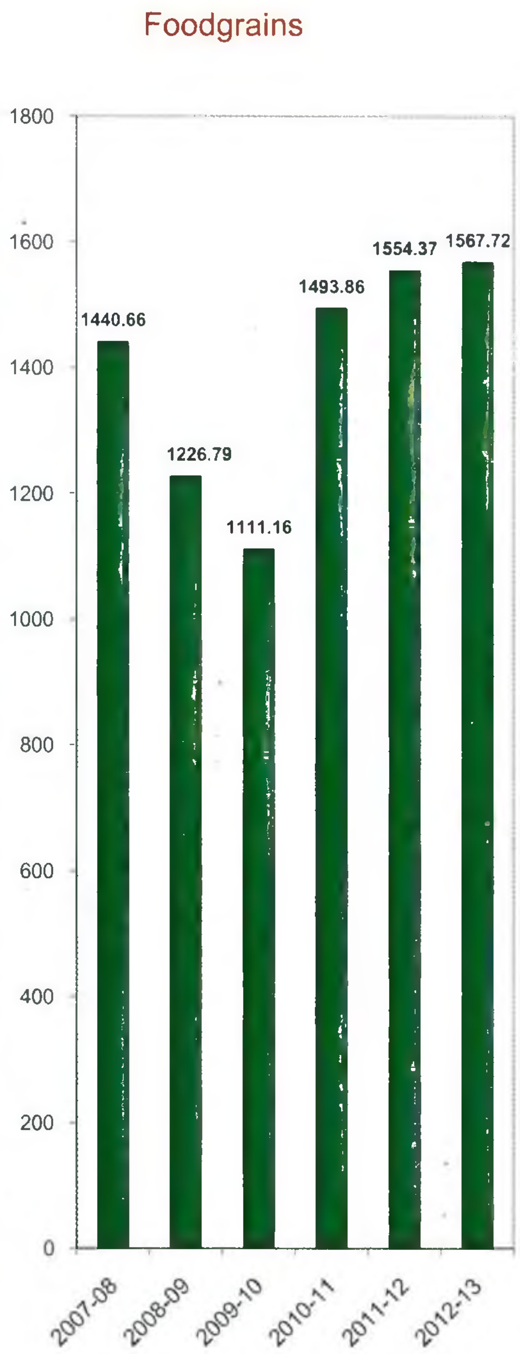

Table-7.7
Achievement and targets proposed

Year	Coverage of Area under plant protection measures ('000 Hect.)	Distribution of chemicals (M.T.)
2007-08	440.00	135
2008-09	435.00	135
2009-10	442.00	169
2010-11	438.00	141
2011-12	315.00	120
2012-13	320.00	121
2013-14 (likely)	500.00	190
2014-15 (Target)	350.00	135

Soil Testing Programme

7.11 In order to maintain the fertility of the soil during each season, soil samples are collected from the farmers field and analysed in the soil testing laboratories. Soil testing laboratories have been established in all the districts(except Lahaul & Spiti), where as four mobile soil testing vans out of which one exclusively for the tribal areas is in operation for testing the soil samples at site. These laboratories have been strengthened with latest equipments. During 2010-11, two static soil testing labs have been strengthened and one mobile lab has also been set up at Palampur in Kangra District. About 1.25 lakh numbers of Soil Samples are collected for soil analysis in a year. During 2012-13, 1.23 lakh Soil Samples were analyzed and 1.22 lakh no. of Soil Health Cards were issued, about 1.00 lakh soil samples are expected to be analyzed during 2013-14, which will help the farmers to know the soil status and nutrient requirement etc. in their fields. The soil fertility map is being prepared by the CSKHPKVV Palampur by using Global Positioning System (GPS). The State Govt. has also declared soil testing as public service under H.P. Public Service Guarantee Act, 2011.

Organic farming

7.12 The organic farming is becoming popular being suitable, environmental friendly and health concern to all concerned. Organic farming is being promoted in the state in a systematic manner by providing trainings, laying out demonstrations, organizing fairs/ seminars to the farmers. It has also been decided to set-up vermi-composting units at every house by the end of 12th Plan. Under this scheme financial assistance of ₹5,000 per farmer is being provided (50 percent assistance for construction of Vermin pit size of 10x6x1.5 ft and 2 Kg. of Vermiculture). 11,000 such vermin composting units are to be set up during the end of this financial year. Beside this, incentive is being provided on approved organic inputs. For adoption of Organic Farming, incentive @ ₹10,000 per hectare (50 percent) and for certification ₹10,000 per hectare is being provided for 3 years.

Bio-Gas Development programme

7.13 Keeping in view depleting sources of conventional fuel i.e. firewood, biogas plants have assumed great importance in the low and mid hills in the State. Till March,2013 since inception, 44,103 biogas plants have been installed in the State. Out of the total biogas produced in the Himalayas, about 90.86 percent is being produced in Himachal Pradesh alone. During 2012-13, 302 biogas plants were installed in the State against the target of 300 and it was proposed to install 300 biogas plants during 2013-14, against

which 228 plants have been installed upto December, 2013. During 2014-15, it is proposed to installed 300 numbers of such Bio-Gas Plants. This programme is at saturation stage.

Fertilizer Consumption and Subsidy

7.14 Fertilizer is a single input, which helps in increasing the production to a great extent. Starting from demonstration level in late fifties and early sixties when fertilizer was introduced in Himachal, the level of fertilizer consumption is constantly increasing. The level of fertilizer consumption in 1985-86 was 23,664 tonnes. Now it has increased to 48,129 tonnes in 2012-13. In order to promote balance use of chemical fertilizers, a subsidy of ₹ 1,000 per M.T. on complex fertilizers have been allowed, use of water soluble fertilizers is promoted in a big way for which subsidy has been allowed to an extent of 25% of cost limited to ₹2,500 per quintal whichever is less. The subsidy is being provided under the Plan schemes. About 48,500 M.T. of fertilizers in terms of nutrients are proposed to be distributed during 2014-15. The consumption of fertilizers is shown in Table 7.8.

Table-7.8
Consumption of Fertilizer
(M.T.)

Year	Nitrogenous (N)	Phosphatic (P)	Potassic (K)	Total (NPK)
1.	2.	3.	4.	5.
2007-08	32338	8908	8708	49954
2008-09	35462	10703	11198	57363
2009-10	31319	10901	11018	53239
2010-11	32594	10728	11811	55133
2011-12	32802	9701	8922	51425
2012-13	34182	6821	7126	48129
2013-14 (likely)	31500	9400	9100	50000
2014-15 (Target)	33000	8000	7500	48500

Agriculture Credit

7.15 Traditionally, non-institutional sources of finance have been the major source of finance for the rural households due to various socio-economic conditions. Some of them have been lending at exorbitant rate of interest and since the poor own few assets, it is unviable for the financial institutions to secure their lending with collateral. However, the Govt. has taken measures to ensure timely and adequate supply of institutional credit to the rural households at reasonable rate of interest. In view of the propensity of the farmers to borrow money, most of whom are marginal and small farmers, credit flow for purchase of input is being made available by the banks. Institutional credit is being extensively disbursed but there is scope to increase the same particularly in respect of the crops for which insurance cover is available. Providing better access to institutional credit for small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices has been one of the major objectives of the Government. The banking sector prepares crop specific credit plans and the credit flow is monitored urgently in the meetings of the State level Bankers Committee.

Kisan Credit Card (K.C.C)

7.16 The scheme is under successful operation for the last twelve to thirteen years in the state. More than 1,706 bank branches are implementing the scheme. As on September, 2013, 5,84,568 Kisan Credit Cards were issued by the banks. The bank have disbursed a total credit of ₹ 2660.31 crore since the inception of KCC Scheme upto September, 2013. The

progress under Kisan Credit Cards is given in Table 7.9

Table-7.9

Progress under Kisan Credit Cards

Sl. No.	Banks	KCC Amount Sanctioned upto Sept,2013 (in crore)	Total No. of KCC issued upto Sept,2013
1.	2.	3.	4.
1.	Commercial Banks	1645.97	2,42,121
2.	Coop. Banks	721.78	2,41,017
3.	Regional Rural Banks	173.38	98,944
4.	Other private Bank	119.18	2,486
	Total	**2660.31**	**5,84,568**

Crop Insurance Scheme

7.17 The State Govt. has introduced this scheme from Rabi, 1999-2000 seasons. The crops covered are Wheat, Barley, Maize, Paddy and Potato. Subsidy on premium in respect of small and Marginal Farmers was being provided on sunset basis as per provision of the scheme. From Rabi, 2007-08, the subsidy on the premium has been raised from 10 percent to 50 percent to the Small and Marginal Farmers. The scheme is compulsory for loanee farmers and optional for non-loanee farmers. The scheme provides comprehensive risks insurance against yield losses viz drought, hail storm, floods and pests and disease etc. The Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) is implementing the scheme. The claims on account of losses to the crops and the subsidy on premium are shared equally by the state Govt. and the Govt. of India. From Kharif, 2008 season, Ginger crop of district Sirmaur has also been included on pilot basis. From Rabi 2013-14, the existing NAIS has been withdrawn by the Govt. of India and in place a new C.S.S. of National crop Insurance Programme (NCIP) will be implemented.

Besides this the State Govt. has also provided insurance cover to Tomato crop in Solan District and Sadar Block of District Bilaspur. Rabi Potato crop of Kangra and Una Districts on Pilot basis under the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) during Kharif & Rabi season. This scheme is also implemented by the Agriculture Insurance Company of India Ltd.(AIC) and Private Insurance Company, i.e. ICICI Lombard & HDFC Ergo General Insurance Company.

Seed Certification Programme

7.18 Agro-climatic conditions in the State are quite conducive for seed production. In order to maintain the quality of the seeds and also ensure higher prices of seeds to growers, seed certification programme has been given due emphasis. Himachal Pradesh State Seed Certification Agency registered growers in different parts of the State for seed production and certification of their produce.

Agriculture Marketing

7.19 For the regulation of agricultural produce in the State, Himachal Pradesh Agricultural/ Horticulture Produce Marketing Act, 2005 has been enforced (implemented). Under the Act, Himachal Pradesh Marketing Board has been established at the State level. The whole of H.P. has been divided into ten notified market areas. Its main objective is to safeguard the interest of the farming community. The regulated markets established in different parts of the state are providing useful services to the farmers. A modernised market complex at Solan is functional for marketing of agricultural produce. The market fee has been

reduced from 2 percent to 1 percent for the benefit of the farmers. The revenue generated under this Act, is utilized for raising infrastructure needs for ensuring remunerative marketing of the agriculture produce. The HP Agriculture Produce Market Act has also been amended on the lines of Model Act circulated by Govt. of India. With this, a provision has been made to set up private markets direct marketing and contact farming with a single point levy of entry fee. The markets are also being computerized. All the activities have been taken up by the Marketing Board through their own funds and RKVY.

Tea Development

7.20 Total area under tea is 2,300 hectares with a production level of 8-10 lakh Kgs. Small and Marginal tea planters are provided agriculture inputs on 50 percent subsidy. In the last few years, there is slump in the market and tea industry has been affected badly. It is envisaged to give impetus for effective and remunerative returns of this commodity to the producers. Focus would also be on result and demonstration.

Agriculture Mechanisation

7.21 Under this scheme, new farm implements/ machines are popularized among the farmers. Testing of new machines is also done under this programme. The department proposes to popularize small power tillers and implements suited to hilly conditions. Formers can get any information on agriculture by dialling toll free number 1800-180-1551. The service is available from 6.00 AM to 10.00 PM on all working days. This is 100 percent Centrally sponsored scheme.

Seed Village Programme (100% CSS):

7.22 Major constraint in increasing production and productivity of crops noted is the lack of sufficient quantities of quality seed of improved varieties to be made available to the farmers in time, To overcome this constraint, Govt. of India has started a novel programme known as "Seed Village Programme", by which sufficient seed multiplication can be achieved in order to meet local seed requirement besides facilitating supply of seeds at reasonable cost and ensuring quick multiplication of new varieties in a shorter time Under this programme, areas of better seed production will be identified and a compact area approach will be followed. 50 to 150 suitable, responding/willing farmers for the same crop will be identified/ selected preferably in compact area/cluster approach. Foundation/certified seed at 50% cost will be made available to these identified farmers. The seeds for half an acre per farmer will be allowed. Training on seed production and seed technology will be imparted to the identified farmers for the seed crops grown in the seed villages.

Soil and Water Conservation

7.23 Due to topographical factors the soil is subject to splash, sheet and Gully erosion resulting into degradation of the soil. Besides this there is biotic pressure on the land. To curb this menace particularly on the Agriculture lands, the Department is implementing two soil and water conservation schemes under state sector. The schemes are:-

i. Soil Conservation Works.

ii. Water conservation and development.

Water conservation and minor irrigation programme has been accorded priority in order to boost agriculture production. The Department has prepared a plan to harvest rain water by constructing tanks, Ponds, check-dams and storage structures. Besides this, low lifting water devices and efficient irrigation system through sprinklers are also being popularized. In these projects, major thrust would be on soil & water conservation and creation of employment opportunities at farm level.

Micro-Irrigation and Other Related Infrastructure In Himachal Pradesh (RIDF)

7.24 In order to achieve faster and more inclusive growth in agriculture sector, the Department of Agriculture has prepared a project on Production of cash crops by Adoption of Precision in Farming Practices through Poly House Cultivation. The objectives of the project are higher productivity and income per unit area, judicious use of natural resources like land and water, year round availability of vegetables, assured production of quality produce and increased efficiency of monitory inputs. The NABARD has sanctioned this project under RIDF XIV amounting to ₹ 154.92 crore which shall be implemented in 4 years started from the financial year 2008-09 and the project period has further been extended Up to 31st March,2014. Upto December,2013, 13,500 Poly Houses have been constructed. An area of 147.00 hectare has been covered under protected cultivation and expenditure of ₹111.00 crore has been incurred. In the 12th Five year Plan, the department has submitted a project on production of vegetable under Protective Cultivation (Mukyamantri Kisaan Bagwan Samridhi Yojna- Part- II) to NABARD for funding amounting to ₹ 111.19 crore in which financial assistance of ₹ 93.59 crore shall be provided to the farming community this project shall be implemented in the 3 years time. The Govt. has made a budget provision of ₹20.00 crore for the F.Y 2014-15 Besides this for development of Micro Irrigation and other related infrastructure the NABARD has sanctioned a project under RIDF-XIV amounting to ₹198.09 crore which was implemented in 4 years starting from 2009-10 and further extended upto 31st March,2014. 17,312 Sprinkler/drip irrigation system shall be installed during the project period. Apart from this, 16,020 Nos. of water sources like tanks, shallow wells, shallow tube wells, deep tube wells, small and medium lift and pumping sets shall also be constructed on the basis of actual needs. Farmers shall be provided 80 percent subsidy and 20 percent would be beneficiaries contribution. Up to 2013-14, 26,033 no. of sprinkler sets have been installed covering an area of 17,552 hac. and sum of ₹ 87.56 crore has been spent. A budget provision of ₹20.00 crore has been made for this component during 2013-14.

Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)

7.25 Concerned by the slow growth in Agriculture and allied sectors, the Government of India has launched Rashtriya Krishi Vikas Yojna. The RKVY aims at achieving 4 percent annual growth in the agriculture sector by ensuing a holistic development of

Agriculture and allied sectors. The main objectives of the scheme are as under:-

1. To incentives the states so as to increase public investment in Agriculture and allied sectors.
2. To provides flexibility and autonomy to states in the process of planning and executing Agriculture and allied sector schemes,
3. To ensure the preparation of agriculture plans for the districts and the states based on agro-climatic conditions, availability of technology and natural resources.
4. To ensure that the local needs/ crops/ priorities are better reflected in the agricultural plans of the states,
5. To achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops, through focused interventions,
6. To maximize returns to the farmers in Agriculture and allied sectors.
7. To bring about quantifiable changes in the production and productivity of various components in Agriculture and allied sectors by addressing them in a holistic manner.

Government of India has allotted funds for agriculture growth which includes horticulture, animal husbandry, fisheries and rural development. This scheme has been commenced during the Year of 2007-08. During 2013-14 an expenditure of ₹77.40 crore has been anticipated by the Agriculture and Allied Departments. Since the release under RKVY are being received from Govt. of India in the shape of ACA's therefore, this scheme is in state sector programmes during 2013-14. The total allocation amounting to ₹ 55.00 crore have been made, under General Plan (₹36.19), SCSP (₹13.86) and TASP (₹4.95) for the year 2014-15 to Agriculture Department.

HORTICULTURE

7.26 The rich diversity of agro-climatic conditions, topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits in Himachal. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

7.27 This particular suitability of Himachal has resulted in shifting of land use pattern from agriculture to fruit crops in the past few decades. The area under fruits, which was 792 hectares in 1950-51 with total production of 1,200 tonnes increased to 2,18,303 hectares during 2012-13. The total fruit production in 2012-13 was 5.56 lakh tonnes, which during 2013-14 (upto December, 2013) has been reported as 8.28 lakh tones. During 2013-14, it was envisaged to bring 3,000 hectares of additional area under fruit plants against which 3,917 hectares of area was brought under plantations and 9.48 lakh fruit plants of different species were distributed upto 31.12.2013.

7.28 Apple is so far the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 49 percent of the total area under fruit crops and about 85 percent of the total fruit production. Area under apple has increased from 400 hectares in 1950-51 to 3,025 hectares in 1960-61 and 1,06,440 hectares in 2012-13.

FRUIT PRODUCTION

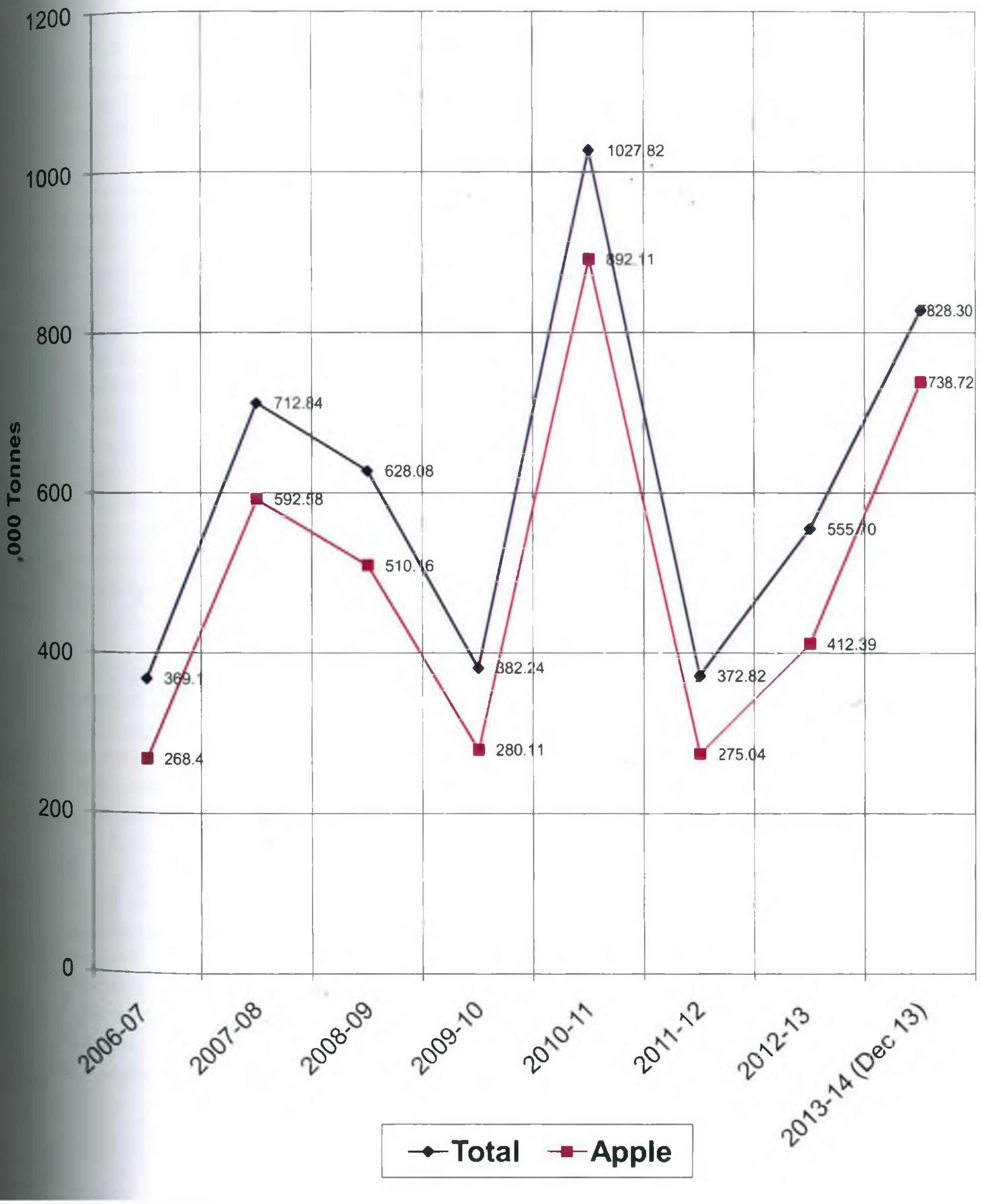

'.29 The area under temperate 'uits other than apple has increased 'om 900 hectares in 1960-61 to 27,637 ectares in 2012-13. Nuts and dry 'uits exhibit area increase from 231 ectares in 1960-61 to 10,902 hectares 1 2012-13, Citrus and other sub tropical 'uits have increased from 1,225 ectares and 623 hectares in 1960-61 ɔ 22,809 hectares and 50,515 hectares 1 2012-13, respectively.

.30 This pace of development ; further jeopardized due to the erratic pple production, owing to weather agaries and market fluctuations. The dvent of WTO, GATT and liberalisation f economy is further imposing many hallenges on the dominance of apple in uit industry of Himachal Pradesh. The uctuations in the production of apple uring last few years have attracted the ttention of the Government. It is ecessary to explore and harness the ast horticulture potential of the hill tate through diversified horticulture oduction in varied agro-ecological ones.

31 Horticulture Development cheme is the major programme aiming the creation and maintenance of frastructural facilities in the rural areas r ensuring equitable access to the sources and inputs required for the omotion of all fruit crops. Under this cheme, the programmes like evelopment of fruit production, area pansion programme, demonstration of w technologies and improved ckage of practices on the orchards of it growers, development of Walnut/ azelnut / Pistachio nut, mango / litchi, awberry and other Olive are being plemented.

7.32 During the year 2013-14 the procurement price of Apple, Mango and Citrus fruits have been increased by 50 paise per kg. under Market Intervention scheme over the previous year and 34,000 M.T.C grade Apple fruit valued to ₹ 22.00 crore has been procured under this scheme.

7.33 In warmer area of the state mango has emerged as an important fruit crop. Litchi is also gaining importance in certain regions. Mango and litchi are fetching better market prices. In the mid hill zone, the agro-climatic conditions are highly suitable for the successful cultivation of new fruits like kiwi, olive, pomegranate, pecan and strawberry. The production of fruits for the last three years and current year upto December, 2013 is given in table 7.10.

Table 7.10
Fruit Production

('000 tonnes)

Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 upto 31-12-13
Apple	892.11	275.04	412.39	738.72
Other temperate fruits	61.38	31.18	55.02	46.34
Nuts & dry fruits	3.62	2.49	2.81	1.89
Citrus fruits	28.68	25.03	24.32	13.11
Other sub tropical fruits	42.03	39.08	61.16	28.25
Total	**1027.82**	**372.82**	**555.70**	**828.31**

7.34 To provide quality packing material to the growers, the Indian Institute of Packaging, Andheri (East) Mumbai-400093 has been entrusted with the task of manufacturing standard Universal Cartons for assessing transport worthiness of the cartons.

7.35 To bring diversification in horticulture industry a total area of 342 hectares has been brought under flower cultivation upto 31-12-2013. To promote flower cultivation two Tissue Culture Laboratories have been established under Model Flower Cultivation Centres at Mahogbagh (Chail, District Solan) and Palampur District Kangra. Four farmers Cooperative Societies are functioning for the production and marketing of flowers in district Shimla, Kangra, Lahaul & Spiti and Chamba. Ancillary horticultural activities like mushroom and bee keeping are also being promoted. During 2013-14 upto December, 2013, 256.00 M.T. of pasteurized compost for mushroom was prepared and distributed in the department units located at Chambaghat, Bajoura and Palampur up to the December,2013. A total of 2,945.49 MT of mushroom was produced in the state up to December,2013 Under the bee keeping programme, 530.64 MT of honey has been produced upto 31.12.2013 in the State.

7.36 The Weather based Crop Insurance Scheme was initially launched in Himachal Pradesh in 6 blocks for apple crop and in and 4 blocks for mango crops during Rabi 2009-10. During Rabi 2010-11 the scheme was extended to 15 Development Blocks for apple and 9 Blocks for mango crop. Keeping in the view the success of the scheme the coverage was further extended to 17 Blocks for apple and 10 Blocks for mango during 2011-12. In addition to this, to protect apple fruit crop from hailstorm and cloudburst four Blocks and two Blocks were respectively brought under Add-on cover scheme since Rabi season 2011. During 2013-14 41,333 farmers have been covered under Weather Based Crop Insurance Scheme for apple who have insured their 38,69,715 trees for which the state government has borne 25 percent premium share of ₹6.16 crore. Under this scheme 17,351 farmers are expected to be benefitted with a claim of ₹9.48 crore during the year 2013-14.

7.37 For integrated development of Horticulture, Centrally Sponsored Schemes: Horticulture Technology Mission, Rashtriya Krishi Vikas Yojna and National mission on Micro Irrigation are being implemented in the state. Under these schemes various activities of development of production of horticulture crops strengthening of basic infrastructure and development of irrigation facilities are being implemented. For the implementation of these Centrally Sponsored Schemes during the year 2013-14 ₹ 43.08 crore have been sanctioned out of which funds amounting to ₹ 33.50 crore have been received up to December,2013. About 4,300 numbers of farmers have been benefited up to December,2013 under these schemes. To promote protected cultivation in horticulture, the state Government has enhanced subsidy under Poly Houses from 50 percent to 85 percent and 35,000 sq. metre area under Green Houses. To protect fruit crops especially apple from hailstorms, the state Government has enhanced subsidy on Anti Hail Nets from 50 percent to 80 percent by bringing in 4.50 lakh Sq.Mt. area under Anti Hail Nets. A project on Apple rejuvenation is being implemented under Rashtriya Krishi Vikas Yojna in which old apple orchards are being rejuvenated and replaced with the new, improved and regular bearing

spur varieties. In addition to this for strengthening Irrigation facilities in the orchards, Water Storage Tanks, Borewells and Micro Irrigation System are being established in the State.

H.P.M.C

7.38 H.P.M.C. a State public undertaking was established in the Pradesh with the objective of marketing fresh fruits and vegetables, processing the unmarketable surplus and marketing the processed products. Since its inception, H.P.M.C. has been playing pivotal role in the life of fruit growers of the state by providing them remunerative returns of their produce.

7.39 During the year 2013-14 up to 30th November, 2013 HPMC has sold about ₹ 974.45 lakh processed products in the domestic market. Under Market Intervention Scheme (MIS) HPMC has procured about 18,889.55 MT of apples and about 831.35 MT of apple juice concentrate have been produced. The Corporation has not procured Mango fruit from the growers this year due to good return from the open Market and procured 15.00 MT of citrus fruits from the growers as on 30th November, 2013 which is being processed in the HPMC Plants. HPMC is mainly supplying its products to its bulk buyers, Railway, Northern Command Head quarter Udhampur, various religious institutions, M/S Parley and reputed Institutions, retail outlets and kiosks in the country. HPMC also continued supplying fruits and vegetables to ITDC Hotels and institutions in Metro cities Delhi, Mumbai and Chandigarh. As on 30.11.2013 HPMC has supplied fruits and vegetables worth ₹323.50 lakh to these institutions. Similarly as on 30.11.2013 HPMC has sold material worth ₹423.41 lakh to the growers in the state. The Corporation has generated revenue of ₹336.49 lakh through its Cold Stores in Delhi, Mumbai, Chennai, Parwanoo and two CA stores at producing area of Himachal Pradesh. The Corporation has been able to got sanctioned total grant in aid of ₹ 2516.56 lakh to HPMC for up gradation of Technology from APEDA. Govt. of India. These have been got for the following projects:-

i. Up- gradation of packing houses of Jarol Tikker (Kotgarh), Gumma (Kotkhai), Oddi (Kumarsain), Patlikuhal (Kullu) with 100 percent financial assistance of ₹667.60 lakh.
ii. The HPMC has commissioning of two C.A. Stores at Gumma and Jarol Tikker in District Shimla with 100 percent grant in aid of ₹1038.00 lakh,
iii. Setting up of one modern vegetable pack house and cold room at Nadaun District Hamirpur with 100% grant in aid of ₹ 353.42 lakh.
iv. Replacement of Tetra Pack filling machine TBA-9 in to TBA-19 under 100 percent grant in aid of ₹353.00 lakh to installed at fruit processing plant Parwanoo District Solan to improved the efficiency in production.

7.40 HPMC has submitted proposal to the Govt. of Himachal Pradesh for setting up of Apple Juice Concentrated plant at Gumma (Kotkhai) under RKVY scheme of Himachal state funding and also submitted a proposal for financial assistance of ₹ 318.00 lakh to HPSIDC Shimla for setting up of packaged drinking water plant at Patlikuhal (Kullu).

8. ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

8.1 Rearing of livestock is an integral component of rural economy. In Himachal there is a dynamic relationship between common property resources (CPRs) such as forests, water and grazing land, livestock and crops. Livestock depend to a certain extent on fodder and grass grown on CPRs as well as on crops and residues. At the same time the animals return fodder, grass and crop residues to the CPRs and fields in the form of manure and provide much needed draught power.

8.2 Livestock thus is an important integral to the sustainability of economy of Himachal Pradesh. The contribution of major livestock products during the year 2012-13 was 11.39 lakh tonnes of milk, 1,650 tonnes of wool, 107.00 million eggs and 3,997 tonnes of meat which will likely to be of the order of 11.63 lakh tonnes of milk, 1,670 tonnes of wool, 110.00 million eggs and 4,000 tonnes of meat during 2013-14. Milk Production and Per Capita availability shown in Table No. 8.1

Table 8.1
Milk Production and Per Capita Availability

Year	Milk Production (lakh tonnes)	Per Capita Availability (gram./Day)
2012-13	11.39	455
2013-14 (Esti-mated)	11.63	465

8.3 Animal Husbandry play an important role to boost the rura economy and as such for livestoc development programme attention i paid in the state by way of:

(i) Animal Health & Disease control
(ii) Cattle Development.
(iii) Sheep Breeding an Development of Wool.
(iv) Poultry Development.
(v) Feed and Fodder Development.
(vi) Veterinary Education.
(vii) Livestock Census.

8.4 Under Animal Health an Disease Control, 1 State lev Veterinary Hospital, 7 Polyclinics, 4 Sub-Divisional Veterinary Hospitals, 28 Veterinary Hospitals, 30 Centr Veterinary Dispensaries and 1,76 Veterinary Dispensaries are in the stat as on 31-12-2013. Besides this Veterinary Check posts are als operating to provide immedia veterinary aid to the livestock. Und Mukhyamantri Arogya Pashudhan Yojn 1,253 veterinary dispensaries hav been opened up to December, 2013.

8.5 For improving the quali of sheep and wool, Govt. Shee Breeding Farms at Jeori (Shimla), Sar (Chamba), Tal (Hamirpur), ar Karachham (Kinnaur) are supplyi improved sheep to the breeders of th State. One Ram centre at Nagwain District Mandi is also functioning whe improved Rams are reared and suppli to breeders for cross breeding. Th flock strength of these farms are 2,0 during the year 2012-13 and 175 Ra were distributed to the breeders. In vie

of the increasing demand for pure Hoggets and the established popularity of the Soviet Marino and American Rambouillet in the Pradesh, the state has switched over to pure breeding at the existing Govt. farms. 9 Sheep and wool Extension Centres continue functioning. During the year 2013-14, the wool production is likely to be of the order of 1,670 Tonnes. Angora rabbit farms are funçtioning at Kandwari (Kangra) and Nagwain (Mandi) for distribution of rabbits to the breeders.

8.6 Dairy production is an integral part of the Animal Husbandry and forms, part of the earning of small and marginal farmers in Himachal Pradesh. The recent trend towards the development of a market- oriented economy emphasized the importance of milk production, especially in areas falling in the vicinity of urban consumption centres. This has motivated farmers to replace local non-descript breeds of cows with cross-breed cows. Upgradation of indigenous cattle is being carried out by cross breeding with Jersey and Holsten. In buffalo upgradation with Murral bull is being popularized. Artificial insemination with the latest technology of Deep Frozen Semen is being practised. During 2012-13, 7.45 lakh Semen straws for cows and 2.63 lakh Semen straws for Buffaloes were produced. During 2013-14, 8.40 lakh semen straws for Cows and 2.30 lakh semen straws for Buffaloes are likely to be produced. During 2012-13, 0.80 lakh litre LN2 gas was produced and 0.80 lakh litre of Liquid Nitrogen gas is likely to be produced during 2013-14. Artificial Insemination facility is being provided through 2,092 institutions and 7.00 lakh cows and 2.00 lakh Buffaloes are likely to be inseminated during the year 2013-14. Cross breed cows are preferred because of factors such as longer lactation period, shorter dry period and higher yields.

8.7 During 2012-13, the 19th Livestock Census has been conducted by the Govt. of India, Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries. Processing of data has been done by National Institute of Electronic and IT Chandigarh. Phase-II of 19th Livestock Census, breed wise survey of 15% villages was also conducted w.e.f. 1st July ,2013 to 31st July ,2013, to estimate the breed wise number of livestock. During 2013-14 under the Backyard Poultry Scheme 3.00 lakh dual purpose coloured strains chicks are likely to be distributed and 800 persons are targeted to impart training in poultry farming. Backyard Poultry Scheme for S.C. families is very popular and 2.11 lakh chicks were distributed among the 3,559 beneficiaries of S.C. families under this Scheme in subsidy till November, 2013. 366 units of poultry chicks were established during the year 2012-13 and 300 units are targeted to establish during the year 2013-14. Till date 45 units have been established and equipments tender are under process. One horse breeding farm at Lari in Lahaul and Spiti district has been established with the objective to preserve Spiti breed of horses. During the year 2012-13, 56 horses are kept in this farm. One Yak breeding farm has been also established in the premises of horse breeding Lari. During the year 2012-13, the strength of yaks was 60 in this farm. Under feed and fodder development scheme 15.00 lakh fodder roots, 0.65 lakh fodders plants and 2.70

lakh kg. fodder seed are likely to be distributed during 2013-14.

Doodh Ganga Yojna

8.8 Doodh Ganga Scheme has been launched in collaboration with NABARD in the State. The benefits of this scheme include:

- Bank Loan of ₹ 5.00 lakh for purchase of 10 cows and construction of shed for them including 10 percent share of beneficiary.
- Bank Loan to the tune of ₹18.00 lakh for purchase of cold chain milk transportation system.
- Bank Loan to the tune of ₹ 24.00 lakh for establishing milk products making units.
- There is provision of 25 percent subsidy on loan for farmers of general category and subsidy of 33.33 percent for farmers of SC/ ST category.

Livestock Insurance Scheme

8.9

- The Livestock Insurance Scheme was started in March 2006 in District Mandi and Kangra. Now the scheme is extended to Hamirpur, Shimla and Chamba with the objective to save livestock owners from loss in the event of death of high yielding cattle and buffalo.
- Cows and Buffaloes giving 5 litre or more milk per day are insured under this scheme.
- Premium of Insurance kept at 5.15 percent for 3 years and 2.91 percent for 1st year which is being paid by the Government and owner 50 percent equally.

National Project on Cattle and Buffalo Development

8.10 National Project on Cattle and Buffaloes Development has been sanctioned by Government of India on 100 percent Central Assistance pattern. During 1st phase, ₹ 12.68 crore were released for the state for providing 100 percent coverage of breedable cattle and buffalo population with artificial insemination. Now during 2nd phase an amount of ₹ 24.08 crore has been sanctioned for the State. Project aims at strengthening of following activities of Animal Husbandry Department.

1. Strengthening of Liquid Nitrogen Storage, transport and distribution.
2. Strengthening of Sperm Stations, Semen Banks and A.I. Centres.
3. Acquisition of high pedigree bulls or Sperm Stations and for Natural Service in remote areas.
4. Strengthening of training facilities.
5. Computerization & E.T.T. Lab

Backyard Poultry Farming

8.11 To develop poultry sector in Himachal Pradesh, Department is running following poultry development schemes especially in rural areas of the State are as under:-

- Under Backyard Poultry Project 2-3 week old chicks of coloured Strain variety i.e. Chabro are supplied to the farmers of the State.
- One unit consists of 50-100 chicks @₹20 per chick.
- These chicks are produced at the two hatcheries i.e. Nahan and Sundernagar under the Centrally Sponsored Scheme "Assistance to State Poultry Farms".

Assistance to State for Control of Animal Diseases

8.12 Due to large scale inter state migration from adjoining states and lack of nutrition grasses and fodder due to hilly topography most of animals are prone to various livestock diseases. Central Government has provided assistance to State Government for control of contagious diseases under ASCAD which is on the pattern of 75 percent Central share and 25 percent State share.

Diseases for which free vaccination is being provided to livestock owners are FMD, HSBQ, Enterotoxaemia, PPR, Raniket Disease, Marek's disease and Rabies under this project.

Bhed Palak Samridhi Yojna

8.13 Under this scheme NABARD has implemented venture capital fund for which District Kullu and Shimla have been selected for Rabbit Development. Under this project landless, marginal farmers, individual farmers, self help groups are intended beneficiaries for setting up rearing units and preference is to be given to traditional shepherds, women and SC/ ST farmers. For this purpose commercial banks, regional rural banks and state co-operative banks will provide the funds for which ceiling is as given under:-

(i) Under this component the rearing Sheep and Goats (40+2) an amount of ₹ 1.00 Lakh will be given. 33.33 percent of the total outlay, subject to maximum of ₹33,000 will be given as subsidy and beneficiary will have to pay minimum of 10 percent of total cost.

(ii) Under this scheme 500 sheeps and 25 goats will be given to beneficiary for breedings units and an amount of ₹ 25.00 lakh is the total outlay. 33.33 percent subsidy of total outlay and maximum of ₹ 8.33 lakh will be paid to the beneficiary. The concerned person will have to pay 25 % of the total Project Cost.

(iii) Rabbit rearing units: Under this scheme an amount of ₹ 2.25 lakh will be the total financial outlay and 33.33 % of total amount and maximum of ₹75,000 will be given to concerned beneficiary and minimum 10 percent total cost will have to be borne by the beneficiary. Commercial Banks, Regional Rural Banks, State Co-operative Banks are the eligible financial institutions for this scheme.

Shepherd Insurance Scheme

8.14 Centrally Sponsored scheme started during 2007-08. The premium of ₹ 330.00 per annum per breeder will be born in the ratio of ₹100:150:80 between the Life Insurance Corporation, Government of India and shepherd.

Benefits to sheep breeders:

• Natural Death	₹ 60,000
• On death due to accident	₹1,50,000
• Permanent total Disability due to accident	₹1,50,000
• Loss of 2 eyes or 2 limbs in an accident	₹1,50,000
• Loss of 1 eye or 1 limb in an accident	₹ 75,000

Besides this, under this scheme the sheep breeder is provided free benefit which is called add on benefit. Under this scheme a scholarship of ₹1,200 per year for two children of the beneficiary studying in Class 9-12th will be provided.

Chaff Cutter on 75% Subsidy:-
Under this scheme chaff cutter is provided at 75% subsidy. Amount of ₹1,050 lakh has been sanctioned for State out of which ₹ 525 lakh has been released for the year 2013-14 as first instalment to provide power driven and hand driven chaff cutter on 75% subsidy.

Milk Based Industries

8.15 H.P. Milkfed is implementing dairy development activities in the State. The H.P. Milkfed has 822 milk producers Co-operative Societies. The total membership of these societies is 37,400 out of this 185 woman Dairy Co-operatives are also functioning. The surplus milk from the milk producers is collected by village dairy co-operative societies, processed and marketed by H.P. Milkfed. At present the Milkfed is running 22 milk chilling centres having a total capacity of 86,500 litres milk per day and eight milk processing plants having a total capacity of 85,000 litres milk per day. One Powder plant of 5 MT per day at Duttnagar in Shimla District and one cattle feed plant of 16 MT per day capacity at Bhor in District Hamirpur has been established and functioning. The average milk procurement is about 63,000 litres per day from the villages through village dairy co-operatives. The H.P. Milkfed is marketing approximately 20,000 litres of milk per day which includes milk supply to Punjab and supply to army units in Dagshai, Shimla, Palampur and Yol areas. The milk collected to milk chilling centres is transported to milk processing plants where it is processed, packed, and marketed in sachets as well as in loose containers.

H.P. Milkfed provides technical knowhow, awareness activities in field of Dairy by organizing seminars, camps in rural areas. Besides this other inputs like cattle feed and clean milk production activities are provided to the farmers at their door steps.

8.16 H.P. Govt. has increased milk procurement rates by ₹1/- per litre w.e.f. 01.04.2013 thus giving direct financial benefits to 37,400 families associated with the Milk Federation. H.P. Milkfed has paid around ₹43.98 crore to the producers and during 2012-13, thus contributing substantially for rural development of the State

Developmental efforts

8.17 In order to utilize surplus milk and increase its revenue and to bring down its losses H.P. Milkfed has initiated the following developmental activities:-

- Three more Processing Plants of capacity 5,000 litres per day shall be set up at Nalagarh, district Solan and Jangal Beri, district Hamirpur and Kinnaur district under IDDP-III project.
- A new Mineral Mixture Plant and Urea Molasses Plant shall be set up at Bhor, Tehsil Bhoranj, district Hamirpur.
- A new milk chilling centres of 10,000 litre/ per day capacity has been set up at Nether, district Kullu on 12-11-2013.

- A new Compressed Fodder Plant shall be set up at Lalsinghi, district Una.
- A new Cattle Feed Plant capacity 16 MT per day at a cost of ₹170.00 lakh has been set up near Bhoranj, district Hamirpur.
- A new project amounting to ₹ 2.95 crore for Bilaspur district under IDDP has been approved by Govt: of India.
- A new project proposal amounting to ₹342.15 lakh under CMP has been approved for three districts of Sirmour, Mandi and Shimla.
- About 2,000 people have been provided direct employment opportunities through Village Dairy Co-operatives.

ew Innovations

.18 H.P. Milkfed is ianufacturing Nutrimix and 'Nutrimix ianufacturing plant' is installed at Milk lant, Chakkar to cater to the need of e Welfare Department under ICDS oject. During 2012-13, 23,994.84 qtls. 'Nutrimix has been supplied. Besides is H.P. Milkfed has manufactured & ipplied 7,260 Qtls. of SMP to ICDS ocks during the year 2012-13 and upto ovember,2013 this year, 4,810.32 Qtls. SMP and 17,513.30 Qtls. of Nutrimix ave been supplied to ICDS blocks.

To keep pace with the present level of growth the department has prepared and submitted various projects to Govt. of India under different plan.

The H.P. Milk Federation organize training programme to milk producers at village level for educating them to produce good quality of milk.

- Project amounting to ₹18,000.00 managerial grant per village dairy co-operative society is given to 110 new societies under project IDDP-III in three districts i.e. Hamirpur, Kinnaur & Solan.
- A 50% cattle subsidy of ₹15,000/per animal is proposed for purchasing 300 animals under IDDP-III project for Solan, Hamirpur and Kinnaur districts.
- H.P. Milkfed has also diversified its activities by manufacturing sweets during Deepawali festival and sold 230 quintals of sweets and 28 quintals Gazaks for Lori in the year 2013-14.
- H.P. Milkfed is providing refreshment kit to Blood donors at IGMC Shimla.

Achievement of H.P.Milkfed

Sr. No	Particulars	2012-13	(upto 30.11.13)
1	Organized Societies	807	822
2	Membership	37098	37400
3	Milk procured(lakh ltrs)	259.54	170.00
4	Milk Marketing(lakh ltrs)	95.04	45.00
5	Ghee sold(MT)	253.02	130.40
6	Paneer sold (MT)	47.97	38.07
7	Butter sold(MT)	24.53	14.50
8	Dahi sold(MT)	153.94	111.59
9	Cattle Feed(in qtls.)	35837	22450

8.19 The H.P. Milk Federation not only provides a remunerative market to the milk producers living in remote and far-flung areas but also makes available milk and milk products to the consumers in urban areas at a competitive prices. In order to ensure that milk is instantaneously chilled at village level, H.P. Milkfed has installed 88 Bulk Milk Coolers at village level in various parts of the State. Also to bring transparency and automation in the testing of milk at village level, H.P. Milkfed has installed 138 Automatic Milk

Collection Units in different Village Dairy Co-operative societies.

Wool Procurement and Marketing Federation

8.20 The main objective of the Federation is to promote the growth and development of wool industry in the State of Himachal Pradesh and to free wool growers from exploitation by the middleman/traders.

In pursuance to the above objective, the Federation is actively involved in procurement of sheep and angora wool, sheep shearing at pasture level, sheep wool scouring and marketing of wool. Sheep shearing is done with the imported automatic machines.

During the year 2013-14 up to 31.12.2013 the sheep and angora wool procurement is 60,004.750 Kg. and the value of the same is ₹32.83 lakh.

The Federation is also implementing a few centrally sponsored schemes for the benefit and upliftment of sheep and angora breeders in the State. During current financial year the benefits of these schemes is likely to perculate to approximately 15,000 breeders. The Federation also organizes woollen expo for providing marketing facilities to the wool breeders/local artisans. The Federation is also providing remunerative prices to the wool growers for their produce by selling the wool in the established markets.

The details of projected activities of the Federation during 2014-15 are as under:

Sr. No.	Particulars	Quantity	Anticipated Expenditure ₹ in lakh
1.	Sheep wool	1,00,000 Kg.	51.88
2.	Angora Wool	500 Kg.	03.00
3.	Sheep Shearing	85,000 Nos.	-
4.	Sheep wool scouring carbonizing	60,000 Kg.	-

FISHERIES AND AQUACULTURE

8.21 Himachal Pradesh is one of the States amongst a few in the union of India which has been gifted by mother nature with rivers emanating from glaciers which traverse through hilly terrains and finally enrich the semi plain area of the state with their oxygen rich water. Its linearly flowing rivers Beas, Satluj and Ravi receive many streams during their downward journey and harbour the precious cold water fish fauna such as Schizothorax, Golden Mahseer and exotic Trouts. Cold water resources of the state have shown their potential with the successful completion of ambitious Indo-Norwegian Trout farming Project and tremendous interest shown by the hill populace for the adoption of evolved technology. The commercially important fish species in Gobind Sagar and Pong Dam reservoirs have become a tool for the upliftment of local population. About 4,900 fishermen in the Pradesh depend directly on reservoir fisheries for their livelihood. During 2013-14 (up to December 2013), cumulative fish production was of

level of 5,966 M.T. valued at ₹4,094 ...h. The reservoir of Himachal Pradesh ...s the distinction of highest per hectare ... production in Govind Sagar and ...hest sale price value of fish catch in ...ng Dam in the country. The ...oduction of two major reservoirs was ...85.00 M.T. valued at ₹ 917.00 lakh to December, 2013. During current ...ar upto December, 2013. 10.37 ...nnes table size trout has been sold ...m the state farms and earning ...venue to the tune of ₹ 84.64 lakh. ...st few years sale of fish is shown in ...le 8.3.

Table-8.3
Table Size Trout Production

...ar	Production (in tonnes)	Revenue (₹ in lakh)
...09-10	15.20	74.67
...10-11	19.07	89.26
...11-12	17.98	83.01
...12-13	19.18	98.48
...13-14(upto ...c.,13)	10.37	84.64

...2 The Department of ...eries has constructed carp as well ...trout seed production farms in the ...e to cater the requirement of ...rvoirs rural Ponds and commercial ...ns in public as well as private sector. ...Farm seed production is ₹200.19 ... in 2012-13 and ₹125.84 lakh in ...3-14 (up to December, 2013). ...pite hilly terrain of the State ...aculture is being given due ...ortance. Under "Rastriya Krishi ... Yojna" (RKVY) an outlay of ....00 lakh has been approved by ...ernment with following breakup:-

1.Const. of Backyard Fish Farming Units	₹ 78.00 lakh
2.Distribution of Fishing equipment (Gen.)	₹ 17.10 lakh
3.Distribution of Fishing equipment(SC/ST) farmer	₹. 0.90 lakh
4.Strengthening of Masheer farm at Machhial Farm	₹ 47.00 lakh
5.Increasing in Fish production & Trout seed production	₹ 14.00 lakh
6. Aquaculture Development	₹ 250.00 lakh
7.Cage Fish Culture in reserviors	₹ 334.00 lakh
Total	**₹741.00 lakh**

8.23 The Department of Fisheries has initiated many welfare schemes for the upliftment of fishermen. During current year, a new scheme named "Backyard Fish Farming" (Kitchen Fish Ponds) has been started with the financial assistance of ₹ 78.00 lakh. Fishermen now are covered under insurance scheme where ₹ 1,00,000 is given in case of death and ₹ 50,000 on disability and even losses to their gear and crafts are being born by the State Govt. to the extent of 33 percent under "Risk Fund Scheme". A contributory saving scheme has been initiated by the State Govt. and matching state's share of deposited saving is provided to them during this season. The amount so generated is paid to fishermen in two equal monthly instalment. The scheme wise achievements are as under:-

Sr. No.	Name of Scheme	Extent of Assistance
1.	Insurance scheme(50-50 state and central Govt.)	₹ 1.00 lakh(on death) ₹ 0.50 lakh(disability)
2.	Saving-cum-Relief scheme (during close season)	₹ 1,200 (in two instalments per fisherman)

Department of Fisheries is earnestly contributing in the strengthening of rural economy and generation of employment opportunities to the unemployed youth and various schemes in this direction have been initiated. A total number of 1,995 self employment opportunities were generated by the department under various schemes. State of Himachal Pradesh is perhaps the only one in the union which has given full attention to the amelioration of Economic Status of its dam oustees organized them in co-operatives and has placed reservoir exploitation before them.

8.24 Department achievement during the financial year 2013-14, up to December 2013, anticipated up to March, 2014 and targets for the year 2014-15 is shown as below:

Items	Achieved upto December, 2013	Targets fixed for the year 2013-14	Anticipated Targets Fixed for year 2014-15
Fish Production from all sources(in tonnes)	5,966.00	8,080.00	10000.00
Fish Seed Production Carp farms (lakh)	125.84	220.00	240.00
Table Size trout Production (in tonnes) Govt. sector	10.37	18.00	18.00
Table Size trout Production (in tonnes) Private Sector	104.76	150.00	250.00
Employment generated (nos.)	1995	425	500
Total Revenue of the department (lakh)	**147.39**	**143.59**	**175.00**

9. FOREST AND ENVIRONMENT

FOREST

9.1 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,033 square kilo meters and form about 66.52 percent of the total geographical area of the State. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry management is conservation alongwith rational utilization and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as under:-

Forest Plantation

9.2 Forest plantation is being carried out under Productive Forestry Scheme and Soil Conservation Schemes. These Schemes include Improvement of Tree Cover, Raising Nurseries for Departmental Plantation and Public Distribution, Development of Pastures and Grazing land Improvement Sanjhi Van Yojna, TFC and Protective Aforestation, Soil Conservation and Demonstration. An area of 4,932 hectare has been achieved with a cost of ₹ 1,493.12 lakh up to 31st March, 2013. During the year 2013-14, anticipated targets of 4,607 hectares will be achieved with a cost of ₹1,406.17 lakh out of which an area of 4,151 hectares have been achieved with a cost of ₹1,296.83 lakh upto September, 2013 and the total anticipated area of 4,750 hectares has been proposed for the next financial year 2014-15.

During the year 2012-13, the total target to plant 45 lakh medicinal plants was fixed which has been achieved. During 2013-14 also 45 lakh medicinal plants were planted with an investment of ₹10.00 crore in this sector.

Wild Life and Nature Conservation

9.3 Himachal Pradesh is known for its diversity of animal and bird habitual and population. The scheme aims at improving the habitat and facilitating provision of areas (sanctuaries & national parks) so as to afford protection to the various species of birds and animals facing extinction. An Amount of ₹ 413.00 lakh was revised against the approved outlay of ₹ 412.00 lakh under State Plan (including Tribal Sub Plan) which was spent upto 31st March, 2013. Similarly, during the current financial year 2013-14 an outlay of ₹ 440.00 lakh was approved against which an amount of ₹ 186.22 lakh have been spent upto September,2013 and the remaining will be spent upto 31.3.2014. For the next financial year 2014-15, an outlay of ₹ 440.00 lakh have been proposed out of which ₹40.00 lakh is proposed for Tribal Sub Plan.

Forest Protection (Now Renamed as Intensification of Forest Management Scheme)

9.4 Forests are exposed to dangers of fire, illicit felling and encroachments. It is, therefore, felt necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade, fire fighting equipments and techniques are introduced and made available to all the forest divisions

where fire is a major destructive element. and communication network is also required for good management and protection. Under this scheme, against revised outlay of ₹ 57.26 lakh in respect of State Plan Scheme under Tribal & Non-Tribal was totally spent upto 31.3.2013. An amount of ₹ 67.50 lakh has been approved for the current year 2013-14 out of which ₹ 12.07 lakh has been spent upto September,2013 and remaining will be spent upto 31-3-2014. For the next financial year 2014-15, ₹63.00 lakh has been proposed for under State Plan Scheme.

Swan River Integrated Watershed Management Project

9.5 Swan River Integrated Watershed Management Project Una is being implemented in the catchment of Swan River with the assistance of Japan International Cooperation Agency (JICA) in Una District. 22 Sub-watershed comprising of an area of 619 Sq. Kms. covering 96 Panchayats have been selected as the Project area for implementation of various activities of this project. The sharing cost of the project is 85:15 ratio, and duration at the inception of Project was ₹ 160.00 crore and 8 years (2006-07 to 2013-14), respectively. Now following the process of micro-planning and as per the recommendation of Midterm Review and Evaluation (MTR & E) of the project held in 2011, the cost and duration has been revised to tune of ₹ 215.00 crore and 9 years (2006-07 to 2014-15) respectively. 96 Gram Panchayats Development Committees (PDC) formed and registered. An amount of ₹ 3,500.00 lakh was approved for the year 2012-13 against which an amount of ₹3,500.29 lakh was spent. For the financial year 2013-14, an outlay of ₹4,500.00 lakh has been approved and ₹ 2,282.44 lakh has been spent upto September,2013 and remaining will be spent upto 31-3-2014. For the next financial year 2014-15 ₹2,200.00 lakh has been proposed.

World Bank Aided Mid Himalaya Watershed Development Project:

9.6 Himachal Pradesh Mid Himalaya Watershed Development Project has been launched in the State w.e.f. 1.10.2005 for a period of 6 years with a total cost of ₹ 365 crore. Project cost is to be borne by the World Bank and the State Government at 80:20 ratio and 10 percent of the Project cost is to be contributed by the beneficiaries. Now a new project called Additional Financing for Mid Himalayan Watershed Development Project with a total cost of ₹ 231.25 crore has been approved upto 2015-16 year. The Project is now spread over 704 Panchayats. The overall goal of the project is to reverse the process of degradation of the natural resource base and improve the productive potential of natural resources and incomes of the rural households in the project areas in Himachal Pradesh. During the year 2012-13, the budget outlay of ₹3,500.00 lakh was approved and spent upto 31st March, 2013 and outlay ₹7,000.00 lakh has been approved for the financial year 2013-14 against which ₹1,951.18 lakh has been spent upto September,2013 and remaining will be spent upto 31.3.2014 for the next financial year 2014-15. An outlay ₹4,000.00 lakh has been proposed by the Government

ENVIRONMENT

Significant achievements of the Department during the year 2013-14

and Major Policy initiatives proposed to be under taken during financial year 2014-15 is as under:-

Setting up Centre on Science, Learning & Creativity

9.7 The Centre on Science, Learning & Creativity shall be set up in the State with the aim to demystify science and to make common people and farmers aware about science.

Revision of Environmental Policy

9.8 During the year 2013-14 Environmental Policy of the State is being reoriented and restructured to ensure sustainable development of the State.

State Strategy and Action Plan on Climate Change

9.9 The State Action Plan on Climate Change has been finalized as a part of adaptation and mitigation strategies and has been approved by National Expert Committee. Under this plan the various adaptation actions shall be implemented in the State.

State Centre on Climate Change

9.10 The State centre on climate change has been strengthened so that it can give the required level of inputs to the State for combating the problem of climate change. Keeping in view the likely impacts of climate change on the livelihood practices of people of State the research on climate change impacts on agriculture, horticulture would be carried out through State Centre on Climate Change during 2014-15.

Development Policy Loan (DPL)/ Grant from government of India.

9.11 The government of Himachal Pradesh had received a Development Policy Loan of 100 Million US Dollar from the World Bank through Govt. of India for shift towards green growth and sustainable development. The Government of Himachal Pradesh is making transformational shift towards a model of sustainable economic-green growth. Financial support from financial institutions like the World Bank etc. is being sought for upscaling this programme and move towards green growth. For the financial year 2014-15 the govt. has also proposed a loan of 100 million US Dollar under this scheme.

Environment Master Plan

9.12 The Government has finalized the EMP document during the year 2013-14 for effectively managing the fragile environment of the State. During the year 2014-15, the sectoral guidelines prepared under this Plan shall be adopted and implemented in the State.

School Environment Audit

9.13 The State council is training 100 ECO clubs established in the State to audit the school resources like water, energy, land, waste and air during 2013-14.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Significant achievements of the Department during 2013-14 and Major Policy initiatives proposed to be under taken during the financial year 2014-15 is as under.

Web Based Monitoring and Evaluation of Government Schemes and Programmes.

9.14 In order to facilitate informed decisions making and greater transparency, the State aims to invest resources to promote the use of GIS in decision making. The monitoring and evaluation of Government Schemes and programmes are being scaled-up. During the year 2013-14 all the major departments have been covered for developing Desktop & Web based applications in the State in the Aryabhatta Geo Informatics & Space Application Centre (AGISAC) to facilitate the use of spatial and geo spatial technologies for planning and implementation of developmental programmes activities in the State more effectively.

Preparation of H.P. Science & Technology Policy

9.15 The Department of Environment & technology has prepared draft Science & Technology policy for the State wherein it would be ensured that implementation of science and technology Policy will achieve its objectives by:

(a) Reducing in equality

(b) Recuing dependency

(c) Using natural resources within jurisdictional boundaries.

Revision of Bio-technology Policy

9.16 The existing bio-technology policy document is being reoriented and restructured towards bringing effective technological upliftment in skills and farming systems in rural areas of the State. It would also aim to ensure the human resource development in the field of bio-technology besides the propagation of bio technological education, research and training.

(a) For this, two days Stake Holders Workshop on revision of State Biotechnology policy was organised at Shimla and necessary suggestions were in corporated in the draft policy.

(b) One day seminar workshop is proposed to hold at Baddi for feedback from Bio-technology Industries.

H.P. State Bio-Diversity Board

9.17 The H.P. state Bio diversity Board is implementing the GEE-UNEP- MOEF Project for strengthening implementation of Biological Diversity Act, 2002 with focus on access and benefit sharing provisions on pilot basis in the State.

Snow and Glacier Risk Hazard Monitoring

9.18 In view of climate change threats and risks, during the year 2014-15, the Department would aim to undertake studies on snow and glaciers risk hazards, zonation of glacier rivers valleys besides monitoring of glacier, lakes etc. in the State.

10. WATER RESOURCE MANAGEMENT

DRINKING WATER

10.1 Water management is an important issue. Provision of safe drinking water has been the priority of the state Govt. All the census villages in the state have been provided with drinking water facilities by March, 1994. With the enforcement of National Drinking Water Supply guidelines w.e.f. 1.4.2009 and subsequent realignment / mapping of habitations, there are 53,205 habitations in the state, Out of which 19,473 habitations (7,632 habitation with population coverage >0<100 and 11,841 habitations with 0 population coverage) are identified having inadequate drinking water. The criteria of coverage of habitations have been changed to population based coverage to ensure Water Security at household level. As per request of various States, During 2010-11 Govt. of India had directed the states for data correction of survey status of 1-4-2009 and as per data updation during 2013 status of habitations as on 1-4-2013 was finalized as given below:-

Total No. of Habita-tions	Habita-tions with 100% population coverage	Habita-tions with popuiation coverage >0and <100
53,604	29,911 (55.80%)	23,693 (44.20%)

During the year 2013-14, against the target of covering 2,500 habitations (1,250 habitations under State sector and 1,250 habitations under central sector) with an out lay of ₹ 170.48 crore and ₹ 161.27 crore respectively, 1,498 habitations in which 1,340 habitations under Central sector and 158 habitations under State sector have been covered up to November, 2013. An expenditure of ₹121.47 crore (₹40.98 crore under central sector and ₹80.49 crore under state sector) has been incurred up to October, 2013.

Hand pump Programme

10.2 The Government has an ongoing Programme of providing hand-pumps with focus on regions facing scarcity of water during summer season. Total 28,894 hand pumps have been installed up to March, 2013. During the year 2013-14 target for installation 2,000 hand pumps has been kept against which 1305 hand pumps have been installed up to November, 2013 and remaining 695 hand pumps are expected to be installed upto March, 2014.

Urban Water Supply

10.3 Under drinking water scheme, the work of operation and maintenance of 51 towns of the state is looked after by the IPH Department. Augmentation work of 47 Urban Water Supply Schemes have been completed upto March, 2013. Water Supply to Dharamshaia, Kangra, Hamirpur, Sarkaghat, Nagrota Bagwan, Kullu, Mandi, Rampur, Manali and Nahan in progress through UIDSSMT and State Sector Schemes. During the year 2013-14 a budget provision of ₹13.53 crore has been kept for augmentation of water supply schemes, against which an expenditure of ₹1.82 crore has been incurred upto October, 2013.

IRRIGATION

10.4 To increase the crop production the importance of irrigation is well established. Adequate and timely supply of irrigation water to crops is the pre-requisite in the agriculture production process, particularly in areas where the rainfall is scanty and irregular. The supply of land is fixed, i.e. inelastic; therefore, the accelerated growth in production is possible through multiple cropping and realization of higher crop yield per unit area, which in turn depends upon irrigation Creation of irrigation potential and its optimum utilization continues to receive a high priority in Government Planning.

10.5 Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectares of Himachal, only 5.83 lakh hectares is the net area sown. It is estimated that ultimate irrigation potential of the state is approximately 3.35 lakh hectares. Out of this, 0.50 lakh hectares can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and balance 2.85 lakh hectares of area can be provided irrigation through minor irrigation schemes. Till date 2.57 lakh hectares land has been brought under the irrigation facility.

10.6 The only major irrigation project in the state is Shahnehar Project in Kangra District. The project has been completed and irrigation facility to 15,287 hectares land is being provided. At present, work on 4 medium Irrigation Projects has been taken in hand in the State. These are Balh Valley Project (CCA 2,780 hectares) Sidhatha (CCA 3,150 hectares) Phinna Singh (CCA 4,025 hectares) and the Nadaun area in District, Hamirpur (CCA 6,471 hectares).

The scheme-wise achievements during the year 2013-14 are as below:-

Major and Medium Irrigation

10.7 During 2013-14, an amount of ₹ 9,100.00 lakh has been provided to bring an area of 1,500 hectares under Major and Medium irrigation. Up to October,2013, an expenditure of ₹ 128.46 crore has been incurred under this scheme.

Minor Irrigation

10.8 During the year 2013-14, there is a budget provision of ₹ 13,849.00 lakh in the state sector to provide irrigation facilities to an area of 3,000 hectares against which Upto October, 2013, an area of 1,84 hectares has been covered with an expenditure of ₹ 138.18 lakh.

Command Area Development

10.9 During the year 2013-14, provision of ₹ 2,000.00 lakh includin central assistance has been kept fo constructing field channels an warabandi in Shahnehar Project i 5,000 hectares against which 1,36 hectares of field channel and 30 hectares under warabandi has bee covered upto October,2013.

Flood Control Works

10.10 During the year 2013-14 sum of ₹ 4,942.00 lakh has bee provided to protect 500 hectares of land An amount of ₹ 554.05 lakh has bee spent to protect an area of 455 hectar up to October, 2013.

11. INDUSTRIES AND MINING

NDUSTRIES

11.1 Himachal Pradesh has nade significant achievements in the field of industrialisation in the past few years. The special package of incentive as announced by the government of India nas ushered a new era in the field of industrialization of the state.

Status of Industrialization

11.2 As on 31.12.2013 there are 39,819 industrial units registered with the Industries Department on permanent basis having the total investment of ₹.17,339.89 crore and providing employment to 2,78,528 persons. Out of these 494 industrial units are Medium and Large scale units.

Industrial Areas/Estates

11.3 As on 31.12.2013, an amount of ₹ 12.80 crore has been sanctioned for acquisition of land for development of industrial Area/ Estate and various development work of various existing industrial areas an balance budge of ₹4.45 crore will be spent before, 31.12.2013.

In addition to above, the Department has to set up three States-of-he-Art Industrial Areas in Kangra, Una and Solan Districts and accordingly the department has submitted two project proposals to Government of India for development of State-of-the-Art Industrial Kandrori, District Kangra and Pandoga, District Una under Modified Industrial nfrastructure up-gradation Scheme MIIUS). The detail of means of Finance of each project is as under:-

(₹ in crore)

Heads	Kandrori (Kangra)	Pandoga (Una)
i) Proposed GOI Grant	₹ 50.00	₹ 50.00
ii)SIA/State Govt. Share	₹ 26.74	₹ 39.20
iii)Beneficiary industries contribution/loan	₹30.24	₹22.80
Total:	**₹106.98**	**₹112.00**

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

11.4 As on 31.12.2013, against the revised allocated targets of 649 Cases , 750 cases have been sponsored to various banks , out of which 266 cases involving margin money subsidy ₹ 354.40 lakh, have been sanctioned and in 127 cases, an amount of ₹199.25 lakh of Margin Money subsidy has been disbursed in which 403 persons have been employed.

Assistance to States for development of export infrastructure for export and allied activities (ASIDE):

11.5 State Component:

Under this Scheme there was a balance amount of ₹117.50 crore at the end of last year and grant of ₹ 527 crore has been released to the State under state component of ASIDE during 2013-14, out of which an amount of ₹ 209.32 crore has been spent on going works. The amount of ₹435.18 crore will be spent on the execution of works which would be approved by State Level Export Promotion Committee.

Central Component :

During the year 2013-14, three projects have been sanctioned under central component of ASIDE, in district Una, Solan & Sirmour. Total project cost is ₹41.91 crore including central grant and state share. Till date total ₹36.47 crore sanctioned as central grant.

Sericulture Industry

11.6 Sericulture is an one of the important agro-based rural cottage industries of the Pradesh that provides gainful employment to about 9,200 rural families for supplementing their income by producing Silk Cocoons. Nine silk yarn reeling units have been set up in private sector i.e. District Kangra and Bilaspur three each and in Hamirpur, Mandi and Una one each with the assistance of Government. Upto 31st December, 2013, 191.77 M.T. Silk Cocoons were produced that was converted into raw silk of 24.19 M.T. providing an income of about ₹ 654 lakh by sale of Silk products in the State. The anticipated production of Silk Cocoon is 192 M.T. and converted raw silk production is 24.25 M.T. during the year.

Handloom and Handicrafts

11.7 Under "Cluster Approach" component of integrated handloom development scheme, an amount of ₹28.305 lakh along with State share of ₹1.55 lakh has been released for implementation of 3rd phase of handloom clusters scheme in Janjehali (Mandi), Jawali (Kangra) and Tissa (Chamba) for benefit of 1,394 Weavers. Government of India has also sanctioned one more handloom cluster for Ghumarwin (Bilaspur) at a project cost of ₹ 56.35 lakh and released an amount of ₹16.15 lakh as first instalment for benefit of about 300 weavers.

Under "Marketing Incentive" (MI) component, the Government of India has sanctioned matching grant of ₹143.79 lakh out of which an amount of ₹107.50 lakh has been released by State Government. About 13,000 handloom weavers of 60 handloom agencies have been benefited.

Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojna

11.8 Up to 31.12.2013, during the current financial year 1,850 weavers have been covered under the scheme.

Health Insurance Scheme:

11.9 During the current financial year upto December, 2013, 4,000 weavers have been covered under this scheme.

Marketing and Export Promotion Scheme

11.10 To promote marketing of handloom products, the Govt. of India has sanctioned 10 exhibitions in favour of H.P. Handicrafts & Handloom Corporation and HIMBUNKAR, Kullu to organize Exhibition-cum-Sale Events in various parts of the State during 2013-14 upto December,2013.

MINING

11.11 Minerals constitute a fundamental component of State's economic base. Good quality limestone, which is one of the ingredients in the manufacture of cement, is available in plenty in the State. Presently Six Cement plants (two units) of ACC at Barmana, District Bilaspur, (two units), of Ambuja at Kashlog District Solan (one unit) of M/S J.P. Industry at Baga-Bhalag and (one unit) of M/S CCI at Rajban District

Sirmaur are already in operation. The establishment of other three major plants at Sundernagar, District Mandi, (M/s Harish Cement (Grasim), Gumma-Rohaha, District Shimla, (The India Cement Ltd.) Alsindi, District Mandi (M/s Lafarge India Ltd.) are underway and accordingly mining leases have been granted in their favour. For establishment of a large Cement Plant at Broh Shind, District Chamba, MoU has been signed by the Govt. with J. P. Industries.

In addition, the Govt. has also granted prospecting licenses to the companies in order to carry out the detailed study for proving the deposits, quantity and quantity of limestone and other associated minerals. M/s Associated Cement Companies Ltd., Dhara Badhu, Tehsil Sundernagar, District Mandi, M/s Dalmia Cements, Village/Mauza Karaili-Kothi-Sal-Bagh, Teshil Sunni, District Shimla, H.P., M/s Ambuja Cement Ltd., Village/ Mauza Gyana, Chalyan, Basyana, Barsanu, Mangu, Karara etc., Tehsil Arki, District Solan, H.P, M/S Reliance cementation situated in Mauza sugrathi, Thangar Kura Khera, Pauli Khera Kandal and Dedera, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P.

Other commercially exploitable minerals in the State are Shale, Baryte, Silica sand, Rock salt, Quartzite, building material like sandstone, sand, bajri and building stone. A part from carrying out development and regulation of Mines & Minerals, the Geological wing, Department of Industries also conduct Geo-technical investigations/ inspections at various road alignments, bridges sites, buildings and geo-environmental studies etc.

During 2012-13 about ₹147.90 crore and during 2013-14 (upto Nov.,2013) about ₹72.24 crore of royalty from minerals have been realized and total revenue earning to the tune of ₹130.00 crore as estimated during current financial years .

(i) **New leases granted:** During 2012-13, Three mining leases under major minerals and One mining lease under minor minerals have been granted and during 2013-14 (upto November,2013) One prospecting licence under major minerals has been granted, while Two mining leases under minor mineral have been granted.

(ii) **Geo Technical Investigation**: During 2012-13, 12 numbers and during 2013-14 (Upto November, 2013) 21 numbers of Geo technical reports pertaining to foundation testing of bridge sites, Geological evolutions of road alignments, landslides etc. were sent to user agencies for further action.

12. LABOUR AND EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

12.1 As per 2011 Census, 30.05 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 21.81 percent marginal workers and the rest 48.15 percent as non-workers of the total workers (main+marginal) 57.93 percent are cultivators and 4.92 percent agricultural labourers, 1.65 per cent are engaged in household industry and 35.50 per cent in other activities. The employment assistance/ information service to job seekers in the Pradesh is rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment information and guidance bureau, 55 sub-employment exchanges, one special employment exchange for physically handicapped, one central employment cell, Vocational Guidance and Employment Counselling to the youth as well as in the matter of collection of Employment Market Information Centre are working in the State. All 67 Employment Exchanges have been computerized and 63 Employment Exchanges are online. Efforts are on to bring remaining 04 Employment Exchanges on line. Software is being got developed through National Informatics Centre, H.P. whereby registration, re-registration and renewal of registration (besides employment exchanges) will be enabled to be got done through the 3,366 Lok Mitra Kendra's of the State.

Employment Market Information Programme

12.2 At the district level, the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the State as on 31.12.2012 in Public Sector was 2,72,03 and in private sector was 1,37,051 an establishments in Public sector are 4,14 and in Private sector the number o establishments are 1,630.

Vocational Guidance

12.3 There are total fou vocational Guidance centres unde Labour and Employment Department ou of which one vocational guidance centr at the Directorate and other three ar located at Regional Employment Offic Mandi, Shimla Dharamshala. Beside this, there are two University Employmen Information and Guidance Bureau a Palampur and Shimla. These Vocation Guidance Centres impart vocation guidance to needy applicants. During th period 1.04.2013 to 30.11.2013, 2 camps were organized in the differe parts of the state.

Central Employment Cell

12.4 With a view to provi technical and highly skilled manpow to all the industrial units, Institutions a establishments, the central employm cell which has been set up in t Directorate of Labour and Employment the State remained engaged in renderi its services during the year 2013- Under this scheme, assistance provided to the employment seekers the one hand in finding suitable job private sector according to th qualifications on the other hand to rec suitable workers without wastage money, material and time. During year 2013-14, upto November, 2013 t 96 vacancies of various natures w notified by the Employers of Priv Sector establishments. Total 1,

candidates of various trades of skilled nature were sponsored in the various industrial Units in the Private Sector in the Pradesh upto 30.11.2013. Total 14 job seekers were placed in various Private Sector Industrial Units in the Pradesh. From 01.04.2013 to 30.11.2013, this cell has organized 120 campus interviews wherein 1,608 candidates have been placed. The Centre Employment Cell also organizes Job Fairs in the State. 08 Job Fairs have been organized (From 1-4-2013 to 30-11-2013) by the Department. In these 08 Job fairs, 3,001 candidates were placed in employment in different Industries in the State.

Special Employment Exchange for Physically Handicapped.

12.5 The special employment exchange for the placement of physically disabled (visually disabled, hearing disabled and locomotor disabled) persons was set-up in the Directorate of Labour and Employment during the year,1976. This special exchange renders assistance to the physically disabled candidates in the field of vocational guidance and also provides employment assistance in Private Sector. The Physically disabled persons who constitute the weaker section of society have been provided number of facilities/ concession which include free of cost medical examination of the disabled persons through the Medical Boards constituted at the State and District level, relaxation of age by 5 Years, exemption for qualifying type test for those who suffer from disability in the upper limbs extremities, 3 percent reservation for appointment in Class-III & Class-IV posts, reservation of 5 percent seats in girls Industrial Training Institute and Tailoring Centres and providing reservation against the specific points, in departmental 200 points Rosters i.e. 1st ,30th,73rd, 101st, 130th, 173rd (1st and 101st for Visually disabled and 30th and 130th for Hearing disabled and 73rd and 173rd for locomotor disabled). During the year 2013-14 from 1.4.2013 to 30.11.2013, 1,503 physically disabled persons were brought on the Live Register of the Special Employment Exchange bringing the total number to 17,026. During this period 16 physically disabled persons were placed in employment.

Labour Welfare Measures

12.6 Under the Bonded Labour System Abolition Act, 1976 the District Vigilance Committees and Sub Division Vigilance Committees have been constituted to monitor and ensure the implementation of Bonded Labour System (Abolition) Act 1976. A State Level Standing Committee on the report of Expert Group on Bonded Labour System and other related Acts in the State has been constituted. The Pradesh Govt. has established two Labour Courts-cum-Industrial Tribunals one with headquarter at Shimla with its jurisdiction of District Shimla, Kinnaur, Solan and Sirmaur and the other at Dharamshala with its jurisdiction of District Kangra, Chamba, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Kullu and Lahaul-Spiti. The Presiding Officers of Labour Courts-cum-Industrial Tribunals of the rank of District and Session Judges have been appointed for each Labour Courts cum-Industrial Tribunals.

Employees Insurance and Provident Fund Scheme

12.7 The Employees State Insurance is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Nalagarh, Baddi in Solan District, Mehatpur, Bathri

& Gagret in Una District, Poanta Sahib & Kala Amb in Sirmour District, Golthai in Biaspur District, Mandi, Ratti, Ner Chowk, Bhangrotu, Chakkar & Gutkar in Mandi District and Industrial Area Shoghi & Municipal area of Shimla in District Shimla. About 4,510 establishments with an estimated 2,12,210 insured persons are covered under ESI Scheme in H.P. upto 30.11.2013. Under employees provident fund scheme about 9,08,525 workers have been brought in 7,718 establishments up to 30.11.2013 There were 1,246 Trade unions registered under the Trade Union Act, 1926 upto 31.11.2013 As per Industrial Disputes Act, 1947, 715 reports received under Section 12(4) of the Act were examined and concluded resulting in notification of 235 Industrial disputes for adjudication to Labour Court-cum-industrial Tribunals, whereas 620 cases were refused.

Industrial Relations

12.8 The problem of Industrial Relations has gained considerable importance on account of expansion of industrial activities in the Pradesh. Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh and has proved as an important agency for the settlement of industrial disputes and maintaining industrial Peace and harmony. Function of Conciliation Officer has been entrusted to the Joint Labour Commissioner, Deputy Labour Commissioner, Labour Officers & Labour Inspectors in the field within their respective jurisdiction. Higher authorities from Directorate level intervene in the cases/disputes where the conciliation fails to bring about any amicable settlement at lower level. For looking into the problems of the workers/ labourers and management of Hydel Projects, the Himachal Pradesh Government has constituted Tripartite Committees in each district under the Chairmanship of Deputy Commissioner. Further, Workers Committees having representative of Employers and Employees have been constituted in Industries having more than one hundred workers in one Establishment.

Building & Other Construction Workers (RE&CS) ACT, 1996 and Cess Act, 1996

12.9 Under this Act, various provisions have been made to implement welfare provisions such as providing Maternity/ Paternity benefit, Retirement Pension, Disability Pension, Funeral Assistance, Financial Assistance for education of children, Financial Assistance for Marriage of the children and own marriage of female member and providing bicycle to lady workers. The provision has also been made to obtain loan for purchasing tools and purchase/construction of house. The Board may also construct/hire buildings for transit hostels for Building & Other Construction Workers wherein the number is more than 300. The Board is also covering Building & Other Construction Workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojna and Jan Shri Bima Yojna. These benefits are available to the Building & Other Construction Workers registered with the Board and beneficiaries as well as continue these memberships at nominal contribution @ ₹10 per month and total cost of welfare schemes is borne by the Board from the Building & Other Construction Workers Welfare Fund. 1048 Establishments, 45,683 beneficiaries are registered with the Board and cess amounting to ₹184/- crore approx. has been deposited with the H.P. Building & Other Construction Workers Welfare Board, Shimla upto 30.11.2013.

KILL DEVELOPMENT ALLOWANCE CHEME:

.10 The Skill Development lowance scheme is a flagship ogramme of the Government. A idgetary provision of ₹100 crore has en made for this Scheme for the iancial year 2013-14. Its purpose is to d the educated un-employed youth of imachal Pradesh to enhance their nployability and income through skill velopment. The Scheme provides an lowance @ ₹1,000/- per month for uth doing skill training and @ ₹1,500/- r month for 50% permanently ysically disabled for duration of training ubject to maximum 2 years). The heme has the following eligibility nditions:

Bona fide Himachali status

Un-employed (neither employed in Government or Private Sector nor self employed)

Minimum education qualification of 8th pass

Age eligibility of 16 to below 36 years

Family income of less than ₹2 lakh per annum

6. Registration in any Employment Exchange as on date of application
7. Enrolled in any skill development training anywhere in India

There will be no requirement of minimum education qualification for admissibility of allowance under the Scheme when applicant wants to pursue training in Sectors such as masonry, carpentry, blacksmith or plumbing etc. Based on the number of persons registered in Employment Exchanges, District wise targets of beneficiaries have been given to Districts. The Department has been putting continuous efforts for implementation of the SDA Scheme and for bringing more beneficiaries under this Scheme, by way of convening meetings with Field Functionaries and stakeholders to the Scheme and by way of giving wide publicity to the Scheme through Newspapers, Flex banners/hoardings, Radio, Posters, SMS Messages to the applicants and also publicity through various Departments/Corporations. Consequently as on 19.12.2013, ₹361.43 lakh have been disbursed among 24,585 beneficiaries under the Scheme.

13. POWER

13.1 Power is one of the most important input for economic development. In addition to its widely recognized role as a catalyst to economic activity in different sectors of economy, the power sector makes a direct and significant contribution to economy in terms of revenue generation, employment opportunities and enhancing the quality of life.

13.2 Himachal Pradesh has been blessed with vast hydroelectric potential in its five river basins, namely Yamuna, Satluj, Beas, Ravi and Chenab. Through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that about 23,000 MW of hydel potential can be exploited in the state by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on these five river basins. Out of this hydel potential only 8,432.47 MW has been harnessed by various agencies which also includes 477.50 MW by H.P.S.E.B.Ltd.

The Basin-wise details of the assessed potential and the potential actualized are as under:-

Assessed Potential

Name of Projects	Capacity (MW)
Yamuna	794
Satluj	10,226
Beas	5,721
Ravi	2,912
Chenab	3,037
Self Identified/New Identified	310
Total	**23,000**

13.3 The State Govt. has adopted multi pronged strategy for power development through State Sector, Central Sector, Joint Venture and Independent Power Producers. The detailed breakup of the total identified potential of 23,000 M.W. is given as under:-

TOTAL IDENTIFIED HYDRO POWER POTENTIAL (MW)						
Sr. No	PARTICULARS	State Sector HPSEBL/ HPPCL (MW)	Central/ Joint Sector/HP Share (MW)	Private Sector		Total (MW)
				Above 5MW	Upto 5 MW (through HIMURJA)	
1	Projects Commissioned	478	5,903	1,829	222	8,432
2	Under Execution/ Construction	966	2,532	765	179	4,442
3	Under Implementation/ Obtaining Clearances	1,285	66	866	365	2,582
4	Under Investigation	1,034	588	3,340	510	5,472
5	Under Litigation/ dispute	-	-	1,007	-	1,007
6	Abandoned schemes in view of environmental & social concerns	20	-	735	-	755
7	To be allotted	-	-	310	-	310
	TOTAL	**3,783**	**9,089**	**8,852**	**1,276**	**23,000**

ıro Power Policy for Projects ıve 5 MW

In order to give a boost lydro Power Generation, Himachal lesh has formulated Hydro Power cy. The main features of this cy are:-

All Projects above 5 MW shall be allotted to IPPs (Independent Power Producers) through nternational Competitive Bidding. Recently the Govt. of HP has taken decision for inviting Global Bids or allotment of various Hydro lectric Projects in Private Sector on BOOT basis. The project shall be allotted through International Competitive Bidding (ICB) Route on the basis of quoting highest Upfront Premium over & above a hreshold value of Upfront Premium with levying Normal Free Power Royalty as per the prevailing rates e. @ (12+1)%, (18+1)% & 30+1)% for the first 12 years, next 8 years & balance 10 years of the greement period after commercial operation commissioning respectively in lieu of 40 years concession period. On this analogy the Govt. is in process of allotment of projects of capacity to the tune of about 1500 MW for implementation in Pvt. Sector.

iii. The Developer shall make a provision of 1.5% of final cost of the Project towards Local Area Development Committee (LADC), the activities of which shall be financed by the Project itself.

iv. For benefits of local people and local areas of the State, affected due to implementation of Hydro-electric Projects, the State Govt. has introduced a provision in line with the National Hydro Power Policy-2008, vide its notification dated 30.11.2009 for providing an Additional Free Power @ 1% of the generated energy from all Hydel Power Projects which would be earmarked for Local Area Development Fund (LADF). This fund would be available in the form of Free Power as an annuity over the entire life of the Project. The Govt. of HP vide its notification

dated 5.10.2011, issued comprehensive Guidelines for the management of the LADF wherein a cash incentives to the Local Population in the Projects Affected Areas(PAAs), out of the funds received on account of sale of Additional Free Power @ 1% after COD of the Projects which shall contribute towards the upliftment of the Local Population in Projects Affected Areas as the same shall be disbursed annually during the entire life time of the Projects in terms of cash Transfer in favour of beneficiary family declared as PAF.

v. The operation period of the Projects shall be forty years from the Scheduled Commercial Operation Date (COD) of the Projects, where after, the Project shall revert to the State Government free of cost.

vi. The Company shall have to provide employment to Bonafide Himachalis, in respect of all the unskilled/skilled staff and other non-executives as may be required for execution, operation and maintenance of the Project. If it is not possible to recruit 100% staff from Himachalis for justifiable reasons, only then the Company shall maintain not less than 70% of the total employees/ officers/ executives from Bonafide Himachali persons.

vii. **Release of Min. Discharge**

The H.P government make provision in policy to the Developer 'if, Run-of-the River (ROR) Project' shall ensure minimum flow of 15% water immediately downstream of the diversion structure of the project all the times as per the Policy of Department of Environment, Govt. of H.P., as applicable from time to time. The Developer shall provide necessary arrangement/ mechanism in the civil structure including discharge measurement system for the release of laid down minimum flow immediately downstream of the diversion structure.

viii) **Disposal of Power:**

The developer shall be free to dispose of such power as remains after meeting commitments of royalty in shape of free power and Additional Free Power through Merchant sale.

ix) **Rationalization of Milestones:**

To make the implementation c Projects more realistic the Stat Government vide its notificatio issued on 07.07.2012, ha incorporated a provision fo extension at various levels so th the Projects stucked due t extraordinary delays can b regularized and the same may b brought back to the track.

x) **Optimization of Potential:**

The State Government f achieving optimization of the tot Hydro Potential of the State h engaged reputed consultancy fi for digitization of Basin Wi Plans, identification of n projects & optimization. T study stands completed by M Lahmeyer International (I) P Ltd., wherein the consultant h explored the possibilities enhance the existing potential 23,000MW to about 27,000M however the same is bei verified on the basis feasibilities of various ne identification Projects proposed Report.

xi) **Capacity Enhancement:**

For the point of view optimization of the existi Projects, the Government h formulated a policy enhancement of the exist capacities by impos additionalties benefit shar

applicable on the increase Capacity Addition Charges shall be levied on capacity increase beyond allotted capacity @ ₹ 20 lakh per MW and Addl. Free Power @ 3% of the capacity increases beyond allotted capacity.

xii) Domain Change:

The State Government formulated a policy allowing all domain changes resulting to optimization of potential by allotting un-utilized domains vide Government notification dated 15.06.2010.

xiii) Web Based Monitoring:

The Government of H.P. has made all its efforts to develop, adopt and implement a web based real time monitoring of milestones in implementation of hydroelectric Projects in various sectors in Himachal Pradesh. The programming of on-line monitoring mechanism through the official web site of Directorate of Energy has already been put in place association with National Informatics Centre (NIC). The monitoring of progress of implementation of CAT Plans, release of environmental flows and social parameters has also been made possible by providing web linked access to the web sites of concerned department/organization viz: H.P. Forest Department, H.P. Sate Pollution Control Board and AGiSAC respectively. All the related policies, guidelines, notifications and updated information in respect of Hydro Power development in Himachal Pradesh are placed in Public Domain section.

xv Local Area Development Fund (LADF):

The State Government formulated guidelines for the management of LADF vide notification dated 05.10.2011, amplifying the utilization of LADF funds at various levels. The Government introduced provision for LADF @ 1.5% of the cost of Project December, 2006 and a considerable expenditure has been incurred on this account. To access the development/ achievements under Local Area Development Funds (LADF), the Government has carried out studies to assess the impacts due to Project Implementation, LADF activities & R&R plans in sampled 10 Hydro Electric Projects (HEPs) through Himachal Pradesh Agro University which has submitted its final report in January, 2013. The findings of the report, reveals that LADF has considerably contributed in the Local Area Development and majoring of the Local Population in PAAs have shown a satisfaction response towards development of Local Areas. Beside the above, the Government vide its notification dated 30.11.2009 has introduced a cash incentives to the Local Population in the PAAs, out of the funds received on account of sale of Additional Free Power @ 1% after COD of the Projects which shall contribute towards the upliftment of the Local Population in PAA as the same shall be available for the entire life time of the Projects.

a) Prior to Commissioning of the Project

The Project developer shall contribute a minimum of 1.5% of final cost of the Project for Projects for more than 5 MW capacity and a minimum of 1% for Projects of capacity upto 5 MW. While the Project Cost to LADF, they may contribute

more if they so desire. Initially the LADF will be worked out on the basis of the Project Cost as per DPR for depositing with the concerned Deputy Commissioner. After completion of the Project, the LADF will be worked out on the final completed cost.

b) **Post Commissioning** Project developers of all capacities shall contribute 1% Free Power for LADF over and above the rates of royalty agreed to be paid to the State Government in the Implementation Agreement (IA)/Supplementary Implementation Agreement (SIA), as the case may be. This additional 1% (one percent) free power, over and above the royalty component provided to the host State will be a pass through in tariff. The revenue collected by the Nodal Agency (Directorate of Energy) from sale of such 1% free power (contribution from the project Developer) will be transferred to the Local Area Development Fund for each Project. The Government after notifying the Policy for post commissioning LADF @ 1 % (AFP)has now been started implementation in respect of a pilot Project namely Chamera-3 HEP 213 MW against which the cash transfer in favour of the entitled beneficiaries in PAA, has already been started which shall be continued till the entire life of the Project. The government is in process for implementing this policy in other scheme also.

c) **Cumulative Impact Assessment Studies:** Numbers of hydropower projects are planned on the various rivers and their major tributaries in the state of Himachal Pradesh. While each project is planned to be environmentally compliant and sustainable, yet, their cumulative or aggregate impact is generally not known and seldom studied. Following an understanding that each Hydro-Electric Project (HEP) is generally environment norm compliant yet their aggregate or cumulative impact may not be as favourable. Hence, assessment of cumulative impact has been committed by the State of HP and accordingly it is going ahead in a phased manner with Cumulative Environment Impact Assessment Study for all the river basins in the State. The first in the series is Sutlej Basin and its Draft Interim Progress Report has been received. The study is likely to take some time and finalization and acceptance at various levels of the same for ultimate policy changes may take even more time.

The basin wise detail in respect of CEIA Studies is as under:-

1	Satluj	The studies are in progress by ICFRE Dehradun and at an advance stage.
2	Chenab	The studies are in progress by M/s R. S Envirolink Technologies P. Ltd.
3	Ravi	TOR is under process.
4	Yamuna	Process for preparation of TOR is being initiated
5	Beas	Draft TOR has been prepared and has been submitted for getting approval from MoEF.

H.P State Electricity Board Ltd

13.5 CENTRALLY SPONSERED SCHEMES AND DEPARTMENTAL SCHEMES.

(i) Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna:

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna was launched in April, 2005 with the aim to electrify all un-electrified villages / habitations & provide access to electricity in every households having provision of 90% capital subsidy & 10% Loan. HPSEB formulated District-wise electrification schemes under "Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna" (RGGVY) as per guidelines of Rural Electrification Corporation (REC). Implementation of these schemes would ensure reliable and quality power supply in the rural areas. These schemes have electricity access to 44,496 rural households including 12,483 BPL households to be provided access to electricity free of cost. These schemes are being executed on Turnkey basis as per guidelines of REC. This would facilitate in an early completion. This scheme also envisage strengthening of Distribution System in rural areas of all the 12 Districts by providing 2,092 new Distribution sub-stations of adequate capacity and lines.

10th plan Project: - Scheme of Chamba District. was sanctioned by M/S REC for ₹ 25.02 crore in Dec, 2005 during 10th plan and now the scheme has been revised for ₹ 66.33 crore by M/s REC. Total amount for ₹ 59.65 crore have been released against I[st], II[nd] & III[rd] installments by REC and payment of ₹ 42.37 crore has been released, while bills of approximately ₹ 6.14 crore are already in process of payment to the firm. Thus total financial progress is ₹ 48.51 crore upto December,2013.

Works executed in Chamba District upto December, 2013:-33kV HT Line 24.480 kms., 11kV HT line 207.407 kms., LT line 404.665 Kms., Distribution Transformers 175 Nos., 4 Nos 33/11kV Sub-stations augmented (Koti, Sihunta, Nakrod & Gharola), electrification of BPL Households 977 Nos. and 15 Nos. un-electrified villages have been electrified upto December, 2013 in Pangi Block of Chamba District.

11th plan projects :- Schemes for eleven Districts namely Kangra, Hamirpur, Bilaspur, Una, Mandi, Sirmour, Shimla, Solan, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti have been sanctioned during 11[th] plan for ₹275.53 crore and ₹ 231.44

crore have been released against I[st], II[nd] & III[rd] instalment for these eleven districts. The expenditure to the tune of ₹244.43 crore have been incurred, while the bills of approximately ₹4.13 Crore are under process for payment upto December, 2013. Thus total financial progress is ₹ 248.56 crore upto December, 2013. Execution of works in Spiti Block of Lahaul Spiti District under 11[th] Plan are in full swing. The works in Pangi Block of District Chamba and Spiti Block of Lahaul Spiti District could not be completed as the working season is quite limited due to cold weather, snow fall and labour not readily available. M/S REC Ltd. authorities have agreed to continue to release of eligible funds upto 31[st] December, 2013 for all 10[th] and 11[th] Plan Projects.

The progress of ongoing works under RGGVY upto December,2013 is tabulated as under:-

Sr. No.	Description of Items	Total Provision of the scheme	Cumulative progress upto December, 2013	
			Physical	Percentage
10th Plan Projects.				
1	33 KV New S/Stn	1 No.	Work in Progress	95.00
2	33 KV HT Lines	64.00 Km.	24.480 Km.	38.25
3	11 KV HT Lines	212.520 Km	207.407 Km.	97.59
4	LT Lines	472.180 Km	404.665 Km.	85.70
5	DTRs	175 Nos.	175 Nos.	100.00
6	BPL HHs Connection	647 Nos.	977 Nos.	151.00
7	Electrification of Un-electrified Villages	15 Nos.	15 Nos.	100.00
11th Plan Projects.				
1	Augmentation of 33 KV S/Stns.	4 Nos.	4 Nos.	100.00
2	22/11kV HT Line	1,721.18 Km	1,371.044 Km.	79.66
3	LT Lines	5,433.25 Km	5,461.007 km.	100.51
4	DTRs	1,917 Nos.	2,165 Nos.	112.94
5	BPL HHs Connection	11,836 Nos.	14,370 Nos.	121.41
6	Electrification of Un-electrified Villages	76 Nos. {(93-(7+10)}	74 Nos.	97.36

For making access to electricity to 100% household in the State, schemes under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna (RGGVY) for all the 12 District are approved by M/s REC Ltd. amounting

₹ 341.86 crore and an amount of 91.09 crore has so far been eased against these schemes. The rk for execution of RGGVY emes stand awarded on turnkey sis in all the 12 District of the State, expenditure of ₹ 297.08 crore has en incurred upto December, 2013.

As per 2001 census, imber of census villages are 17,495. ut of which 109 villages have been identified as un-electrified, 11 no. villages are not technically justified for electrification and 7 no. villages have already been electrified before launching the RGGVY scheme. Out of the balance 91 villages, 89 nos. villages have been electrified upto December, 2013 and for remaining 2 nos. un-electrified villages in Spiti block of Lahaul & Spiti Distt. the work is in progress.

The District wise detail of un-electrified/electrified village is as under:-

Sr. No.	District	No. of un-electrified villages	No. of villages technically not justified/ already electrified	No. of villages to be electrified	No. of electrified villages
1	Chamba	16	1	15	15
2	Kangra	2	2	-	-
3	Kinnaur	40	6	34	34
4	Lahaul & Spiti	29	1	28	26
5	Mandi	12	-	12	12
6	Shimla	9	8	1	1
7	Sirmour	1	-	1	1
	Total	**109**	**18**	**91**	**89**

Restructured Accelerated Power Development and Reform Program (R- APDRP) :-

Projects under the R-APDRP rogram shall be taken up in two arts:

art-'A'

Ministry of Power, Govt. India (GoI) has launched the estructured Accelerated Power evelopment Reform Program (R-PDRP) to reduce the Aggregate echnical & Commercial (AT&C) sses to 15 % in project areas. The rogram is divided into 2 parts namely art-A & Part-B. Part-A will include rojects for establishment of baseline data & IT applications like Meter Data Acquisition, Meter Reading, Billing, Collections, GIS, MIS, Energy Audit, New Connection, Disconnection, Customer Care Services, Web Self Services etc. to verify AT&C losses. Part-B will include distribution strengthening projects.

Ministry of Power has sanctioned ₹ 96.40 crore against DPRs of 14 eligible towns for Himachal during August, 2010. The total project cost for Part-A under R-APDRP is ₹ 128.46 crore. The balance is to be met through own funding. Power Finance Corporation Limited (PFCL) has been

designated as the Nodal Agency for the program by Govt. of India (GoI).

Under Part- A of Restructured Accelerated Power Development Reform Program (R-APDRP) in Himachal Pradesh, 14 towns namely (Shimla, Solan, Nahan, Paonta, Baddi, Bilaspur, Mandi, Sundernagar, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Kullu, Una and Yol) had been found eligible for funding.

Scope:-

The following works were covered under R-APDRP Part-A for Himachal Pradesh:-

1) Providing requisite hardware, software and peripherals at Data Centre (DC) at Shimla, Disaster Recovery Centre (DRC) at Paonta Sahib and various offices of 14 towns namely Shimla, Solan, Nahan, Paonta, Baddi, Bilaspur, Mandi, Sundernagar, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Kullu, Una and Yol.
2) Development / Implementation of following software applications at Data Centre / Disaster Recovery Centre level:-
    a. Meter Data Acquisition System (MDAS)
    b. Energy Audit (EA)
    c. Identity & Access Management System (IAMS)
    d. Management Information System (MIS) containing Dataware Housing (DW) & Business Intelligence (BI) tools
    e. Enterprise Management System (EMS) & Network Management System (NMS), which is a part of hardware.

Award for Consultant/ Implementation Agency:-

The award for IT Consultant has been placed to M/s Telecommunication Consultants India Limited, New Delhi in consortium with M/s Vayam Technologies India Ltd. as consortium partner on 31st July, 2009 for an amount of ₹ 39,70,800 /. The purpose of IT Consultant is to assist the HPSEB Ltd. in preparing the feasibility report, bid document, assist in bid process and monitor implementation. The award for IT Implementation Agency has been placed to M/s HCL Info-systems Ltd., Noida on 30th August, 2010 for an amount of ₹ 99.14 crore.

Latest Status and Completion Schedule:-

- Data Centre at Shimla is functional.
- The Disaster Recovery Centre at Paonta Sahib has been commissioned.
- The work of the ring fencing of the 14-project areas has been completed. The baseline AT & C Loss data of the 14 towns has been established by M/s PFC during March-June, 2012.
- Pilot Town (Nahan) along with 10 towns namely Chamba, Dharamshala, Kullu, Yol, Bilaspur, Sunder Nagar, Una, Solan, Paonta Sahib and Hamirpur has been declared Go-live during October, 2013. Remaining 3 towns namely Shimla, Mandi and Baddi will be go-live by January, 2014.

The Part-A of the R-APDRP project shall be completed within 2013-14.

Expected Benefits from the scheme:-

The focus of the R-APDRP, Part-'A' Scheme is on actual demonstration of performance. Establishment of reliable and automated systems for sustained collection of accurate base line data through adoption of information technology in the area of energy accounting.

Part-'B'

Government of India (GOI) has introduced the R-APDRP (Restructured APDRP) Programme during the 11th Five Year Plan and the towns having population more than 30,000 (10,000 for special category states) as per census, 2001 are covered under the programme. For special category states like Himachal Pradesh, GOI loan for Part-'B' shall be 90% of the total project cost and 10% shall be arranged by the utility through loan/own funding. GOI loan for Part-'B' shall be converted into grant of equal tranches every year for five years as per the R-APDRP guidelines on the basis of reduction in AT&C losses.

In Himachal Pradesh 14 towns namely Baddi, Bilaspur, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Kullu, Mandi, Nahan, Paonta Sahib, Solan, Shimla, Sundernagar, Una and Yol having population more than 10,000 are covered under R-APDRP. The schemes for these towns under R-APDRP (Part-B) includes renovation, modernization & strengthening of 11KV & 22 KV level substations, Transformers/ Transformer centres, Re-conductoring of 11KV and LT lines, load bifurcation, feeder separation, Load Balancing, HVDS (11KV), Arial Bunched Conductoring, replacement of electromagnetic energy meters with tamperproof electronic meters, installation of capacitor banks, mobile service centres and strengthening at 33 KV or 66 KV system. Initially, the R-APDRP (Part-B) schemes amounting to ₹ 322.18 crore (Loan amount ₹289.97 crore) were sanctioned by M/s Power Finance Corporation Ltd. (PFC) / Ministry of Power for all the 14 towns covered under R-APDRP in Himachal Pradesh. Due to non availability of land for construction of 66/11 KV substations and right of way problem for associated 66 KV lines, the schemes for Shimla and Baddi towns have been revised. The revised R-APDRP (Part-B) DPRs for Shimla and Baddi towns amounting to ₹ 120.34 crore and ₹84.10 crore respectively have been sanctioned by M/s Power Finance Corporation Ltd. (PFC) on dated 08.02.2012 and accordingly the original sanctions amounting to ₹322.18 crore (Loan amount ₹289.97 crore) have been revised to ₹338.97 crore (Loan amount ₹ 305.07 crore). The counterpart funding (10% of the total project cost) amounting to ₹ 33.90 crore have also been sanctioned by M/s PFC during June, 2012. The M/S PFC has released ₹ 101.684 crore as upfront money for these 14 towns. The loan documents for counterpart funding of ₹33.90 crore have been signed on 19th December, 2013. Also the sanction of financial assistance for carrying out distribution works covering civil works and other components in R-APDRP (Part-B) schemes of 14 towns in HP has also been accorded during May,2013 by M/s PFC Ltd. for ₹65.53 crore (90% loan i.e. ₹58.98 crore and 10% HPSEBL Share i.e. ₹6.55 crore).

The town wise sanction status of the R-APDRP (Part-B) schemes are as hereunder:

Sr. No.	Name of Town/ Project Area	Loan Number	GOI Loan (₹ in crore)	PFC Loan (₹in crore)	Total Project Cost (₹ in crore)
1	Baddi	4134001	75.69	8.41	84.10
2	Bilaspur	4134002	1.87	0.21	2.08
3	Chamba	4134003	2.64	0.29	2.93
4	Dharamshala	4134004	9.28	1.03	10.31
5	Hamirpur	4134005	5.81	0.65	6.46
6	Kullu	4134006	6.66	0.74	7.40
7	Mandi	4134007	17.32	1.92	19.24
8	Nahan	4134008	5.46	0.61	6.07
9	Paonta Sahib	4134009	32.97	3.66	36.63
10	Shimla	4134010	108.30	12.04	120.34
11	Solan	4134011	20.32	2.26	22.58
12	Sundernagar	4134012	5.90	0.65	6.55
13	Una	4134013	6.58	0.73	7.31
14	Yol .	4134014	6.27	0.70	6.97
	Total		**305.07**	**33.90**	**338.97**

The scheme also envisages the provision of incentive for utility staff in the towns where 'Aggregate Technical & Commercial loss' (AT&C loss) levels are brought below 15%. Accordingly, the Incentive scheme amounting to ₹ 9.76 crore for all the 14 towns covered under R-APDRP (Part-B) has been sanctioned by M/s PFC Ltd.

The tenders for all the works under 12 towns namely Nahan, Solan, Hamirpur, Kullu, Sundernagar, Bilaspur, Dharamshala, Una, Yol, Mandi, Paonta Sahib & Chamba and for partial works under 02 no. of towns namely Baddi and Shimla have been awarded during April, 2012 to September, 2013. The tenders for the remaining works under Baddi and Shimla towns are under process and likely to be awarded by March., 2014. The works of Part-B under all the towns have been taken up in hand and an expenditure of ₹ 59.80 crore have been incurred upto November, 2013.

I.T. Initiatives

13.6

(i) GIS/GPS Based Asset Mappi including Consumer Indexi and Valuation of Assets HPSEB Ltd, preparation FARs of HPSEB Ltd called G Package.

- HPSEB Ltd. has decided to car out GIS/GPS based ass mapping including consum indexing and valuation of asse for whole HPSEB Ltd., which w be used as the base computerization of billing, ener accounting, electrical netwo management, CRM a Management Information Syst (MIS) and to create Fixed Ass Registers with wings nam Generation, Transmission a Distribution after pro reconciliation with latest balan sheet of the Board.

- GIS based Assets Mapping Consumer Indexing and Valuation of Fixed Assets of HPSEB Ltd called "GIS Packages" Part-1 within geographical boundaries of Shimla Operation Circle has been completed. For the remaining 11 Operation Circle, field survey work has been completed and valuation work is in progress. All project related activities are expected to be completed by March, 2014.

(ii) Computerized Billing and Energy Accounting Package (IT Package)

Latest Status:

Computerized Billing and Energy Accounting Package (IT Package) was implemented under the 'Accelerated Power Development and Reform Program (APDRP)' launched by Ministry of Power (MOP). Under this project, the activities of the operation sub-divisions are computerized through functionalities such as Pre-billing Activities, Billing Activities, Post Billing Activities, Legal & Vigilance Activities, Store management at sub-division level, Customer Relationship Management, Electrical Network Management & Energy Accounting/ Auditing and Management Information System (MIS). The award was placed on M/S HCL Info-systems Noida for an amount ₹3,057.88 lakh. The project has been implemented in 124 Sub Divisions of 27 Divisions and 12 Circles covering more than 12 lakh consumers. Computerized billing could not be implemented in balance 8 Sub Divisions as BSNL/other agencies could not provide the requisite connectivity at these locations.

(iii) Implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) package in HPSEB Ltd.

Under the ERP project, the following functions of the HPSEB Ltd. would be fully automated:

a) Financial Management and Accounting
b) Human Resource Management (HRM) including payroll
c) Project Management
d) Materials Management
e) Maintenance Management
f) Availability Based Tariff, and

A Dash Board for Senior Management for MIS purpose shall also be available. The total cost of the project is approximately ₹ 24.00 crore Award for Implementation of ERP system has been issued to M/s TCS. 1st Phase covering Head Office and Operation Circle Shimla except Theog and Sunni Electrical Divisions have been made "Go Live" in the month of March, 2013. Second phase covers the entire Board and left out modules is expected to go live in a phased manner till March, 2014.

New IT Initiatives in HPSEB Ltd.

A. Smart Grid Pilot project at Kala Amb in Himachal Pradesh.

HPSEB Ltd. has prepared a pilot project for ₹21.70 crore. The Govt. of India approved DPR for ₹18.11 crore out of which Ministry of Power shall bear ₹8.92 crore. Balance funding has to be arranged by HPSEB Ltd. through financial institutions like REC.

HPSEBL proposes to implement Smart Grid Pilot in Kala Amb with 3 years of payback period by deployment of following Smart Grid Technologies to improve the system performance by reduction in peak power by 6 MVA, reduce outages, improve consumer engagement and satisfaction and improve HPSEBL's overall financial performance by implementing Advanced Metering Infrastructure (AMI), Demand Side Management (DSM) and GIS based outage management system.

B. Expansion of Automatic Meter Reading (AMR)

It is proposed to cover all the consumers above 50 KW covering 32,000 consumers in phased manner across the state utilizing the existing infrastructure developed under R-APDRP.

C. Expansion of Computerized billing:

It is proposed to start computerized billing in 61 sub-divisions using standard platform during 2014-15. After stabilization and analyzing the performance it is proposed to shift the billing of 132 sub-divisions where computerized billing has already implemented to this platform in a phased manner.

D. Geographical Information System(GIS)/Global Positioning System(GPS) data updation in Non R-APDRP area.

Updation of GIS/GPS data in non R-APDRP area of the state is proposed to utilize the same in various electrical network applications.

E. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) / Document Management System (DMS).

A pilot for the control and monitoring of all un-manned 33kV and above Substations being setup in the State. This is proposed to be setup at the Disaster Recovery Centre Poanta.

F. R-APDRP next phase

The Ministry of Power is considering extension of R-APDRP program to towns with population greater than 5,000 in the next phase of this program under this 16 new towns would be covered during 2015-16.

13.7 Future plans of the department.

- Computerization of offices in HPSEBL.
- Augmentation & construction of new Sub-Stations and HT/LT lines to provide quality & reliable power to the consumers in the State of H.P.
- Automatic Meter reading of consumers above 50 KW.
- Proposal for replacement of 12,97,818 no. single phase and 20,319 no. three phase old electromechanical meters with electronic meters w.e.f 2011-12 to 2013-14.
- To reduce the T&D losses.
- Proposal for replacement of rotten wooden poles has been revised from earlier provision of 1,40,477 No. poles to 1,45,295 no. in 1st & 2nd Phase.

ELECTRICITY CONSUMPTION

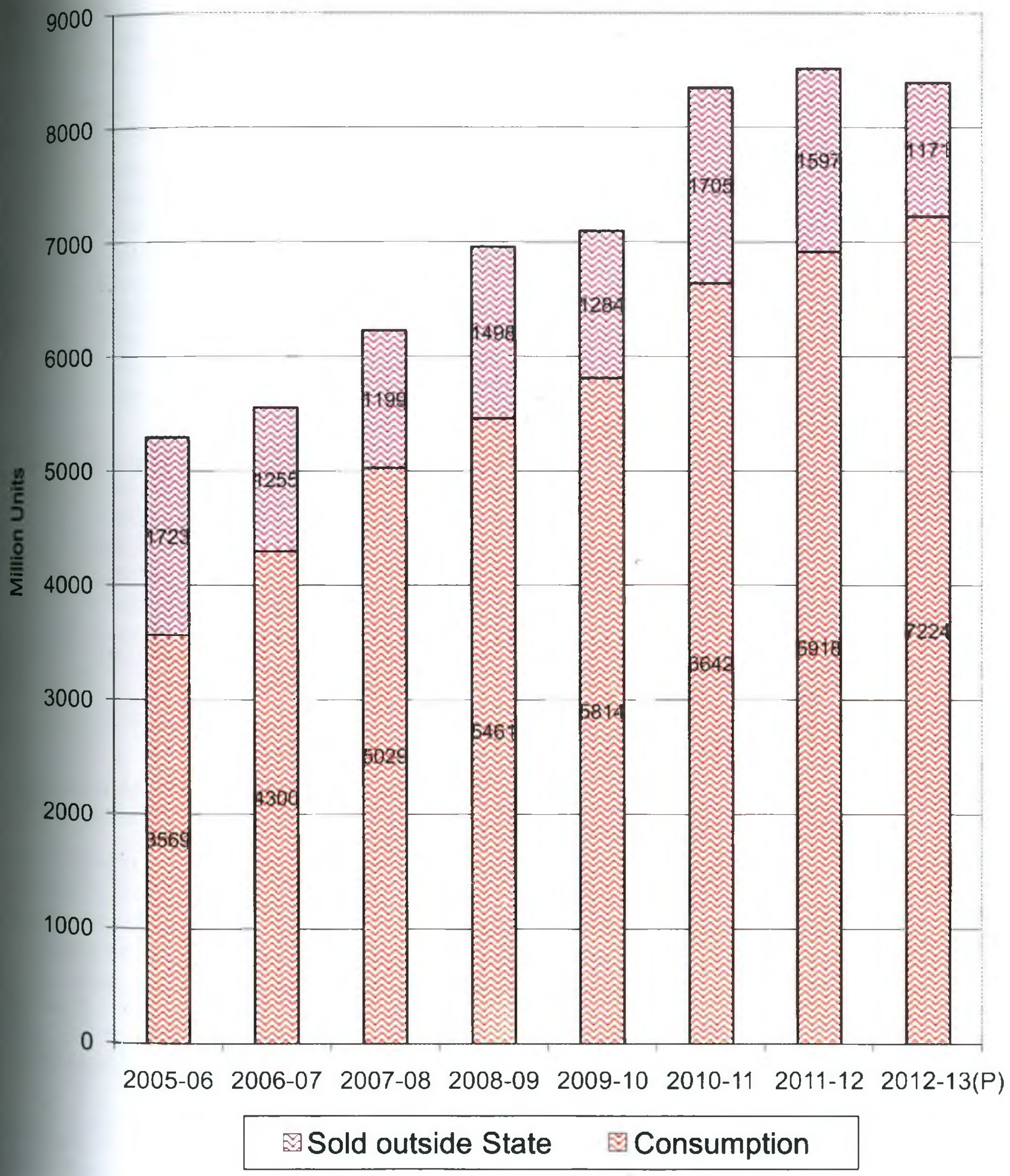

H.P Power Corporation Ltd:

1. Projects under HPPCL:-

Sr. No.	Name of Projects	Capacity (MW)
A)	**Projects (Under Execution)**	
	State Sector	
1.	Sawra Kuddu HEP	111
2.	Integrated Kashang HEP (Stage-I, II, III)	195
3.	Sainj HEP	100
4.	Shongtong Karcham HEP	450
	Sub Total (A)	**856**
B)	**Projects (Under Investigation)**	
	State Sector	
1.	Chirgaon Majhgaon HEP	60
2.	Kashang HEP (Stage-IV)	48
3.	Gyspa HEP (Project of National Importance)	300
4.	Surgani Sundla HEP	48
5.	Nakthan HEP	520
6.	Thana Plaun HEP	191
7.	Triveni Mahadev HEP	78
8.	Renuka Dam HEP (Project of National Importance)	40
	Sub Total (B)	**1,285**
C)	**Projects (Under Prefeasibility Stage)**	
1.	Chhoti Saichu HEP	26
2.	Saichu Sach Khas HEP	117
3.	Lujai HEP	45
4.	Saichu HEP	58
5.	Deothal Chanju HEP	33
6.	Chanju HEP	48
7.	Khab HEP	636
	Sub Total (C)	**963**
	Grand Total (A+B+C)	**3,104**

.P.POWER TRANSMISSiON ORPORATION LIMITED

3.8 H.P. Power Transmission orporation Limited (HPPTCL) is an ndertaking of Himachal Pradesh, which as established on 27th August,2008 ith a view to strengthen the ansmission network in Himachal radesh and to facilitate evacuation of ower from upcoming generating plants.

The jobs entrusted to orporation by Govt. oi Himachal radesh inter-alia included execution of all new works; both Transmission Lines and Sub-Stations of 66 KV and above voltage rating, formulation, up-gradation, execution of Transmission Master Plan of HP for strengthening of transmission network and evacuation of power. HPPTCL is discharging the functions of a State Transmission Utility (STU) and coordinating the transmission related issues with Central Transmission Utility, Central Electricity Authority, Ministry of Power (GOI), HP Government and HPSEBL. Besides, corporation is also responsible for

planning and coordination of transmission related issues with IPPs, CPSUs, State PSUs, HPPCL and other State/ Central Government Agencies.

The Corporation is planning transmission system in such a way to ensure principles of reliability, security, eco-friendly and economy matched with rising and desirable expectation of cleaner, safer, healthier environment to people, both affected and benefited by its activities is one of the objective of the corporation.

The Government of India has approved ADB loan of $ 350 Million for implementation of Transmission Projects covered in Power System Master Plan (PSMP) in Himachal Pradesh and loan agreement for Tranche-I for under taking implementation of Transmission Projects in Distt,. Kinnaur (Satluj Basin) and Shimla (Pabbar basin) estimated at a cost of $ 113 Million has been signed and made effective from Jan, 2012, The Following 4 Nos. Transmission Projects have been awarded:-

- 400/220/66 KV, 2x315 MVA sub-station at Wangtoo in Distt. Kinnaur. The estimated cost of project is ₹356.00 crore and shall be commissioned in April, 2016.
- 220/66/22 KV Sub-Station at Bhoktoo in Distt. Kinnaur. The estimated cost of project is ₹62.60 crore and shall be commissioned in July,2014.
- 400/220/66 KV, 2x315 MVA sub-station . at Pragati Nagar (Kotkhai) in Distt. Shimla. The estimated cost of project is ₹166.20 crore and shall be commissioned in June, 2015.
- 220kV, transmission line from Hatkoti to Pragati Nagar in Distt. Shimla. The estimated cost of project is ₹84.40 crore and shall be commissioned in November, 2014.

The following Transmission Projects have been awarded and are being funded through domestic borrowings:

- 33/220 KV, 2x31.5 MVA sub-station at Fozal in Distt. Kullu with the completion date in March, 2014.
- 33/220 KV, 63 MVA sub-station at Karian in Distt. Chamba with the completion date in March, 2014.

The Tranche-II of ADB loan amounting to $ 110 Million has been approved and loan agreement shall be signed in February, 2014. This Tranche shall fund construction of 66 KV and above sub-stations and lines in the districts of Kinnaur, Kullu, Chamba, Kangra and Mandi.

**TENTIAL HARNESSED UNDER STATE/CENTRE/JOINT/PRIVATE SECTOR
) HIMURJA:**

State Sector

No.	Name of Project	Basin	Capacity (MW)
	2.	3.	4.
1.	Andhra	Yamuna	16.95
2.	Giri	Yamuna	60.00
3.	Gumma	Yamuna	3.00
4.	Rukti	Satluj	1.50
5.	Chaba	Satluj	1.75
6.	Rongtong	Satluj	2.00
7.	Nogli	Satluj	2.50
8.	Bhaba	Satluj	120.00
9.	Ganvi	Satluj	22.50
10.	Binwa	Beas	6.00
11.	Gaj	Beas	10.50
12.	Baner	Beas	12.00
13.	Uhl-II (Bassi)	Beas	66.00
14.	Larji	Beas	126.00
15.	Khauli	Beas	12.00
16.	Sal-II	Ravi	2.00
17.	Holi	Ravi	3.00
18.	Bhuri Singh P/H	Ravi	0.45
19.	Killar	Chenab	0.30
20.	Sissu	Chenab	0.10
21	Thirot	Chenab	4.50
22.	Bhaba Augmentation	Satluj	4.50
23.	Himurja (Under State Sector)	-	2.37
	Sub-Total-I		**479.92**

ii) Central/Joint Sector/HP Share

Sr.No.	Name of Projects	Basin	Capacity(MW)
1.	Yamuna Projects (H.P. Share)	Yamuna	131.57
2.	Rajneet Sagar Dam (H.P Share)	Beas	27.60
3.	Bhakra	Satluj	1,478.73
4.	Nathpa Jhakri	Satluj	1,500.00
5.	Baira Siul	Ravi	198.00
6.	Chamera-I	Ravi	540.00
7.	Chamera-II	Ravi	300.00
8.	Uhl-I(Shanan)	Beas	110.00
9.	Pong Dam	Beas	396.00
10.	B.S.L	Beas	990.00
11.	Chamera-III	Ravi	231.00
	Sub-Total-II		**5,902.90**

(iii) Private Sector

a) (Project above 5 MW)

Sr. No.	Name of Project	Basin	Capacity (MW)
1.	Baspa-II	Satluj	300.00
2.	Malana-I	Beas	86.00
3.	Patikari	Beas	16.00
4.	Toss	Beas	10.00
5.	Sarbari-II	Beas	5.40
6.	Allain Duhangan	Beas	192.00
7.	Karchham Wangtoo	Satluj	1,000.00
8.	Upper Joiner	Ravi	12.00
9	Sumez	Satluj	14.00
10	Beas Kund	Beas	9.00
11	Malana-II	Beas	100.00
12	Budhil	Ravi	70.00
13	Neogal	Beas	15.00
	Sub Total (a)		**1,829.40**

b) (Project upto 5 MW)

Sr. No.	Name of Project	Capacity (MW)
1.	Mini/Micro Hydel Projects upto 5 MW through Himurja	220.25
	Sub Total (b)	220.25
	Total-III(a +b) 1,829.40 +220.25	**2,049.65 MW**

Total Potential Harnessed (upto Dec. 2013):-

(i)+(ii)+(iii) = 479.92+5,902.90+2,049.65 = 8,432.47 MW

A. PRIVATE SECTOR PROJECTS COMMISSIONED

1. Baspa-II HEP (300 MW):

The MOU and Implementation Agreement for execution of the Baspa-II HEP were signed by the H.P. Govt. with M/s. Jai Parkash Industries Ltd., New Delhi on 23.11.1991 & 1.10.1992 respectively. The Unit-I-II and III of the project have been generating power w.e.f. 24.5.2003, 29.5.2003 and 8.06.2003, respectively.

2. Malana-I HEP (86 MW):

The MOU for execution of the project was signed between the HP Govt. and M/s Rajasthan Spinning and Weaving Mills (RSWM), New Delhi on 28.8.1993. The Implementation Agreement was signed on 13.3.1997 between Govt. of HP & RSWM followed by a Tripartite Agreement signed on 3.03.1999 between Govt. of H.P., M/s RSWM and M/s Malana Power Company Ltd. (MPCL). Company started the project works on 27.9.1998. The financial package had been approved by the CEA for a total amount of ₹332.71 crore. The project started generating electricity w.e.f. 5.7.2001.

3. Patikari HEP (16 MW):

The Implementation Agreement for the Project has been signed with M/s. East India Petroleum Ltd. on 9.11.2001 which has further incorporated Patikari power Pvt. Ltd. for the implementation of the project. The Techno-economic clearance has been issued by the Board on 27.9.2001. The estimated cost of the project is ₹ 126.00 crore. The PPA was signed with HPSEB on 14.1.2003. The Project has been commissioned in January,2008.

4. Allain Duhangan HEP (192 MW):

The estimate cost of this project is ₹ 922.36 crore. The MOU for execution of the project was signed between the HP Govt. and M/s. Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd., New Delhi on 28.8.1993 & Implementation Agreement signed on 22.2.2001. The Govt. of H.P. signed Quadripartite Agreement on 5.11.2005 between the Govt. of H.P., M/s. Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd., MPCL and the Generating Company M/s AD Hydro Power Ltd. The construction work of project is under progress. The project has been commissioned in August, 2010.

5. Sarbari-II HEP (5.4 MW):

The MoU was signed by the H.P. Govt. with M/s Hydro Watt Ltd on 15.3.2001. The implementation agreement was signed by the H.P. Govt. with company on 28.2.2009. The project has been commissioned in August, 2010.

6. Toss HEP (10MW):

The Govt. of H.P. has signed the MoU and implementation agreement with M/s Sai Engineering Foundation, New Shimla. The project has been commissioned in 2009-10.

7. Karcham - Wangtoo HEP (1,000 MW):

The project has been allotted to M/s Karcham Hydro Corporation Ltd. New Delhi. The estimated cost of project is ₹6,930.00 crore. Annual generation of this project is 4,560 MU. The MOU for execution of the Project has been signed between the HP Govt. and M/s. Jai Parkash Industries Ltd., New Delhi on 28.8.1993. The Implementation Agreement was signed

between Govt. of HP and M/s. Jai Parkash Industries Ltd on 18.11.1999 followed by a Tripartite Agreement between the Govt. of HP, M/s. Jai Parkash Industries Ltd and M/S Jaypee Karchham Hydro Corporation Ltd., on 30-12-2002 and SIA on 20.12.2007. the work on the Project was started on 18.11.2005 and got completed in August,2011. The project has been commissioned in August, 2011.

8. Upper Joiner HEP (12 MW):

The Project has been allotted to M/s Tejas Sarnika Hydro Energies Pvt. Ltd. The MOU for execution of the Project has been signed between the HP Govt. and M/s Tejas Sarnika Hydro Energies Pvt. Ltd. on 12.01.2005. The Implementation Agreement was signed between Govt. of HP and M/s Tejas Sarnika Hydro Energies Pvt. Ltd on 11.07.2008.The project has been commissioned in July, 2011.

9. Sumej HEP (14 MW)

The MoU and implementation agreement for execution of the Kurmi HEP were signed by the H.P. Govt. with M/s Rangaraju Ware Housing Pvt. Ltd. on 12.01.2005 and 11.12.2008 respectively. The project has been commissioned in March, 2012.

10. Beaskund HEP (9 MW):

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Beaskund HEP were signed by the H.P. Govt. with Kapil Mohan and Associates Hydro Power Pvt. Limited Chandigarh on 23.03.2001 and 1.10.2009 respectively. The project has been commissioned in June, 2012.

11. Malana-II HEP (100 MW):

Malana-II Hydro Electric Project (HEP) has been contemplated a Power generation development on Malana a tributary of Beas in Kullu District of Himachal Pradesh. The Project has been allotted to M/s Everest Power Pvt. Ltd. New Delhi. The estimated cost of the Project is ₹633.47 crore. The estimated annual generation of this project is 428 MU. The MOU & IA signed with the company on 27.5.2002 & 14.1.2003 respectively. The Project has been commissioned in July, 2012.

12. Budhil HEP (70MW):

The project has been allotted to M/s Lanco Green power Pvt. Ltd. The estimated cost of the project is ₹418.80 crore. The Memorandum of Understanding (MoU) has been signed on 23.9.2004. The H.P. Govt. signed the Implementation Agreement (I.A) with the company on 22.11.2005. The Project has been commissioned in August, 2012.

13. Neogal HEP (15 MW):

Neogal Hydro Electric Project (HEP) has been contemplated as a power generation development on Neogal a tributary of Beas in District Kangra of Himachal Pradesh. The project has been allotted to M/s Om Power Corporation Ltd. New Delhi. The estimate and cost of this project is ₹ 61.74 crore. The annual generation of this project will be 82 MU. The MOU for execution of the project was signed between the HP Govt. and M/s. Om Power Corporation, New Delhi on 28.8.1993. The Implementation Agreement signed with the company on 4.07.1998 stands terminated on 27.11.2004 due to failure of the company to achieve the financial closure and start construction work on the project within the time limit extended by the Govt. in its cabinet meeting held on 31.05.2004. The Company has signed Power Purchase Agreement on 27.10.2006 with HPSEB. The Project has been commissioned in May, 2013.

B. Projects Under Execution

(i) Under private sector:

1. Fozal HEP (9MW):

The project has been allotted to M/s Fozal Power Pvt. Ltd., New Delhi. The estimated cost of the project is ₹49.17 crore. The Memorandum of Understanding (MOU) and Implementation Agreement (IA) have been signed on 21.06.2000 and 13.04.2006 respectively. The project is slated for commissioning 2013-14.

2. Tangnu Romal Stage-I HEP (44MW):

Tangnu Romai Hydro Electric Project (HEP) has been contemplated a Power generation development on Tangnu Romai a tributary of Yamuna river in District Shimla of Himachal Pradesh. The Project has been allotted to M/s Tangnu Romai Power Generation Private Ltd.. The estimated cost of the Project is ₹ 239.73 crore. The annual generation of this project will be 211.05 MU. The MOU was signed with the company on 5.07.2002. An Implementation Agreement for the Project has been signed with M/s Tangnu Romai Power Generation Ltd, on 28.07.2006 as per the provision of Power Policy. The Project is slated for commissioning for 44MW in 2014-15.

3. Tangnu Romal Stage-II HEP (6MW):

Tangnu Romai Hydro Electric Project (HEP-II) has been contemplated as a Power generation development on Tangnu Romai a tributary of Yamuna River in District Shimla of Himachal Pradesh. MOU and implementation agreement of Government of Himachal Pradesh and company was signed in 5.07.2002 and 28.7.2006 respectively. Work on major components of the project has yet not started. The project is slated for commissioning for 6 MW in 2013-14.

4. Lambadug HEP (25 MW):

The Project has been allotted to M/s Himachal Consortium Power Projects Pvt. Ltd. The estimated cost of the Project is ₹ 149.81 crore. The MOU was signed with M/s Himachal Consortium on 14.06.2002 and IA was signed on 28.01.2006. Company is in process of obtaining various clearances of acquisition of land for the project. The Project is slated for commissioning in 2014-15.

5. Baragaon HEP (24 MW):

The project has been allotted to M/s Kanchanjunga Power Pvt. Ltd., F-34, Sector, Noida (UP). The estimated cost of the project is ₹168.09 crore. The Memorandum of Understanding (MOU) and Implementation Agreement (IA) have been signed on 6.06.2002 and 25.11.2006 respectively. The Supplementary Implementation Agreement (SIA) has been signed on 12.01.2009. The project is slated for commissioning 2014-15.

6. Baner-II HEP (6 MW):

The project has been allotted to M/s Prodigy Hydro Power (P) Ltd. The estimated cost of the project is ₹30.36 crore. The Memorandum of Understanding (MOU) and Implementation Agreement (IA) have been signed on 29.05.2000 and 1.10.2001 respectively. The Supplementary Implementation Agreement (SIA) has been signed on 9.08.2007. The project is slated for commissioning 2013-14.

7. Raura HEP (8 MW):

The project has been allotted to M/s. DLI Power (India) Pvt. Ltd., Pune. The estimated cost of the project is ₹42.03 crore. The Memorandum of Understanding (MOU) and Implementation Agreement (IA) have been signed on 4.02.1996 and 24.03.2008 respectively. The project is slated for commissioning 2014-15.

8. Sorang HEP (150 MW):

The project has been allotted to M/s Himachal Sorang Power Pvt. Ltd. The estimated cost of the project is ₹586.00 crore. The Memorandum of Understanding (MoU) and Implementation Agreement (I.A) have been signed on 23.09.2004 and 28.01.2006 respectively. An additional unit of 50 MW is being installed by the Developer so the total capacity of Sorang HEP is proposed to be 150 MW, however two units of 100 MW are likely to be commissioned by 2013-14

9. Tidong-I HEP (100 MW):

The project has been allotted to M/S Nuziveedu Seeds Ltd, Secunderabad. The estimated cost of the project is ₹500.11 crore. The Memorandum of Understanding (MoU) and Implementation Agreement (I.A.) have been signed on 23.09.2004 and 28.07.2006 respectively. The project is slated for commissioning in 2014-15.

10. Chanju-I HEP (36 MW)

Project has been allotted to M/s Indo Arya Central Transports and MOU was signed on 20.12.2007 for an installed capacity of 25 MW. The DPR submitted for 36 MW was Techno-economical clearance by HPSEB and IA was signed on 12.06.2009. The project is slated for commissioning in 2014-15.

11. Kut HEP (24 MW):

The MoU and implementation agreement for execution of the Kut HEP were signed by the H.P. Govt. with M/s Kut Energy (P) Ltd. Noida U.P. on 28.04.2007 and 25.05.2008 respectively. The estimated cost of project is ₹ 196.50 crore. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2013-14.

12. Lower Uhl HEP (13 MW)

The MoU and implementation agreement for execution of the Lower Uhl HEP were signed by the H.P. Govt. with M/s Trident Power System Ltd. on 05.02.2005 and 29.12.2008 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2014-15.

13. Kurmi HEP (8 MW)

The MoU and implementation agreement for execution of the Kurmi HEP were signed by the H.P. Govt. with M/s Chandigarh Distillers & Bottlers Ltd on 19.06.2007 and 10.01.2009 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2013-14.

14. Rala HEP (9 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Rala HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Taranda Hydro Power Pvt. Ltd., on 18.10.2006 and 07.11.2008 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2014-15.

15. Upper Nanti HEP (12 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Upper Nanti HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Nanti Hydro Power Pvt. Ltd., on 27.10.2006 and 12.11.2008 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2014-15.

16. Jongini HEP (16 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Jogini HEP were signed by the Himachal

Pradesh Government with M/s Gangdari Hydro Power Pvt. Ltd., on 27.10.2006 and 19.11.2008 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2014-15.

17. Nanti HEP (14 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Nanti HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Surya Kantha Hydro Poulteries (P) Ltd., on 12.11.2005 and with M/s Surya Kantha Hydro Energies (P) Ltd. on 12.11.2008 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2014-15.

18. Paudital Lassa HEP (24 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Paudital Lassa HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Shri Jayalakshmi Power Corporation. Ltd. on 06.06.2002 and 26.10.2006 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2015-16.

19. Roura – II HEP (20 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Roura–II HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Chandigarh Distillers & Bottlers Ltd., on 27.10.2006 and with M/s Roura Non-Conventional Energy (P) Pvt. Ltd., on 01.10.2009 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2015-16.

20. Brua HEP (9 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Brua HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Continental Components (P) Ltd., on 09.12.2000 and with M/s Brua Hydrowatt Pvt. Ltd., on 23.09.2011 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2013-14.

21. Jeori HEP (9.6 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Jeori HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Technology House Pvt. Ltd. on 12.01.2005 and 23.02.2011 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2015-16.

22. Balargha HEP (9 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Balargha HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Sandhya Hydro Power Projects Balargha Pvt. Ltd., on 03.11.2006 and 07.11.2012 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2015-16.

23. Rajpur HEP (9.9 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Rajpur HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s Rajpur Hydro Power Pvt. Ltd., on 31.07.2001 and 16.05.2013 respectively. The work on all major components is in progress. The project is schedule for commissioning during 2015-16.

24. Bajoli Holi HEP (180 MW)

The MoU and Implementation Agreement for execution of the Bajoli Holi HEP were signed by the Himachal Pradesh Government with M/s GMR Bajoli Holi Hydropower Pvt. Ltd., on 15.02.2008 and 29.03.2011 respectively. The work on all major components is in progress. The project

is scneaule for commissioning during 2016-17.

PROJECTS UNDER EXECUTION

i) Under HPSEB Ltd.:-

Name of Projects	Installed capacity (MW)	Expected Generation (MU)	Likely date of Commission-ing
Uhl Stage-III	100.00	391.19	March,2015
Ghanvi Stage-II	10.00	56.30	March,2014
Total	**110**	**447.49**	

(I) UHL STAGE–III HYDRO ELECTRIC PROJECT (100MW):

The packages for construction of Neri Khad Intake Work and Rana Khad Intake Works have been completed during December,2011 & Surge Shaft during January, 2012. Other packages of the Project except for Head Race Tunnel are anticipated to be completed up to June, 2014. Project is scattered over a large geographical area having poor communication, weak geological formations, tunnelling through sand stone, clay stone and conglomerate with heavy ingress of water at Inlet heading of Head Race Tunnel (HRT). Contract of HRT have been rescinded twice due to slow progress/ non performance of the contractors and remaining works of HRT were awarded on 15.10.2010 . The excavation of HRT has been completed during March,2013 and entire package is now anticipated to be completed by December, 2014. The estimated cost of the project is ₹ 940.84 crore (March, 2008 Price Level). 90% works pertaining to transmission viz construction of 132 KV Single Circuit Transmission line from Chullah to Bassi (15.288 KM.) and 132 KV Double Circuit Transmission line from Chulla to Hamirpur (34.307KM.) have been completed.

(2) GHANVI STAGE-II HEP (10 MW):

Ghanvi Stage-II HEP is a run of he river scheme on Ghanvi rivulet, a tributary of Satluj river. This scheme envisages construction of drop type trench weir to divert the Ghanvi waters. This diverted water will be conveyed through 1.8m size D-shaped 1440m long tunnel and penstock, bifurcating near power house to feed two turbines in an underground power house to generate 10 MW of power by utilizing a gross head of 165m and designed discharge of 7 cumecs. The annual energy generation in a 75% dependable year is expected to be 56.30 MU. All major civil & hydro mechanical components have been completed. Final testing of the machines is in progress. Site development works at intake and finishing works in the power house are in progress. The estimated cost of the project is ₹ 99.80 crore at December, 2009 Price Level. An expenditure of ₹103.00 crore has been spent on civil works of the project ending November, 2013.The date for commissioning is expected as 31.3.2014.

PROJECT UNDER EXECUTION

ii) Projects under HPPCL:-

Name of Projects	Capacity (MW)
State Sector	
1.Sawra Kuddu HEP	111
2.Integrated Kashang HEP (Stage-I, II, III)	195
3.Sainj HEP	100
4.Shongtong Karcham HEP	450
Total	**856**

Projects under construction/ implementation stage through HPPCL are as under:

1. Sawra Kuddu HEP (111 MW):- Sawara Kuddu HEP (111 MW) a run of river scheme has been contemplated as power generation development on the Pabbar river in Shimla District (H.P.) near Rohru. Underground power house is located on the left bank of the Pabbar river near Snail village. This will develop a gross head of 213.50 m

to generate 385.78 MU per annum @ ₹4.44 per unit. Likely date of commissioning is December-2015. All the statutory clearances have been accorded by respective agencies. Work has been divided into 4 Nos. packages and construction work has been started. The Head Race Tunnel of the Project posed geological problems. Technical solution for these problems has been evolved and project shall be commissioned during 2015.

2. **Integrated Kashang HEP (243 MW):-**

Integrated Kashang HEP (243 MW) envisages development of Kashang and Kerang Streams, tributaries of the river Sutlej comprising four distinct stages as under:-

Stage-I (65 MW):- Comprising diversion of Kashang stream to an underground power house located on the right bank of Satluj near Powari village, developing a head of approximately 830 m to generate 245.80 MU per annum @ ₹ 2.85/- per unit. This project would be commissioned by HPPCL by July, 2014.

Stage-II & III (130 MW):- Comprising diversion of the Kerang stream into an underground water conductor system (K-K Link) leading to upstream end of Stage-I water conductor system, augmenting the generating capacity of Stage-I power house, using Kerang waters over the 820m head available in Kashang Stage-I power house to generate 790.93 MU per annum @ ₹1.81/- per unit.

Stage-IV (48 MW):- This stage is more or less independent scheme harnessing the power potential of Kerang stream upstream of the diversion site of Stage-II. In this scheme, a head of approximately 300m could be utilized to develop power in an underground powerhouse located on the right bank of Kerang stream.

3. **Sainj HEP (100 MW):-** Sainj HEP has been contemplated as a run of the river development on river Sainj, a tributary of River Beas in Kullu District of Himachal Pradesh. The project comprises of a diversion barrage on the river Sainj near village Niharni and underground power house on right bank of river Sainj near village Suind with a gross head of 409.60 m to generate 322.23 MU per annum @ ₹ 3.74/- per unit. The project is executed on EPC mode & construction works are under progress. The likely date of commissioning is December, 2015. HPPCL, however, is committed to pre-pone its commissioning to August, 2015.

4. **Shongtong Karcham HEP (450 MW):-**

Shongtong Karcham Hydro electric project a run-of – river scheme on the river Sutlej in District Kinnaur of Himachal Pradesh with diversion barrage, near village Powari, and underground powerhouse, located on the left bank of the river Satluj near village Ralli will generate a gross head of 129 m, to generate 1578.95 MU per annum, @ ₹ 3.98/- per unit of power. The project is to be constructed through EPC mode. Likely date of completion of Civil and Hydro-Mechanical package is August-2017.

5. **Renuka Dam HEP (40 MW):-** Renukaji Dam project, conceived as a drinking water supply scheme for the National Capital Territory of Delhi, envisages construction of 148 m high rock fill dam on river Giri at Dadahu in Sirmaur district and a power house at toe of Dam. The project will ensure 49,800 hectare m of live water storage in its reservoir and a firm water supply to the tune of 23 cumecs to Delhi

besides generating 199.99 MU per annum @ ₹ 2.38/- per unit exclusively for use of Himachal Pradesh. Total cost of the project as finalized by CWC/CEA at March, 2009 price level is ₹ 3,498.86 crore i.e. (without Escalation & IDC) which shall be borne by the Govt.of India/Govt. of Delhi and other beneficiary states.

6. Other areas of Power development:

H.P. Power Corporation apart from Hydro Power Development intends to diversify its power development activities in other areas such as thermal, renewable sources of energy such as solar and wind power, to meet the growing energy demands for the development of the State and the Indian nation. In joint venture, a Pithead Thermal Plant at Raniganj in the state of West Bengal is being developed. De-allocation of coal block for the project is under sub-judice in H.P. High Court. For Solar Power (Berra-Dol 5 MW) has been identified in Naina Devi ji area in Bilaspur district.

HIMURJA

Project Under Himurja:
(UPTO 5 MW CAPACITY)

Projects	No.	Capacity (MW)
Total allotted Projects (in existence)	472	1218.46
Implementation Agreement Stage	227	737.67
i) Commissioned	56	221.55
ii) Under Construction	51	182.60
iii) Clearances being obtained	120	333.52
Pre Implementation Agreement Stage	245	480.79
i) Clearances being obtained	143	307.42
ii) Survey & Investigation in progress	102	173.37

HIMURJA for development of new and renewable sources of energy in H.P:

. Himurja has made concerted efforts to popularize renewable energy programmes throughout the State with financial support of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt. of India and State Govt.. Efforts are continued for promotion and propagation of renewable energy devices like , solar water heating system, solar photovoltaic lights etc. HIMURJA is also assisting the Govt. for exploitation of Small Hydro (upto 5 MW) in the state. The achievements of HIMURJA during the year 2013-2014 (upto December, 2013), anticipated upto March, 2014 and target fixed for 2014-15 are as under:

A. SOLAR THERMAL PROGRAMME

i) Solar Water Heating System: Solar water heating systems of 1,68,050 Litre. per day capacity have been installed through Market Mode under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), in the different parts of the State upto December,2013, anticipated figures for the physical progress upto March,2014 will be about 2,00,000 Litre. per day . A target of 2,00,000 litre per day capacity solar water heating systems installation has been proposed for the year 2014-15 under JNNSM of Govt. of India.

ii) Solar Cooker: During the current financial year 1,658 Box type and 56 Dish type solar cookers under JNNSM have been provided up to December,2013. Anticipated figures of achievement upto March,2014 will be about 2,000 Box type and 90 Dish type solar cookers . A target of 2,000 Box type and 200 Dish type solar cookers has been proposed for the year 2014-15 under JNNSM of Govt. of India.

B. SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMME

i) SPV Street Lighting System: During current financial year 2013-14, 16,012 SPV Street Lighting Systems have been installed for community use up to December,2013 under JNNSM of Govt. of India, anticipated figures upto March,2014 will be about 27,800. A target of 20,000 SPV Street Lighting systems has been proposed for the year 2014-15 under Jawahar Lai Nehru National Solar Mission of Govt. of India.

ii) SPV Power Plant : SPV Power Plant of 150 Kwp are expected to be commissioned by 31.03.2014 under JNNSM (90:10). A target of 5 MW capacity SPV Power Plant under JNNSM/ Tribal Sub Plan (90:10) has been proposed for the year 2014-15.

C. SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECTS UPTO 5 MW CAPACITY BEING EXECUTED THROUGH PRIVATE SECTOR PARTICIPATION

During the period under report, Implementation Agreements for 41 projects with total capacity of 110.65 MW have been signed. 4 projects with an aggregate capacity of 16 MW have been commissioned. 4 Projects have been sanctioned for allotment with an aggregate capacity of 6.55 MW. For the year 2014-15 commissioning of 16 projects with an aggregate capacity of 65.10 MW has been targeted.

D. HYDRO ELECTRIC PROJECTS BEING EXECUTED BY HIMURJA

i) MHEPs

Himurja is operating Micro Hydel projects at Lingti (400KW), Kothi (200 KW), Juthed (100 KW), Purthi (100 KW), Sural (100 KW), Gharola (100 KW), Sach (900 KW) and Billing (400 KW) which are under generation. During current year 30,18,205 units electricity has been generated from these projects upto December,2013. Other projects, namely Bara Bhangal (40 KW) and Sarahan (30 KW) have also been executed by HIMURJA. From Bara Bhangal project, energy is being provided to local public. Out of 19 HEPs allotted to HIMURJA by the State Govt., only 16 projects (63.05 MW) were found viable. Out of the viable projects DPRs have been completed for 15 Nos. and forwarded to Directorate of Energy (DOE) for TEC. TEC has been accorded by DOE for 14 projects. DPRs for remaining 1 project is under preparation. Now Government has cancelled allotment of 13 projects and remaining three projects of capacity 14.50 MW are to be executed by Himurja.

ii) Portable Micro Hydel Generator Sets:

Himurja has commissioned Portable Gen. Sets in Pangi Sub-Division of Chamba Distt. In Pangi valley, electricity is being provided to Saichu, Sahali and Hillaur. There is no metering and the energy is being provided to general public . The O&M charges being paid are very high and the same are paid from the Himurja resources.

E. STATE LEVEL ENERGY PARK

As per Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt. of India Scheme, Two State Level Energy Parks would be set up in the Pradesh, the latest status of which is as under :

- State level Energy Park at Horticulture and Forestry University, Nauni (Distt. Solan), has been set up and further handed over to UHF Nauni for further O&M during March,2013.
- The work for setting up of State

Level Energy Park at National Institute of Technology (NIT), Hamirpur, H.P. is in progress at final stage of completion.

F. DEVELOPMENT OF SOLAR CITIES

Shimla and Hamirpur Cities of the Pradesh would be developed as Solar Cities under Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt. of India Programme. The program aims at minimum 10% reduction in projected demand of conventional energy at the end of five years, which can be achieved through a combination of energy efficiency measures and enhancing supply from renewable energy sources. The final master plan for development of Shimla Solar City have been approved by MNRE, GOI, whereas, draft of Final Master Plan in respect of Hamirpur Solar City is with Ministry for according final approval.

G. SPECIAL AREA DEMONSTRATION PROJECT SCHEME

Under the scheme, MNRE has sanctioned the proposal in respect of 12 Collectorates in H.P. Accordingly, in these 12 Collectorates, 4 KWp SPV Power Plant and 200 LPD of Solar water heating systems are likely to be commissioned up to March,2014. In addition to this one number 10Kwp Solar Power Plant at Rancer has also been commissioned and one another Solar Power Plant of 10 Kwp capacity at Kibber would be commissioned up to 31.3.2014.

H. BUDGET PROVISION

The expenditure during 2013-14 under Plan & Non Plan will be ₹247.00 lakh under IREP and NRSE schemes on the basis of revised budgeted Annual Plan outlay for the promotion of renewable energy programmes including implementation of Small Hydro Programme in the State.

14. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Roads and Bridges (State Sector)

14.1 Roads are an essential ingredient of infrastructure of economy. In the absence of any other suitable and viable modes of transportation like railways and waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hilly state like Himachal Pradesh. Starting almost from a scratch the state Government has constructed 34,945 Kms. of motorable roads inclusive of jeepable and track till December, 2013. Government has been assigning a very high priority to road sector. For the year 2013-14, there is an outlay of ₹812.55 crore. The target fixed for 2013-14 and achievements made upto December, 2013 are given as under:-

Table-14.1

Item	Unit	Target for 2013-14	Achievement upto Dec. 2013	2013-14 Anticipated
1.	2.	3.	4.	5.
1.Motorable	Kms	589	360	550
2.Cross-drainage	"	1474	722	1000
3.Metalling & Tarring	"	913	551	700
4.Jeepable	"	40	5	25
5.Bridges	No.	63	26	50
6.Villages connectivity	"	155	70	155

14.2 In the State as on 31.12.2013, 9,987 villages as detailed below in table 14.2 were connected with roads:-

Table-14.2

Villages connected with road	As on 31st March				As on Dec. 2013
	2010	2011	2012	2013	
1.	2	3	4	5	6
Villages with population more than 1500	205	208	208	208	208
1000-1499	266	266	268	270	271
500-999	1208	1216	1 231	1238	1243
250-499	3191	3240	3316	3374	3403
Below 250	4671	4700	4765	4827	4862
Total	**9541**	**9630**	**9788**	**9917**	**9987**

National Highways (Central Sector)

14.3 The process of improvement of National Highways in the state having total length of 1,553 Km, which include urban links and bye-passes, continued during the year also. Upto the end of December, 2013, expenditure of ₹65.61 crore has been incurred.

Railways

14.4 There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka (96 Km.) and Jogindernagar with Pathankot (113 Km.) and one 33 Km. broad gauge railway line from Nangal Dam to Charuru (District Una).

Road Transport

14.5 Road Transport is the main stay of economic activity in the Pradesh as other means of transport namely Railways, Airways, Taxies, Auto Rickshaw etc. are negligible. As such, the road transport corporation assumes

paramount importance. The HRTC was formed under RTC Act, 1950 to provide efficient, adequate and safe transport facility to the people of the Pradesh as other mode of transport are negligible in the State. The Revenue of the Corporation is expected to increase by ₹ 58 crore (approx) during the year 2013-14. The passenger transport services to the people of Himachal Pradesh within and outside the State are being provided by Himachal Road Transport Corporation, with a fleet strength of 2,020 buses as on October, 2013. HRTC is plying bus services on 2151 routes with a coverage of 4.50 lakh Kms. (approx.) daily.

14.6 For the benefit of people the following schemes remained in operation during the year:-

(i) **Yellow & Smart Card Scheme:-** To attract passengers, marketing schemes such as Yellow & Smart card has been introduced by the corporation. The validity of these cards have been extended from one to five years. In addition Group discount is also available to the passengers.

(ii) **Volvo Luxury A.C. Buses:-** A fleet of 12 new Volvo and 20 new deluxe AC buses have been introduced.

(iii) **Green Card Scheme:-** Green Card Scheme has been introduced by the corporation w.e.f November, 2013. Under this scheme, the green card holder is allowed 30% discount in fare if the return journey undertaken by the passenger is more than 40 km and less than 60 km.

(iv) **Free Facility to Students of Government Schools and other categories:** The students of Government schools up to +2 classes have been allowed free travelling facility in HRTC ordinary buses w.e.f 01.04.2013. The Gallantry award winners have also been allowed free travel facility in Deluxe/ordinary within the state in HRTC buses. Women have been allowed free travel in HRTC buses on the occasion of Raksha Bandhan, Bhaiya Dooj and Muslim women are allowed for Id and Bakreed. Reservation of seats has also been provided to Special Category passengers in ordinary buses being plied on routes having distances less than 50 km.

(v) **Taxi Services in Shimla Town:** To provide transport facility to Senior Citizens, patients, handicapped, children and public on the restricted roads of Shimla town, taxis are being plied under the operation of HRTC.

(vi) **On Line Booking**: HRTC has started on line booking of its buses. Passengers booking tickets online five days before the journey have been allowed 5% discount in fare. Lok Mitra Kendras (LMK's) and post offices have also been allowed to issue tickets to passengers.

(vii) **Construction and expansion of bus stand:** HP Bus Stands

ROADS

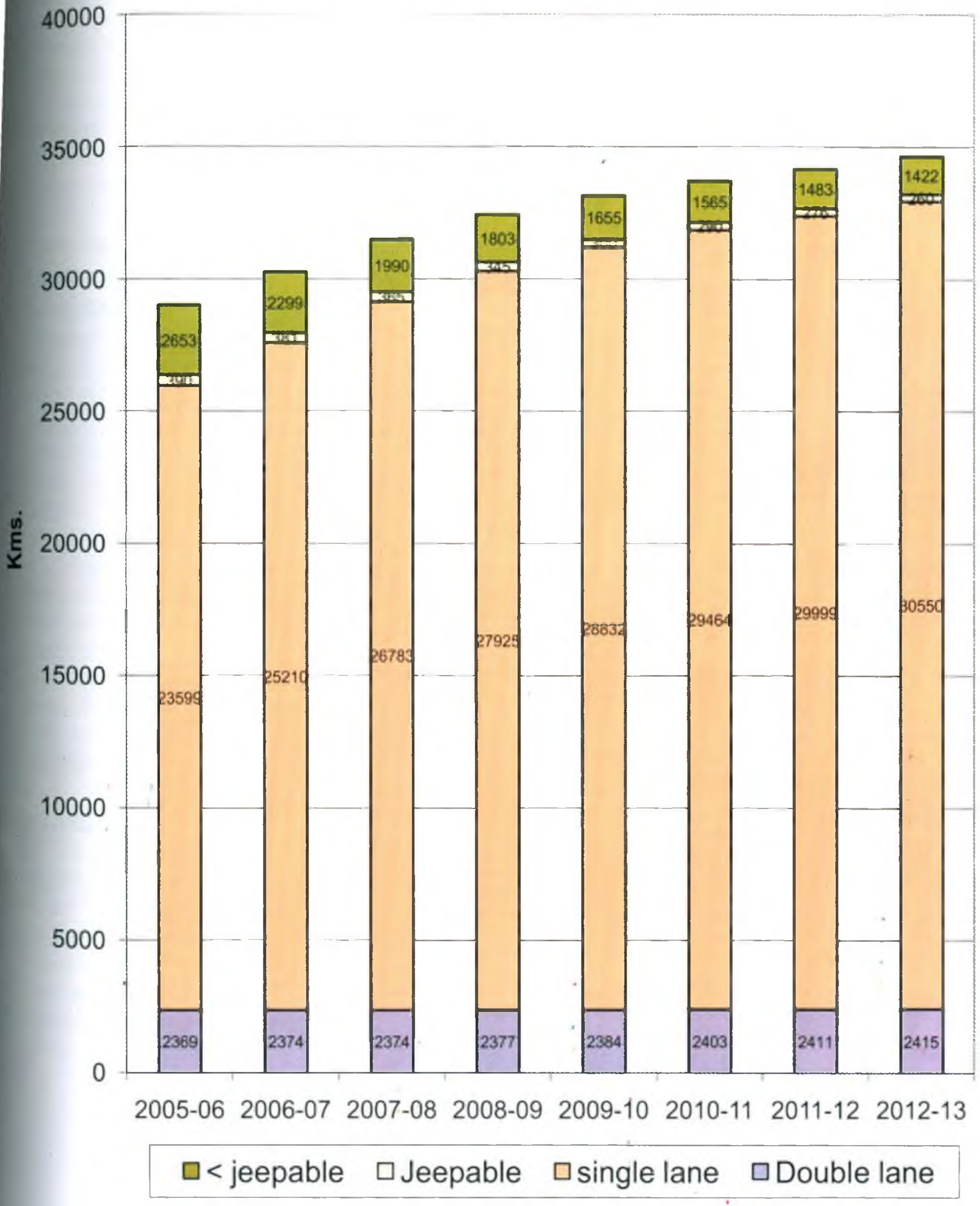
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Kms.
2653
23599
2369
2299
25210
2374
1990
26783
2374
1803
27925
2377
1655
28832
2384
1565
29464
2403
1483
29999
2411
1422
30550
2415
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
< jeepable
Jeepable
single lane
Double lane

Management and Development Authority has identified land for construction of bus stands at major locations namely Hamirpur, Parwanoo, Una, Manali, Baddi, Dhalli, Lakkar Bazar Shimla, Kullu, Nurpur, Nalagarh, Chamba and Manikaran. These locations will be advertised for Public Private Partnership (PPP) in a phased manner. Where PPP partners are not available, the facilities at such bus stands will be funded by the State Government.

(viii) **Purchase of Buses & Development of Associated Infrastructure under JNNURM**: A detailed Project Report amounting to ₹ 471.00 crore for providing 1,123 buses and associated infrastructure for 13 clusters under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) has been submitted to the Ministry of Urban Transport, Government of India. The Ministry of Urban Transport, Government of India has sanctioned a sum of ` 298 crore under the scheme for purchase of 800 buses and development of associated infrastructure.

(ix) **Implementation of IRTS:** HRTC has initiated the process for implementation of Intelligent Road Transport System (IRTS). Under this project, buses are being fitted with Vehicle Tracking Devices (VTS) in order to track movement of buses and monitor performance on various parameters. The bus terminals will be equipped with passenger information display panels to provide information to the travelling public.

(x) **A 24X7 Helpline**: A 24x7 helpline service has been introduced to resolve the complaints and problems of passengers.

Transport Department

14.7 The Department has been entrusted with a mandate to administer all matters relating to registration of vehicles, issuance of permits, fitness certificates, and driving licences and adherence of pollution norms are dealt under the Central Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under. The department is committed to transparent and public centric control and regulation of transport system in the State through implementation of various provisions of these Act/Rules through its administrative machinery and through the State and Regional Transport Authority created under the Act. While the State and Regional Authorities grant permits for goods carriage, stage carriage, contract carriage, and private service vehicles, the department handles matters relating to issuance/renewal of permits, fitness of vehicles, issuance of driving licences, registration of Drivers Training Schools, Pollution Check Centres and enforcement of Provisions of the Motor Vehicle Act.

In addition to above the department is collecting different taxes/fees such as Token Tax, SRT, Composite fee, RPF, SRF and Licence fee etc. During the current financial year

2013-14, the department has been provided a sum of ₹ 8,600.00 lakh out of which a sum of ₹ 6,546.18 lakh has been released to the HRTCs / Bus Stand in Tribal Area upto 31.12.2013. The revenue receipt target for the department for the year 2013-14 has been fixed at ₹24,688.00 lakh. Against this target a sum of ₹13,734.47 lakh has been collected upto 30-11-2013. During the year 2013-14 up to 31.12.2013 the department has challaned 32,951 vehicles for different offences and a sum of ₹ 572.18 lakh have been realized.

i) **Him Garmeen Parivahan Swarojgar Yojna**: A new "Him Grameen Parivahan Swarojgar Yojna" has been introduced under which new permits are granted primarily on newly opened roads under "Pradhan Mantri Grameen Sarak Yojna" or "Mukhya Mantri Path Yojna"with a seating capacity of not more than 22 passengers to the un-employed youth, co-operative societies of un-employed drivers/conductors and widows facilitating in providing better services in rural areas. Top priority is given in allocation of route permits on 100% rural roads. However to allow connectivity with towns, routes having a maximum distance of 20% National Highway and State Highway are also granted.

ii) **Steps to reduce accidents**: The department has initiated necessary steps to reduce the incidence of accidents in the state by imposing total ban on the use of mobile phones by drivers during driving. In the driving schools training period for transport has been increased from 30 days to 60 days. Regular inspection of driving training schools, identification of accident prone zones, rectification of blind spots and cancellation of permits on unsafe operation of buses has been done during the year and provision for cancellation of permits on unsafe operation of buses. Additional conditions are being imposed on Stage Carriage Permits to ensure better and safer operation of the buses and scheme for indepth study on causes and analysis of accidents has been framed.

iii) **Agreement with Uttrakhand State**: The Govt. of Himachal Pradesh entered into agreement with the State of Uttrakhand for interstate operation of the vehicles,

iv) **Installation of Weighing Bridges**:- To check the overloading in goods carriage the department has installed 8 weighing bridges at the entry points/interstate borders.

v) **Computerization of Transport Department**: Transport department is giving top priority for computerization of transport related activities in its offices by providing better services to the operators. The Regional Transport offices and Transport barriers have been computerized. The connectivity of these offices and R&LA's will be completed shortly.

High Security Registration Plates: In compliance of orders of Hon'ble Supreme Court the High Security Registration Plates has been introduced in Himachal Pradesh under which number plates of all type of vehicles already registered in the State are being replaced by high security registration plates.

vii) **Driving Training School and Pollution Check Centre:** Presently 11 Govt., 11 HRTC and 160 private Driving Training Schools and 3 HRTC and 68 private Pollution Check Centres are functioning in various places in the state.

15. TOURISM AND CIVIL AVIATION

15.1 Tourism in Himachal Pradesh has been recognized as one of the most important sectors of the economy as it is being realized as a major engine of growth for future and as such contribution of the tourism sector to the state GDP is significant. State is endowed with all the basic resources necessary for thriving tourism activity like geographical and cultural diversity, clean, peaceful and beautiful streams, sacred shrines, historic monuments and the friendly and hospitable people.

15.2 Tourism Industry in Himachal Pradesh has been given very high priority and the Government has developed appropriate infrastructure for its development which includes provision of public utility services, roads, communication network, airports, transport facilities, water supply and civic amenities etc. For the year 2013-14, there is an allotment of ₹2838.71 lakh for development of Tourism. At present about 2,769 hotels having bed capacity of about 61,497 are registered with the department. In addition, there are about 500 Home Stay units registered in the State having about 1,350 rooms.

15.3 The Asian Development Bank (ADB) is providing a financial assistance worth ₹ 95 million USD for the tourism infrastructure development. The implementation process of the said project under phase-I is going on. The State government is preparing projects to be under taken under phase II. Our aim is to create quality nature Mega Projects in order to facilitate the tourists in a bigger way. During the Financial year 2013-14 (MOT), Government of India (GOI) has prioritized following circuit/ Destination:-

1. Integrated development of Buddhist Circuit in H.P
2. Integrated development of Una-Nadaun as a Tourist Destination in H.P

In addition to above MOT, GOI has also prioritized following projects for next financial year:-

1. Integrated development of Shimla suburbs as a tourist circuit.
2. Integrated development of Tourist Transit Zone in the state.

Besides MOT, GOI has approved State Level Project Management Agency (SLPMA) for preparation of detailed project reports of the project identified by National level consultants. Till date following nine DPRs have been submitted by consultants, out of which 6 DPRs have been submitted to GOI MOT for seeking public funding:-

Sr. No.	Particular	Project Cost (₹)
1	Landscaping of Rain Shelters at selected locations in Shimla	18,71,517
2	Rain Shed connecting Bus Stand to Mandir at Kasauli	5,07,207
3	Up-gradation of road connecting parking to view point at Naldehra, Shimla	24,25,414
4	Construction of Public Conveniences at Cantt. General Market in Kasauli	11,56,333
5	Up-gradation of Public Conveniences at Shimla	21,70,537
6	Information and Directional signages at selected locations in Shimla	28,20,809
7	Landscaping and Beautification of Mohan Park, Jawar Park and Children's Park in Solan (to be submitted).	2,22,53,504
8	Development and up-gradation of Nature Trail at Barog, Distt. Solan (to be submitted).	2,55,30,919
9	Development and up-gradation of Nature Trail at Karol Ka Tibba, Distt. Solan (to be submitted).	5, 84,28,198

5.4 The Department has a roposal for setting up of seven ollowing Ropeways at different location H.P. under Public Private Partnership PPP) mode on Build, Operate & ransfer basis.

1. Bhunter to Bijli Mahadev in District Kullu.
2. Jakhoo Ropeway in District Shimla.
3. Neugal (Palampur) in District Kangra.
4. Shahtalai to Deotsidh in District Bilaspur.
5. Khanyara to Triund in District Kangra.
6. Toba to Naina Devi Ji in Bilaspur District.
7. Village Jia to Adi Himani Chamunda.

In addition to above, the epartment has also a proposal for viting expression of interest (EOI) for setting up of Tourism related activities for following six sites through Public Private Partnership on lease basis. The department has prepared draft lease document and same has been sent to the H.P.I.D.B. for approval.

Sr. No.	Name of the Site
1.	Baddi in Distt. Solan
2.	15 Miles Baragaon (Manali) Distt. Kullu
3.	Jhatingri in Disst. Mandi
4.	Shoja (Banjar) Distt. Kullu
5.	Bilaspur Distt. Bilaspur
6.	Suketi, District Sirmour

A sustained marketing of the State is being done throughout the year in print and electronic media.

15.5 In order to promote tourism, dissemination of tourist information plays significant role. Department of Tourism prepares different types of promotional publicity

material like brochures/pamphlets posters, blow-ups etc. and participates in various tourism fairs and festivals in the country and abroad. The Department of Tourism and HPTDC along with private hoteliers participated in more than 30 fairs and festivals, within and outside the state.

15.6 In addition to above, the department has released advertisements in the print and Electronic Media to promote the tourism from time to time during the financial year. The department has prepared the 20 years perspective Tourism Master Plan for the planned and sustainable development of the tourism sector. Tourism policy, 2013 and Sustainable Plan for Dharamshala,2013 have also been formulated.

15.7 The Department has organized various adventure and general training courses for the unemployed youths of the State like Trekking Guide, Water Sports, Skiing, EDP, Bird Watching and river rafting etc. in the State. During the current ensuing year the department has organized, supported and also has participated in following events:-

1. Celebration of World Tourism Day (27th September, 2013).
2. Organization Himalayan festival,2013.
3. Participated in India Travel Mart (ITM), Raipur, Luck now and Goa, India International Travel Exhibition (IITE), Indore, India International Travel Mart (IITM), Pane and Tourism and Travel Mart (ITM),Siliguri.

Civil Aviation

15.8 At present there are only three Airports in HP namely Shimla, Kangra and Kullu-Manali. The status these airports is as under:

a) Shimla Airport:
The original length of the runw for this airport was 4,100 However, the effective length this airport is only 3,800 ft. Due small length of the runway th services of only ATR type aircrafts are available. Fc exploring measures for th restotation and widening of th basic strip of the runway as well a to prevent soil erosion, AAI a engaged M/s RITES a consultants for the restoration wo of the Shimla Airport.

b) Kullu-Manali Airport:
Kullu Manali airport at present ha a runway of 1128 Mtrs. with width of 30.5 Mtrs. and suitab only for landing of small 16-1 seaters aircrafts. For making suitable for bigger aircrafts, th length needs to be increased b 1000Mtrs. and width should not b less than 200 Mtrs.

c) Kangra Airport
The runway length of this airpo has been expanded from 3900 100 ft. to 4,500 x 100 feet. On th request of the State Govt., AAI ha undertaken the site visit at th airport so that ATR 72 type aircraft could be operated fro Here. It has been observed th additional land required for runwa extension and other works is 418 250m (approx. 26 acres).

d) The department has sent the ca of Kandaghat Green Field Airpo to AAI for pre feasibility survey an AAI has inspected the site.

Helipads:

15.9 Himachal Pradesh at present has 63 operational helipads. In addition, proposals for construction of new helipads at Kalabag near Choordhar in Sirmaur District and Sanjauli-Dhalli Bye-Pass road Shimla have also been received and same are being processed.

Heli-taxi Services:

15.10 The State government has taken initiative to introduce Heli-Taxi services in the state and at present Heli-Taxi service are being operated in the Mani-Mahesh sector, Distt. Chamba during the Mani-Mahesh yatra.

16. EDUCATION

EDUCATION

16.1 Education is the key instrument for developing human capability. The State is committed to provide education to all. The concerted efforts of the Govt. have put Pradesh as one of the leading State in educational literacy. According to 2011 census Himachal Pradesh has a literacy rate of 82.80 per cent. Male/female literacy rate differs considerably in the state as against 89.53 per cent literacy rate for males it is 75.93 per cent for females. All out efforts are afoot to bridge this gap.

Elementary Education

16.2 In consonance with the national policy it has been the endeavour of the Govt. to make educational facilities available within the reach of student. With an objective to improve access, quality and help in achieving the ultimate goal of universalisation of Elementary education, the Directorate of Primary Education was set up in 1984 further renamed as 'Directorate of Elementary Education' w.e.f. 01.11.2005. The policies of the Govt. in the field of Elementary Education are implemented through the Deputy Directors of Elementary Education and Block Primary Education Officers at District and Block Level respectively with aims:-

- To achieve the goal of universalization of Elementary Education.
- To provide Quality Elementary Education.
- To increase access to Elementary Education.

At present there are 10,886 notified Primary Schools and 10,739 are functional in the State and 2,357 Middle schools were notified and 2,349 are functioning in the State. To overcome the shortage of trained teachers efforts are being made to make fresh appointments of teachers in the needy schools. An attempt has also been made to cater the educational need of disabled children.

16.3 To encourage enrolment, reduce the drop out rate and enhance the retention rate of the children in these schools, various scholarships and other incentives namely Poverty Stipend Scholarship, Girls Attendance Scholarship, Scholarship for Children of Army Personnel, Scholarship for the students belonging to IRDP families, Pre-matric scholarship for Scheduled Castes students on Lahaul & Spiti Pattern Scholarship and Scholarship for the Children of Army Personnel who are serving at the border areas are being provided to the students of Primary Schools in the State. In addition to above Free Text Books are being provided for OBC/IRDP students in non Tribal areas. Free Text Books and Uniforms to SCs students under SCSP are being provided. Free Text Books and Uniforms are also given under TASP. Free Text Books are also being provided to all girl students of primary schools belonging to even general category under Sarva Shiksha Abhiyan to enhance female literacy in the State. The revised text books including English for class I-IV have been developed and introduced in all Govt. Primary Schools. Mid-day meal scheme is being implemented in all the

Govt. and Govt. aided Primary and Middle Schools in the State to compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India. Under this scheme each student is being provided with hot cooked meal on each day of the school w.e.f. 1st September, 2004. Computer Education Programme has been started in 1,077 upper primary schools in remotest part of the State. Govt. has decided to introduce Punjabi and Urdu languages in 100 selected High and Senior Secondary Schools in the State from class 6th onwards w.e.f. academic year 2008-09.

Upper Primary Level of Education

16.4 The following incentives are being provided during the year 2013-14:-

i) Middle Merit Scholarship @ ₹400 and ₹ 800 per annum for boys and girls respectively. 742 students were benefitted and ₹4.40 lakh were spent.

ii) Scholarship for IRDP families children @ ₹ 150 per student for class 1st to 5th and @ ₹ 250 and ₹ 500per annum per boy and girl student respectively for class 6th to 8th. 77,831 students were benefitted and ₹257.69 lakh were spent.

iii) Pre-Matric Scholarship for the children of SC families @ ₹ 150 (1st to 5th Class) per annum.

iv) Scholarship for the children of military personnel @ ₹150 per annum per student (1-5) classes.

Sarva Shiksha Abhiyan

16.5 (SSA) launched in the State with a well defined Pre-Project Phase on improving the infrastructure in the District Project Offices, capacity building of educational administrators, teachers, school mapping, micro-planning, surveys etc. The objective of this movement was to ensure universal access, enrolment, removal of gender gaps, retention and completion of elementary schooling by all 6-14 age group children coupled satisfactory quality elementary education with active participation of the community in the management of schools.

16.6 The main efforts for improving the quality of elementary education under SSA are as under:

- **Out of School Children:** The Net Enrolment Ratio (NER) at the elementary stage of education in Himachal Pradesh is more than 99 percent which is indicative of the fact that there are negligible children who are outside the formal range of education. However they are being attempted to bring into the fold of elementary education through Non-Residents Bridge Courts Centres (NRBCCs). The first and foremost obligation of Right to Education (RTE) Act is to ensure that all children in the age group of 6-14 years should be in the schools. Other independent studies conducted by Indian Market Research Bureau (IMRB) and Pratham have also confirmed that the number out of school children in Himachal Pradesh is below one percent. Bilaspur and Lahaul Spiti Districts have no out of school children. It is observed that due to migration from other parts of the country to the urban/semi-urban areas of the State, the figure of out of school children keeps on fluctuating.

Districts have been asked to conduct survey in the month of July and December every year to keep track of migratory population, enrol them in schools as per RTE provision by levelling off their learning gaps through some non-residential bridge courses. For identified 2414 Out of School Children (OOSC) including 105 Children With Special Need (CWSN) age and class appropriate education is being ensured through NRBCCs. Bridge courses for primary and upper primary level children have been developed to ensure age appropriate admission of OOSC in formal schools.

- **Inclusive Education**: In Himachal Pradesh total 18,211 CWSN were identified suffering from one or other disability. 15,700 CWSN have been integrated in formal schools and for 2,511 out of school CWSN, different strategies have been adopted to bring them into the fold of education system who are of severe and profound category. For these children Home-Based Programme has been introduced and implemented at elementary level in the age group of 6-14 years in Himachal Pradesh 530 children have been adopted by 24 NGOs in various districts and remaining are being covered by in-service trained teachers.
- **Academic Support by Resource Teacher:** Capacity building of teachers for inclusive education is an integral part of SSA. Nearly about 1,332 in-service teachers have been trained through Madhya Pradesh Bhoj Open University (Bhopal) in the field of disability till date. The services of the Resource Teacher are being utilized under Home Based Education Programme for covering Out of School CWSN with Special Needs of Moderate, severe and profound category children. These Trained Resource Teachers are providing their services five days in a month after attending their school for two hours under HBP specially every Saturday (including 2nd Saturday) in a month they are attending two or three children with Special Needs at Home. The Special focus of providing services is on ADL Skill Training such as: (1) Eating, Toileting, Bathing and Dressing etc. (2) Motor Activities: Under this skill, CWSN with Orthopedically Impairment and Cerebral Palsy are being covered and trained in Motor activities under the guidance of Physiotherapist/ Occupational Therapist. In addition to above these out of school CWSN are being covered by taking the services of Special Educators in Mental Retardation through utilizing Block IE Resource Rooms.
- **Therapeutic Services:** As most of the identified children do suffer from cerebral palsy, therapeutic services such as physiotherapy, occupational therapy and speech therapy were provided on priority basis. Due to shortage of physio-therapist and speech therapists and their non willingness to serve in rural areas it was also a challenge faced by the SSA during the first phase. Physiotherapist was appointed on

visiting basis in some districts to provide effective therapeutic services to the needy children.

- **Preparing of IEP/ITPs:** Individual Education Programme (IEP) was prepared for every child and accordingly goals were fixed for every three months. For mild and moderate categories, functional academic curriculum was implemented in the first and second phase. Now, for such children syllabi of open school are being followed so that special children could be prepared to join mainstream schooling system.
- **Vocational Training**: After continuous intervention of four years, some special children having good level of understanding are being trained for various small vocations such as candle making. Making chalk, Disposable paper plates, Duna, Paper Bags, Carry Bags, Book-Binding, File Covers, Envelopes etc.
- **Counselling of Parents**: Counselling of parents and other family members of special children is very important aspect of rehabilitation process. In SSA we have given emphasis on this aspect and found encouraging results on this account. Parents counselling session with the help of trained RTs and Counsellors especially under "Home Based Programme" have been initiated in all the districts of H.P.
- **Community Involvement:** The trained resource teachers are providing support in the Community Involvement for which we have received very encouraging response from the community.
- **Orientation Programme of Teachers:** Orientation of teachers and other supportive staff is also an important aspect and SSA has ensured regular orientation programme to its teachers so that proper academic support could be ensured to the needy special children. The trained resource teachers are acting as Resource Persons in these programmes and provide the resource support to general teachers in the actual class room situation.
- **Day Care Centres for CWSN:** 3 Day Care Centres in Primary schools have been established at Shimla, Mandi & Kangra. These special wings are rehabilitating around 46 Mentally Retarted children with the help of trained special educators.
- **Medical Assessment:** Medical assessment camps for CWSN are organized every year and aids and appliances like Wheel Chair, Crutches, Spectacles, C.P.Chairs were provided to the CWSN as per requirement. Corrective surgeries were carried out on those CWSN who were to be mainstreamed in formal education system. To expedite the process of organizing more medical camps for certification and to assess the degree of disability of CWSN, health authorities at higher level were also approached to chalk out the strategies.
- **To and Fro Local Bus Fare**: To and fro local bus fare is allowed to the CWSN along with one attendant to medical camps for formal assessment. Hiring of conveyance at the local transport

rate for a group of severely CWSN is also allowed so that they can be brought to the medical camp site.

- **Braille Books & Enlarged Print Books:** Braille Books for class I-VIII were provided to the special school in Dhalli at Shimla and good quality of enlarged Print Books were also provided to concerned districts of H.P.
- **Barrier Free Access:** Barrier Free access has been made available in 2,875 schools in Himachal Pradesh where the location of building permits.
- **Monitoring system of IE Activities:** For proper monitoring of resource teacher and NGOs, State Project Office SSA has designed the monitoring proforma for all District Project Officers which includes:

(i) No funds may be released to NGOs without inspecting their working as per terms of references fixed by SSA.

(ii) The NGOS must have trained Special Educators registered from Rehabilitation Council of India (RCI).

(iii) Regarding monitoring of the work done by the Resource Teachers, SSA has also developed monthly monitoring Performa. Every Resource Teacher has to submit their monthly progress report to the concerned BRC/District IE Coordinators. After compiling the monthly progress report of IE RTs, the District Project Officers send the reports to the SPO which are reviewed in the SSA monthly review meetings.

Retaining All Children in the Education System

16.7 Total out of children and dropout rates are negligible and the State has been successful in checking the dropout rates. The dropout rates calculated on the basis of DISE data indicate that there is very less wastage at the elementary level in Himachal Pradesh. Keeping in view the goals of SSA, the State Project Office (SSA) also conducted a cohort study in all Government Primary Schools of Himachal Pradesh. The findings of the study reveal that nearly 98 percent of the children enrolled in grade-I in the year 2001-02 were declared successful primary graduates. Only 2 percent children could not complete primary schooling which also confirms that the state has been able to check dropout rates to the extent possible. The State Project Office SSA and the Department of Elementary Education in collaboration with **"Pratham"** are developing a system of tracking the progress of the children.

Girl Education

16.8 National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL) is being implemented in 8 educationally backward blocks of four districts of Chamba, Sirmaur, Mandi and Shimla (Mehala, Pangi, Tissa, Bharmaur and Salooni blocks of Chamba, Seraj block of Mandi, Chhaura block of Shimla and Shillai block of Sirmaur district) where the rural female literacy rates are below the national average. Model cluster schools are being developed with one extra room, toilets for girls, girl-child friendly teaching learning material and library and sports activities.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya(KGBV)

16.9 In KGBVs girls are being imparted skill education along with normal studies and exposure visits are also organised within and outside the districts. Regular training imparted to KGBV hostel wardens and each KGBV is monitored by State level monitoring team.

Learning Level of Children

16.10 Class-VIII board examination has already been abolished and no child at the elementary stage will be subjected to face any formal examination. However, the evaluation of children is being done through CCE as per section 29 of the RTE. After delivery of content their progress is recorded on CCE registers and gaps are addressed as and when identified during the learning process. Now the emphasis is on diagnostic teaching instead of promoting rote method and single line paper pencil test. This evaluation system is taking care of holistic development of all children. The learning gaps identified during continuous evaluation are also being taken care of through Learning Enhancement Programme (LEPs) like; Adhar, Samvridhi, and other need based inputs.

Besides this, the learning pace of each elementary school child on the education ladder will be recorded in every grade through a child tracking system. Under this system, comprehensive record of students, achievements, academic progress, and other relevant information of each and every child is being maintained in specifically developed software. This record will provide child, class, subject, school, cluster. block and district-wise information of students achievements. In this software a child's cumulative achievement will be maintained till the completion of elementary schooling. Every child will be given a unique identification number so that in case a child migrates from one school to another within the State he/she could be easily traced.

Monitoring of Schools

16.11 To ensure adequate monitoring, supervision and evaluation of SSA intervention, Himachal Pradesh State Mission Authority is continuously monitoring various aspects of the programme implementation and monitoring has been made an integral part of the implementation plans. In order to constantly oversee and control the programme implementation, state monitoring teams comprising 5 faculties from the Headquarter, one from DIET and concerned functionaries from the field have also been constituted. Every month the main findings of the monitoring reports are shared with district authorities in monthly state review meetings and pursuant action taken. Till date more than 700 schools and all KGBVs have been monitored in 67 educational blocks.

Capacity Building

16.12 SIEMAT has started to ensure constant dialogue with all the Block Resource Coordinators (BRCs) of the State in the quarterly review meeting – cum-workshops to actually see the things happening on the ground in relation to SSA and RTE implementation and other EFA related schemes. All the BRCs are being regularly trained in a phased manner with different activities and

programmatic related issues at the block and cluster level respectively.

Efforts to improve the quality of education

16.13 Efforts to improve the quality of education and main intervention under SSA are as under:

- **Curriculum/ Text Book Renewal:** The text books being taught in class 1 & V are being analyzed in accordance with NCF-2005.
- **Teacher training:** Teacher Empowerment is one of the main focus under SSA. 20 days annual teacher training is being provided to all the elementary teachers for effective implementation of Aadhar objectives.
- **TLM Exhibition/Bal Mela:** This event is a big attraction among both teachers and students. Participating teachers and students get an opportunity for useful interaction with the resource teachers and guest faculty thereby widening their intellectual horizon.
- **Functional Libraries:** The National Curriculum Framework-2005 emphasizes the need to focus on reading skills during the primary school years and on creating a print-rich environment in order to encourage reading as a life long habit as under:-
    i) Use of library as an integral part of training modules.
    ii) Collaboration with Room to read for establishment of libraries in 200 schools and 10 KGBVs.
    iii) Publication of monthly children's magazine "AKKAR BAKKAR" containing articles collected from teachers and children.
- Quality improvement programme like Aadhar for primary level and Samridhi for Upper primary is being implemented. Supplementary material was developed and made available to all the primary schools of the Pradesh.
- Need based training modules for teachers are developed at State level with the active participation of teachers.
- Computer Aided Learning (CAL) intervention has been introduced in 1,077 Government Middle/ High/ Senior Secondary Schools for class VI-VIII children. Out of this in 282 schools the programme has been outsourced to EVERONN Education Ltd. For implementing CAL and in remaining 795 schools the intervention is being implemented through existing teachers of schools.
- In order to make the public aware about SSA implementation and disseminate the information on various activities and achievements of SSA Himachal Pradesh, two pages in **Giriraj Saptahik** are being published on last Wednesday of every month. Since the Saptahik reaches to all Panchyat, Mahila Mandals, Schools, various departments of the state, it has proved to be an effective means to take programme to the grass root level.

- Long term Quality Plan for elementary classes has been prepared by the SPO under the Chairmanship of Principal Secretary Education to the Government of Himachal Pradesh in collaboration with SCERT, DIETS, SMCs, school heads, teacher educators, teachers etc. The vision of the plan was further shared and discussed at length with the Dy. Directors EE-cum-DPCs(SSA), DIET Principals-cum-DPOs (SSA), BPEOS, BRCCs primary and upper primary, SMC/Resource Group members, teachers etc. All the District education functionaries especially school authorities have been directed to implement various aspects of the State Quality Plan and organize education in schools in accordance to the provision made in the plan.
- School system is being revamped in accordance with the provision of Right to Education Act, 2009 so as to improve quality. Implementation of RTE ACT, 2009 stands enforced in the state w.e.f. 01-04-2010. RTE rules have also been framed and notified by the state Govt.

Sports Activities

6.14 A budgetary provision of ₹ 105.00 lakh was made for the year 2013-14 for carrying out the sports activities of children of Primary/Elementary Schools at Centre, Block, District, State and National levels.

Yog Shiksha

16.15 The department has developed for classes 6th to 8th special books on Yoga Shiksha, History, Culture and War Heroes of Himachal Pradesh.

Construction of Elementary Education Buildings

16.16 The Government has made a budget provision of ₹ 500.00 lakh under head Major Works to provide adequate infrastructure facilities viz construction of Elementary School Buildings/Rooms and district/Block offices during the current financial year 2013-14.There is a budget provision of ₹ 455.00 lakh for repair and maintenance of school building in the State.

High/ Senior Secondary Education

16.17 Highest Priority is being given towards education in the State owing to with the share of education of the total Plan Outlay of the state is increasing every year along with the educational institutions. Up to December, 2013, there are 827 High schools, 1,370 Senior Secondary Schools and 72 Govt. Degree colleges including 5 Sanskrit colleges and SCERT and B.Ed. college running in the State.

Scholarship Schemes

16.18 To improve the educational status of the deprived sections of the society, various types of scholarships/stipends are being provided by the State/ Central Govts. at various stages. The scholarship schemes are:-

i) **Mukhya Mantri Protsahan Yojna :** This scheme has been started during the year 2012-13 and one time ₹ 75,000 will be given to all students of State who are selected and take admission for a degree course in any Indian Institute of Technology or All India Institute of Medical Sciences and post graduate diploma course in any Indian Institute of Managment.

ii) **Swami Vivekanand Uttkristha Chhatarvrity Yojna** : Under this scheme 2,000 top meritorious students of General category declared as such in the result of Matric Examination on merit basis for 10+1 and 10+2 classes. The scholarship is given @ ₹10,000 per student per annum. During the year 2012-13, 3,585 students have been benefited under this scheme.

iii) **Thakur Sen Negi Uttkristha Chhatarvrity Yojna:** Under this scheme, the scholarship is being given to the top 100 boys & 100 girl students of ST category on the basis of the Matric result for 10+1 and 10+2 classes @ ₹11,000 per student per annum. During the year 2012-13 341 students were benefited under this scheme.

iv) **Maharishi Balmiki Chhatarvrity Yojna:** The girl students belonging to Balmiki families whose parents are engaged in unclean occupation are being given scholarship under this scheme @ ₹ 9,000 per student per annum beyond Matric level to college level and for professional courses irrespective of their status (Govt.or Private) situated in H.P. Total 45 students have been benefited under this scheme during the year 2012-13.

v) **Dr. Ambedkar Medhavi Chhatarvrity Yojna:** Under this scheme the scholarship is being given to the top 1000 meritorious students of SC category and top 1000 meritorious students of OBC on the basis of Matric examination for 10 +1 & 10+2 classes @ ₹ 10,000 per student per annum. During the year 2012-13, 1,804 students of SC category and 1,856 of OBC category have been benefited under this scheme.

vi) **Protsahan Chhatervriti Yojna :** Under this yojna all students from class 9th to 12th who were studying from the distance of Five kms. and above from their parental home. The amount of scholarship from Five to Eight kms. ₹ 200 and above Eight kms. ₹ 300 per month is given. Total 1,961students have been benefited during the year 2012-13. From the year 2013-14 this scheme has been discontinued and replaced by free bus travelling to students.

vii) **Sanskrit Scholarship Scheme**: A sum of ₹ 250 per month for 9th and 10th classes and ₹ 300 per month for +1 and +2 classes are being given to those students who secure first position in the subject of Sanskrit with 60 percent and above marks.

viii) **Indira Gandhi Utkrishtha Chhatervriti Yojna:** Under this scheme, 150 meritorious students for post plus two

courses for studying in colleges or doing professional courses shall be awarded @ ₹ 10,000 per year per student purely on basis of merit and without any income ceiling. 126 students are benefited under this scheme during the year 2012-13

In addition to above the following Scholarship schemes are also running in the state:

1. IRDP Scholarship Scheme

A sum of ₹ 300 per month for 9th & 10th class, ₹ 800 per month for +1 & +2 Class, ₹1,200 Per month for College/Day scholar students and ₹2,400 Per Month for Hostellers is being given to those students who belong to IRDP families and studying in Govt./Govt. Aided Institutions. In the year 2012-13, 93,207 students have been benefited under this scheme.

2. Scholarship to the children of Armed Forces Personnel Killed/ disabled during wars.

A sum of ₹ 300 (boys) and ₹ 600 (girls) per month for 9th & 10th class, ₹ 800 per month for +1 & +2 Class, ₹ 1,200 Per month for College/ University/ Day scholar students and ₹ 2,400 per month for hostellers is being given to Children of Armed Forces Personnel killed/disabled in different operations/ war.

3. Post Matric Scholarship to SC/ST/OBC students (Centrally Sponsored Scheme)

The students belongs to SC and ST whose parents annual income is up to ₹ 2,50,000 and OBC students whose parents annual income is up to ₹ 1,00,000 are eligible for full scholarship i.e. Maintenance allowance + full fee) for all courses and they are studying in Govt./Govt. Aided Institutions. During the year 2012-13, total beneficiaries are SC-20,163, ST-3,606 and OBC-5,154.

4. Sainik School Scholarship Scheme.

The scheme is applicable to the students in the Sainik School Sujanpur Tihra and bonafide resident of Himachal Pradesh from class VI to XII. Under this scheme 520 students have been benefited during the year 2012-13.

5. Pre-Matric Scholarship to OBC student.

This scholarship will be awarded to those students from class 1st to 10th whose parents/ guardians income from all sources does not exceed ₹ 44,500 per annum. The scholarship will be tenable only in such institution and for such Pre-Matriculation courses which have been duly recognized by the Government.

6. Incentive to SC/ST girl students for secondary education.

Under this Centrally Sponsored Scheme SC/ST girl students who take admission in 9th Class after passing Middle Standard Examination from H.P. Board School Examination. The amount of incentive under this scheme is ₹ 3,000 and will be given in the shape of a Time Deposit. During the year 2012-13, total 5,991 girl students have been benefited.

Expansion of Sanskrit Education

16.19 Tremendous efforts are made to promote Sanskrit Education by the State Govt. as well as Centre Govt. The details are as under:-

a) Award of scholarships to students of High/ Senior Secondary Schools studying Sanskrit.

b) Providing grant for the salary of Sanskrit Lecturers for teaching Sanskrit in Secondary Schools.

c) Modernization of Sanskrit Pathshalas.

d) Grant to State Govt. for various schemes for promotion of Sanskrit and for research/ research projects.

Teachers Training Programmes

16.20 The Teachers Training Programmes need to be strengthen to equip in-service teachers with the latest techniques/ teaching methods. Seminars/re-orientation courses are being conducted by SCERT Solan, GCTE Dharamshala, HIPA Fairlawns, Shimla, NUPA New Delhi/CCRT/ NCERT/RIE, Ajmer and RIE Chandigarh. Approximately 1,769 teaching and non - teaching staffs have been trained during 2013-14.

Yashwant Gurukul Awas Yojna

16.21 In order to provide suitable residential accommodation to the teachers posted in High/Senior Secondary Schools of Tribal and hard areas this scheme has been launched since the year 1999. The scheme is being implemented in 61 identified schools of the state.

Free Text Books

16.22 The State Government is providing free text books to the students belonging to SC, ST, OBC & IRDP students studying in 6th to 10 classes. An expenditure of ₹ 8.75 crore have been spent for this purpose and 1,24,784 students during the academic session 2013-14 studying in 9th and 10th classes have been benefited.

Vocational Education

16.23 In order to provide employability to students the department imparted Vocational Education under NVEQF in 100 Schools with 5 subjects/trades. Under this scheme 198 vocational teachers have been deployed and about 9,055 students have been enrolled in which 4,699 are in general category, 2,520 in SC, 616 in ST and 1,220 in OBC category. Beside this the department also proposes to start vocational education in 100 GSSS with three new courses i.e. Agriculture, Hospitality and Tourism, Electronics & Hardware from class 9th to 12th under NVEQF.

Free Education to Handicapped Children

16.24 Free education to the children having more than 40 percent disability is being provided in the State upto University level since 2001-02.

Free Education to Girls

16.25 Free education is being provided to girl students in the State upto University level including vocational and professional courses i.e. only tuition fee is exempted.

Information Technology Education

16.26 Information Technology education is being imparted in all Govt. Senior Secondary Schools on self finance basis where students had opted for IT education as an optional subject. The department is charging IT fee ₹110 per month per student. The students of SC (BPL) families are getting 50% fee concession of total fee. About 96,000 students are enrolled in IT education subject.

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

16.27 Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan has been implemented in the State for the secondary level under H.P. School education Society. For the financial year 2013-14 Project approval board, Govt. of India has approved an amount of ₹ 2341.18 lakh out of which GOI and State Govt. Have released first instalment of ₹ 851.80 lakh and ₹283.93 lakh respectively for the implementation of various activities of RMSA and the same is being utilized on different activities like Training of in-service teacher, Training of Girl on self defence, special teaching for weak students etc.

Model Schools

16.28 To improve the quality of education, the Govt. of India has also decided to set up Model Schools at Educationally Backward Blocks (EBBS) in areas where rural female literacy is below 46.13 percent and the gender gap is above 21.59 percent in the First phase. The areas selected are those which have a very low gross enrolment ratio (Educationally Backward Blocks). Under these provisions, the Govt. of India has conveyed the selection of Pangi, Tissa, Salooni and Mehla Blocks in Chamba district and Shilali Block in Sirmour district as educationally backward block. These schools have been functional during the year 2010-11. 90 percent Central share amounting to ₹6.78 crore as first instalment of non-recurring grant for the year 2009-10 for setting up of five Model Schools in EBB in Himachal Pradesh has been released by the Government of India to Himachal Pradesh Primary Education Society-cum Sarva Shiksha Abhian State Mission Authority. The remaining 10 percent State share i.e. ₹ 0.75 crore has been released to district Chamba and Sirmaur.

Girls Hostels in Educationally Backward Blocks

16.29 The Centrally sponsored Scheme for the construction and running of Girls hostel for students of Secondary and Sr. Secondary Schools; in Educationally Backward block is to strengthen the Boarding and Hostel facilities for Girl Students studying in classes IX to XII. The girls belonging to SC, ST, OBC, minority communities and BPL families shall be benefited under this scheme. This scheme will pay a significant role for the promotion of Girl Education and to eliminate gender disparity in secondary and Higher Secondary Schools in Educational blocks in the state. 90 percent central share amounting to ₹ 95.63 lakh as first instalment of non recurring grant has been conveyed and 10 percent State share amounting to ₹ 9.56 lakh as first instalment has also been proposed by the department. State share has been released by the Deputy Commissioner Sirmaur and Chamba in favour of SPO for Shillai and Sach @ ₹19.12 lakh and ₹6.37 lakh respectively.

Information & Communication Technology ICT Project

16.30 The ICT project under central-State share of 90:10 has already successfully implemented in 628 Senior Secondary schools with the tune of ₹753.60 lakh has been Central share and ₹83.74 lakh as State share in the year 2012-13. Under this project one IT lab with 9 computers and 2 smart class rooms comprising of 1 LCD TV and integrated computer projector has been installed in each school. In phase II of

ICT project 618 GSSS, 848 GHS and 5 smart schools have been approved and will be started during next academic session.

TECHNICAL EDUCATION

16.31 Department of Technical Education was established in the year 1968 and in July, 1983, the vocational and Industrial Training Institutes were also brought under the umbrella of this Department. At the moment, the Department is providing education in the field of Technical Education, Vocational and Industrial Training. Today the department has reached a stage where all the interested candidates of the State can get admission in Engineering/ Pharmacy both diploma and degree as well as certificate level courses in H.P. through different institutions i.e. One Indian Institute of Technology(IIT), Mandi at Kamand, One National Institute of Technology (NIT), Hamirpur, National Institute of Fashion Technology (NIFT) Kangra, 1 Jawaharlal Nehru, Govt. Engineering College Sundernagar, 1 Atal Bihari Vajpayee Govt. Institute of Engineering and Technology, Pragatinagar, District Shimla. 17 Privately managed engineering colleges, 15 Govt. Polytechnics and 18 Polytechnic in Private Sector, 82 Industrial Training Institutes in Govt. sector and 8 Industrial Training Institutes for women and one ITI for Physically Handicapped at Sundernagar in Govt. sector, One Motor Driving school at Una in Govt. sector, 129 ITIs in private sector, One B-Pharmacy college Rohroo District Shimla, 12 B-Pharmacy colleges in private sector and 2 D-Pharmacy college in private sector are functioning in the Pradesh. In Engineering and B-Pharmacy Colleges, the Technical Education is imparted up to degree level, whereas the Polytechnics are providing professional/technical education at diploma level courses in 14 Engineering and Non-Engineering disciplines. The Industrial Training Institutes are providing different certificate level courses in 25 engineering and 22 non-engineering trades. Present intake in the existing institutions are as under:-

1.	Degree Level	=	7,980
2.	B. Pharmacy	=	1,000
3.	Diploma Level	=	10,858
4.	ITIs/ITCs	=	33,506
	Total	**=**	**53,344**

16.32 In addition, the department has opened five Polytechnics in Districts viz. Bilaspur, Kullu, Kinnaur, Sirmaur and Lahaul & Spiti from the academic session 2013-14.The Jawahar Lal Nehru, Government Engineering College, Sundernagar has been selected in Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II with project cost of which is ₹ 12.30 crore on 90:10 pattern. Till date the this institution has received a sum of ₹ 4.50 crore from GOI and ₹ 95.00 lakh as State share. The GOI (MHRD) has granted its approval to provide ₹ 1.00 crore each for construction of Girls Hostel in the existing Nine Polytechnics.

16.33 Modular Employable Skills under the Skill Development Initiative Scheme, vocational training is being provided to those workers seeking certification of their skills, school dropouts, unemployed youths and ITI graduates to improve their employability. At present 104 vocational training providers (65 Govt. ITIs +39 Private ITIs) have been registered under Skill Development Initiative Scheme. Total

fund of ₹ 825.83 lakh has been received against which ₹ 627.87 lakh has been spent so far. Total 23,688 candidates have been trained under this scheme and 4,360 candidates are under training.

16.34 Eleven I.T.Is i.e. Shamshi, Mandi, Chamba, Shahpur, Nadaun, Nahan, Shimla, Reckong-Peo, ITI (W), Mandi, ITI (W), Shimla and ITI Rong Tong (Kaza), have been upgraded as centre of excellence and ₹2,526.00 lakh have been received as Central Assistance which is being spent for providing modern machinery and equipments, honorarium/ remuneration and training to teachers and also for construction of building etc.

16.35 Emphasis is on developing multi-skills in the trainees to add to their employability in the Industrial Sector. 33 I.T.I.s have been upgraded under Public Partnership Mode (PPP Mode) after due consultation/discussion with the State Steering Committee and with PHD Chamber of Commerce and CII and various other Industrial Associations located in different parts of Himachal Pradesh, for which central assistance amounting to ₹ 82.50 crore has been received in the respective I.T.I.s from Government of India.

17 HEALTH

HEALTH AND FAMILY WELFARE

17.1 The State Govt. has ensured that health services for effective prevention and treatment intervention are accessible to people and are applied efficiently. In Himachal Pradesh, Health and Family Welfare department is providing services which include curative, preventive, promotive and rehabilitative services through a net work of 55 civil hospitals, 77 community health centres, 476 primary health centres, 11 ESI dispensaries and 2,065 sub-centres. To provide better health services to the people, the government is strengthening the existing infrastructure by providing modern equipments, specialized services, increasing the strength of the medical and paramedical staff in the medical institutions.

17.2 A brief description of various health and family welfare activities carried out in the State during 2013-14 is as under:-

(i) **National Vector Borne Disease Control Programme:** During the year 2013-14, (upto November, 2013) 4,27,667 blood slides were examined, out of which 136 slides were found positive and no death due to malaria was reported.

(ii) **National Leprosy Eradication Programme:** Under this Programme the prevalence rate, which was 5.14 per ten thousand in 1995, has been reduced to 0.21 per ten thousand as on 30.11.2013. The National Leprosy Control Programme was converted to Leprosy Eradication Programme in 1994-95 by the Govt. of India and with the assistance of World Bank; Leprosy Societies were formulated in the districts. During 2013-14, (upto November, 2013), 103 new cases of Leprosy have been detected, 100 cases were deleted and 152 cases of leprosy are under treatment. They are getting MDT from different health institutions free of cost.

(iii) **National T.B. Control Programme:** Under this programme, 1 T.B. sanatorium, 12 district T.B. centres/clinics, 50 T.B. units and 180 microscopic centres having a provision of 310 beds were functioning in the state. During the year 2013-14 upto 30.9.2013 10,935 cases were detected having symptoms of this disease and sputum tests of 60,685 persons were carried out. Himachal Pradesh is one of the States where all the districts have been covered under this project.

(iv) **National Programme for Control of Blindness:** Under this programme during the year 2013-14 (upto November, 2013), 17,781 cataract operations were performed against the target of 23,100 cataract operations. Out of this 17,541 cataract operations were performed with I.O. lenses. Also 2,20,299 students were examined under this programme against a target of 1, 20,000.

(v) **National Family Welfare Programme:** This programme is being carried out in the State as a part of Reproductive and Child Health Programme on the basis of

community needs assessment approach. Under this approach, grass-root level workers like multipurpose health workers (both male & female) give an estimate of the various family welfare activities required in the area/ population covered by them. Under this programme, 5,077 sterilisations, 13,425 I.U.D. insertions, 21,518 OP Users and 85,574 CC Users were done during 2013-14 (upto November, 2013).

(vi) Universal Immunization Programme: This programme is also being implemented in the state as a part of RCH programme with a aim to reduce the morbidity and mortality among mothers, children and infants. The preventable vaccine for diseases viz. Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Neo-natal Tetanus, Poliomyelitis and Measles has shown remarkable reduction over the last years. The targets and achievements for the year 2013-14 are given in Table 17.1.

Table- 17.1

Sr. No.	Item	2012-13	
		Targets	Achievement upto November,12
1	2	3	4
1	D.P.T.	114000	71614
2	Polio	114000	71678
3	B.C.G.	114000	79087
4	Hepatitis-B	114000	71559
5	Measles	114000	75240
6	Vit. A 1st dose	114000	69222
7	Polio Booster	117000	68930
8	D.P.T. Booster	117000	68900
9	Vit. A 5th dose	-	74612
10	D.P.T. (5-6 years)	116000	76852
11	T.T. (10 years)	116000	93152
12	T.T. (16 years)	129000	111639
13	T.T.(PW)	131000	72773
14	I.F.A. (Mothers)	131000	62443

Like previous years, the Pulse Polio campaigns were also launched in the State during the year 2013-14.The first round of this campaign is on 19.01.2014 and second round will be held on 23.02.2014(Tentative).

(vii) National AIDS Control Programme: During the year 2013-14 up to November, 2013, 1,06,899 persons screened out of which 397 HIV positive cases were detected. Under blood safety 18 blood banks are functioning in the state.

- **Integrated Counselling and Testing Centre**

Total 49 ICTC centres in Himachal Pradesh are providing Counselling and testing services. In the year 2013-14, out of total tested persons, 32,987 were ANC clients, out of which 23 were diagnosed as HIV positive. Two Mobile ICTC Vans units are also functional.

- **STI/ RTI Clinics**

Total 17 clinics are providing STI/RTI services in various districts of Himachal Pradesh. In the year 2013-14 total 16,703 people have availed the services of these RTI/ STI clinics.

- **Blood Safety**

Total 15 Blood Banks and 3 Blood Component Separation Units IGMC, Shimla, ZH Mandi and RPGMC Tanda are functioning in the state. During the year 2013-14, 196 VBD Camps have been organized and in the State blood donation percentage is 76 percent. One Mobile Blood Bus with four

donor couches is also functional in State.

- **Anti Retroviral Treatment Programme**
  State has 3 ART centre at IGMC, Shimla, RH Hamirpur and Dr. RPGMC Tanda and 10 Link ART Centres through these free ART Drugs are being provides to people living with HIV/AIDS.
- **Targeted Interventions**
  34 Targeted Interventions Project are being implemented in the state for High Risk Groups. In the current year, 13,963 persons have been provided STI services and 27,522 were referred to ICTC's and 86 awareness camps and 149 health camps were organized through NGO's.

(viii) National Rural Health Mission: Under this scheme 116 Health Institutions were identified to provide 24 hours emergency services. Apart from this 573 Rogi Kalyan Samities are also functioning at District Hospitals, Civil Hospitals and CHCs. A sum of ₹ 10.32 crore has been distributed to all the RKS till 31.12.2013.

Medical Education & Research

17.3 The Directorate of Medical Education Training & Research was established during the year 1996-97 with the objective of providing better medical education system and training to Medical and Para Medical & Nursing personnel to monitor and coordinate the activities of Medical & dental services of State.

17.4 At present the State has two Medical Colleges i.e. Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajendra Prasad Medical College Tanda and one Govt. Dental College, Shimla are functioning. Besides this, four Dental colleges are in private sector at Sundernagar, Solan, Nalagarh and Paonta Sahib. During the academic session 2013-14 GNM seats in various Govt.and Private Nursing Institutions have been increased from 1,240 to 1,280 and B.Sc. Nursing seats have also been increased from 580 to 660. Under CSS the GOI has included one GNM school at Chamba and two more ANM schools at Solan and Kullu. The Institution wise major achievements of the Department are as under:-

(a) IGMC, Shimla:

This College is the premier institute of the State established in the year 1966, now upgraded as Super Speciality Institute. During this academic session 2013-14 the PG seats has been increased from 90 to 96 in various streams. Govt. of India has approved ₹ 150.00 crore (centre share₹120.00 crore and State share ₹ 30.00 crore) for the up gradation of IGMC, Shimla under phase –II of PMSSY. During the year 2013-14 ₹ 360.00 lakh were spent for the execution of several capital works among which minor O.T. was constructed for Urology department in IGMC, Shimla. To decongest IGMC premises a second campus will be built at Garog near Ghanahati with a tentative cost of ₹ 150.00 *crore* for which a land of 60 Bigha has been selected. During the year 2013-14 various Machinery and equipments worth ₹13.05 lakh were purchased. For the convenience of patients, online investigation of lab reports has been

started using HMIS through internet on IGMC website. Hon'ble Chief Minister has laid down foundation stone for construction of OPD block with an estimated cost of ₹ 56.20 crore and administrative block with an estimated cost of ₹ 7.93 crore on 8th August,2013 and also lay down the foundation for construction of MCH block at KNH with an estimated cost of ₹17.00 crore on 7th September, 2013. In order to upgrade the cancer care facilities in the state HDR brach therapy system and linear accelerator are being provided to Radiotherapy department with an estimated cost of ₹12.14 crore.

Financial Achievements

During the financial year 2013-14 there is a budget provision of ₹12,753.13 lakh and the expenditure up to 31.12.2013 is ₹ 7,611.50 lakh.

(b) Dr. Rajendra Prasad Govt. Medicai College, Kangra at Tanda:

Dr. Rajendra Prasad Medical College, Kangra at Tanda is the 2nd Medical College of the state established in October, 1996 with an intake capacity of 50 MBBS students. The first batch was started in 1999 and recognized by MCI on 24th February, 2005. The MCI has granted the permission to increase the MBBS seats from 50 to 100. For the academic session 2014-15 there is a proposal to increase 13 more PG seats in various specialities. Super Specialty Hospital being constructed at the cost of ₹150.00 crore under PMSSY-II. Construction of two lecture theatre, Examination Hall and Anatomy block with an estimated cost of ₹856.68 lakh is in progress. During the year 2013-14 various Machinery and equipments worth ₹248.65 lakh were purchased. Hon'ble Chief Minister has laid down foundation stone for construction of 1st year MBBS hostel with an estimated cost of ₹ 2,673.45 lakh, Burn unit with an estimated cost of ₹201.17 lakh *and* establishment of Eye Bank at a *cost of* ₹20.00 lakh on 29th October, 2013.

Financial Achievements:

During the financial year 2013-14 there is a budget provision of ₹ 6,835.63 lakh and the expenditure up to 31.12.2013 is ₹ 3,734.33 lakh.

(c) Dental College and Hospital Shimla:

H.P. Govt. Dental College and Hospital, Shimla Hospital is the only dental College in the State which was established in the year 1994 with an intake capacity of 20 students per year. From the year 2007-08 the admission of 60 students to BDS course has been started. Besides this the MDS course in six specialities Oral Surgery, Periodontics, orthodontics, Prosthodontics, Operative Dentistry and Paedodontics is being run with an capacity of 13 PGs students per year. Training course for Dental Hygienist and Dental Mechanics Diploma has been started with the intake capacity of 20 students in each course per year.

The main object of the opening of the Dental College and Hospital was to meet the ever increasing demand of Dental Doctors and Para Medical staff with the view to provide better dental health services to the people of the State. During the period from 1.1.2013 to 31.12.2013, this college has treated 201 indoor and 48,621 outdoor patients. Dental Mobile Camps has organized through which nearly 2,500 patients have been treated and free medicines are being distributed during these dental camps.

Financial Achievements:

During the financial year 2013-14 there is a budget provision of ₹1,092.95 lakh and the expenditure up to 31.12.2013 is ₹765.20 lakh.

AYURVEDA

17.5 Indian System of Medicines and Homoeopathy plays a vital role in the Health Care System of the State of H.P. The separate Department of Ayurveda was established in 1984 and Health Care services are being provided to the general public through 2 Regional Ayurvedic Hospitals, 2 Circle Ayurvedic Hospitals, 3 Tribal Hospitals, 9 District Ayurvedic hospitals, one Nature care hospital, 1,108 Ayurvedic health centres, 14 ten/ twenty bedded Ayurvedic hospitals, 3 Unani health centres, 14 homoeopathic health centres and 4 Amchi clinics (out of which one is functional).The department has inbuilt system of production of medicines through 3 Ayurvedic Pharmacies, at Jogindernagar (District Mandi), Majra (District Sirmaur) and Paprola (District Kangra). These pharmacies catering to the need of the Ayurvedic health institutions of the department and also give boost to the employment to local people. Rajeev Gandhi Government P.G. Ayurvedic College Paprola with an intake capacity of 50 students for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola in Kangra district. Besides this the PG Classes in Kayachikitsa, Shalakya Tantra, Shalya Tantra, Prasuti Tantra, Samhita and Sidhant, Dravya Guna, Rog Nidan, Swasth Vritta, Panchkarm and Balrog are also there. The department has started the B-Pharmacy course (Ay.) at Jogindernagar with intake capacity of 30 students. The department of Ayurveda is also associated with National Health Programmes like Malaria, Family welfare, Anaemia free, AIDS and immunization and pulse polio etc. During the current financial year 2013-14, there is a budget provision of ₹189.24 crore out of which Non Plan is ₹168.74 crore and Plan is ₹20.50 crore.

Development of Herbal Resources

17.6 Four herbal gardens at Jogindernagar (Mandi), Neri (Hamirpur), Dumreda (Shimla) and Jungle Jhalera (Bilaspur) are functioning in the state. An Annual Action Plan for 2013-14 under the Centrally Sponsored Scheme of National Mission on Medicinal Plants at a project cost of ₹97.54 lakh has been approved by the National Medicinal Plants Board, Department of AYUSH, Govt. of India. Under this, 2 model nurseries of four hectare area each and 10 small nurseries of one hectare area each will be established in the public sector. Besides this, cultivation of medicinal plants will be undertaken by the farmers in 72 hectare area in the State.

Drug Testing Laboratory

17.7 During the year 2013-14(up to Dec.2013), DTL Jogindernagar has analyzed 1,032 samples (from Govt. and Private Pharmacies) and generated a revenue of ₹ 1.96 lakh.

17.8 Development Activities

(i) To popularized and make people aware of AYUSH treatment, 48 free medical camps have been organized from time to time at different places during the year 2013-14 under which 6,894 patients were treated. Regional Centre for excellence in Geriatric Health Care has been established at

RGGPG, College Paprola. Sensitization programmes are also being organized for the awareness of NGOs and general public.

ii) **Govt. Ayurvedic Pharmacies**

Presently there are three Departmental Ayurvedic Pharmacies in the State manufacturing Ayurvedic Drugs for free distribution through Ayurvedic Insitututions in the State. The Pharmacies have been located at Majra in Sirmour, Jogindernagar in Mandi and Paprola, in Kangra. Pharmacy at Paprola is also attached with Ayurvedic College Paprola for practical purpose for the students of PG Ayurveda College, Paprola. These Pharmacies supply drugs to all health institutions of Ayurvedic Department. The medicines being manufactured in these pharmacies are of good quality and provided free of cost to the ailing community of State through departmental institutions. Presently department has been procuring raw herbs through H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd. for manufacturing medicines due to non availability of the same locally.

(iii) **National Rural Health Mission**

Under this scheme at present, 135 AMOs are working under co-location policy against the created 155 post of AMOs.

Proposed Targets for the year 2014-15

This department has proposed the target of opening 05 New Ayurvedic Health Centres, upgradation of one AHCs to 10-bedded Hospital, upgradation of one 10/20 bedded Hospital to 50 bedded Hospital and providing of Panchkarma at 2 and Ksharsutra at 2 centres during the year 2014-15.

18. SOCIAL WELFARE PROGRAMME

SOCIAL WELFARE & WELFARE OF BACK-WARD CLASSES

18.1 The Social Justice and Empowerment Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, handicapped, orphans, children, widows, destitutes, poor children and women etc. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Security Pension Scheme

18.2

a) **Old Age pension:** Old age pension @ ₹ 500 PM is being provided to those who have attained the age 60 years or above having individual annual income below ₹ 9,000 P.A. The income of family other than individual income should not exceed ₹15,000 P.A. 80 years & above pensioners are being provided pension @₹ 1000PM.

b) **Disability Relief Allowance:** Disability Relief Allowance is being given to those disabled persons who are having at least 40 percent of disability and whose individual annual income does not exceed ₹9,000 P.A. and the income of family other than individual income should not exceed ₹15,000 P.A. Besides Pensions to above 70% disabled persons is being provided without any income criteria subject to the condition that applicant should not be in Govt. Service/ semi Govt. service/ Board/ corporation and should not be in possession of any kind of pension. During current financial year 2013-14 there is a target of 1,21,830 pensioners under the above schemes. An amount of ₹6,724.59 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 9,190.59 lakh.

c) **Widow /Deserted/ Ekal Nari Pension:** The Widow/ Deserted/ Ekal Nari Pension @ ₹ 500 is being provided to those Widow /Deserted/ Ekal Nari ladies (above 45 years of age) whose individual annual income does not exceed ₹9,000 P.A. The income of family other than individual income should not exceed ₹15,000 P.A. During current financial year 2013-14 there is a target of 63,752 pensioners. Under the above scheme, an amount of ₹ 2,676.31 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 3,862.98 lakh.

d) **Rehabilitation allowance to Lepers:-** Rehabilitation allowance to leprosy @ ₹500 per month is being provided to the patient of leprosy who have been identified by the Health Department irrespective of their annual income. During current financial year 2013-14 there is a target of 1,482 pensioners under the above scheme. An amount of ₹ 53.80 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 99.41 lakh.

e) **Indira Gandhi National Old Age Pension: (IGNOAP):** Indira Gandhi National Old Age Pension is being provided to the persons who have attained the age 60 years or above and belong to BPL household. During current financial year 2013-14 there is a target of 85,707 pensioners under the above scheme. An amount of ₹ 2,220.94 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 3,256.13 lakh.

f) **Indira Gandhi National Widow Pension: (IGNWP):** Indira Gandhi National Widow Pension is being provided to the widows between the age group of 40 to 79 years and belongs to BPL household. During current financial year 2013-14 there is a target of 19,593 pensioners under the above scheme. An amount of ₹ 511.22 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 794.25 lakh.

g) **Indira Gandhi National Disability Pension (IGNDP):** Indira Gandhi National Disability Pension is being provided to the disabled persons between the age group of 18 to 79 years having 80 percent disability and belongs to BPL household. During current financial year 2013-14 there is a target of 557 pensioners under the above scheme. An amount of ₹ 11.82 lakh have been spent upto 30.11.2013 against the budget provision of ₹ 19.62 lakh.

For all the above Central Pension Schemes a sum of ₹200, and to the pensioners above 80 years ₹500 per month is being provided under IGNOAPS whereas under IGNWPS and IGNDPS an amount of ₹ 300,is being provided by Government of India. However, the remaining amount along with MO Commission is being borne by the State Govt. to disburse pensions to all the pensioners at uniform rates i.e. ₹500 per month and ₹1000 per month to the pensioners above 80 years. The budget for this purpose has been provided under the state scheme for old age, widow and handicapped pension.

Self Employment Scheme

18.3 The department is also providing funds to the 4 Corporations viz; H.P. Minorities Finance and Development Corporation, H.P. Backward Classes Finance and Development Corporation, H.P. Scheduled Castes and Scheduled Tribe Corporation and H.P. Women Development Corporation under the head investment for the running of various self employment schemes. There is a budget provision of ₹505.00 lakh for the year 2013-14 and upto 30.11.2013, an amount of ₹60.00 lakh, have been released.

Welfare of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes

18.4 Under this programme, the important schemes implemented during 2013-14 are as under:-

i) **Award for Inter-caste Marriage:** For elimination of the practice of untouchability

between Scheduled Castes and non Scheduled Castes , the State Govt. encourages inter-caste marriages. Under this scheme, an amount of ₹ 50,000 per couple is given as incentive money. For inter-caste marriages during 2013-14, a budget provision of ₹ 60.94 lakh is kept for the purpose and 188 couples have been benefited with an amount of ₹ 50.50 lakh upto 30.11.2013 against the target of 248 couples.

ii) **Housing Subsidy:** Under this scheme the members of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are given subsidy of ₹75,000 per family for house construction purposes to those whose annual income does not exceed ₹ 17,000. During the year 2013-14, an amount of ₹1,740.54 lakh has been provided in the budget and 1,532 persons were benefited with an amount of ₹1,107.45 lakh upto 30.11.2013 against the target of 3,586 persons.

iii) **Training and Proficiency in Computer Applications and Allied Activities:** Under this scheme computer training are provided in the recognized computer courses to candidates belonging to BPL, SC, ST and Minorities or those whose annual income is less than ₹60,000.The department bears the training cost not exceeding ₹1,200 per month per candidate and balance cost if any is borne by the candidate. During the training a stipend of ₹1,000 per month is being provided. After completion of the training, the candidates are placed for six months in the organization / offices so as to gain proficiency in computer applications. During the period of placement ₹ 1,500 per month per candidate is being provided. During the year, 2013-14, budget provision of ₹ 4.33 crore is kept out of which an amount of ₹ 13.54 lakh has been spent upto 30.11.2013 and 1,923 trainees were benefitted.

iv) **Follow up Programme:** Under this scheme, implements and tools, sewing machine costing ₹1,500 per beneficiary are given to scheduled castes scheduled tribes and other backward classes whose annual income does not exceed ₹11,000 per annum. For the year 2013-14 a budget provision of ₹102.6? lakh was made under this scheme out of which an amount of ₹21.34 lakh was spent benefiting 1,422 persons upto 30.11.2013 against 7,04? beneficiaries.

v) **Compensation to Victims of Atrocities on Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Families Under SCs/STs (POA) Act-1989:** Under the rules of the above Act monetary relief is granted to those scheduled castes, scheduled tribes families who become victims of atrocities committed by the member of other communities due to caste consideration. During the year 2013-14 against the budget provision of ₹ 25.00 lakh an amount of ₹8.59 lakh was spent upto 30.11.2013, under this scheme thereby benefiting 27 families.

Welfare of Disabled

18.5 Department is implementing Comprehensive Integrated Scheme named "Sahyog" for persons with

disabilities launched during the year 2008-09. The components of the scheme along with financial and physical achievement upto 30.11.2013 is as under:-

i) **Disabled Scholarship :** This Scheme is applicable to all categories of disabled students including hearing impaired persons having disability of 40 percent or above and whose parents annual income does not exceed ₹60,000. The rates of Scholarship varies from ₹350-750 per month for day scholars and ₹ 1,000-2,000 per month for boarders. Against the budget provision of ₹77.31 lakh upto 30.11.2013 an amount of ₹53.68 lakh has been spent.

ii) **Marriage Grant to Individuals Marrying Persons with Disabilities**: To encourage able bodied young men or girls to marry the disabled boy or girl having not less than 40 percent disability and who have attained the Marriageable age, marriage grant @ ₹8,000 to 15,000 is provided by the State Government. Against the budget provision of ₹ 26.50 lakh an amount of ₹ 13.99 lakh has been spent upto 30.11.2013, thereby benefitting 161 persons.

iii) **Awareness Generation and Orientation:** Provision has been made to organize block and district level composite camps for representative of NGOs working for persons with disabilities, SHGs and representative of PRIs at grass root level. In these camps medical certificates, aids and applications are provided to persons with disabilities. Apart from this all the schemes being run for persons with disabilities are publicized in these camps. There is a budget provision of ₹5.00 lakh for the year 2013-14 and upto 30.11.2013 under the scheme ₹3.10 lakh has been spent.

iv) **Self Employment:** Disabled persons having disability of 40 percent and above are provided loans by the H.P. Minorities Finance and Development Corporation for setting up small ventures. SCs/OBCs and Minority Affairs Department provides subsidy on projects sanctioned by H.P.Minorities Finance and Development Corporation upto ₹ 10,000 or 20 percent of the project cost (whichever is less). During 2013-14 upto 30.11.2013, loans amounting to ₹ 211.62 lakh has been released by the H.P. Minorities Finance and Development Corporation to the 67 persons with disability.

v) **Skill Enrichment:** Vocational rehabilitation training to PWDs through selected ITIs is provided in identified trades. Training is free of cost and stipend @ ₹ 1,000 per month is paid by the department. During the current financial year, 40 disabled children have been sponsored for training. Budget provision of ₹ 15.00 lakh has been provided under the scheme during the year.

vi) **Scheme of Awards:** Provision of incentives to best performing disabled individuals and private employers providing employment to maximum disabled in their organization has been made. Best performing individuals are to be

given cash award of ₹10,000 each. Best private employer is to be provided cash incentive of ₹25,000. Budget provision of ₹ 0.50 lakh has been provided under this component.

vii) **Institutions of Children with Special Needs:** Two institutions at Dhalli and Sundernagar have been set up in the State. In the Home being run at Sundernager the name of institute has been changed to H.P. Institution of Children with Special Abilities (ICSA). 18 Visually and 88 Hearing Impaired girls have been enrolled. For running and maintenance of this Institution against the budget provision of ₹ 62.34 lakh an expenditure of ₹ 30.19 lakh has been incurred upto 30.11.2013. For Dhalli school an amount of ₹ 43.62 lakh has been released for HPCCW. In addition to this, state government is providing grant to the Prem Ashram, Una to meet out expenditure on boarding, lodging and education of 50 mentally retarded children. The budget provision of ₹10.00 lakh and ₹9.10 lakh has been spent upto 30.11.2013.

viii) **Disability Rehabilitation Centres (DRCs):** Two Disability Rehabilitation Centres have been set up at Hamirpur and Dharamshala under NPRPD. These centres are being run through DRDA Hamirpur and Indian Red Cross Society Dharamshala respectively. During the year 2013-14 an amount of ₹ 15.00 lakh has been provided under the scheme.

Scheduled Caste Sub-Plan

18.6 For bringing economic improvement and accelerating the pace of infrastructure development for the benefits of the scheduled Castes, the State Govt. has transferred all subjects relating to Scheduled Castes Sub-Plan and other socio-economic related schemes of the Scheduled Castes to the Social Justice & Empowerment department in the year 2002 and now made a Nodal department. Prior to this, work was being looked after by the Tribal Development Department.

18.7 The Scheduled Castes in this Pradesh are not concentrated into specific regions but are widely dispersed and would be benefitted equally as rest of the population. Accordingly, approach to economic development in the case of Scheduled Castes Sub-Plan is not area based as the case with the Tribal Sub-Plan. The district of Bilaspur, Kullu, Mandi, Solan, Shimla and Sirmaur are the predominantly Scheduled Castes population districts where Scheduled Castes concentration is above the State average. These six districts taken together account for 61.31 percent of the Scheduled Castes population in the state.

18.8 For making Scheduled Castes Sub-Plan need based and effective the Single Line System for Plan formulation and monitoring has been introduced whereby funds are allocated to each district based on fixed parameters which are non-divertible from one district to another district and plans are prepared at district level for each district under the supervision of the Deputy Commissioner and in consultation with the Heads of the Districts/ Regional Offices of the implementing department.

18.9 The various programmes for the welfare of Scheduled Castes are being implemented effectively. Although the Scheduled Castes communities are deriving benefits under the normal Plan as well as Tribal Sub-Plan, yet, in order to provide special coverage under individual beneficiary programmes and development of infrastructure in Scheduled Castes concentrated villages, 24.72 percent of the total State Plan allocation is earmarked for Scheduled Castes Sub-Plan. The main emphasis of the state Govt. is to identify more and more realistic schemes, which may generate sizeable income and employment for the Scheduled Castes families.

18.10 A separate Sub Major Head "789" has been created for Scheduled Caste Sub-Plan and a separate demand (Demand No. 32) has also been created. The entire budget of Scheduled Castes Sub-Plan for 2012-13 is budgeted in the newly created demand. Such an arrangement is very helpful in diverting funds from one scheme to another in the same major head and from one major head to another to ensure 100 percent expenditure under SCSP. During the year 2012-13 there was an outlay of ₹ 914.64 crore out of which ₹ 838.72 crore were spent under Scheduled Caste Sub-Plan. During the current financial year 2013-14 there is outlay of ₹ 1,013.52 crore out of which ₹389.40 crore were spent upto 30.9.2013. ₹1,032.79 crore has been proposed for the Annual Plan 2014-15.

18.11 The District Level Review & Implementation Committee has been constituted at district level under the Chairmanship of Minister of the district and Deputy Commissioner as its Vice-Chairman. The Chairman of the Zila Parishad and all the Chairpersons of BDCs alongwith other prominent local persons have been nominated as non-official members and all district level officers concerned with SCSP as official members to review, formulation and implementation of Scheduled Castes Sub-Plan. The Secretary (SJ&E) holds quarterly review meeting with the departments at the State level. Besides this, a High Powered Coordination and Review Committee has been constituted under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister, which also review the performance of Scheduled Castes Sub-Plan.

Point No. 10(a) of 20 Point Programme

18.12 There are 95,772 SC families in the state who have been found to be living below poverty line according to the survey conducted by the Rural Development department during the year 2011-12. During the year, 2012-13, the 79,766 S.C. families have been benefited against the target of 58,000 SCs families. Against the target to assist 27,565 S.Cs. families in the year 2013-14, 21,303 S.C. families have been benefited upto 30.9.2013.

Child Welfare

(a) Mukhymantri Bal Udhar Yojna

18.13 With a view to look after the orphans, semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for running and maintenance of Bal /Balika Ashrams at Sarahan, Suni, Rockwood (Shimla), Durgapur (Shimla), Kullu, Tissa, Bharmaur, Kalpa(2), Shilli (Solan) Bharnal, Dehar (Mandi) and Chamba being run by the voluntary organizations. The department is running Bal/ Balika Ashrams at

Pragpur (Kangra) Mashobra, Tuti Kandi, Masli (Shimla), Sundernagar (Mandi) Sujanpur (Hamirpur) and Killar (Chamba). In these ashrams the inmates are provided free boarding and lodging facilities and education upto 10+2 standard. Provision for higher education, professional education, career guidance and job oriented vocational training and rehabilitation have been included in the scheme. Total capacity of these Ashrams/Shisu girls to accommodate is 1,060 children. A budget provision of ₹ 300.00 lakh for the year 2013-14 has been kept for this scheme and ₹ 81.50 lakh have been spent upto November, 2013.

(b) Bal/Balika Surksha Yojna

The State has launched this scheme on 19.07.2012 as per their provision of JJ Act,2000 Rule-2007 section 34. Those foster family recommended by the child welfare committees are given ₹ 500 per child per month. 45 eligible children have been benefited upto 30.12.2013.

(c) Integrated Child Protection Scheme

Integrated Child Protection Scheme is to contribute for the improvement in the well being of children in difficult circumstances, as well as to the reduction of vulnerability to situations and actions that lead to abuse neglect exploitation, abandonment and separation children from parents. During the current financial year the total allocation of budget from centre is ₹ 350.51 lakh out of which ₹190.89 lakh has been utilized upto 30.12.2013.

WOMEN WELFARE

18.14 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes are as under:-

(a) **State Home Mashobra:** The main purpose of the scheme is to provide shelter, food, clothing, education and vocational training to the young girls, widows, deserted, destitute and women who are in moral danger. For the rehabilitation of such women after leaving State Home financial assistance upto ₹10,000 per woman is also provided. During 2013-14, there is a budget provision of ₹ 32.88 lakh for the running the above home and upto November, 2013 an amount of ₹14.04 lakh has been spent. At present 35 inmates are living in State Home, Mashobra.

(b) **Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna:** Under this programme marriage grant ₹21,000 (enhance to ₹25,000 w.e.f. 1.4.2013) is being given to the guardians of the destitute girls for their marriages provided their annual income does not exceed ₹20,000. During 2013-14, a budget provision of ₹ 285.86 lakh has been kept for this purpose out of which an amount of ₹137.77 lakh has been spent and 630 beneficiaries were covered upto November, 2013.

(c) **Self Employment Scheme for Women:** Under this scheme ₹2,500 are provided to the women having annual income less than ₹ 7,500 for carrying income generating activities. During the year 2013-14 a budget provision of ₹ 7.00 lakh has been made. 146 women have been benefitted under the scheme and an amount of

₹ 3.65 lakh has been spent upto November, 2013.

(d) **Widow Re-marriage Scheme:** The main objective of the scheme is to help in rehabilitation of widow after re-marriage. Under this scheme an amount of ₹25,000 (enhanced to ₹50,000 w.e.f. 21.5.2013), as grant, is provided to the couple. During the year 2013-14, a budget provision of ₹ 35.00 lakh is kept under this scheme against which ₹ 17.50 lakh has been given to 70 such couples upto November, 2013.

(e) **Mother Teressa Asahay Matri Sambal Yojna:** The aim of this scheme is to provide assistance of ₹3,000 per child per annum to the destitute women belonging to the BPL families or having income less than ₹ 18,000 for the maintenance of their children till they attain the age of 18 years. The assistance will be provided only for two children. Budgetary Provision for this scheme for the year 2013-14 is ₹ 544.00 lakh, out of which ₹ 395.83 lakh has been utilized upto December, 2013. 15,315 children have been benefitted.

(f) **Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna**: During the financial year 2010-11, Government of India has approved the implementation of 100 percent Centrally Sponsored Scheme- "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna" on pilot basis for Hamirpur district. Main objective of the scheme is to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women and infants by promoting appropriate practices, care and service utilization during pregnancy, delivery and lactation period. Under the scheme, there is a provision of providing cash incentive of ₹4,000 existing (and ₹6,000 after implementation of Food Security Act) to pregnant and lactating women (excluding State/ Central Govt. employees) of 19 years of age and above for first two live births in a phased manner. In 2010-11, ₹64.98 lakh, in 2011-12 ₹173.24 lakh, in 2012-13 ₹64.84 lakh and in 2013-14 ₹44.09 lakh have been released by Govt. of India. Out of this an amount of ₹329.57 lakh has been utilized upto November, 2013.

(g) **Mata Shabri Mahila Sashaktikaran Yojna**: This scheme has been started during the financial year 2011-12 for benefitting women belonging to BPL families of SC category. Under the scheme, 50 percent subsidy, subject to a maximum of ₹1,300 is given to eligible women for purchase of gas connection. As per schematic norms every year 75 SC BPL women will be benefited in each Vidhan Sabha Constituency. For the year 2013-14 there is a budget provision of ₹66.00 lakh. An amount of ₹65.98 lakh have been spent upto November, 2013 for 1,570 gas connection released.

(h) **Vishesh Mahila Utthan Yojna:** State Government has started "**Vishesh Mahila Utthan Yojna"** as 100% State Plan Scheme for training and rehabilitation of women in moral danger in the State. There is a provision to provide stipend @ ₹3,000 per month per trainee and test fee of ₹ 800 per trainee through the department of Women and Child Development. Further, for those

women who intend to start their own self employment projects, a back ended subsidy is provided @ 20% of the project cost subject to maximum of ₹10,000 per beneficiary, on loan arranged through HP Mahila Vikas Nigam. In the Current year, there is a budget provision of ₹ 75.00 lakh in which 154 women/girls are undergoing training in different trades in ITI Dharamshala, Gangath (in district Kangra), Solan and Shamshi (in district Kullu) upto December, 2013. While 113 have completed their training.

(i) **Financial Assistance and Support Services to Victims of Rape Scheme 2012:** This scheme has been notified on 22.09.2012 as 100% State Plan Scheme. The scheme aims to provide financial assistance and support services such as counselling, medical aid, legal assistance, education and vocational training; depending upon the needs of rape victims. An affected woman shall be entitled to financial assistance and restorative support/ services adding upto a maximum amount of ₹75,000. Additional assistance of ₹25,000 can also be given in special cases. During the current financial year 2013-14, there is a budget provision of ₹ 75.00 lakh, an expenditure of ₹ 52.75 lakh upto November,2013 has been incurred benefiting 145 women.

Integrated Child Development Services

18.15 Integrated Child Development Services" (ICDS) programme, is being implemented in all Developmental Blocks of the State through 78 ICDS projects. Following six services are being provided to children and pregnant/ lactating mothers through 18,385 Anganwari Centres and 515 Mini Anganwari Centres in the State. The department is providing Supplementary Nutrition, Nutrition and Health Education, Immunization, Health check-ups Referral Services and Non Formal Pre-School Education, from 1.4.2009, I.C.D.S. is being implemented on 90:10 (Centre:State) basis. There is a budget provision of ₹ 16,688.00 lakh for the year 2013-14, out of which State Share is ₹1,269.00 lakh and Centre Share is ₹15,419.00 lakh, an amount of ₹10,600.74 lakh has been. spent upto November, 2013. Monthly honorarium of ₹3,000, ₹1,500 and ₹2,250 has been fixed by the Government of India for Anganwari Workers, Helpers and Mini Anganwari Workers respectively. 10 percent of the honorarium is borne by the State Government and 90 percent by the Centre Government. State Government is also paying ₹300, ₹200 and ₹250 per month to Anganwari Worker, Anganwari Helper and Mini Anganwari Worker per month in addition to its 10 per cent share.

Beti Hai Anmol Yojna

18.16 With a view to change negative family and community attitude towards the girl child at birth and to improve enrolment and retention of girl children in schools, Beti Hai Anmol scheme is being implemented in the state w.e.f. 05.07.2010 for girls (2 girls only) belonging to the BPL families.

i) **Post Birth Grant**: under this component, there is a provision to give post birth grant of ₹10,000 (from 2.6.2012) is deposited in the Post Office in favour of girl child taking birth in the BPL family after attaining the age of 18 years, the beneficiary can withdraw the amount from her account.

ii) **Scholarship:** Annual scholarships ranging between ₹300 to ₹1,500 per annum up to 10 + 2 standard is provided to these girls when they start going to school. Class-wise rates of scholarship are as under:-

1. Class 1-3	₹ 300 p.a.
2. Class 4	₹ 500 p.a.
3. Class 5	₹ 600 p.a.
4. Class 6-7	₹ 700 p.a.
5. Class 8	₹ 800 p.a.
6. Class 9-10	₹1,000 p.a.
7. 10+1and 10+2	₹1,500 p.a.

For the year 2013-14 there is a budget provision of ₹ 441.75 lakh, and whole amount have been spent upto November, 2013. 18,791 girls have been benefitted.

Kishori Shakti Yojna

18.17 This is 100 percent Centrally Sponsored Scheme for improvement of nutritional, health and skill development status of adolescent girls. The main objectives of the scheme is to improve the nutritional and health status of girls in the age group of 11-18 years, to provide the required literacy and numeracy skills through non-formal education to train and equip the adolescent girls to improve/ upgrade home-based and vocational skills and to promote awareness of health, hygiene, nutrition and family welfare, home management/ child care and to take all measure as to facilitate their marrying only after attaining the age of 18 years and if possible, even later; The scheme was earlier being implemented throughout the State. From the financial year 2011-12, this scheme is being implemented in 8 Districts (46 Projects).viz. Shimla, Sirmaur, Kinnaur, Mandi, Hamirpur, Bilaspur, Una and Lahaul & Spiti. As per schematic norms, every year, Govt. of India has to release funds at the rate of ₹1.10 lakh per Project to the State. Thus maximum, ₹ 50.60 lakh can be spent in the State annually subject to the release of funds by the Government of India. During the financial year 2013-14 (upto September, 2013), supplementary Nutrition has been provided to 37,553 adolescent girls, Vocational training to 341 girls, number of adolescent girls given NHED and Non Formal Education to 34,583 and number of adolescent girls given IFA/ Deforming supplementation to 36,685. During the current financial year 2013-14, sanction amounting to ₹ 38.46 lakh have been received from GOI under the Scheme and ₹ 4.88 lakh have been utilized.

Supplementary Nutrition Programme (SNP):

18.18 Under this programme, supplementary nutrition is provided in Anganwari Centres to children, pregnant / lactating mothers and BPL adolescent girls. Rates (per beneficiary per day) (w.e.f. 01.04.2009) children ₹4.00 per day pregnant / lactating mothers and adolescent girls ₹ 5.00 per day and severely mal-nourished children ₹ 6.00 per day. Expenditure under this programme is borne by the Central and State Governments on 50:50 basis. During the current financial year 2013-14 there is a budget provision of ₹3,240.00 lakh, upto December 2013, ₹2,957.76 lakh have been utilized under this scheme. ₹2,292.34 lakh have received as Grant-in-aid from Govt. of India. 4,36,354 children, 1,02,609 pregnant/ lactating mothers, 37,553 BPL adolescent girls have been benefitted upto November, 2013.

Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls:

18.19 This scheme has been started in 4 Districts viz. Solan, Kullu, Chamba, and Kangra in place of Kishori Shakti Yojna. This scheme has been launched on 19.11.2010 on pilot basis. Under this scheme, an amount of ₹ 3.80 lakh per Project will be released by the GOI to the State for non-nutritional components like, NHED activities, Iron-Folic Acid tablets, training-kits, vocational trainings. Expenditure under Nutrition component will be shared by the GOI and the State Government on 50:50 basis. Under Non-Nutrition component for the financial year 2010-11, 2011-12 and 2012-13 a sum of ₹121.60, ₹60.80 lakh and ₹98.23 lakh has been released by GoI and ₹188.22 lakh have been utilized to provide Non-Nutrition Services to Adolescent Girls. Under Nutrition Component ₹ 480.28 lakh for Financial Year 2013-14 have been released by GOI and ₹128.68 lakh have been utilized. Similarly ₹264.50 lakh have been contributed by the State and the whole amount has been utilized to provide supplementary Nutrition to eligible Adolescent Girls.

19. RURAL DEVELOPMENT

RURAL DEVELOPMENT

19.1 The main objective of the Rural Development Department is the implementation of poverty alleviation, employment generation and area development programmes in the rural areas of the State. The following state and centrally sponsored developmental schemes and programmes are being implemented in the state.

NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM)

19.2 The Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna (SGSY) has been replaced by the National Rural Livelihood Mission (NRLM) w.e.f 1.4.2013 which is being implemented in a phase manner in 5 Blocks/ districts of the State. The identified Blocks are Kandaghat, Basantpur, Mandi Sadar, Nurpur and Haroli as pilot blocks in 1st Phase. Apart from above under NRLM for generation of Self Employment activities like Credit mobilization formation of women SHGs, capacity Building and Institution Buildings are proposed for implementation. For the current financial year annual action plan for ₹ 12.88 crore has been approved by the government of India for implementation of aforesaid activities. Total 3500 women are proposed for assistance by providing credit of ₹ 100.00 crore.

Under NRLM (Aajeevika Skills) Total 25 Skill development projects have been received recently and the finally selected projects will be submitted to Government of India for approval.

Watershed Development Programme

19.3 With the objectives to develop wastelands/degraded lands, drought prone and desert area, the department is implementing Integrated Waste land Development Programme (IWDP), Draught Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) and Integrated Watershed Management Programme (IWMP) in the State as per guidelines of government of India. Since the inception of the programme, The Government of India, Ministry of Rural Development has sanctioned 67 projects (869 Micro Watersheds) with a total cost of ₹ 254.12 crore for the treatment of 4,52,311 hectare of land under IWDP, ₹ 116.50 crore for the treatment of 2,05,833 hectare of land under DPAP and 552 Micro Watersheds Projects with a cost of ₹ 159.20 crore for the treatment of 2,36,770 hectare of land under DDP. The expenditure under IWDP is ₹ 240.28 crore, DPAP is ₹111.10 crore and under DDP is ₹97.99 crore upto November, 2013. Under Integrated Watershed Management Progamme (IWMP) the Government of India has sanctioned 131 new projects during 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13 with a total cost of ₹1035.16 crore for treatment of 6,90,112 hectare rainfed area in all districts of the state and funds to the tune of ₹ 196.96 crore (i.e 90% GOI & 10% state Govt.) has been released to the concerned districts and out of which ₹ 93.26 crore has been utilized upto November, 2013.

Indira Awas Yojna

19.4 Indira Awas Yojna is a centrally sponsored scheme. Under this scheme, an assistance of ₹ 75,000 per beneficiary is given to BPL families for the construction of new houses. The selection of beneficiaries is being done by Gram Sabha. The Central and State Governments are financing this scheme on 75:25 sharing basis. During the year 2013-14, upto November, 2013, against a target of construction of 7,064, all houses have been sanctioned which are under construction. An amount of ₹25.01 crore has been spent under this scheme upto November, 2013.

Matri Shakti Bima Yojna

19.5 This scheme covers all women living below the poverty line within the age group of 10-75 years. The policy provides relief to family members/insured women in case of their death or disablement arising due to any kind of accident, surgical operations like sterilization, mishap at the time of child birth/ delivery, drowning, washing away in floods, landslide, insect bite, snake bite, earthquake and storms. The scheme also gives benefit to married women in case of accidental death of her husband. The compensation amount under the scheme is as under:

i) Death ₹ 1.00 lakh
ii) Permanent total disability ₹ 1.00 lakh.
iii) Loss of one limb and one eye or both eyes or both limbs ₹ 1.00 lakh.
iv) Loss of one limb/one ear ₹ 0.50 lakh.
v) In case of death of husband ₹ 1.00 lakh.

During the year 2013-14, upto November, 2013, 101 families have been assisted and financial assistance of ₹ 100.50 lakh has been provided.

Rajiv Awas Yojna

19.6 The scheme is being implemented on the pattern of Indira Awas Yojna. Under the scheme financial assistance of ₹ 75,000/- is provided to the eligible poor family approved by the Gram Sabha. Upto November, 2013, against the target of construction of 1,616 new houses, 1,553 houses have been sanctioned and remaining 63 houses are being sanctioned. During the year 2013-14, upto November, 2013, an amount of ₹ 578.49 lakh has been spent under this scheme.

Total Sanitation Campaign (Now NBA)

19.7 The Government of India has renamed Total Sanitation Campaign (TSC) as Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) during the year 2012-13 to achieve the following objectives and also to be continued in the 12th Five Year Plan.

(a) Bring about an improvement in the quality of life in the rural areas.

(b) Accelerate sanitation coverage in rural areas to achieve the vision of Nirmal Bharat by 2,022 with all Gram Panchayats in the country attaining Nirmal Status.

(c) Motivate communities and PRIS promoting sustainable sanitation facilities through awareness creation and health education.

(d) To cover the remaining schools not covered under SSA and Anganwari Centres in the rural areas with proper sanitation facilities and undertake proactive

promotion of hygiene education and sanitary habits among students.

(e) Encourage cost effective and appropriate technologies for ecologically safe and sustainable sanitation.

(f) Develop community managed environmental sanitation systems focusing on Solid and Liquid Waste Management for overall cleanliness in the rural areas.

The main feature of the new guidelines of the Nirmal Bharat Abhiyan is providing of individual household latrine (IHHL) incentive to the tune of ₹ 5,100 per household to all the left out household under the BPL and APL (Identified) categories whereas in the TSC the incentive was only applicable to the BPL households. An amount upto ₹ 4,500/- can also be provided for IHHL beneficiaries under the MGNREGS. In addition, the solid and liquid Waste Management will be now implemented in a project mode wherein each Gram Panchayat will get an amount upto ₹ 7/ 12/ 15/ 20 lakh on the basis of household upto ₹150/ 300/ 500/ above 500 in the GP respectively.

The Sanitation Campaign in the State has focused more at Information Education & Communication (IEC) interventions for developing appropriate mechanism for sustainable delivery through a consensual community approach, so that the people may themselves demand for sanitation facilities and thereafter take appropriate actions in this regard. At present the Sanitation Campaign is being implemented in all the 12 Districts of the State and presently Himachal Pradesh is considered a leading State in the field of Sanitation.

The financial and physical progress made as on 30.11.2013 under the existing approved projects are given below:-

Financial (Cumulative):-

(₹ in lakh)

Share	Outlay	Released amount	Expenditure
Centre	13118.40	11241.52	8719.83
State	4997.33	4093.91	3149.25
Beneficiary	1516.82	898.83	712.47
Total	19632.55	16234.26	12581.55

Physical (Cumulative):-

Component	Approved Targets (No.)	Achievement	Additional Targets Proposed in revised PIP submitted to GOI's approval
IHHL (APL +BPL)	8,50,750 BPL-2,18,167 APL-6,32,583	10,37,756 (100%) BPL-2,51,545 (100%) APL-7,86,211 (100%)	T=2,68,096 BPL-45,933 APL-1,63,074 APL (Defunct) 59,089
School Toilets	70,738	18,244 (88%)	2,215
Anganwari Toilets	10,308	9,524 (92%)	131
Community Sanitary Complexes	1,229	882 (72%)	1,031

Year wise progress under TSC (Now NBA)

Financial

(₹ in lakh)

Year	Centre		State	
	Release	Expdt.	Releases	Expdt.
2007-08	1024.50	355.13	113.22	117.14
2008-09	778.76	466.90	469.63	170.78
2009-10	1116.80	1312.38	400.00	563.66
2010-11	2939.78	2130.20	711.51	702.71
2011-12	469.57	1274.65	813.71	591.66
2012-13	1666.96	1643.08	501.63	552.29
2013-14 upto 11/2013	2493.33	910.39	826.22	300.84

Physical (No.)

Year	IHHL (BPL+ APL)	School Toilet	Angan wari Toilet	Sant. Comp.
2007-08	136043	1858	484	23
2008-09	313872	1959	994	35
2009-10	239576	4701	2302	63
2010-11	216571	6429	4400	310
2011-12	30066	802	132	163
2012-13	5183	1215	1066	163
2013-14 upto 11/2013	7218	206	16	52

Mahila Mandal Protsahan Yojna

19.08 In order to encourage the Mahila Mandals in Sanitation activities, Mahila Mandals Protsahan Yojna of department has been fully integrated with the sanitation campaign in the State. As per the latest guidelines of the Schemes those Mahila Mandals shall be awarded which have substantially contributed in achieving the Open Defecation free (ODF) status in their village, ward and Gram Panchayat and its sustainability. For the year 2013-14 there is a provision of ₹ 131.04 lakh as reward money under the scheme.

Nirmal Gram Puruskar

19.09 To give a fillip to the Total Sanitation Campaign (TSC), Government of India launched the Nirmal Gram Puruskar (NGP) in October, 2003 and gave away the first awards in 2005. NGP seeks to recognize the efforts made by PRIs and Institutions who have contributed significantly towards ensuring full sanitation coverage in their areas of operation. TSC lays strong emphasis on IEC, capacity building and hygiene education for effective behaviour change with the involvement of PRIs, CBOs, NGOs etc. The main objectives of NGP are:

1. To promote safe sanitation and clean environment as a way of life in rural areas.
2. To incentivize PRIs to make the village Open Defecation Free (ODF) and to adopt Solid & Liquid Waste Management.
3. To sustain the initiative of clean environment.
4. To encourage organizations to play a catalytic role of Social mobilization in the implementation of Nirmal Bharat Abhiyan.

The detail of year wise winner of NGP from State Himachal Pradesh is as under:-

Year	Number of GPs won NGP	Prize money distributed
2007	22 GPs	₹ 26.00 lakh
2008	245 GPs and one Block	₹ 363.00 lakh
2009	253 GPs	₹ 364.50 lakh
2010	168 GPs	₹ 261.50 lakh
2011	323 GPs	₹ 430.50 lakh
2012	The NGP selection process has not been done by the GOI during the year	
2013	693 GPs of the state have applied for NGP and the selection process would be completed by the end of December, 2013	

State Reward Schemes:-

Maharishi Valmiki Sampooran Swachhata Puruskar (MVSSP)

19.10 To boost the sanitation campaign in the State a State Reward Scheme i.e. Maharishi Valmiki Sampooran Swachhata Puruskar was launched by the State Government in the year 2007-08 under which cleanest Gram Panchayats in each Block/District/Division and also at State level are rewarded at State level function scheduled to be held together with State level Independence Day function on 15th August each year. The award pattern under this scheme is as under:

1. One cleanest GP at Block Level	₹ 1.00 lakh
2. Cleanest GP shall be awarded at district level (a) One award for district with less than 300 GPs (b) Two award for district with more than 300 GPs	₹ 3.00 lakh
3. One cleanest Panchayat at Division Level	₹ 5.00 lakh
4. One cleanest Panchayat at State Level	₹10.00 lakh

During the year 2013-14, provision of ₹147.00 lakh as a reward money has been made.

School Sanitation Reward Scheme.

19.11 The Government of Himachal Pradesh has launched State Reward scheme under School Sanitation during December,2009. Under which cleanest Government Primary and Middle Schools were rewarded at District and Block level. But during the year 2011-12 some changes in the scheme criteria have been made and High/Higher Secondary schools are included in the scheme. This competition based scheme will take place from February to 15th April every year.

- The First Prize for cleanest Primary, Middle, High/Higher Secondary School at district level would comprise of a certificate of appreciation and a cash prize of ₹ 50,000/-.
- First Prize at Block level would be ₹ 20,000/- along with a certificate of appreciation.
- Second Prize (only at Block level) would comprise of ₹ 10,000/-.

The total prize money for the year 2013-14 would be ₹ 88.20 lakh.

Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme:

19.12 The Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was notified by the Government of India on September, 2005 and was made effective w.e.f. 2nd February, 2006. In the 1st Phase, the Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) was introduced in District Chamba and Sirmaur on 2nd February,2006. In second phase MGNREGA was started in District Kangra and Mandi w.e.f. 1-4-2007. In the third phase all the remaining 8 district of the State have been covered under the scheme w.e.f. 1-4-2008. during the year 2013-14 (upto November, 2013) Central share amounting to ₹352.29 crore and State Share amounting to ₹ 36.70 crore have been credited to the State Employment

Guarantee Fund account. The total availability of funds with the Districts is ₹437.78 crore (upto November, 2013) and ₹ 16.86 crore is available in the State Employment Guarantee Fund account against which the funds amounting to ₹ 317.97 crore have been utilized and ₹159.67 lakh mandays have been generated by providing Employment to 4,09,999 households.

20. HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Housing

20.1 Ministry of Housing, Govt. of Himachal Pradesh through Housing & Urban Development Authority (HIMUDA) is constructing Houses, Flats and developing plots of various categories so as to meet the housing demand of the people of various income groups. The Authority till March, 2013 has constructed 12,538 Houses/Flats and developed 4,612 Plots under various Housing Schemes at different places.

20.2 There is an outlay of ₹9,911.66 lakh for the current financial year for construction of 240 flats and developing 155 plots and for execution of deposit works of different Departments.

20.3 During 2012-13 HIMUDA has completed 103 buildings under deposit works till March,2013 and targeted the completion of 53 buildings upto March,2014 under Deposit works.

20.4 HIMUDA is executing deposit works of various department such as Social Justice and Empowerment, Prison, Police, Youth Services and Sports, Animal Husbandry, Education, Fisheries, I.T. Departments, HP Bus stands Management & Development Authority, Urban Local Bodies, Panchayati Raj, and Department of Ayurveda.

20.5 Construction work of Housing colonies at Theog, Chhabgroti, Flowerdale, Sanjauli, Mandhala, Parwanoo Jurga (Nahan) and Bhatolikhurd (Baddi) are in progress and by the end of March ,2014 the colonies at Chhabgroti, Flowerdale, and Parwanoo are likely to be completed. At present HIMUDA has Land bank of 412.00 bighas at various places in H.P. and process for land acquisition in various places is also in progress.

20.6 New housing Schemes will be taken in hand in the next financial year at Solan, Batoli Khurd, Trilokpur(Nahan) and Commercial complex near petrol pump Vikas Nagar Shimla.

20.7 Under JNNURM, HIMUDA is Constructing 176 flats (Ashiana-II) Urban BSUP at Dhalli Shimla and under IHSDP 72 flats at Hamirpur and 192 flats at Parwanoo and 128 flats at Nalagarh which are in advance stage of completion. Under UIDSSMT, HIMUDA has the executed the work for the construction of roads & paths and channelisation of Nallahs in Mandi town.

20.8 To reduce human interface in order to bring more transparency HIMUDA has moved towards the e-governance and has

digitalised the record in Head office and installed the tally Enterprise Resource Planning (ERP')

Urban Development

20.9 Consequent upon the 74th Constitutional amendment, the rights, powers and activities of the urban local bodies have increased manifold. There are 50 urban local bodies including Shimla Municipal Corporation. The Government is providing grant in-aid every year to these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public.

20.10 As per the interim report of 4th State Finance Commission during the year 2013-14 a sum of ₹ 6,355.32 lakh is being provided to the ULBs. This includes developmental grant and gap filling grant between income and Expenditure.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM):

20.11 The Hon'ble Prime Minister of India launched JNNURM on 3rd December, 2005. The mission aims at creating economically productive, efficient, equitable and responsive cities in an integrated frame work with economic and social infrastructure, basic services to urban poor and strengthening of various municipal organizations and their functioning. Under this mission only Shimla town being State capital has been covered by the Govt. of India.

20.12 H.P. Housing & Urban Development Authority (HIMUDA) has been nominated as Nodal Agency for the mission. Components like development of roads, sewerage, parking, tunnels and garbage management etc. will be taken in hand. There is a budgetary provision of ₹ 800.00 lakh in General Plan and ₹ 1,730.00 lakh in SCSP under the scheme during the financial year 2013-14. The following projects have been approved by the Govt. of India.

1. Setting up a solid waste management improvement of Shimla city.
2. Widening and lowering of existing tunnel near Aukland House School on Motor round road Shimla.
3. Rehabilitation of water supply system in Shimla town.
4. Purchase of 75 buses for urban Transport in Shimla town.
5. Rejuvenation of sewerage network in missing lines and left out areas/worn out sewerage in various zones of Shimla.
6. Basic services to Urban Poor Ashiana-I & II a Housing Scheme for Shimla town.

Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP):

20.13 In order to provide adequate shelter and basic infrastructure to the slum dwellers who do not possess adequate shelter and reside in dilapidated conditions in the identified urban areas, there is a provision for construction of a dwelling unit on 25 sq.metres area (two room accommodation plus kitchen and toilet) under IHSDP. The ceiling cost is ₹ 1.00 lakh per dwelling unit. This

scheme is a part of JNNURM. The funding pattern is 90:10 between Centre and State. Eight projects with a total approved cost of ₹7,203.89 lakh (Hamirpur ₹443.32 lakh, Dharamshala ₹942.31 lakh, Solan ₹958.30 lakh, Parwanoo ₹1,167.98 lakh, Baddi ₹1,475.39 lakh, Nalagarh ₹546.59 lakh, Sundernagar ₹999.00 lakh and Sarkaghat ₹671.00 lakh, respectively) have been sanctioned. Under this Scheme 328 dwelling units in Dharmshala town, 336 dwelling units in Solan town, 152 dwelling units in Hamirpur town, 192 units in Parwanoo town, 480 units in Baddi town and 128 units in Nalagarh town, 208 units in Sundernagar town and 130 units in Sarkaghat town will be constructed. HIMUDA is the Executing Agency for these projects. There is a budget provision of ₹ 500.00 lakh during the financial year 2013-14, which will be spent before 31.3.2014.

Maintenance of Roads in Municipal Areas:

20.14 About 1,416 Kms. roads/ paths/ streets and 1,139 Kms. drains are being maintained by 50 urban local bodies and ₹ 600.00 lakh has been provided in the budget for the financial year 2013-14 for maintenance of roads which stands released to the Urban local bodies in proportionate to length of roads/street/path being maintained by the urban local bodies.

Swaran Jayanti Shahri Rozgar Yojna (SJSRY):

20.15 Under SJSRY(CSS), the main objective is to uplift the urban poor by providing employment to unemployed or under employed poor through encouraging setting up of self employment ventures or by providing wage employment. For the implementation of SJSRY, a sum of ₹ 27.00 lakh has been provided in 2013-14 the Budget for benefiting the identified urban poor families. Government of India has allocated ₹187.00 lakh during the financial year.

Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)

20.16 The Govt. of India has restructured IDSMT scheme and renamed as Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT) with effect from the year 2006-07. The Govt. of H.P. has declared HIMUDA as Nodal Agency for plan formulation and execution of the scheme. Five towns namely Hamirpur, Sarkaghat, Dharamshala Mandi, and Rewalser are covered under the scheme. The proposal of eight towns is in pipeline with Govt of India. For the implementation of this scheme, a sum of ₹ 3,970.00 lakh has been provided in the budget during the year 2013-14 out of which a sum of ₹ 73.92 lakh has been released.

Sewerage Scheme:

20.17 There is a budget provision of ₹ 28.00 crore in General plan and SCSP for sewerage and its maintenance during the current financial year 2013-14 which stands released to I& PH. Since this scheme is being executed by the I& PH Department therefore the funds drawn and placed at the disposal of the I& PH Department. For the

implementation of the above schemes training programmes are being conducted to improve the working efficiency of the employees and elected representative of the Urban Local Bodies. City Development Plans are being prepared for the integrated development of the urban towns of the Pradesh.

13th Finance Commission Grant

20.18 The 13th Finance Commission has recommended two type of grants namely General basic grant and General performance grant. This grant is being released to ULB's, 60 percent on the basis of population and 40 percent on the basis of area. There is budget provision of ₹ 2,063.00 lakh during the financial year 2013-14. Out of which a sum of ₹ 648.22 lakh stands released. Apart from above special grant in aid amounting to ₹ 15.00 crore under 13th finance commission is being released during this year for 13 tourist towns for parking, sewerage and drainage and construction of solid waste management plant

Rajiv Awas Yojna (RAY)

20.19 Rajiv Awas Yojna (RAY) for the slum dwellers and the urban poor envisages a " Slum-free India' by encouraging States/Unions Territories to tackle the problem of slums in a definitive manner. It calls for a multi-pronged approach focusing on:-

- Bringing existing slums within the formal system and enabling them to avail of similar level of basic amenities as the rest of the town/city.
- Redressing the failures of the formal system that lie behind the creation of slums.
- Tackling the shortages of urban land and housing that keep shelter out-of-reach of the urban poor and force them to resort to extra-legal solutions in a bid to retain their sources of livelihood.
- Pilot Project for Krishna Nagar Slums amounting to ₹3,399.65 lakh has been approved by the Central Sanctioning & Monitoring committee (CSMC) in its 8th Meeting held on 28th Feb., 2013. Under the Scheme 300 Dwelling Units (Beneficiary Houses 224+ Rental Houses 76) will be constructed in Krishna Nagar under the second phase 886 families are proposed to be provided basic amenities and a sum of ₹1,067.20 lakh stands released.

TOWN AND COUNTRY PLANNING:

20.20 To ensure functional, economical sustainable and aesthetical living environment through planned, equitable and regulated development ensuring balanced use of scarce land resources in view of demographic and socio-economic factors. Preservation of environment, heritage and rational use of precious land resources by their sustainable development through community participation the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 has been enforced in 21

Planning Areas (which is covered 0.94% Planning Area to the total geographical Area of State) and 34 special areas (which is covered 1.27% special area to the total geographical Area of state).

20.21 The proposals for constitution of Narkanda, Chopal, Sri Naina Devi Ji, Nadaun, Sujanpur Bhota and Jogindernagar. Planning Areas are under consideration of the Government. The Development Plan of Theog, Rohru, Sarahan Chintpurni and Mehatpur have been prepared and further enrichment in progress. The work on regionalisation of the State into various regions is in progress. The existing Land use maps of Shimla Planning Areas and Kamand planning Area have been prepared and Notice for inviting public objections /suggestions is in progress.

20.22 In Order to achieve the targets as stated above, funds to the tune of ₹97.00 lakh have been allocated in favour of this department during the current financial year 2013-14 out of which a sum of ₹74.00 lakh has been incurred as on 31.12.2013.

20.23 The Cabinet in its meeting held on 25.9.2013 has decided that all the statutory Towns notified or likely to be notified under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Urban growth centres may be brought under the ambit of Himachal Pradesh Town and country act 1977.

20.24 In Compliance to the decision of the Cabinet, the Work on constitution of Planning Areas for Urban Local Bodies namely Arki, Rajgarh , Ghumarwin, Amb-Gagret, Daulatpur, Sundernagar,Sarkaghat, Rewalsar, Karsog Kangra ,Nurpur, Nagrota, Dehra, Jwalamukhi and Chowari is under finalisation.

Targets for the year 2014-15

20.25 The projects of the 12th Five Year Plan are proposed to be targeted for the next financial year 2014-15 which includes constitution of Planning Areas, Special area, Regions, preparation of Existing Land use Map, Development Plans and Regional Plans are as under:

1. Constitution of Planning areas via; Ark, Rajah, Ghumarwin Amb, Gagret, Daultpur, Sundernagar, Sarkaghat, Rewalsar, Karsog, Kangra, Nurpur, Nagrota, Dehra, Jwalamukhi and Chowari .
2. Preparation of Existing Land use Map of planning areas, namely; Ghumarwin, Amb, Gagret, Bhota, Sundernagar, Chopal, Sri Naina Deviji Nadaun, Sujanpur, Sarkaghat , Jogindernagar and special areas namely Solang and Pangi.
3. Prepared of Development Plans for Ghumarwin, Amb, Gagret Bhota, Sundernagar, Chopal, Sri Naina Deviji Nadaun, Sujanpur Sarkaghat and Jogindernagar, Kandaghat, Udaipur, Tabo, Pong-Dam and Sangla.

21. PANCHAYATI RAJ

PANCHAYATI RAJ

21.1 At present there are 12 Zila Parishads, 77 Panchayat Samities and 3,243 Gram Panchayats constituted in this State. After the enactment of 73rd amendment in the Constitution the present is the fourth term of the Panchayats. As per the provision of the constitution of India the Panchayati Raj Institutions have been assigned certain powers, functions and responsibilities from time to time either by making provision under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act or rules made there under or through executive instructions. Gram Sabhas have been vested with powers to select beneficiaries under various programmes. Gram Sabhas have been empowered to approve plans, programmes and budget prepared by Gram Panchayat are also to authorise issuance of utilization certificate of funds spent on the implementation of plans, projects and programme of Gram Panchayat. Gram Panchayats have been empowered to appoint, Tailoring Mistress, Panchayat Chowkidar and Part-time Water Carriers in Primary schools. Panchayat Samities have been empowered to appoint Accountants, Clerks, Panchayat Sahyaks and Steno Typists and Zila Parishads have been empowered to appoint Assistant Engineers, Personal Assistant and Junior Engineers.

21.2 The ownership and maintenance of all primary school buildings has been transferred to Gram Panchayats. Gram Panchayats will use the collected land revenue at their own level. Gram Panchayats have been empowered to impose various taxes, fees and fines and also to borrow money / raise loans for creation of income generation assets. Before, grant of any lease for mining of minerals, a resolution from the concerned Panchayat has been made compulsory Panchayats have been empowered to prepare plans. Gram Panchayats have been authorized to grant permission for erection of mobile communication tower and to levy fee. Gram Panchayats have been empowered to hear and decide the application for maintenance under section 125 of the Cr.P.C. 1973 and can grant a maintenance allowance not exceeding to ₹ 500 per month. Cess of ₹1/- per bottle of liquor sold in the rural area will be collected and transferred to the Gram Panchayat for utilization in the development activities.

21.3 It has been made mandatory that village level functionaries of Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Irrigation and Public Health, Revenue and Welfare Departments shall attend the meetings of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted and if such village level functionaries fail to attend the meetings Gram Sabha shall report the matter to their controlling officer through the Gram Panchayat who shall take disciplinary action against such functionaries within one month from the date of receipt of the report and shall intimate the action taken on such report to the Gram Sabha through the Gram Panchayat.

21.4 The important functions delegated to Panchayati Raj are as under:-

i) Pradhans of Gram Panchayats have been appointed as Forest Officers to carry out the purposes of rule 11 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routs) Rules, 1978 for the issuance of pass for transport of Minor Forest Produce collected from the Forest in respect of 37 items.

ii) The State government is providing honorarium to the elected representatives of Panchayati Raj Institutions. The rate of monthly honorarium to Chairman & Vice-Chairman of the Zila Parishad is ₹ 5,000 and ₹3,500 per month, Chairman & vice-Chairman of Panchayat Samiti is ₹ 2,500 and ₹ 2,000 per month and Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat ₹ 1,800 & ₹1,500 respectively. In addition, to this member, Zila Parishad ₹2,000 Member, Panchayat Samiti ₹ 1,800 and Members of Gram Panchayat ₹ 175 as sitting fee subject to the maximum for two sittings in a month.

iii) The Government is providing grant-in-aid to PRIs for meeting the expenditure on Travelling and Daily Allowances of the elected representative of PRIs while they are on official tour.

iv) The State Government has provided facility of staying in Government rest houses while they are on official tour to the office bearers of Zila Parishad and Panchayat Samities.

v) ₹840/-per Chowkidar Gram Panchayat is provided to all the 3,243 Gram Panchayat in the shape of Grant-in-aid under State Finance Commission.

vi) A provision of ₹2.00 crore for construction/repair/up gradation has been made for Panchayat Ghars for the year 2013-14 under State Finance Commission.

vii) The rates of monthly remuneration of the Employees working on contract/ Regular basis in the Panchayat as are:- Panchayat Sahayak ₹ 5,910, Panchayat Secretary (Contractual) ₹ 7,810, Junior Accountant (Contractual) ₹7,810, (Regular) 5,910-20,200 + 1,900, Junior Engineer (Contratual) ₹14,100 (Regular) 10,300-34,800+3,800. Junior Stenographer (Contratual) ₹ 8,710, (Regular) ₹5,910-20,200+ 2,800. Assistant Engineer (Contratual) ₹ 21,000 (Regular) ₹15,660-39,100+5,400, Tailoring Teacher (Contratual) ₹ 1,600 Block Engineer ₹ 18,000, Panchayat Chowkidar ₹ 1,800 respectively.

viii) Two District namely, Chamba and Sirmaur are covered under the scheme Backward Region Grant Fund launched by Ministry of Panchayati Raj, Government of India. From the current financial year the Ministry of Panchayati Raj Government of India has enhanced the development grant annual entitlement from the existing ₹30.22 crore to ₹37.09 crore i.e. ₹20.43 crore for Chamba District and ₹16.66 crore for Sirmaur District. The State Government has made an advance provision of ₹34.00 crore in the Department Budget. Out of the above

provision the Department released the 1st instalment of 50% funds i.e. ₹10.22 crore to Chamba District and ₹ 8.33 crore to Sirmaur District in the month of July, 2013 whereas the MoPR has released the 1st instalment of 75% i.e. ₹15.51 crore for Chamba District in the Month of September,2013 and ₹12.28 crore for Sirmaur District in the Month of October,2013 The Department released the balance 25% funds i.e. ₹5.29 crore to Chamba District in the month of October,2013 and ₹3.95 crore to Sirmaur District in the month of November,2013. Due to late release of grant by the Government of India the 100% expenditure could not be achieved up to 15th November,2013.

ix) The Department has got a project approved under the Rajiv Gandhi Panchyat Sashkatikaran Abhiyan (RGPSA) from the Government of India for the current financial year on a sharing pattern of 75:25. Under the project an amount of ₹55.00 crore has been sanctioned and ₹ 15.83 crore has been received as first instalment during the current financial year. The State Government has also provided the share of ₹5.27 crore. The main activities to be undertaken under the project are as below:-

a. Upgradation of the existing 200 Gram Panchayat offices.
b. Providing 1,185 laptops to the Panchayats.
c. Exposure visits of elected representatives of the Panchayati Raj institutions and officials to other states and within the state.
d. Capacity Building and training of elected representatives and officials.

x) Under the award of 13th Finance Commission, an amount of ₹140.93 crore will be provided to the PRIs out of which an amount of ₹82.46 crore have already been released as the first instalment.

xi) Under Mission Mode Project (e-Panchayat Project) of the Government of India, 7 software applications out of proposed 12 core software applications have already been rolled out in the PRIs. The training to the officials of the Panchayats/ departments on these applications has been organized in the Panchayati Raj training institute Mashobra. The Panchayati Raj institutions have already started using these software applications. Under this project out of 13 sanctioned posts of Assistant Programmer 8 posts have been filled up. Out of 79 sanctioned posts of computer operators, 20 posts have been filled up. Process to fill up the remaining posts of Assistant Programmer and computer operator is underway. In addition to this, 3,243 posts of computer operator are being sanctioned for implementation of e-Panchayat Mission Mode Project.

22. INFORMATION AND SCIENCE TECHNOLOGY

Information and Technology

HIMSWAN

22.1 The State Wide Area Networks (SWAN) Scheme is one of three Core Infrastructure Components. The objective of the Scheme is to create a secure close user group (CUG) Government network for the purpose of delivering Government to Government (G2G) and Government to Citizen (G2C) services.

Status of HIMSWAN

Total 132 Points of Presence (PoPs) have been established. Status of PoPs is as follows:

- 132 POPs are operational
- Till date 1350 Government offices across the State are connected through this network.
- Third Party Audit Agency (TPA) is monitoring the Service Levels being adhered to by the HIMSWAN Operator.

State Data Centre

22.2 Under National e-Governance plan (NeGP), State Date Centre (SDC) has been identified as one of the core supporting components to consolidate services, applications and infrastructure to provide efficient electronic delivery of Government-to-Government (G2G), Government to Citizen (G2C) and Government to Business (G2B) services. These services can be rendered through common delivery platform seamlessly supported by core connectivity infrastructure such as State Wide Area Network (HIMSWAN) and Common Service Centre (CSC) connectivity extended down to Panchayat level. DIT HP constructed State Data Centre building for setting up of Data Centre facility. The SDC project would be setup through Public Private Partnership (PPP) model. The selected agency, named as SDC Operator, would setup SDC and operate & maintain the same for a period of five years.

Status of SDC

- Building of State Data Centre (SDC) is being constructed at Mehli and the necessary infrastructure required for setting up of SDC is being constructed by HIMUDA and is ready.
- RFP has been floated for selection of SDC operator.
- Bids have been received from 3 bidders and evaluation is in progress.

Setting up of Lok Mitra Kendra (Common Services Centres)

22.3 As per the scheme of Government of India, 3,366 centres are being established under Panchayats of the State by the name of Lok Mitra Kendra (LMK). At present, 3,007 LMK's have been identified and 2,362 LMK's are active. Two types of services are being provided by these centres: G2C (Government to citizen) and B2C (Business to citizen). Various G2C services which are being available through their Lok Mitra Kendra's (LMK) as :-

1. Issuance of Nakal Jamabandi.
2. Copies of Shajra Nasab.
3. E-Samadhan.
4. Electricity Bill collection.
5. Issuance of HRTC bus tickets .

6. I&PH water bills collection.
7. B.S.N.L. post-paid bill payment.
8. Aadhar letter Printing .
9. Agrisnet Advisories .
10. Four services of Himachal Pradesh Public Commission.
11. Eight services of Excise and Taxation Department.
12. 38 services through State Portal and State Services Delivery Gateway have been started through LMKs.

Upto December,2013 HPSEB bill generation through LMK is 50,26,283 which has generated revenue amounting to ₹201.13 crore. IPH bill generation is 2,90,827 which has generated revenue of ₹ 6.32 crore. HRTC generated 9,632 bills at a revenue of ₹71.21 lakh. BSNL generated 1,53,572 bills at a revenue of ₹ 5.96 crore and 9,58,963 Jamabandies transactions which generated revenue of ₹ 2.28 crore.

Apart from these G2C services, B2C services like Mobile & DTH recharges, Life Insurance, General Insurance, IT Training, PAN Card, Typing, CD Burning etc. are being provided by these LMKs.

State Portal and State Service Delivery Gateway

22.4 The Service delivery gateway is the core component in e-Governance infrastructure under the NeGP, which provides the facility for the citizens to apply online for various Government services and route the applications to concerned department offices electronically. 49 services of the 14 departments have been identified to be made available through the portal. The Portal and e-forms with the workflow for each of the service have been finalised and developed system has been implemented .

e-Service through SSDG:

1. Currently 38 services (Phase I & Phase II) of 11 State Government Departments have being made available to the citizens on the State Portal at www.eserviceshp.gov.in. These services are also available through LMKs.
2. MOU has been signed with NDML (An entity approved by Deit Y) for Central Payment Gateway and accordingly SSDG Portal has been integrated with Payment Gateway.

The services which require integrations with the backend applications of NIC are planned to be rolled out in Phase-III.

Capacity Building under NeGP

22.5 Under the Capacity Building scheme of Government of India, there are different components like training of Government employees, sourcing of technical and professional manpower for assisting the State Government in implementation of various e-Governance Projects.

1. STeP Programme was organized by the department in association with NISG on 27th to 29th December,2012 and 9th to 11th and 16th to 20th Sept,2013 on e-governance project life cycle change Management & project management to formulate technical support and specialized skills for e-governance to State level Policy & decision making bodies.

2. Upto December,2013, 2,291 employees have been trained under capacity building project.
3. Under SeMT, 7 employees were deployed through NeGD.
4. SeMT has prepared about 87 documents/reports for different departments under different e-Governance projects.

Computerization of 5 Welfare Corporations under Department of Social Justice & Empowerment

22.6 The project aims at computerizing the activities of all 5 Corporations namely SC/ST, Backward Classes, Women Development, Minority & Handicap Fin. & Development Corporations. The project is being implemented in PPP model.

Status of Project:

- Contract has been awarded to M/s Corpus Software (P) Ltd.
- The application has been launched on 17th September, 2012 and is live for all 5 welfare corporations.
- Go-Live sign off has been provided by SC & ST Corp. Solan and is pending with other Corporations.

Video Conferencing Based Learning Project for HIPA

22.7 Under this project Video conferencing facility has been established for providing training to Panchayat Secretaries and elected members at block level & HIPA.

Status of HIPAVC

- M/s Airtel is the implementing agency to supply & install the VC equipment in 80 locations across the State and operate & maintain the same for a period of five years from the date of commissioning of project.
- The project has been implemented and operational.
- Various departments are making use of this facility for official purpose.

Revenue Court Case Monitoring System (RCMS)

22.8 Revenue Court Case Monitoring Software has been developed by the Department of Information Technology for the use of Revenue Courts at Division, District, DM & Tehsil level. The system captures the routine proceedings of revenue courts, interim orders and Judgments. The details of the revenue cases are available online for the general public. The citizens can access the status of their cases online, see cause list and download interim orders/ judgments. About 20 reports, as per the requirements of Revenue Courts, can be generated through this software. RCMS is available at http://hp.gov.in/rcms.

Status of RCMS:

- Out of total 272 Revenue Courts registered in RCMS, 238 Nos. of Revenue Courts are using RCMS software.
- 17,835 judgements by 176 Nos. of Revenue Courts have been uploaded in RCMS.
- 48,304 court cases have been entered in the RCMS, and out of which 20,181 cases are decided.

Litigation Monitoring System

22.9 Monitoring of court cases at departmental level is a big challenge. Departmental of IT has got developed generic software for monitoring of court cases at the departmental level. Using

this software, Secretaries/ HoDs can easily monitor the status of the court case with regard to pending cases timely reply filling, present status, personal presence required etc. A separate module has been developed for Advocate General Office.

Status of LMS:

- The cases listed in the Hon'ble High court is being entered in the software.
- Advocate General Office is updating the status of cases on daily basis.
- All Government Departments are using LMS for viewing the daily status of their cases.
- Following features have been incorporated in LMS software:
- Sending intimation to the ADs/ HODs/ Nodal Officers of concerned Department Via e- Mail, SMS.
- Automatic generation of letters while entering case details of concerned department.
- Deletion / Transfer of cases option has been incorporated in the software.

e-Despatch

22.10 e-Despatch is an electronic mean to dispatch official letters. It is a web based software designed & developed specifically for the dispatch section of the government departments to send letters electronically through Fax/ E-mail/ and store online for future reference. SMS alerts also can be generated through this software to intimate field offices in advance to check their email / e-Despatch portal for urgent message / order. e-Despatch Portal is available at http://hp.gov.in/ed . The advantages of the e-Despatch s/w are:

- Fast delivery and instant receipt of letters
- Reduce Stationery and printer consumable costs
- No postage costs
- Archival of data/ letters online on server
- Reduced labour cost
- Elimination of Human Error

Status of e-Despatch:

- The application has been implemented successfully in HP secretariat with two way communication.
- All Departments/ Boards/ Corporations/ DCs are receiving letters through e-despatch software.
- Upto December,2013, 1,11,952 letters has been dispatched through e- Despatch software's.

Unique ID (Aadhaar)

22.11 Under this scheme, out of the total population of 68,64,602 in the state, 65,88,931 residents have been enrolled till 30-12-2013 and 62,90,434, Aadhaar have been generated.

In order to facilitate the residents and to leverage Aadhaar with government service delivery, to facilitate and implement DBT scheme following Software/ utilities have been developed:-

Aadhaar portal www.aadhaar.hp.gov.in which contains following features:

1. Online Aadhaar Search Portal.
2. Active Enrolment Station Check.
3. Enrolment ID online check status.
4. Self Seeding portal.
5. DBT portal.

Govt. of India has started Direct Cash Transfer scheme in which benefits will be disbursed to the beneficiaries into their bank accounts using Aadhaar based payment system implemented from 1st January, 2013. Under DBT programme, an amount of ₹17.46 crore (approx) has already been transferred successfully into the Aadhaar enabled bank accounts of 20,253 beneficiaries under various Government schemes.

e-Office

22.12 e-Office is a product that is aimed at imparting the government functioning through more efficient, effective and transparent inter-government and intra-government transactions and processes.

- Initially e-Office will be implemented in DIT, IPH and Police Department of Himachal Pradesh.
- Implementation process is in progress.

Public Distribution System Project

22.13 In order to strengthen the Public Distribution System, Government of India has formed a National Food Security Act which will bring efficiency and transparency in the existing PDS process. Under this programme, the oldest women in the family will be the head of the family and accordingly, new Ration Cards are required to be distributed. The new Ration Card will be Aadhaar linked and after digitizing the Ration Card data will be issued to the beneficiaries.

Current Status

Aadhaar linking with e-PDS application is under process where Aadhaar KYR data along with Photograph will be available and help in identifying duplicate and bogus records.

- New Aadhaar linked Ration Card form as per National Food Security Act, 2013 has been designed and distributed and data collection of PDS beneficiaries is in process,.
- Digitization of Stakeholder records has been completed and implementation of Supply Chain Automation is in process.

e-Peshi-Video Conferencing Facility in District Courts, Jails and other Governments of Himachal Pradesh

22.14 The facility would eliminate the need for taking prisoners to court and with facilitate faster delivery of justice.

Status:

- Contract has been awarded to M/s Bharti Airtel Services Ltd.
- Request from other departments are also being received for setting up of VC facility.
- Supply Order has been issued to IA for supply, installation and maintains the same for 5 years at various locations across the state.
- Installation of VC facility in various locations is in progress.

e- District

22.15 e–District Project is a Mission Mode Project (MMP), that aims to provide integrated citizen centre services. e–District project envisages integrated and seamless delivery of citizen services by district administration through automation of workflow, backend computerisation, and data digitisation across participating departments. Front-ends under the

scheme, in the form of citizen facilitation centres, are envisioned to be setup at District, Tehsil, Sub-division and block levels. Village-level front–ends would be established through Common Service Centre (CSCs) for delivery of services.

e- District MMP Status

Request for proposal (RFP) for selection of system integrator (SI) for roll out of e-District MMP was released on 9th December 2013. The process of finalisation of vendor for system integrator is under process.

NeGP-A

22.16 The Department of Agriculture and Cooperation (DAC), Ministry of Agriculture is implementing National e-Governance Programme (NeGP) in the Agriculture sector as a Mission Mode Project (A-MMP) covering Agriculture Sector, Livestock Sector and Fisheries sector. 12 Cluster of services identified under this project.

Status:

- **Site Preparation** : Out of 305 locations for which order has been placed, 295 locations work has been completed.
- **Hardware Supply Status**: 99% of the Hardware has been supplied by hardware vendor to all the 193 locations where hardware to be supplied.
- **Hardware installation status**: Hardware has been installed in 186 locations out of 193 locations as per Acceptance Testing procedure (ATP).

PART – II

STATISTICAL TABLES

Units of measurement and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

..	..	Not available
-	..	Nil or negligible
P	..	Provisional
R	..	Revised

CONTENTS

Tables		Page
1. Selected Indicators 1950-51 to 2012-13	..	1
2. Gross and Net State Domestic Product	..	2
3. Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product	..	3
4. Gross State Domestic Product at. Factor cost at current prices		4
5 Gross State Domestic Product at Factor cost at Constant prices	..	5
6. Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product at constant prices		6
7. Salient Features of Population in Himachal Pradesh	..	7
8. District-wise Area, Population, Sex Ratio and Density of Population		7
9. Sex wise Rural- Urban Population-2011 Census	..	8
10. Production of Principal Crops	..	8
11. Consumption of Fertilizers in Terms of Nutrients	..	9
12. Area under High Yielding Variety Crops		10
13. District-wise Number and Area of Operational Holdings, 2005-06	..	11
14. Livestock and Poultry	..	11
15. Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	..	12
16. Area under Forests	..	12
17. Fair Price Shops	..	13
18. L.P.G. Consumer in H.P.		13
19. District –wise Petrol / Diesel Retail Outlets in H.P.		14
20. District –wise / Company-wise Detail of Gas Agenices		14
21. Co-operation		15
22. Generation and Consumption of Electricity		16
23. Area Under Fruits	..	17
24. Production of Fruits	..	17
25. Himachal Pradesh Government Employees	..	18
26. Tourist Arrival for the year 2012		18
27. Education	..	19
28. Medical and Public Health	..	19
29. Roads	..	20
30. Nationalized Road Transport	..	20
31. Consumer Price Index Numbers in H.P.	..	21
32. All-India Index Numbers of Wholesale Prices	..	22
33. Incidence of Crimes	..	22
34. Plan Outlays	..	23

TABLE – 1
SELECTED INDICATORS 1950-51 TO 2012-13

Items	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ECONOMIC INDICATORS													
GDP at factor cost:													
(i) At current prices (Rs. In Crore)	27.00*	48.00*	223.00*	794	2815.19	5661.18***	24077****	33963	41483	48189	56980	649572	73710
(ii)At constant prices (Rs. In Crore)	..	..	..	794**	1285.37**	5004.21***	24077****	30917	33210	35897	39054	41908	44480
Per capita income at													
Current prices(Rupees)	240	359	651	1704	4910	22795***	33349****	43966	49903	58402	68297	75185	83899
Constant prices(Rupees)	..	..	..	1704**	2241**	21959***	33349****	40143	41666	43492	46682	49203	51730
OUTPUT													
(a) Foodgrains (Lakh tonnes)				11.58	14.33	11.12	14.88	14.41	12.27	11.11	14.94	15.44	15.68
(b) Electricity generated (Million units)	0.4	..	52.8	245.10	1262.4	1153	1295	1865	2075	1804	2045	1906	1815
Wholesale Price Index	..	..	..	..	..								
(Base 2004-05=100)		-				–	100.0	116.5	125.9	130.8	143.3	156.1	167.6
Consumer Pirce Index	..	..		..									
(Base 2001=100)					189	436	493	127*****	138*****	151*****	163*****	175*****	193*****
SOCIAL INDICATORS													
Population													
Population(in lakhs)	11.09	28.12	34.6	42.81	51.17	60.78	63.54	65.67	66.36	67.02	67.67	69.01	69.71
Annual Population Growth	0.54	1.79	2.30	2.37	2.07	1.75					1.28		
Education													
Literacy rate(Percentage)													
(a) Male	7.5	27.2	42.3	53.19	75.36	85.3					89.53		
(b) Female	2.9	6.2	20.04	31.46	52.13	67.4					75.93		
Total	4.8	17.1	31.32	42.48	63.86	76.5					82.82		

*** Net State Domestic Product.**
**** At 1980-81 prices.**
***** At 1999-2000 prices**
******(2004-05 onwards At 2004-05 prices)**
*******Base 2001=100**
Source:-Economics & Statistics Department.

TABLE - 2

GROSS AND NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	GSDP at factor cost (Rs. Crore)		Net SDP at factor cost (Rs. Crore)		Per Capita Net State Domestic Product/Per Capi income (Rs.)	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At consta prices
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	
1960-61*	48	35	48	35	359	
1966-67*	138	91	138	91	440	
1970-71*	223	223	223	223	651	
1980-81	794	794	723	723	1704	
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	
New series (Base 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	848
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	880
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	914
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	962
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	1013
New series (Base1999-2k)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	2080
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	2182
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	2254
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	2323
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	2437
New series (Base2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	3334
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	3580
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	3819
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	4014
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	4166
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	4349
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	4668
2011-12(R)	64957	41908	51885	33955	75185	4920
2012-13(Q)	73710	44480	58489	36063	83899	5173

Source:-Economics & Statistics Department.

Note:- * Net State Domestic Product.

TABLE - 3

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT/ NET STATE DOMESTIC PRODUCT & PER CAPITA INCOME

(AT CURRENT & CONSTANT PRICES)

(Percent)

Year	GSDP at factor cost		Net SDP at factor cost		Per Capita Net State Domestic Product	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant Prices
1	2	3	4	5	6	7
Old series						
(Base 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(Base 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(Base1999-2k)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
New series						
(Base2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
2011-12(R)	14.0	7.3	12.3	7.5	10.1	5.4
2012-13(Q)	13.5	6.1	12.7	6.2	11.6	5.1

Source:-Economics & Statistics Department

TABLE – 4
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
(At current prices) (Rs. In crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi-cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	19	2	2	2	2	27
1960-61*	30	5	3	3	7	48
1966-67*	104	24	16	6	21	171
1970-71*	131	37	18	9	28	223
Old series (Base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	448	178	79	90	130	925
1982-83	437	206	85	103	156	987
1983-84	525	220	102	111	169	1127
1984-85	489	224	105	121	200	1139
1985-86	576	312	123	132	228	1371
1986-87	615	339	145	150	268	1517
1987-88	627	416	168	162	349	1722
1988-89	781	549	204	196	427	2157
1989-90	895	568	229	237	506	2435
1990-91	987	746	260	266	556	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	3824
(Base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	10696
(Base1999-2k)						
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	20721
(Base2004-05)						
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	56980
2011-12(R)	12328	26248	9902	5164	11315	64957
2012-13(Q))	14536	28266	11179	6119	13610	73710

Source:-Economics & Statistics Department.
Note:- * Net State Domestic Product.

TABLE – 5
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCTAT FACTOR COST
(At constant prices)

(Rs. Crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	19	2	2	2	2	27
1960-61*	20	5	3	0	7	35
1966-67*	57	18	9	4	13	101
1970-71*	131	37	18	9	28	223
Old series						
(Base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	405	164	72	84	116	841
1982-83	355	173	74	88	128	818
1983-84	396	168	81	92	124	861
1984-85	343	161	78	95	137	814
1985-86	387	207	85	100	147	926
1986-87	417	208	95	113	158	991
1987-88	360	235	98	119	188	1000
1988-89	400	288	108	116	212	1124
1989-90	488	265	112	139	234	1238
1990-91	484	316	117	141	227	1285
1991-92	465	323	124	152	226	1290
1992-93	469	362	135	162	234	1362
(Base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	6792
(Base1999-2k)						
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772	17925
(Base2004-05)						
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	39054
2011-12(R)	7225	16825	7021	3867	6970	41908
2012-13(Q)	7914	17394	7456	4052	7664	44480

Source:-Economics & Statistics Department.

Note: - * Net State Domestic Product.

TABLE - 6

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (At constant prices)

(Percent)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi -cation & trade	Banking & insurance real estate & owner-ship of dwelling business services	Public administ-ration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
Old series(Base 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	-2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	-5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7.0
1987-88	13.7	13.0	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	-0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(Base 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	-2.5	9.6
1995-96	2.0	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8.0	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(Base1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	-2.6	-1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	-1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3.0	8.1
(Base 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	-0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	-0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	-10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
2011-12(R)	-3.6	5.2	17.0	8.1	16.3	7.3
2012-13(Q)	9.5	3.4	6.2	4.8	10.0	6.1

Source:-Economics & Statistics Department.

TABLE-7

SALIENT FEATURES OF POPULATION IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

Source:- Census of India 1951,1961,1971,1981,1991,2001and 2011.

TABLE-8

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION 2011 CENSUS

District	Area (sq.kilometres)	Population	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometer
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	1,167 (2.10)	3,81,956 (5.56)	981	327
Chamba	6.522 (11.71)	519,080 (7.56)	986	80
Hamirpur	1,118 (2.01)	4,54,768 (6.63)	1095	407
Kangra	5,739 (10.31)	15,10,075 (22.00)	1012	263
Kinnaur	6,401 (11.50)	84,121 (1.23)	819	13
Kullu	5,503 (9.88)	4,37,903 (6.38)	942	80
Lahaul-Spiti	13,841 (24.86)	31,564 (0.46)	903	2
Mandi	3,950 (7.09)	9,99,777 (14.56)	1007	253
Shimla	5,131 (9.22)	8,14,010 (11.86)	915	159
Sirmaur	2,825 (5.07)	5,29,855 (7.72)	918	188
Solan	1,936 (3.48)	5,80,320 (8.45)	880	300
Una	1,540 (2.77)	5,21,173 (7.59)	976	338
H.P.	55,673(100.00)	68,64,602 (100.00)	972	123

Source:- Census of India,2011 Census.

TABLE-9

SEX WISE RURAL-URBAN POPULATION-2011 CENSUS

District	Population								
	Rural			Urban			Total		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Bilaspur	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
Chamba	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
Hamirpur	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
Kangra	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
Kinnaur	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
Kullu	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
L-Spiti	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
Mandi	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
Shimla	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
Sirmaur	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
Solan	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
Una	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
H.P.	3110345	3065705	6176050	371528	317024	688552	3481873	3382729	6864602

Source:- Census of India-2011

TABLE-10

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(In '000 tonnes)

Crops	2010-11	2011-12	2012-13 (Tentative)	2013-14 (Anti.Ach.)	2014-15 (Target)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS:					
A. Cereals:					
1. Rice	128.92	131.63	125.28	111.11	130.00
2. Maize	670.90	715.42	657.16	704.95	740.00
3. Ragi	2.11	2.80	2.50	2.84	3.00
4. Small Millets	3.28	3.31	3.55	3.72	5.00
5. Wheat	614.89	629.09	696.91	639.00	667.00
6. Barley	32.17	31.46	36.25	36.00	36.00
Total-Cereals	**1452.27**	**1513.71**	**1521.65**	**1497.62**	**1581.00**
B. Pulses:					
1. Gram	0.60	0.66	0.49	2.50	2.50
2. Other Pulses	40.99	30.12	45.58	16.21	19.00
Total pulses	**41.59**	**30.38**	**46.07**	**18.71**	**21.50**
Total-Foodgrains	**1493.86**	**1544.49**	**1567.72**	**1516.33**	**1602.50**
Commercial Crops					
1. Potato	205.97	152.98	182.87	187.50	190.00
2. Vegetables	1268.90	1356.60	1398.05	1380.40	1400.00
3. Ginger (Dry)	1.56	3.15	1.69	2.60	4.00

Source:- Directorate of Agriculture Himachal Pradesh.

TABLE-11

CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN TERMS OF NUTRIENTS

(M.T.)

Year/ District	Kharif (N+P+K)	Rabi (N+P+K)	Total (N+P+K)
1	2	3	4
2005-06	19197	28776	47973
2006-07	18592	30389	48981
2007-08	20597	29361	49958
2008-09	23768	33595	57363
2009-10	20874	32364	53238
2010-11	19811	35322	55133
2011-12	21332	30151	51483
2012-13	19846	27818	47664
District- Wise			
Bilaspur	1337	898	2235
Chamba	729	396	1125
Hamirpur	1600	880	2480
Kangra	3439	5049	8488
Kinnaur	39	177	216
Kullu	1283	2792	4075
Lahaul-Spiti	217	129	346
Mandi	2533	3000	5533
Shimla	2368	7017	9385
Sirmaur	1672	2006	3678
Solan	1927	1477	3404
Una	2702	3997	6699

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

Note:

N : Nitrogenous
P : Phosphatic
K : Potassic

TABLE-12

AREA UNDER HIGH YIELDING VARIETY CROPS

('000 Hect.)

Year	Wheat	Paddy	Maize
1	2	3	4
2001-02	346.72	74.53	231.58
2002-03	313.23	64.73	192.10
2003-04	364.07	78.90	222.19
2004-05	353.29	75.21	242.76
2005-06	346.15	70.94	273.14
2006-07	349.60	72.65	280.61
2007-08	332.09	73.56	280.31
2008-09	325.22	74.61	280.51
2009-10	328.00	76.00	296.50
2010-11	327.00	75.20	278.65
2011-12	330.35	75.08	279.05
2012-13	335.35	75.70	288.15
District- Wise			
Bilaspur	25.60	1.50	28.15
Chamba	20.88	2.20	25.00
Hamirpur	30.95	2.15	29.00
Kangra	89.98	37.00	55.70
Kinnaur	0.35	0.05	0.50
Kullu	18.99	1.25	14.70
Lahaul-Spiti	0.10	0.00	0.00
Mandi	58.51	19.60	47.55
Shimla	16.48	1.75	14.75
Sirmaur	24.41	5.00	24.09
Solan	20.20	2.90	21.90
Una	28.90	2.30	26.81

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

TABLE-13

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS (2005-06 Census)

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	56097	51727
Chamba	70012	55090
Hamirpur	72926	73541
Kangra	230416	203920
Kinnaur	10507	14442
Kullu	67753	42400
Lahaul & Spiti	4152	6410
Mandi	149654	128932
Shimla	109868	124618
Sirmaur	49046	99183
Solan	50145	86922
Una	62807	81160
Himachal Pradesh	**933383**	**968345**

Source: - Directorate of Land Records, H.P.

TABLE-14

LIVESTOCK AND POULTRY

(In thousands)

Category	1997	2003*	2007*
1.	2.	3.	4.
A. Livestock:			
1. Cattle	2,002	2,196	2,269
2. Buffaloes	652	773	762
3. Sheep	909	906	901
4. Goats	947	1,116	1,241
5. Horses and ponies	22	17	13
6. Mules and donkeys	31	33	26
7. Pigs	5	3	2
8. Other livestock	3	2	2
Total-Livestock	**4571**	**5,046**	**5,216**
B. Poultry	385	764	809

Source:- Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.
*Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

TABLE-15

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber(Standing volume '000 cu. Metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other produce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2000-01	342.0	2,756	47,504	1,362	73,775
2001-02	371.6	6,994	46,806	729	79,945
2002-03	367.3	5,386	55,709	462	1,09,138
2003-04	334.1	6,993	47,682	993	50,586
2004-05	433.1	18,994	50,389	972	46 423
2005-06	414.1	4,800	64,177	983	62 362
2006-07	236.3	4,175	75,347	818	61 670
2007-08	246.9	736	48,612	1,003	41 659
2008-09	228.0	130	56,117	1,070	49 171
2009-10	277.9	173	62,512	932	1 33 282
2010-11	245.4	143	1,03,258	881	1.17 738
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80.141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1.68,374

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.

*Firewood extracted/collected includes charcoal also.

Note :- Value of Medicinal-herbs is estimated and does not include Medicinal-herbs extracted/ sold through Panchayats.

TABLE-16

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2000-01	1,896	33.043	977	369	748	37,033
2001-02	1.896	33.043	977	369	748	37,033
2002-03	1,896	33.043	977	369	748	37,033
2003-04	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2004-05	1,896	33,043	977	369	748	37,033
2005-06	1,896	33,043	977	369	748	37.033
2006-07	1,898	33,060	977	369	729	37,033
2007-08	1,898	33,130	886	369	750	37,033
2008-09	1,898	33,130	886	369	750	37,033
2009-10	1,898	33.130	886	369	750	37,033
2010-11	1.898	33,130	886	369	750	37,033
2011-12	1,898	33.130	886	369	750	37.033

Source:- Forest Department Himachal Pradesh.

TABLE-17

FAIR PRICE SHOPS

(As on 30-11-2013)

District	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	4
Bilaspur	211	12	223
Chamba	468	18	486
Hamirpur	265	26	291
Kangra	980	41	1021
Kinnaur	56	-	56
Kullu	398	30	428
Lahaul-Spiti	66	-	66
Mandi	733	34	767
Shimla	461	64	525
Sirmaur	300	25	325
Solan	259	43	302
Una	264	27	291
Total	4461	320	4781

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-18

L.P.G.CONSUMER IN H.P.

(As on 30.11.2013)

District	SBC	DBC	Total
1.	2.	3.	4.
Bilaspur	30321	31003	61324
Chamba	25380	17452	42832
Hamirpur	55849	51385	107234
Kangra	197528	140694	338222
Kinnaur	16795	14169	30964
Kullu	37976	50053	88029
Lahaul & Spiti	3706	6450	10156
Mandi	91485	82132	173617
Shimla	84741	133648	218389
Sirmaur	33028	33420	66448
Solan	60427	82755	143182
Una	45512	58784	104296
Himachal Pradesh	682748	701945	1384693

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-19

DISTRICT- WISE PETROL/ DIESEL RETAIL OUTLETS IN H.P.

(As on 30.11.2013)

District	IOC	BPC	HPC	AOD	Reliace	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bilaspur	14	7	6	1	-	28
Chamba	8	3	3	-	-	14
Hamirpur	11	5	12	-	-	28
Kangra	40	10	13	1	-	64
Kinnaur	3	-	2	-	-	5
Kullu	10	4	4	-	-	18
Lahaul & Spiti	2	-	-	-	-	2
Mandi	28	8	6	-	1	43
Shimla	10	3	12	-	-	25
Sirmaur	9	4	4	-	-	17
Solan	25	8	7	-	-	40
Una	16	7	6	-	-	29
H.P.	176	59	75	2	1	313

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-20

DISTRICT- WISE / COMPANY- WISE DETAIL OF GAS AGENICES

(As on 30.11.2013)

District	IOC	HPC	BPC	Total
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	5	1	-	6
Chamba	5	-	1	6
Hamirpur	5	-	-	5
Kangra	19	5	2	26
Kinnaur	3	1	-	4
Kullu	5	1	2	8
Lahaul & Spiti	2	-	1	3
Mandi	12	-	2	14
Shimla	20	2	1	23
Sirmaur	8	-	-	8
Solan	10	3	1	14
Una	4	2	-	6
H.P.	98	15	10	123

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-21

CO-OPERATION

Item	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	2	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,097	2,110	2,117	2,115
Non-Agricultural	2,454	2,500	2,542	2,594
Urban banks	5	5	5	5
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	31	34	41	41
TOTAL	**4,591**	**4,653**	**4,709**	**4,759**
II.Membership('000)				
Agricultural societies	1,068	1,128	1,104	1,127
Non-Agricultural Societies	231	269	326	306
Urban banks	20	21	22	23
State and Central banks	80	80	80	82
Other secondary societies	3	3	3	4
TOTAL	**1,402**	**1,501**	**1,535**	**1,542**
III..Working Capital(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	157723.80	190235.60	235124.26	287771.77
Non-Agricultural Societies	56088.21	68075.06	64913.73	70457.63
Urban banks	34524.88	40367.25	45962.80	53653.68
State & Central banks	1,121718.61	1279751.80	1,400672.22	1513173.58
Other secondary societies	12149.55	12770.59	12213.83	11305.88
TOTAL	**1382205.05**	**1591200.30**	**1758886.84**	**1936362.54**
IV.Loans Advanced(lakh Rs.)				
Agricultural societies	27104.51	31538.47	38431.84	46279.25
Non-Agricultural societies	1,869.30	7808.23	8476.68	8780.86
Urban banks	7986.84	17441.58	47343.47	64912.70
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	206801.63	570916.65	316117.57	193992.62
V..Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	34415.43	40711.44	50126.07	59692.21
Non-Agricultural societies	10263.38	11764.00	13507.61	14598.44
Urban banks	17757.80	19308.68	22307.25	27479.98
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	360992.57	457305.44	533883.52	602024.46

Source:- Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-22

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(MU)

Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 *Up to Dec.2013**
1.	2.	3.	4.	5.
1.Electricity generated	**2045.260**	**1905.630**	**1815.480**	**1690.081**
2.Electricity purchased from BBMB & other States	**7381.420**	**7574.166**	**7957.290**	**6215.494**
3.Energy Consumed: Within the State	**6641.770**	**6918.025**	**7223.520**	**5723.863**
(a) Domestic	1282.500	1407.291	1618.450	1349.129
(b) Non Domestic &Non-Comm.	89.880	98.500	106.820	75.782
(c) Commercial	356.530	387.203	408.730	349.332
(d) Public lighting	12.500	12.984	13.910	8.860
(e) Agriculture	35.100	36.167	46.620	32.255
(f) Industries	4195.160	4314.567	4379.330	3442.931
(g) Govt. Irrigation & Water Supply Scheme	409.900	439.976	453.980	345.992
(h) Temporary Supply	24.600	28.460	25.900	19.174
(i) Bulk & Misc.	235.600	192.877	169.780	100.408
4. Outside the State	**1704.610**	**1597.440**	**1171.400**	**1770.519**
Total Consumed:	**8346.380**	**8515.465**	**8394.920**	**7494.382**

- Figures are Tentative,

Source: - State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-23

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2000-01	90,347	32,801	16,619	39,627	37,832	2,17,226
2001-02	92,820	33,161	16,956	40,174	39,700	2,23,035
2002-03	81,630	24,271	10,700	19,784	39,821	1,76,206
2003-04	84,112	24,885	10,939	20,261	42,244	1,82,441
2004-05	86,202	25,235	11,100	20,402	43,964	1,86,903
2005-06	88,560	25,533	11,210	20,730	45,635	1,91,668
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	1,97,445
2007-08	94,726	26,341	11,181	21,373	46,881	2,00,502
2008-09	97,438	26,546	11,096	21,588	47,961	2,04,629
2009-10	99,564	26,875	11,037	22,050	48,628	2,08,154
2010-11	1,01,485	27,091	11,022	22,305	49,392	2,11,295
2011-12	1,03,644	27,472	11,039	22,396	50,023	2,14,574
2012-13	1,06,440	27,637	10,902	22,809	50,515	2,18,303

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-24

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2001-02	180.53	29.42	2.91	20.46	30.12	263.44
2002-03	348.26	63.13	3.26	16.03	28.95	459.63
2003-04	459.49	40.93	3.57	28.12	27.86	559.97
2004-05	527.60	60.20	3.73	28.55	71.93	692.01
2005-06	540.35	48.69	3.27	29.16	74.03	695.50
2006-07	268.40	35.65	2.91	12.67	49.47	369.10
2007-08	592.58	53.91	2.92	24.67	38.76	712.84
2008-09	510.16	39.93	3.55	26.01	48.43	628.08
2009-10	280.11	37.08	2.81	28.14	34.10	382.24
2010-11	892.11	61.38	3.62	28.67	42.04	1027.82
2011-12	275.04	31.18	2.49	25.03	39.08	372.82
2012-13	412.39	55.02	2.81	24.32	61.16	555.70
2013-14 up to Dec.2013	738.72	46.34	1.89	13.11	28.24	828.30

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-25

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

As on 31st March	Regular	Part time Employees	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
2001	1,39,882	9,794	31,001	46,455
2002	1,44,446	9,655	28,653	45,125
2003	1,47,039	13,163	29,205	38,774
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337

Note:- The Figures of Contract, Ad-hoc and Volunteer Employees not included.
Source: - Economics & Statistics Department, Himachal Pradesh.

TABLE-26

TOURIST ARRIVAL FOR THE YEAR 2012

District	Indian	Foreigner	Total
1.	2.	3.	4.
Bilaspur	977502	134	977636
Chamba	954518	974	955492
Hamirpur	683202	3	683205
Kangra	2190302	115109	2305411
Kinnaur	445334	14860	460194
Kullu	3082545	143900	3226445
Lahaul & Spiti	396662	47413	444075
Mandi	798461	9068	807529
Shimla	3195332	158671	3354003
Sirmaur	948654	3088	951742
Solan	867890	6818	874708
Una	1105646	246	1105892
H.P.	**15646048**	**500284**	**16146332**

Source: Tourism and Civil Aviation Department, Himachal Pradesh

TABLE-27

EDUCATION

	2013-14 up to Dec.2013
1.	2.
No. of Educational Institutions (Functional):	
1. Primary	10,739
2. Middle	2,349
3. High Schools	827
4. Senior Secondary Schools	1,370
5.Degree colleges	72
Total	**15,357**

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-28

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (Up to Dec.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Allopathic institutions					
(i) No. of Institutions					
(a)Hospitals	52	52	53	53	55
(b)Primary Health Centers	449	453	472	474	476
(c).Community Health Centers	73	77	76	78	77
(d)ESI Dispensaries	23	23	10	11	11
TOTAL	**597**	**605**	**611**	**616**	**619**
(ii) Beds available	**9174**	**9173**	**9702**	**9702**	**9754**
2. Ayurvedic institutions					
(i) No. of Institutions					
(a)Hospitals	27	27	28	30	30
(b)Nature Cure Hospital	1	1	1	1	1
(c)Dispensaries/ Health Centres	1104	1105	1109	1108	1108
(d) Ayurvedic Pharmacies	3	3	3	3	3
(e)Research Institution	1	1	1	1	1
TOTAL	**1136**	**1137**	**1142**	**1143**	**1143**
(ii).Beds available in Ayurvedic Institutions	**786**	**786**	**856**	**911**	**911**
3. No. of Unani Dispensaries	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
4. No. of Homoeopathy Dispensaries	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

ource: - Directorate of Health & Family Welfare and Ayurveda, Himachal Pradesh.

TABLE-29

ROADS

(In Kilometer)

Type of road	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 Up to Dec.,2013.
1.		3.	4.	5.	6.
1.Motorable double lane	2,384	2,403	2,411	2,415	2,415
2.Motorable single lane	28,832	29,464	29,999	30,550	30,910
3.Jeepable	300	290	276	260	250
4.Less than Jeep able	1,655	1,565	1,483	1,422	1,370
Total	**33,171**	**33,722**	**34,169**	**34,647**	**34,945**

Source:-Public Works Department Himachal Pradesh.

Note- Figures include National Highways also.

TABLE-30

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles					No. of routes under operation	Distance Covered ("000 kilometers)
	Buses	Attached Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
2000-01	1,728	-	10	61	1,799	1,733	140,941
2001-02	1,753	-	10	69	1,832	1,747	142,513
2002-03	1,711	-	10	64	1,785	1,784	142,306
2003-04	1,745	-	11	63	1,819	1,811	143,361
2004-05	1,652	57	12	63	1,784	1,830	145,041
2005-06	1,645	57	13	64	1,779	1,855	1,49,514
2006-07	1,763	79	11	64	1,917	1,870	1,54,657
2007-08	1,896	75	11	67	2,049	1,927	1,07,674
2008-09	1,881	27	11	64	1,983	1,975	1,61,862
2009-10	2,005	21	10	72	2,108	2,004	1,62,855
2010-11	1,979	17	13	84	2,093	2,148	1,65,546
2011-12	2,024	0	13	80	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	16	38	2,145	2,077	1,66,503
2013-14 Up to October,2013	1,988	32	17	35	2,072	2,151	1,00,739

Source:-Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE-31

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base: 1982=100	
	General Index	Food Index
1.	2.	3.
2000	430	439
2001	447	449
2002	454	448
2003	466	456
2004	488	476
2005	510	492
2006*	120	121
2007*	126	129
2008*	135	141
2009*	147	158
2010*	161	177
2011*	172	188
2012*	188	205
2013*		
January	198	213
February	199	213
March	199	214
April	201	216
May	205	221
June	208	226
July	213	233
August	214	233
September	215	235
October	217	236
November	218	241
December		

Source: -Labour Bureau, Government of India.

*(Base: 2001=100) Link factor= 4.53 for conversion to the Base.

TABLE-32

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

Items	(Base 2004-05=100)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ALL COMMODITIES	126.0	130.8	143.3	156.1	167.6
I. Primary articles:	137.5	154.9	182.4	200.3	220.0
A. Food articles:	134.8	155.4	179.6	192.7	211.8
B. Non-food articles	129.2	136.2	166.6	182.7	201.9
C. Minerals	186.5	202.9	253.3	320.7	346.9
II. Fuel, power, light & lubricants	135.0	132.1	148.3	169.0	186.5
III. Manufactured products	120.4	123.1	130.1	139.5	147.1
A. Food products	119.9	136.1	141.2	151.2	163.5
B. Beverages, tobacco& tobacco products	128.3	136.2	146.2	163.3	175.3
C. Textiles	103.2	106.7	119.6	128.5	131.4
D. Wood & wood products	130.7	143.3	149.0	161.0	171.0
E. Paper & paper products	116.3	118.9	125.2	131.9	136.6
F. Leather & leather products	122.3	128.4	127.1	130.0	134.2
G. Rubber & plastic products	117.3	118.2	126.1	133.6	137.5
H. Chemical & chemical products	118.1	117.8	124.0	134.7	143.6
I. Non-metallic mine products	131.7	140.9	144.6	152.9	163.3
J. Basic metals, alloys & metal products	138.0	129.5	140.7	156.3	166.1
K. Machinery & machine tools including electrical machinery	117.4	118.0	121.3	125.1	128.4
L. Transport equipment & parts	113.3	116.8	120.3	124.6	129.8

Source :- Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

TABLE-33

INCIDENCE OF CRIMES

District/Other	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	2	3	4	5	6	7
Bilaspur	1,305	1,282	1328	1236	1098	1238
Chamba	1,024	999	911	973	821	841
Hamirpur	1,134	1,150	1218	1005	1033	982
Kangra	2,979	3,281	3265	3443	3505	3203
Kinnaur	220	280	260	335	236	180
Kullu	1,634	1,504	1182	2197	1053	1218
Lahaul-Spiti	146	138	140	173	159	121
Mandi	2,768	2,510	2383	2019	2168	2101
Shimla	2,412	2,232	2222	3312	1892	1888
Sirmaur	1,140	1,102	1067	1106	1149	1015
Solan	1,770	1,017	1002	1145	928	959
Una	1,503	1,324	1331	1142	1118	1216
Railway & Traffic	8	10	19	28	15	20
CID	-	6	14	28	29	44
Baddi	-	583	467	733	733	707
Himachal Pradesh	**18,043**	**17,418**	**16809**	**18875**	**15937**	**15733**

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

TABLE-34
PLAN OUTLAYS

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Major/Minor Head of Development	Approved Outlay (2013-14)
1	2	3
	A ECONOMIC SERVICES	
I	**Agriculture and Allied Services**	
	1.Agriculture	144.41
	2.Horticulture	24.45
	3.Soil & Water Conservation	62.97
	4.Animal Husbandry	44.00
	5.Dairy Development	0.50
	6.Fisheries	6.61
	7.Forestry & Wildlife	129.03
	8.Agricultural Research & Education	102.72
	9. Co-operation	1.33
	10. Horticulture Marketing	14.82
	Total-I	**530.84**
II	**Rural Development**	
	1. DRDA Administration	3.20
	2. Indira Awaas Yojna	8.08
	3. National Employment Guarantee Act Prog.	77.08
	4. Normal / Special SGSY/NRLM	4.39
	5. Desert Development Programme	0.35
	6. IWMP	15.61
	7. Land Reforms	8.45
	8. Community Development and Panchayats	52.37
	Total-II	**169.53**
III	**Special Areas Programmes**	
	1. Border Areas Programmes	22.00
	Total-III	**22.00**

TABLE-34 – Contd.....

(Rs. in Croire)

1	2	3
IV	Irrigation and Flood Control	
	1. Major and Medium Irrigation	91.00
	2. Minor Irrigation	138.49
	3. Command Area Development	20.00
	4. Flood Control(incl.flood protec.works)	51.65
	Total - IV	**301.14**
V	Energy	
	1. Power	622.61
	2. Non-conventional Sources of Energy	2.07
	Total - V	**624.68**
VI	Industry and Minerals	
	1. Village and Small Industries	35.28
	2. Other Industries (other than VSI)	13.47
	3. Minerals	0.06
	Total- VI	**48.81**
VII	Transport	
	1. Civil Aviation	1.03
	2. Roads and Bridges	812.50
	3. Road Transport	51.01
	4. Rail Transport	0.50
	5. Other Transport services	0.10
	Total-VII	**865.14**
VIII	Science, Technology and Environment	
	1 . Scienctific Research	7.20
	2. Ecology and Environment	0.52
	3. Information Technology	8.00
	Total- VIII	**15.72**
IX	General Economic Services	
	1. Secretariat Economic Services	4.00
	2. Excise Taxation	0.50
	3. Tourism	28.20
	4. Civil Supplies	0.04
	5. Other General Economic Services	
	a. Weights and Measures	0.01
	b. District Planning / District Councils	65.47
	Total-IX	**98.22**

TABLE-34 – Concld......

(Rs. in Crore)

1	2	3
	B. Social Services	
	1. General Education	459.10
	a) Elementary Education Literacy	249.46
	b) Secondary Education	97.70
	c) Higher Education	111.94
	2. Technical Education	52.00
	3. Sports Youth Services	13.18
	4. Art Culture	3.67
	5. Health and Family Welfare	262.50
	6. Water Supply Sanitation	182.47
	7. Housing including Police Housing	63.55
	8 .Urban Development	115.04
	9. Information Publicity	0.83
	10. Welfare of SCs, STs OBCs	58.42
	11. Labour Employment	0.69
	12. Social Welfare	125.15
	13. Nutrition	32.40
	14. Other Social Services	2.40
	Total-X	**1371.40**
XI	**C. General Services**	
	1. Jails	1.30
	2. Public Work	26.00
	3. Other Administrative Services	25.22
	Total-XI	**52.52**
	Grand Total	**4100.00**

ource: - Planning Department, Himachal Pradesh.

NUEPA DC
D14685

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D- 14685
Date : 18-02-2015
Documentation Centre